

अनुविनि
nsfdc

36वी वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2024-2025

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(An ISO 9001:2015 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092

14th Floor, Core - 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092

फोन/Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 टोल फ्री न. / Toll Free No. 1800110396

ई-मेल/E-mail: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website : www.nsfdc.nic.in

36वीं वार्षिक रिपोर्ट
36th ANNUAL REPORT
2024-25

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ **9001:2015** प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092
14th Floor, Core - 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092

फोन/Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 टोल फ्री न. / Toll Free No. 1800110396
ई-मेल/E-mail: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website : www.nsfdc.nic.in

विषय सूची

क्रम स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	कंपनी सूचना	1
2.	नोटिस	2
3.	अध्यक्षीय संदेश	4
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	10
5.	तुलन-पत्र	76
6.	आय और व्यय का विवरण	77
7.	नकद प्रवाह विवरण	78
8.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	123
9.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	156
10.	पंजीकृत कार्यालय और संपर्क केंद्र	158

कंपनी सूचना

निदेशक मंडल (2024-25)

श्री प्रभात त्यागी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(02.05.2025 से प्रभावी)

श्री राजन सहगल
पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(01.09.2024 से 02.05.2025 तक)

श्री रजनीश कुमार जैनव
पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(01.01.2021 से 30.08.2024 तक)

श्री बिस्वरंजन सस्मल
(09.02.2024 से 15.07.2025 तक)

श्रीमती देबोलीना ठाकुर
(19.09.2024 से प्रभावी)

श्री एस.एम. आवले
(04.06.2015 से प्रभावी)

श्रीमती सुधा केशरी
(18.12.2023 से प्रभावी)

श्रीमती गीता भारती
(18.12.2023 से प्रभावी)

श्री मशार वेलापुरथ
(18.12.2023 से प्रभावी)

श्री गुरदीप सिंह मनकटहला
(22.01.2024 से 30.06.2024 तक)

श्री धम्मज्योति रामदास गजभिये
(18.12.2023 से 09.09.2024 तक)

श्रीमती अंजुला सिंह माहुर
(स्वतंत्र निदेशक)
(06.12.2021 से 05.12.2024 तक)

श्री दुर्गा प्रसाद राय,
स्वतंत्र निदेशक
(29.12.2021 से 29.12.2024 तक)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स दविंदर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
एस-53, औद्योगिक एस्टेट,
फेज़-2, ओखला,
नई दिल्ली – 110020.

बैंकर्स

- एसबीआई, नई दिल्ली/कोलकाता
- केनरा बैंक, दिल्ली/मुंबई/बेंगलुरु
- पंजाब नेशनल बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- आईसीआईसीआई बैंक
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
- आईडीबीआई
- एक्सिस बैंक
- इंडसइंड बैंक
- कोटक महिंद्रा बैंक
- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
- बंधन बैंक
- इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक

पंजीकृत कार्यालय

नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली-1100092

कंपनी सचिव

सी.ए. अनु भोगल
महाप्रबंधक (वित्त)

CIN : U93000DL1989NPL034967

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

एनएसएफडीसी/सचि/36वीं वाआबै/312/6367-6375 18 सितंबर, 2025

नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 29.09.2025 (सोमवार) को अपराह्न 3.30 बजे** पुराना सम्मेलन कक्ष, सं. 603, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 6वीं मंजिल (ए विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001 में निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने के लिए होगी:

सामान्य कार्य:

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, प्रबंध समिति के उत्तर और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका प्राप्त करना, विचार करना तथा अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उस पर प्रबंध समिति के उत्तर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया।"

निदेशक मंडल के आदेश से
ह०
(अनु भोगल)
महाप्रबंधक (वित्त, लेखा परीक्षा और विधि) एवं कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 18 सितंबर, 2025

टिप्पणी:
बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने के लिए एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है (परोक्षी फार्म संलग्न है)।

CIN : U93000DL1989NPL034967

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

एनएसएफडीसी/सेक्ट/312/36वीं वार्षिक आम बैठक/ 29.09.2025

36वीं वार्षिक आम बैठक के समय में परिवर्तन की सूचना देने के लिए नोटिस का शुद्धिपत्र

यह नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ("कंपनी") की 36वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के समय में परिवर्तन अर्थात् 2:30 घंटे पहले आयोजित किए जा रहे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, यह शुद्धिपत्र यह सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है कि कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक के लिए पूर्व में परिचालित नोटिस में दिए गए समय दोपहर 3:30 के बजाए सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 1:00 बजे पुराने सम्मेलन कक्ष, संख्या 603, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों को 18 सितंबर, 2025 को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का नोटिस भेज दिया गया है। उसमें बैठक का समय दोपहर 3:30 बजे निर्धारित था, लेकिन एसजीओएस की बैठक के कारण, बहुसंख्यक शेयरधारकों अर्थात् माननीय सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता (एसजेएंडई) के निर्देशानुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का समय दोपहर 1:00 बजे कर दिया गया है।

कंपनी के सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि 36वीं वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर, 2025, सोमवार को दोपहर 1:00 बजे आयोजित की जाएगी।

वार्षिक आम बैठक के नोटिस का यह शुद्धिपत्र, 36वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस का अभिन्न अंग होगा, जिसे कंपनी के शेयरधारकों को पहले ही परिचालित किया जा चुका है, और इस तिथि से वार्षिक आम बैठक के नोटिस को हमेशा इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह०

(अनु भोगल)

महाप्रबंधक (वित्त, लेखा परीक्षा और विधि) एवं कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 29 सितंबर , 2025

पंजीकृत एवं प्र. का.: 14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092
Regd. & H.O.: 14th Floor, SCOPE Minar, Core - 1 & 2, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092
दूरभाष/Phone: 22054391, 22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 22054395, 22054349
ई-मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/website: www. nsfdc.nic.in



एनएसएफडीसी की 36वीं वार्षिक आम बैठक के लिए अध्यक्षीय संदेश

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से, मैं कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस विशिष्ट अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने हेतु आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट को आप सभी सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिया गया है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ समझूँगा।

31 मार्च, 2025 को, आपके निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.1800.00 करोड़ और प्रदत्त पूंजी रु.1515.00 करोड़ थी।

❖ **प्रमुख उपलब्धियाँ**

- **ऋण योजनाएँ**

  वर्ष के दौरान आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/ चैनलाइजिंग एजेंसियों को रु.759.50 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 41,750 लाभार्थियों को लाभांवित करने हेतु योजनाओं के कार्यान्वयनार्थ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को 100%के लक्ष्य (समझौता ज्ञापन के तहत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में रु.611.78 करोड़ अर्थात् उपलब्ध कुल निधियों का 83.40% संवितरित किया।

- **<u>कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>**

  प्रधानमंत्री-दक्ष योजना दिशानिर्देश, 2024-25 के अनुसार, एनएसएफडीसी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नहीं थी, अतः एनएसएफडीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एसडीटीपी लागू नहीं की है। हालाँकि, एनएसएफडीसी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकृत एसडीटीपी के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को रु.17.03 करोड़ (पात्र प्रशिक्षुओं को जारी रु.4.44 करोड़ की वजीफा राशि सहित) निर्मुक्त किया है।

  वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, जिन 30,660 व्यक्तियों के लिए एसडीटीपी शुरू किए गए थे, उनमें से 7,807 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 31.03.2024 तक पूरे कर लिए गए और शेष 22,853 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे कर लिए गए।

- **<u>अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी)</u>**

  अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी) योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2005-06 से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान में एम.फिल/पीएचडी में उच्च अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है।

यह योजना उन अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतिवर्ष 2,000 नई जूनियर रिसर्च अध्येतावृत्ति प्रदान करती है, जिन्होंने यूजीसी नेट (1,500) और संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट (500) परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये स्लॉट यूजीसी और सीएसआईआर अध्येतावृत्ति के लिए सरकार की सामान्य आरक्षण नीति के तहत चुने गए अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या के अतिरिक्त हैं।

यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्वानों को अध्येतावृत्ति, आकस्मिक व्यय, एस्कॉर्ट/रीडर सहायता और एचआरए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

अध्येतावृत्ति और अन्य वित्तीय घटक केनरा बैंक के छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रबंधन के लिए बने पोर्टल (एसएफएमपी) के माध्यम से पात्र छात्रों को डीबीटी मोड में जारी किए जाते हैं।

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 01.10.2022 से केंद्रीय नोडल एजेंसी (चैनलाइजिंग एजेंसी) के रूप में नामित किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपके कॉर्पोरेशन ने एनएफएससी योजना के अंतर्गत 4,143 शोधकर्ताओं को रु. 216.75 करोड़ जारी किए हैं।

- **<u>विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड)</u>**

डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (सीड) विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों (डीडब्ल्यूबीडीएनसी), डीएनटी बोर्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विकास और कल्याण बोर्ड की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

एनएसएफडीसी सीड के आजीविका घटक के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है।

आजीविका घटक लक्षित समूह को स्थायी आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाता है। इसमें **स्व-सहायता समूह (एसएचजी) का गठन,** क्षमता निर्माण, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार/स्वरोजगार शामिल हैं। लक्षित समूह को आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जनधन योजना, पेंशन योजना और जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत पात्रताएँ भी प्रदान की जाती हैं।

1450 एसएचजी अर्थात् आंध्र प्रदेश (150 एसएचजी), महाराष्ट्र (300 एसएचजी), तमिल नाडु (500 एसएचजी) और उत्तर प्रदेश (500 एसएचजी), के गठन के लिए सीड परियोजना को मंजूरी दी गई थी और डीएनटी बोर्ड द्वारा अग्रिम के रूप में एनएसएफडीसी को रु.1385.00 लाख की राशि जारी की गई थी।

वित्तीय वर्ष (2024-2025) के दौरान, आपके कॉर्पोरेशन ने 04 राज्यों (अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, के 28 जिलों में 08 पार्टनरों एजेंसियों (अर्थात् मेसर्स राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एनआई-एमएसएमई), मेसर्स निर्माण बहु उद्देश्य संस्थान, मेसर्स नवचेतना सर्वांगीण विकास केंद्र, मेसर्स धन (डेवलमेंट ऑफ हयूमेन एक्शन) फाउंडेशन, मेसर्स मैसूर पुनर्वास विकास एजेंसी (एमवाईआरएडीए), मेसर्स आगा खान फाउंडेशन, मेसर्स अर्पण सेवा संस्थान और मेसर्स गोट ट्रस्ट के माध्यम से इस योजना को लागू किया और 1058 एसएचजी का गठन किया।

वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान, आपके कॉर्पोरेशन ने सीड परियोजना के अंतर्गत 08 पार्टनर एजेंसियों और स्व-सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड और प्रवेश बिंदु गतिविधियों के लिए रु.635.88 लाख जारी किए हैं।

- **<u>वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विसवास) योजना: ब्याज आर्थिक सहायता योजना</u>**

विसवास योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों (हाथ से मैला ढोने वालों और कचरा बीनने वालों सहित) की आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना है और आय-सृजन ऋणों पर 5:ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों और इसी तरह के संस्थानों में मानक खातों वाले व्यक्तिगत और स्व-सहायता समूह (एसएचजी) ऋणधारक (कम से कम 70% लक्षित समूह के सदस्यों के साथ) इस लाभ के लिए पात्र हैं।

यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत तीन निगमों, अर्थात् नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

ऋणदाता संस्थानों के सभी आर्थिक सहायता के दावों का निपटान पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित वित्तीय समावेशन योजनाओं के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करने हेतु एक डिजिटल पहल है। इसमें विसवास के अलावा निगमों की ऋण योजनाएँ और उद्यम पूंजी निधि भी शामिल हैं।

इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या 3.13 लाख है, जिसकी तुलना में निगम को विसवास के माध्यम से 1.62 लाख लाभार्थियों के दावे प्राप्त हुए हैं। निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,62,294 लाभार्थियों को रु.9.64 करोड़ संवितरित किए हैं।

- **समझौता ज्ञापन (2024-25) के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियाँ**

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षित आँकड़ों के आधार पर समझौता-ज्ञापन के मानदंडों के अनुसार, आपके निगम की उपलब्धि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल समग्र स्कोर 74.95 (अनंतिम) बैठता है, जो बहुत अच्छा रेटिंग के अनुरूप है।

- **विशेष पहलें**

आपके निगम ने अपने क्रियाकलापों को और व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2024-25 क दौरान विशेष पहल की हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

(i) विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय की योजनाओं के साथ अभिसरण

निगम द्वारा पूर्व में किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रस्तुति के आधार पर, विकास आयुक्त (हथकरघा) ने स्वीकृति आदेश संख्या 1/5/4/2023-डीसीएच/एनएचडीपी/एमपी/सीडीपी-II दिनांक 19.02.24/14.06.2024 (संशोधित) के तहत लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एससीडीपी) के अंतर्गत चंदेरी हथकरघा क्लस्टर को मंजूरी दी, जिसकी कुल परियोजना लागत रु.189.65 लाख है और जिसमें 676 बुनकर शामिल हैं। पीआईए के रूप में एनएसएफडीसी को बेसलाइन सर्वेक्षण, उत्पाद विकास, एक्सपोजर विजिट, प्रदर्शनी/बीएसएम/प्रचार में भागीदारी, क्लस्टर गतिविधि का दस्तावेजीकरण, टेक्सटाइल डिजाइनर का नियोजन और परियोजना प्रबंधन लागत के प्रति रु.46.50 लाख की राशि प्राप्त होगी।

तदनुसार, क्लस्टर के कार्यान्वयन और की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा हेतु, हथकरघा एवं हस्तशिल्प आयुक्त, भोपाल (मध्य प्रदेश) की अध्यक्षता में 30.07.24 को राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी) की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में विज्ञापन के माध्यम से क्लस्टर विकास कार्यकारी (सीडीई) एवं डिजाइनर की नियुक्ति का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त, एनएसएफडीसी के अधिकारियों ने हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस) योजना के तहत लाभांवित होने वाले बुनकरों की सूची बनाने के लिए क्लस्टर स्थानों का सर्वेक्षण किया अर्थात् 03.09.24 से 10.09.24 के दौरान बुनकरों को लूम्स, जैक्कार्ड और लाइटनिंग यूनिट का वितरण किया गया।

(ii) एनएसएफडीसी की कौशल/प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अंतर्गत कच्छ कढ़ाई में 50 अनुसूचित जाति महिला कारीगरों की क्षमता का निर्माण

पीआईए के माध्यम से 15.10.2024 से 14.11.2024 तक ग्रामः तलवाना, जिलाः कच्छ-भुज, गुजरात में प्रशिक्षण-सह-क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एनएसएफडीसी के उप महाप्रबंधक ने सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केंद्र (एचएससी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, कच्छ-भुज (गुजरात) कार्यालय और पीआईए के प्रतिनिधियों के साथ किया। अनुसूचित जाति की 25 महिला कारीगरों को कच्छ कढ़ाई शिल्प का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की कुल लागत रु.7.95 लाख एनएसएफडीसी द्वारा प्रायोजित की गई थी।

(iii) **द गोट ट्रस्ट**

एनएसएफडीसी और द गोट ट्रस्ट (टीजीटी) के बीच हुए समझौता करार के अंतर्गत, 50 बकरी पालकों के प्रशिक्षण-सह-क्षमता निर्माण कार्यक्रम के समापन पर द गोट ट्रस्ट द्वारा रु.8,53,600/- का उपयोग प्रमाण पत्र जमा किया गया। इसके अतिरिक्त, नामित समिति ने 04.01.2024 को प्रशिक्षण-सह-क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे बैच के लिए 30 बकरी पालकों की पहचान की।

द गोट ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षण-सह-क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण 24.06.24 से 26.06.24 और 08.07.24 से 10.07.24 के दौरान दो बैचों में चलाया गया।

(iv) **पीएम सूरज पोर्टल**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम-सूरज पोर्टल) का रखरखाव और संवर्धन कर रही है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों का लक्षित समूह इस पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। बेहतर दक्षता के लिए इस पोर्टल को एनएसएफडीसी की ऋण लेखा प्रबंधन प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है।

(v) **कार्यशाला सह एमडीपी**

एनएसएफडीसी ने पंजाब ग्रामीण बैंक और जेएण्डकेएससीएसटीबीसीडीसी के अधिकारियों के लिए क्रमशः 15.07.2024 से 26.07.2024 तक जालंधर, पंजाब और 18.01.2025 को जम्मू, जम्मू व कश्मीर में 6 कार्यशालाएँ आयोजित कीं। संशोधित एनएसएफडीसी नीति, लाभार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों के संवितरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने पर राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ उपयोगी विचार-विमर्श किया गया। एनएसएफडीसी की योजनाओं को संशोधित करते समय विचार-विमर्श के परिणामों को ध्यान में रखा गया था।

(vi) **बकाया राशि के भुगतान पर सीपीएसई विवादों के समाधान हेतु प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी)**

आंध्र प्रदेश (एपीएससीसीएफसी), बिहार (बीएससीसीडीसी), छत्तीसगढ़ (सीएसएएसवीईवीएन), गुजरात (जीएससीडीसी), झारखंड (जेएससीडीसी) और मध्य प्रदेश (एमपीएससीएफडीसी) राज्यों/एससीए से संबंधित लंबे समय से लंबित बकाया राशि को सीपीएसई विवादों के समाधान हेतु प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) के दायरे में लाया गया। एएमआरसीडी प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान हेतु कुल रु.273.31 करोड़ की राशि का दावा किया गया।

सचिवों की समिति जिसमें सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार शामिल हैं। भारत सरकार के विधि मामलों के सचिव और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष के दौरान 05.07.2024, 19.11.2024 और 10.02.2025 को हाइब्रिड मोड के तहत आयोजित एएमआरसीडी बैठकों में भाग लिया।

एएमआरसीडी की प्रारंभिक बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, 'एकमुश्त निपटान' के तहत रु.7.38 करोड़ की बकाया राशि के भुगतान के बाद, बिहार (बीएससीसीडीसी) के खिलाफ एएमआरसीडी की कार्यवाही बंद हो गई है।

एएमआरसीडी के अंतर्गत सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, झारखंड (जेएससीडीसी) ने एनएसएफडीसी को एकमुश्त भुगतान के रूप में रु.5.42 करोड़ चुका दिए हैं और एएमआरसीडी के अंतर्गत मामले को बंद करने की कार्यवाही चल रही है।

एएमआरसीडी के अंतर्गत सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आंध्र प्रदेश (एपीएससीसीएफसी) और गुजरात (जीएससीडीसी) ने पुर्नभुगतान की प्रक्रिया शुरू की और क्रमशः रु.24.00 करोड़ और रु.1.15 करोड़ का भुगतान किया।

लगातार चूक के कारण, महाराष्ट्र (एमपीबीसीडीसी) और राजस्थान (आरएससीडीसी) के रु.228.80 करोड़ के दो और मामले एएमआरसीडी को भेजे जा रहे हैं। इन प्रयासों से एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से वसूली में मदद मिलेगी।

(vii) **<u>राज्यों में प्रदर्शनियाँ समग्र जागरूकता शिविर</u>**

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लिया, नामतः दिल्ली हाट में आयोजित शिल्प समागम मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आईआईटीएफ, फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तिरुवनंतपुरम (केरल) और नासिक (महाराष्ट्र) में आयोजित शिल्प समागम मेला और प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में आयोजित महाकुंभ मेला। निगम ने मंत्रालय और राष्ट्रीय निगम की योजनाओं का बुनियादी स्तर पर प्रचार करने के लिए सेलम (तमिल नाडु) में आयोजित समग्र जागरूकता शिविरों में भी भाग लिया।

(viii) **<u>महिला लाभार्थियों का कवरेज</u>**

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 26,868 महिला लाभार्थियों को रु.295.96 करोड़ की रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो वित्तीय और वास्तविक दोनों दृष्टि से क्रमशः 40% के मानक की तुलना में वर्ष के कुल संवितरण का 48.38%और कुल कवरेज का 64.35% है।

(ix) **<u>कॉर्पोरेट गवर्नेंस</u>**

आपके निगम को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर, 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्रदान की गई है। कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(x) **<u>गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस (आईएसओ 9001:2015)</u>**

आपका निगम एक आईएसओ प्रमाणित संगठन है और आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) प्रमाणन की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है।

एनएसएफडीसी को रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड (आरआईसीएल) द्वारा 24.1.2023 को आईएसओ 9001:2015 के अनुरूप गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन प्रदान किया गया है। यह प्रमाणन वार्षिक निगरानी ऑडिट के तहत 23.1.2026 तक वैध है। पहला और दूसरा निगरानी ऑडिट क्रमशः 25.06.2024 और 14.02.2025 को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।

(xi) **<u>सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण</u>**

- आपका निगम परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढाँचे को निरंतर उन्नत कर रहा है। निगम ने परियोजना, वित्त और कौशल प्रशिक्षण सहित सभी विभागों में फाइलों के निर्बाध डिजिटल प्रसंस्करण के लिए ई-ऑफिस को पूरी तरह से अपना लिया है। प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्रों के सभी अधिकारी सक्रिय रूप से ई-ऑफिस का उपयोग करते हैं, ताकि एनआईसी वेब वीपीएन के माध्यम से दूरस्थ स्थानों में निर्बाध रूप से कार्य करना सुनिश्चित किया जा सके।
- एनएसएफडीसी एक गतिशील, द्विभाषी और दिव्यांगजन-अनुकूल वेबसाइट का रखरखाव करता है, जो भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुरूप है। यह वेबसाइट एनआईसी क्लाउड सर्वर पर लांच की गई है, जो सिक्योर सॉकेट्स लेयर (एसएसएल) प्रमाणपत्र और नियमित सुरक्षा ऑडिट द्वारा सुरक्षित है।
- निगम परियोजनाओं से संबंधित डेटा के लिए एक आंतरिक डेटाबेस मॉड्यूल का भी प्रबंधन करता है, जिससे व्यापक रिपोर्ट तैयार करना संभव हो पाता है। डेटा, हार्डवेयर और नेटवर्क को वायरस, स्पाइवेयर, एडवेयर

और अन्य खतरों से बचाने के लिए, एनएसएफडीसी ने समय-समय पर अपडेट किए गए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, निगम ने नए पीसी, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों की खरीद करके अपने आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जिससे एक विश्वसनीय तकनीकी आधार सुनिश्चित हुआ है।

भावी योजना

आपका निगम आर्थिक विकास में तेजी लाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य समूह की सहायता करने के लिए ऋण प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करने हेतु अभिनव दृष्टिकोण का उपयोग करेगा। लक्ष्य समूह को सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक गतिविधियों, व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जिससे रोजगारपरकता बढ़ेगी । भौगोलिक दृष्टि से मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहां लक्ष्य समूह की बहुल्यता है, विशेष रूप से देश के महत्वाकांक्षी जिलों में। आपका निगम चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ मौजूदा सहयोगात्मक संबंधों को बनाए रखेगा और इसके साथ अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बहु आयामी रणनीति का पालन करेगा और साथ ही अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अभिसरण करेगा।

आभारोक्ति

कंपनी के निदेशक मंडल की ओर सेए मैं आपको सतत सहायता और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को उनके पर्याप्त सहायता और सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निदेशक मंडल का उनके निरंतर परामर्श और उत्साहवर्धन के लिए उनके सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयोंए लोक उद्यम विभागएराज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सहायता के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विभिन्न राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, चैनल भागीदारों जिसमें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, माइक्रो फाइनेंस संस्थान, कौशल प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल हैं, से प्राप्त सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं निगम के सभी कर्मचारियों के निष्ठापूर्ण प्रयासों के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी वजह से हम उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। मैं इस यात्रा में सभी हितधारकों के सतत् सहयोग की आशा करता हूँ।

ह०
(प्रभात त्यागी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 29.09.2025

निदेशक–मंडल की रिपोर्ट (2024–25)

मैं, आपके निगम की 36वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करता हूँ। वार्षिक आम बैठकें, आपके निगम की प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट, उसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अभियुक्तियों के साथ आपके निगम की प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक अवसर है।

1. निगम की रूपरेखा

आपका निगम, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 के अंतर्गत) के अंतर्गत एक ''लाभ–निरपेक्ष'' कंपनी के रूप में, 08.02.1989 को नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापित किया गया था। इसने 09.04.2001 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, दोनों के लक्षित समूहों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। 10.04.2001 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लक्षित समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के बाद निगम का विभाजन कर दिया गया। विभाजन के परिणामस्वरूप, आपका निगम अब विशेष रूप से अनुसूचित जाति लक्षित समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

1.1 दृष्टि

अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के माध्यम से व्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभावी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

1.2 लक्ष्य

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार तथा कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के बीच समृद्धि को बढ़ावा देना।

1.3 उद्देश्य

आपके कॉर्पोरेशन के संगम ज्ञापन में निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया गया है :–

(i) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना।

(ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कौशल एवं प्रक्रियाओं का उन्नयन करना।

(iii) छोटे, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना।

(iv) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्त –पोषित करना।

(v) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

(vi) लक्ष्य समूह को अपनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करना।

(vii) भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ऋण प्रदान करना।

(viii) पात्र युवाओं को भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल और नियोजनीयता में वृद्धि के लिए ऋण प्रदान करना।

उक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, आपका निगम राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल भागीदारों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को विभिन्न ऋण–आधारित योजनाओं के अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देने और लक्षित समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न गैर–ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रहा है।

1.4 प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.1800.00 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के आरंभ और अंत में संचयी प्रदत्त शेयर पूंजी रु.1515.00 करोड़ रहेगी।

1.5 संगठन चार्ट

आपके निगम की अध्यक्षता अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक करते हैं, जिनकी सहायता के लिए एक मुख्य महाप्रबंधक, पाँच महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम है। 31.03.2025 तक, आपके निगम में 75 कर्मचारी कार्यरत हैं। परियोजना, वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन विभागों के अलावा, अन्य विभाग/प्रकोष्ठ भी हैं जैसे कॉर्पोरेट सेवा, आंतरिक लेखा परीक्षा, समन्वय, सतर्कता, विधि, एमआईएस, अनुदान आधारित मॉडल, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, आरटीआई, आईएसओ, अभिलेख प्रबंधन और राजभाषा कक्ष। जहां तक आपके कॉर्पोरेशन के संचालन का संबंध है, परियोजना विभाग में तैनात विभागाध्यक्षों /डेस्क–प्रभारियों को विशिष्ट राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है, जहां वे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों, अन्य संस्थानों और लास्ट माइल फाइनेंसर अर्थात पिछड़े क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से एनएसएफडीसी की योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करते हैं।

अनुलग्नक– I में संगठन चार्ट दर्शाया गया है।

1.6 संपर्क केंद्र

आपके निगम के चार संपर्क केंद्र हैं, जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल भागीदारों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। संपर्क केंद्रों के स्थान और उनके क्षेत्राधिकार नीचे दिए गए हैं :–

क्रम सं.	संपर्क केंद्र	क्षेत्राधिकार
1	बेंगलुरू	तमिल नाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुद्दुचेरी
2	मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोआ, दमन और दीव, दादरा व नागर हवेली
3	कोलकाता	ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार झारखंड, छत्तीसगढ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम
4	लखनऊ	मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

दिल्ली और चंडीगढ़ की निगरानी सीधे मुख्यालय से की जा रही है।

1.7 चैनल वित्त प्रणाली

(i) आपका निगम संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित देश के 38 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के नेटवर्क के माध्यम से लक्षित समूह के लिए विभिन्न ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इसके अतिरिक्त, आपके निगम ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी–एमएफआई) और अन्य संस्थानों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक चैनल भी स्थापित किए हैं। 31.03.2025 तक, आपके निगम की 66 वैकल्पिक चैनलाइजिंग एजेंसियां (सीए) **(सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद)** हैं।

(ii) राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए)/ चैनलाइजिंग एजेंसी (सीए) की सूची **अनुलग्नक–II (क) एवं (ख)** में दी गई है।

iii) स्थानीय जरूरतों, पात्र आवेदकों की पहचान और लाभार्थियों के चयन, लाभार्थियों के साथ दस्तावेजीकरण, योजनाओं का कार्यान्वयन और लाभार्थियों से ऋण की वसूली पर आधारित परियोजना प्रस्तावों की तैयारी एवं प्रायोजन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के क्षेत्र में आते हैं।

1.8 निधियों का नोशनल आवंटन

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, आपका निगम संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की प्रतिनिधित्व की जाने वाली देश की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/ चैनलाइजिंग एजेंसियों को, निधियों को नोशनल रूप से आबंटित करता है।

1.9 निधियों के संवितरण के मानक (नॉर्म्स)

1.9.1 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) के मानक

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) को निधियों की निर्मुक्ति करने से पहले, निम्नलिखित मानकों पर विचार किया जाता है :

❖ **गारंटी :**
राज्य सरकार गारंटी/बैंक गारंटी/राज्य सरकार आदेश/राज्य सरकार आश्वासन की उपलब्धता।

❖ **उपयोगिता स्तर :**
फरवरी के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी **उपयोगिता** स्तर होना चाहिए तथा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत तक संचयी निधि **उपयोगिता** स्तर 80% होना चाहिए।

❖ **देयों की चुकौती :**
एक वर्ष से अधिक कोई अतिदेय राशि नहीं होनी चाहिए।

उक्त मानदंडों का ऋण योजनाओं में संवितरण के मामले में पालन किया जाता है। 01.12.2009 से लागू की गई शिक्षा ऋण योजना का संबंध हैं, राज्य सरकार की गारंटी की उपलब्धता और एक वर्ष से अधिक पुराना कोई अतिदेय का न होना, शिक्षा ऋण की स्वीकृति के समय सुनिश्चित किया जाता है।

1.9.2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, पीएसबी और आरआरबी (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:–

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को भुगतान योग्य कोई अतिदेय राशियॉ नहीं होनी चाहिए।
- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी के अंत तक, संवितरण के लिए, पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अलावा, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।



13.12.2024 को उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता–करार पर हस्ताक्षर।



18.02.2025 को ओडिशा ग्राम्य बैंक के साथ समझौता–करार पर हस्ताक्षर।

उपर्युक्त के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :

(क) संवितरण के वर्ष से पिछले 6 वर्षों में से कम-से-कम 3 वर्षों के दौरान निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 15% से कम होनी चाहिए।
(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) संवितरण के वर्ष से पिछले पूर्ववर्ती 6 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों के दौरान लाभ (निवल लाभ) होना चाहिए।
(ग) किसी विनियामक निकाय का चूककर्त्ता नहीं होना चाहिए।
(घ) समामेलित/विलय वाली संस्थाओं के मामले में, संबंधित प्रायोजक बैंक के पास आरआरबी के प्रमुख भागीदार के पिछले वर्षों के एनपीए मानकों पर विचार किया जाएगा।

1.9.3 अन्य संगठनों के लिए मानक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) द्वारा एनएसएफडीसी के पक्ष में जारी एनएसएफडीसी के लिए सावधि जमा बैंक गारंटी/ उत्तर दिनांकित बहु शहरी (मल्टीसिटी पोस्ट डेटेड) चेक।

1.9.4 एनबीएफसी–एमएफआई के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, एनबीएफसी–एमएफआई (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक निम्नानुसार हैं :

- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक समय के लिए एनएसएफडीसी की निधियों का उपयोग लंबित नहीं होना चाहिए।
- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी के अंत तक, संवितरण के लिए, पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अलावा, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।
- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अतिदेय राशि भुगतान योग्य नहीं होनी चाहिए।
- एनबीएफसी–एमएफआई को संवितरण प्रतिभूति राशि की शर्त के अधीन होगाः- क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से (पीएसबी) गारंटी संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य या उत्तर दिनांकित चेकों (पीडीसी) के रूप में 50% और पीएसबी से 50% सावधि जमा के रूप में हो। संवितरित की जाने वाली धनराशि के 50% के समतुल्य एक अदिनांकित पीडीसी हो।
- गैर–क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की गारंटी/मियादी जमा या आवासीय/वाणिज्यिक गारंटी/सावधि जमा या 50% तक, संबंधित संपत्ति के मालिक (मालिकों) की व्यक्तिगत/निगम की कॉरपोरेट गारंटी के साथ-साथ आवासीय/वाणिज्यिक संपति को बंधक के रूप में और बाकी राशि पीएसबी से गारंटी/सावधि जमा राशि के रूप में होनी चाहिए।

1.9.5 सहकारी बैंकों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, सहकारी बैंकों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक निम्नानुसार हैं:

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई नहीं होनी चाहिए।
- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अलावा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, सहकारी बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होंगाः

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

  अथवा

  पिछले 05 वित्तीय वर्षों की औसत निवल (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी का निवल एनपीए इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होनी चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले 03 वर्षों लाभ का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

  अथवा

  चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तिय वर्षों में लाभ होना चाहिए।

  चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्त्ता नहीं होना चाहिए।

  सहकारी बैंक के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट होनी चाहिए।

1.9.6 सहकारी समितियों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, सहकारी समितियों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनाने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक निम्नानुसार हैं:

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई नहीं होनी चाहिए।
- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अलावा मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, सहकारी बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होंगा:

- सहकारी समिति की शेयर पूंजी में केन्द्र/राज्य सरकार को हित धारक होना चाहिए।
- केन्द्र/राज्य सरकार को सहकारी समिति के निदेशक मंडल/शासकीय निकाय में सदस्यों को नामित करना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

  अथवा

  पिछले 05 वित्तीय वर्षों की औसत निवल (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी का निवल एनपीए इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होनी चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले 03 वर्षों लाभ का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

  अथवा

  चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तिय वर्षों में लाभ होना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की क्रिसिल 'क' के समतुल्य प्रतिभूति जमा राशि की क्रेडिट रेंटिग होनी चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्त्ता नहीं होना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले तीन वर्षों में किसी बाह्य ऋण के पुनर्भुगतान का चूककर्ता या किसी कॉर्पोरेट ऋण को पुनर्गठन नहीं करना चाहिए।
- सहकारी समिति के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट होनी चाहिए।

1.10 आवेदकों का पात्रता मानदंड

एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत शामिल होन के लिए आवेदकों के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

(i) आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय का होना चाहिए।

(ii) ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रु.3.00 लाख तक (दिनांक 08.03.2018 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए) होनी चाहिए।

वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत राशि को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

1.11 महिला लाभार्थियों के समावेशन के लिए मानदंड

आपका निगम अपनी योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला लाभार्थियों को शामिल करने को महत्व देता हैं। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिमुखीकरण और समन्वय पर टास्क फोर्स की अनुशंसा के परिणामस्वरूप, आपके निगम में वित्तीय और प्रत्यक्ष दोनों को मिलाकर 40% महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए मानदंड है।

1.12 निगम की योजनाएँ

आपके निगम के लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजनाएं हैं। लाभार्थियों को कृषि और समवर्गी, लघु उद्योगों और परिवहन सेक्टरों सहित सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आपका निगम उच्च शिक्षा लेने और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए भी ऋण प्रदान करता है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए निगम द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के विवरण निम्नलिखित हैं :

1.12.1 ऋण–आधारित योजनाएँ

आपके निगम ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लक्षित समूह के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण वित्त, सुविधा ऋण, उत्कर्ष ऋण, शिक्षा ऋण योजना, आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना और उद्यम निधि सहित विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, 2% से 5% प्रति वर्ष तक की रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य चैनलाइजिंग/चैनलाइजिंग एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपरोक्त ब्याज दरों में 4% (आजीविका माइक्रो फाइनेंस की योजना के मामले में 10% और उद्यम निधि योजना के मामले में 8% को छोड़कर) जोड़ने और लाभार्थियों से ब्याज लेने की अनुमति है।

1.12.1 (क) यूनिट लागत, एनएसएफडीसी का अंश और ब्याज की दर

क्र.सं.	योजना	परियोजना लागत	अधिकतम ऋण सीमा परियोजना लागत का 90% तक	प्रति वर्ष ब्याज दर	
				चैनलाइजिंग एजेंसियां	लाभार्थी
एससीए/पीएसबी/आरआरबी के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं					
(i)	महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	रु.1.40 लाख तक	रु.1.25 लाख	2%	6%
(ii)	लघु–ऋण वित्त (एमसीएफ)	रु.1.40 लाख तक	रु.1.25 लाख	2.5%	6.5%
(iii)	सुविधा ऋण	रु.10.00 लाख तक	रु.9.00 लाख	4%	8%
(iv)	उत्कर्ष ऋण	रु.10.00 लाख से अधिक और रु.50.00 लाख तक	रु.45.00 लाख	5%	9%
शिक्षा ऋण					
(v)	शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	भारत में अध्ययन करने के लिए रु.30 लाख तक या पाठ्यक्रम शुल्क का 90%, जो भी कम हो		2% (पुरूष) 1.5%, (महिलाएं)	6%, (पुरूष) 5.5%, (महिलाएं)
		विदेश में अध्ययन करने के लिए रु.40 लाख तक या पाठ्यक्रम शुल्क का 90%, जो भी कम हो		3% (पुरूष) 2.5%, (महिलाएं)	7%, (पुरूष) 6.5%, (महिलाएं)
एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजना					
(vi)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई)	रु.1.40 लाख तक	रु.1.25 लाख	5%	15%
सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजना					
(vii)	उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	रु.5.00 लाख तक	रु.4.50 लाख	5%	13%

1.12.1 (ख) वित्त के साधन

आपके निगम की ऋण नीति के अनुसार, निगम (एनएसएफडीसी) इकाई लागत का 90% तक ऋण प्रदान करता है। चैनलाइजिंग एजेंसियां और/या प्रवर्तक परियोजना की लागत की शेष राशि प्रदान करते हैं।

1.12.1 (ग) प्रवर्तक (प्रमोटर) का अंशदान

परियोजना में प्रवर्तक की हितधारिता और भागीदारी के लिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रति यूनिट रु.1.00 लाख से अधिक लागत वाली मियादी ऋण परियोजनाओं के अंतर्गत प्रवर्तक (प्रमोटर) के अंशदान पर बल दिया जाता है:

क्र.सं.	परियोजना/ प्रति यूनिट लागत	परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में प्रवर्तक(प्रमोटर) का कम से कम अंशदान
(i)	रु.1.00 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिए	अंशदान पर बल नहीं दिया जाता
(ii)	रु.1.00 लाख से अधिक और रु.5.00 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिए	2%
(iii)	रु.5.00 लाख से अधिक और रु.10.00 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिए	3%
(iv)	रु.10.00 लाख से अधिक और रु.50.00 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिए	5%

1.12.1 (घ) लाभार्थियों को आर्थिक सहायता (सब्सिडी)

शिक्षा ऋण योजना को छोड़कर, सभी योजनाओं में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को जारी की गई अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) निधियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले लाभार्थियों को राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा रु. 50,000/–या इकाई लागत का 50%, जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाती है। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत, मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (कक्षा 12 के बाद) में नामांकित लाभार्थी भी ऋण अधिस्थगन (मोरेटोरियम) अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए केंद्रीय ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।



श्री मोती लाल दास, अगरतला ने 11.12.2024 को स्टेशनरी की दुकान के लिए टीएससीडीसी, त्रिपुरा के माध्यम से लघु व्यवसाय योजना के तहत ऋण प्राप्त किया।

1.12.1 (ङ.) अधिस्थगन (मोरेटोरियम) अवधि

लाभार्थियों को ऋण संवितरण के बाद, मूलधन राशि की अदायगी हेतु विलंबन काल (अदायगी अवधि में छूट) दिया जाता है ताकि लाभार्थी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में मजबूती से आगे बढ़ सकें। हालाँकि, ब्याज राशि के भुगतान हेतु कोई विलंबन काल नहीं दिया जाता है। योजना–वार विलंबन काल निम्नानुसार है:

योजना	विलंबन काल (मोरेटोरियम)
महिला समृद्धि योजना	3 माह
लघु ऋण वित्त	3 माह
सुविधा ऋण	वृक्षारोपण और निर्माण गतिविधियों को छोड़कर 6 माह, जिसके लिए 12 माह का समय होगा।
उत्कर्ष ऋण	वृक्षारोपण और निर्माण गतिविधियों को छोड़कर 6 माह, जिसके लिए 12 माह का समय होगा।
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	पाठ्यक्रम अवधि तथा 01 वर्ष – जहां पुनर्भुगतान शुरू नहीं हुआ हो। 6 माह–जब ऋण वितरित हो गया और पुनर्भुगतान शुरू हो गया है।
आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई)	3 माह
उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	3 माह

1.12.1 (च) ऋण अदायगी अवधि

ऋणअदायगी अवधि मोटे तौर पर नकदी प्रवाह के अर्जन के मूल्यांकन, परियोजना परिसंपत्तियों के जीवनकाल और परियोजनाओं की गेस्टेशन(परिपक्वता) अवधि के आंकलन के आधार पर निश्चित की जाती है। विभिन्न योजनाओं और क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण अदायगी अवधि नीचे दी जा रही है:

योजना	ऋण अदायगी अवधि
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	3 वर्ष के भीतर
लघु–ऋण वित्त (एमसीएफ)	3 वर्ष के भीतर
सुविधा ऋण	5 वर्ष के भीतर
उत्कर्ष ऋण	7 वर्ष के भीतर
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	10 वर्ष के भीतर – जहां ऋण वितरित किया गया और अदायगी शुरू हो चुकी है। 12 वर्ष के भीतर – जहां अदायगी शुरू नहीं हुई है।
आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई)	3 वर्ष के भीतर
उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	5 वर्ष के भीतर



वर्ष 2024–25 को एनएसएफडीसी की उत्कर्ष ऋण योजना (ULY) के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद बनाने वाले पोलिवू हेल्थ केयर के सदस्य।

1.12.1 (छ) दूसरी बार ऋण सुविधा

लाभार्थी, यदि उन्होंने एनएसएफडीसी की किसी योजना के अंतर्गत पहली बार ऋण लिया है, तो निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण ऋण राशि की अदायगी करने के बाद, आपके निगम की किसी भी योजना के अंतर्गत वे निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन ऋण लेने के पात्र हैः

(क) पहले लिए गए ऋण की समय पर पूर्ण अदायगी हो और (ख) वास्तव में सृजित परिसंपत्ति के अर्जन और व्यवसाय के सफलतापूर्वक चलने की फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की हो।

1.12.1 (ज) वित्तपोषित परियोजनाओं की क्षेत्रवार निदर्शी सूची

विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं को चार प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है नामतः कृषि एवं समवर्गी उद्योग, सेवा एवं परिवहन तथा शिक्षा ऋण योजना। विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं की निदर्शी सूची नीचे दी जा रही हैः

कृषि भूमि की खरीद

कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र	
➢ कृषि भूमि की खरीद	➢ ट्रैक्टर ट्रॉली
➢ पॉली हाउस	➢ ट्रॉली के साथ पावर टिलर
उद्योग क्षेत्र	
➢ आटा चक्की और मिर्च पिसाई चक्की	➢ राख की ईंटों का उत्पादन
सेवा एवं परिवहन क्षेत्र	
➢ मिनी उद्यम	➢ टेंट हाउस
➢ किराना और ठंडे पेय पदार्थ	➢ सेंटरिंग मटेरियल
➢ मिनी होटल	➢ दवाई की दुकान
➢ मिनी सुपर बाजार	➢ चमड़े की चप्पलों की निर्माण इकाई
➢ कंक्रीट मिश्रण	
➢ इंटरनेट के साथ जेरॉक्स मशीन	➢ लेजर और स्क्रीन के साथ डीटीपी
➢ मशरूम प्रसंस्करण	➢ अधिवक्ता का कार्यालय
➢ हरित व्यवसाय (ई–रिक्शा)	➢ फास्ट फूड
➢ पिकअप वैन	➢ गेस्ट हाउस-सह-लॉज

➢ सामान वाहक ऑटो ट्रॉली	➢ ऑटो टैक्सी
➢ टैक्सी कार	➢ जीप टैक्सी
➢ लघु व्यवसाय (कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र)	➢ लघु व्यवसाय
➢ सवारी ऑटो	➢ माल वाहक ऑटो
शिक्षा ऋण योजना	
➢ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, बी.ई., बी.टेक., एम.टेक, आदि)	➢ नर्सिंग (बी.एससी.)
➢ परिवहन डिजाइन में पीजी डिप्लोमा	➢ सूचना प्रौद्योगिकी (बीसीए/एमसीए)
➢ वास्तुकला (बी.आर्क)	➢ प्रबंधन (बीबीए/एमबीए)
➢ चिकित्सा (बीएएमएस/बीएचएमएस/एमबीबीएस/एमडी)	➢ विधि (एलएलबी/एलएलएम)
➢ फार्मेसी (बी. फार्मा/एम. फार्मा)	➢ डेंटल (बीडीएस)
➢ हॉस्पिटलिटी एवं होटल प्रबंधन ➢ (बी.एससी.)	➢ शिक्षा (पीटीसी/बी.एड)
➢ समुद्री जीव विज्ञान और जलीय कृषि में स्नातकोत्तर	➢ डॉक्टर ऑफ मेडीसिन
➢ इंफ्रास्ट्रक्चर की सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में मास्टर्स	➢ स्नातक प्रमाण पत्र परियोजना प्रबंधन कार्यक्रम
➢ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परास्नातक	

1.12.2 गैर–ऋण आधारित योजना

1.12.2 (क) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

- आपका निगम परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और फिटिंग, चमड़ा, रबड़ और पेट्रो-रसायनों, कपड़ा, दूरसंचार, पूंजीगत सामान, लॉजिस्टिक, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कालीन, इंस्ट्रूमेंटेशन और स्वचालन, घरेलू सहायक, सौंदर्य और स्वास्थ्य, जीव विज्ञान, उर्जा, खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण कार्य, पर्यटन और आतिथ्य, मीडिया और मनोरंजन, अवसंरचना आदि जैसे रोजगार योग्य क्षेत्रों में लक्षित समूह के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, तकनीकी कौशल के अलावा, सॉफ्ट कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) ने वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रधानमंत्री–दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम–दक्ष) योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ–साथ अपने लक्षित समूह के 18–45 वर्ष के आयु वर्ग के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बिना किसी आय मानक के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। एनएसएफडीसी, पीएम–दक्ष योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है और वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) प्रायोजित कर रहा है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष–दर–वर्ष चयनित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एसडीटीपी को कार्यान्वित किया है।

- संशोधित पीएम–दक्ष योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की सहायता से किया जाएगा, जो एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में भी कार्य करेगी। इस प्रकार, एनएसएफडीसी पीएम–दक्ष योजना की कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है।

1.12.2 (ख) लाभार्थियों को विपणन सहायता

आपका निगम बिक्री योग्य उत्पाद बनाने वाले लाभार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चयनित प्रदर्शनियों और मेलों में अपनी वस्तुओं की बिक्री करने के लिए अवसर प्रदान करता है।



13.1.2025–15.2.2025 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान एनएसएफडीसी द्वारा भागीदारी

1.12.2 (ग) प्रदर्शनियों/मेलों में लाभार्थियों को निःशुल्क स्टॉल

(i) आपका निगम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में भाग लेता है तथा लाभार्थियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराता है।

(ii) इन प्रदर्शनियों में सहभागिता से लाभार्थियों को न केवल अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिलता है, बल्कि ग्राहकों, डीलरों, निर्यातकों के साथ बातचीत करने और नए उत्पादों के विकास के लिए जरूरतों/आवश्यकताओं को जानने का भी अवसर मिलता ळें

1.12.2 (घ) लाभार्थियों को विपणन प्रशिक्षण

ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार, कारीगरों के उत्पादों के विपणन और विकास/पुनः डिजाइनिंग से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करने के लिए, लाभार्थियों को विपणन प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, 'काउंटर पर अच्छी विक्रय कला' के कार्य निवेश के साथ, ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप उत्पादों में रूपांतर कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है।

1.12.2 (ङ) जागरूकता शिविर

आपके निगम की योजनाओं के बारे में लक्षित समूह के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

➢ सामान वाहक ऑटो ट्रॉली	➢ ऑटो टैक्सी
➢ टैक्सी कार	➢ जीप टैक्सी
➢ लघु व्यवसाय (कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र)	➢ लघु व्यवसाय
➢ सवारी ऑटो	➢ माल वाहक ऑटो
शिक्षा ऋण योजना	
➢ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, बी.ई., बी.टेक., एम.टेक, आदि)	➢ नर्सिंग (बी.एससी.)
➢ परिवहन डिजाइन में पीजी डिप्लोमा	➢ सूचना प्रौद्योगिकी (बीसीए/एमसीए)
➢ वास्तुकला (बी.आर्क)	➢ प्रबंधन (बीबीए/एमबीए)
➢ चिकित्सा (बीएएमएस/बीएचएमएस/एमबीबीएस/एमडी)	➢ विधि (एलएलबी/एलएलएम)
➢ फार्मेसी (बी. फार्मा/एम. फार्मा)	➢ डेंटल (बीडीएस)
➢ हॉस्पिटलिटी एवं होटल प्रबंधन ➢ (बी.एससी.)	➢ शिक्षा (पीटीसी/बी.एड)
➢ समुद्री जीव विज्ञान और जलीय कृषि में स्नातकोत्तर	➢ डॉक्टर ऑफ मेडीसिन
➢ इंफ्रास्ट्रक्चर की सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में मास्टर्स	➢ स्नातक प्रमाण पत्र परियोजना प्रबंधन कार्यक्रम
➢ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परास्नातक	

1.12.2 गैर–ऋण आधारित योजना

1.12.2 (क) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

- आपका निगम परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और फिटिंग, चमड़ा, रबड़ और पेट्रो-रसायनों, कपड़ा, दूरसंचार, पूंजीगत सामान, लॉजिस्टिक, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कालीन, इंस्ट्रूमेंटेशन और स्वचालन, घरेलू सहायक, सौंदर्य और स्वास्थ्य, जीव विज्ञान, उर्जा, खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण कार्य, पर्यटन और आतिथ्य, मीडिया और मनोरंजन, अवसंरचना आदि जैसे रोजगार योग्य क्षेत्रों में लक्षित समूह के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, तकनीकी कौशल के अलावा, सॉफ्ट कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) ने वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रधानमंत्री–दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम–दक्ष) योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ–साथ अपने लक्षित समूह के 18–45 वर्ष के आयु वर्ग के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बिना किसी आय मानक के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। एनएसएफडीसी, पीएम–दक्ष योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है और वित्तीय वर्ष 2023–24 तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) प्रायोजित कर रहा है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष–दर–वर्ष चयनित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एसडीटीपी को कार्यान्वित किया है।

आरबीआई/2019–20/95 के अनुसार, प्रति यूनिट रु.1.25 लाख तक वितरित धनराशि को सूक्ष्म वित्त ऋण माना है।

तदनुसार, 28,233 लाभार्थियों के लिए रु.219.36 करोड़ की संवितरित धनराशि को भी सूक्ष्म वित्त ऋण माना गया है।

2.1.2 (ख) संवितरण एवं शामिल किए गए लाभार्थियों का क्षेत्रवार विवरण:

क्र.सं	योजना	राशि (रुपए करोड़ में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2023–24	2024–25	2023–24	2024–25
(i)	**मियादी ऋण**				
(क)	प्राथमिक क्षेत्र (भूमि की खरीद, सिंचाई और अन्य संबद्ध क्रियाकलाप)	0.12	0.00	01	0.00
(ख)	द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग)	0.00	0.000	0.00	0.00
(ग)	तृतीयक क्षेत्र (सेवाएँ एवं परिवाहन)	7.48	0.00	33	0.00
	कुल (क) + (ख) + (ग)	**7.60**	**0.00**	**34**	**0.00**
(ii)	उद्यम निधि योजना	70.00	50.00	11482	5556
(iii)	लघु व्यवसाय योजना	261.23	22.12	14720	1005
(iv)	लघु ऋण वित्त	14.72	42.65	2227	5641
(v)	महिला समृद्धि योजना	36.84	63.24	23185	9770
(vi)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	34.18	0.00	8373	0.00
(vii)	शिक्षा ऋण योजना	9.42	11.71	128	411
(viii)	महिला अधिकारिता योजना	18.75	0.00	685	0
(xi)	उत्कर्ष ऋण	0.73	27.69	5	172
(x)	सुविधा ऋण	260.9	394.37	24533	19195
	कुल योग (i से x)	**714.45**	**611.78**	**85372**	**41750**

2.1.2 (ग) समझौता–ज्ञापन के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां (2024–25) (अनंतिम)

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए समझौता–ज्ञापन के समेकित लक्ष्य और उपलब्धियाँ **अनुलग्नक–III** में दी गई हैं। उपलब्धियों और लेखापरीक्षित आँकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कुल समग्र स्कोर 74.95 है जो 'बहुत अच्छा' श्रेणी के अनुरूप है।

वित्तीय पैरामीटर

(i) परिचालनों से राजस्व (करों का निवल)

वर्ष के दौरान, आपके निगम की परिचालन आय (निवल) रु.74.48 करोड़ है।

(ii) नए लाभार्थियों की कुल संख्या

वर्ष के दौरान, ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या 41750 है।

(iii) पीएम–दक्ष (मंत्रालय की योजना) के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

वर्ष के दौरान, पीएम–दक्ष योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या शून्य है।

(iv) राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए

वर्ष के दौरान, आपके निगम की आय के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए (निवल) लाभ 69.88% है।

(v) निवल परिसंपत्ति (नेटवर्थ) पर रिटर्न

वर्ष के दौरान निवल परिसंपत्ति (नेटवर्थ) पर रिटर्न 2.69% है।

(vi) परिसंपत्ति कारोबार अनुपात

वर्ष के दौरान, परिसंपत्ति कारोबार अनुपात 3.77% है।

(vii) कुल उपलब्ध निधियों के लिए संवितरित ऋण

वर्ष के दौरान, आपके निगम की उपलब्ध कुल निधियों के लिए संवितरित ऋण 83.40% है।

(viii) लघु वित्त लाभार्थियों को संवितरित ऋण

वर्ष के दौरान, लघु वित्त लाभार्थियों को संवितरित ऋण कुल संवितरण का 35.85% है।

(ix) कुल ऋण के लिए अतिदेय ऋण (निवल)

वर्ष के दौरान, कुल ऋण (निवल) में अतिदेय ऋण 19.04% है।

(x) कुल ऋण (निवल) का एनपीए

वर्ष के दौरान कुल ऋण (निवल) में एनपीए शून्य है।

(xi) भौगोलिक कवरेज (राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या)

वर्ष के दौरान, भौगोलिक कवरेज (राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या) 97% है।

(xii) लाभार्थियों को लास्ट माइल तक संवितरण

वर्ष के दौरान, 31.03.2025 तक मुख्य लाभार्थियों को लास्ट माइल संवितरण कुल संवितरण का 89.05% है।

(xiii) विनिर्दिष्ट समय के भीतर टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति (एमओयू डिवीजन के दिनांक 22.07.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित पैरामीटर)

डीपीई के दिनांक 22.07.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, एनएसएफडीसी टीआरईडीएस पोर्टल पर पंजीकृत है और उसने अपने एमएसई विक्रेताओं को 45 दिनों के भीतर समय पर भुगतान किया है।

(xiv) अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जैम के माध्यम से खरीद

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार 81.71% वस्तुओं और सेवाओं की खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से की है।

पैरामीटर का अनुपालन

क्रम संख्या	अनुपालन संबंधी घटक	अंक	अनुपालन किया गया / अनुपालन नहीं किया गया
1	सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय के लिए समय–समय पर डीपीई दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं	–1	अनुपालन किया गया
2	कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एलओडीआर) विनियम) के प्रावधानों का अनुपालन जैसे : (i) निदेशक मंडल का गठन (ii) बोर्ड की समितियां (लेखा परीक्षा समिति आदि) (iii) बोर्ड की बैठकों का आयोजन (iv) संबंधित पार्टी का लेनदेन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता	–3	अनुपालन किया गया
3	सूक्ष्म लघु उद्यम (एमएसई) के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद, वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में (25%)	–1	अनुपालन किया गया
4	वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद (4%)	–1	अनुपालन किया गया
5	महिला एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद, वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का प्रतिशत (3%)	–1	अनुपालन नहीं किया गया
6	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम और पहलें (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा)	–1	अनुपालन किया गया

अंतिम स्कोर पीई सर्वेक्षण पोर्टल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उपलब्ध होगा।

2.1.2 (घ) योजनावार/क्षेत्रवार संवितरण

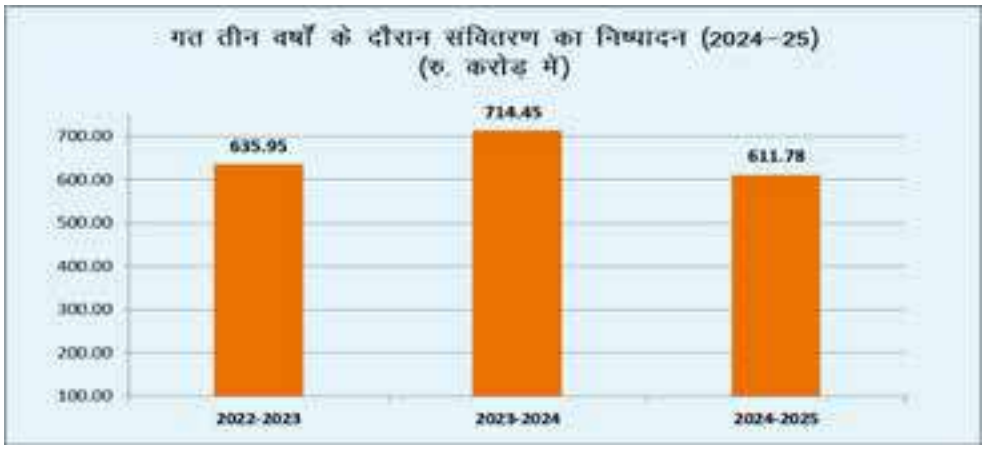
2024–25 के दौरान, कार्य–प्रदर्शन निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है :



(i) मियादी ऋण योजना में लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई), उत्कर्ष ऋण, सुविधा ऋण, उद्यम निधि योजना (यूएनवाई), महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई) शामिल हैं।

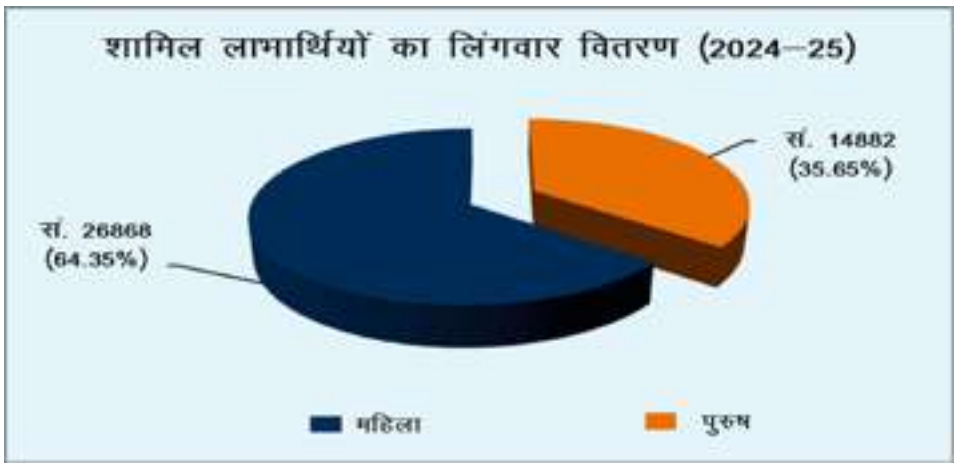
(ii) सूक्ष्म ऋण में सूक्ष्म ऋण वित्त (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई) शामिल हैं।

(iii) शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)।

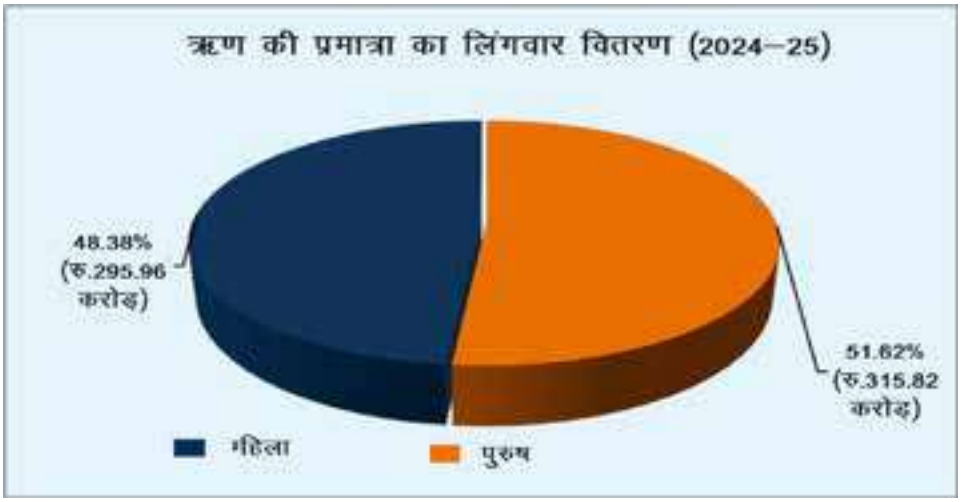


2.1.3 महिला लाभार्थियों का कवरेज

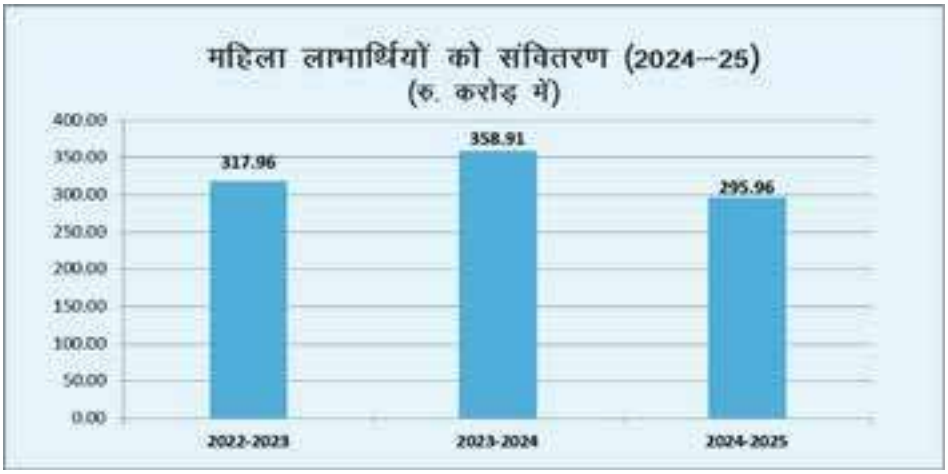
- वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 26,868 महिला लाभार्थियों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो वास्तविक दृष्टि से 40% के मानकों की तुलना में कुल कवरेज का 64.35% है।



- इसी प्रकार, वर्ष के दौरान, आपके निगम ने महिला लाभार्थियों के लिए रु.295.96 करोड़ संवितरित किए हैं, जो वित्तीय दृष्टि से 40% के मानक की तुलना में वर्ष के कुल संवितरण का 48.38% है।

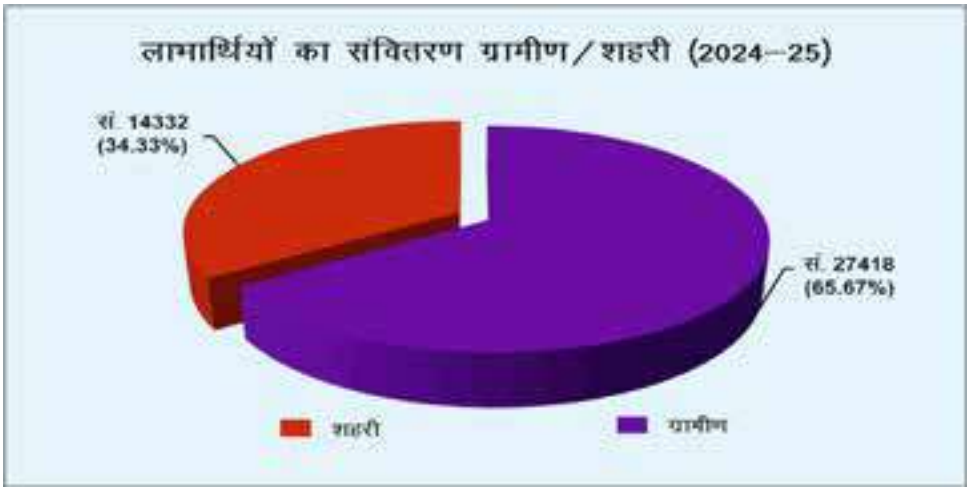


- पिछले तीन वर्षों के दौरान, महिला लाभार्थियों को संवितरित की गई राशि।



2.1.4 ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का कवरेज:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों से 65.67% लाभार्थियों और शहरी क्षेत्रों से 34.33% लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

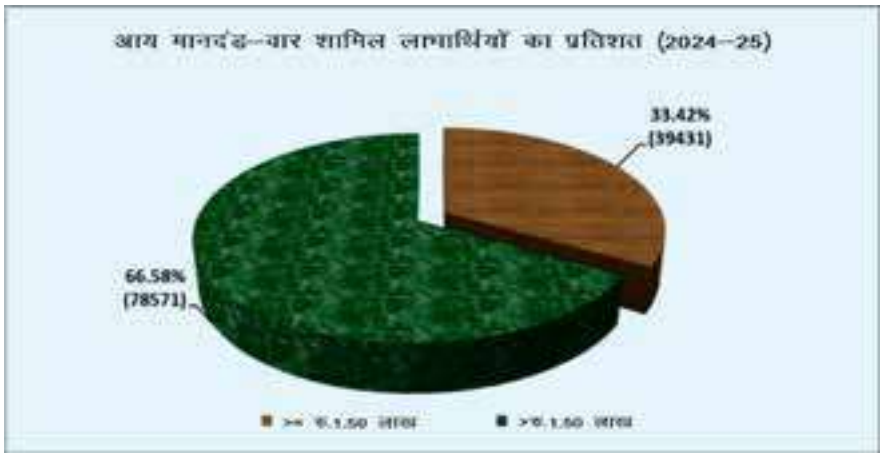


2.1.5 निधियों का उपयोग

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वितरित धनराशि के उपयोग में सुधार हेतु सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ गहन अभियान चलाया। इसके परिणामस्वरूप, 31.03.2025 तक 96.70% का संचयी उपयोग स्तर हासिल किया गया है।

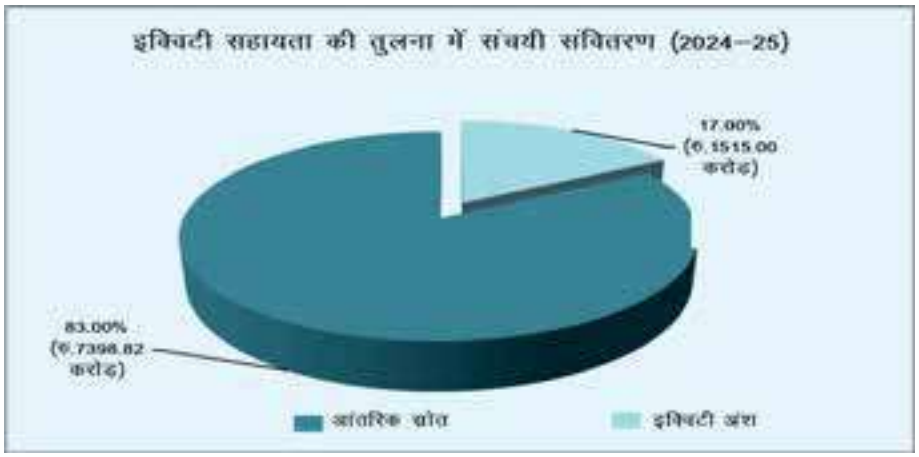
2.1.6 लाभार्थी का कवरेज– संशोधित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के अनुसार

वर्ष के दौरान, चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त उपयोगिता रिपोर्ट के अनुसार, रु.1.50 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाली श्रेणी में आने वाले 66.58% लाभार्थी तथा रु.1.50 लाख से अधिक तथा रु.3.00 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाली श्रेणी में आने वाले 33.42% लाभार्थी आपके निगम की योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।



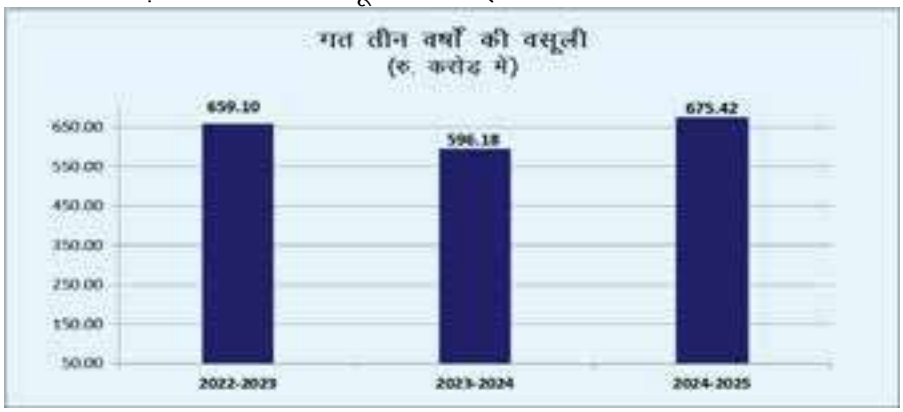
2.1.7 इक्विटी सहायता की तुलना में संचयी संवितरण

- वर्ष के दौरान, आपके निगम ने रु.611.78 करोड़ संवितरित किए।
- 31.03.2025 तक संचयी इक्विटी सहायता रु.1515.00 करोड़ है, जिसकी तुलना में आपके कॉर्पोरेशन ने 16.43 लाख लाभार्थियों को शामिल करते हुए रु.8913.82 करोड़ का संचयी संवितरण की उपलब्धि हासिल किया, जिसमें से 9.98 लाख महिला लाभार्थी (60.74%) थीं।
- अब तक किया गया संवितरण भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी का 5.88 गुना है।



2.1.8 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों से ऋण की वसूली

वर्ष के दौरान, आपके निगम को राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों से रु.675.42 करोड़ के ऋण की वसूली की गई।



2.1.9 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों की कार्यपद्धति

आपका निगम चैनल वित्त प्रणाली अपनाता है जिसमें राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों को निधियां दी जाती है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, सामान्य चैनल में 38 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां और वैकल्पिक चैनल में 63 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां थी। वित्तीय वर्ष के दौरान, आपके निगम ने नई चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और वर्तमान में एनएसएफडीसी के साथ वैकल्पिक चैनल में 38 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां और 66 अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं। वर्ष के दौरान, 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति की आबादी वाले 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों में से, 28 राज्यों और 5 संघ शासित क्षेत्रों ने निधियों का लाभ प्राप्त किया है।



श्री राज कुमार, 42, सैदबाड़ा, लखनऊ ने 30.10.2024 को टेंट हाउस के लिए उप्र सरकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से सविधा ऋण प्राप्त किया।

2.1.10 भागीदारी

2.1.10(क) निगम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकारी विभागों/स्थापित संस्थानों के साथ भागीदारी

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने, निगम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों के साथ भागीदारी की है:

क्र.सं.	संस्थान	उद्देश्य
(i)	यूको बैंक	विभिन्न राज्यों में एनएसएफडीसी की क्रेडिट/ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए।
(ii)	ओडिशा ग्राम्य बैंक	
(iii)	वेक्टर फाइनेंस लिमिटेड	
(iv)	नाबार्ड	कौशल, आजीविका और उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण/प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए
(v)	द अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ)	आवश्यकता पर आधारित आवश्यक क्षेत्र में उच्च प्रभाव हस्तक्षेप के साथ समुदायों को सहायता प्रदान करना : शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जिसमें सीएसआर शामिल है।

2.1.10 (ख) प्रदर्शनियों/मेलों में सहभागिता (2024–25)

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने लाभार्थियों के उत्पादों के लिए विपणन मंच प्रदान करने हेतु निम्नलिखित प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में शामिल राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और प्रदर्शित शिल्प वस्तुओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	प्रदर्शनियाँ	तारीख	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व	प्रदर्शित और बिक्री की गई शिल्प वस्तुएँ
(i)	शिल्प समागम मेला, दिल्ली हॉट, आईएनए, दिल्ली	01.11.2024 15.11.2024	दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पुद्दुचेरी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।	पीतल की वस्तुएं, साड़ियां और सूट, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा कपड़े रेशम की सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, चमड़े के जूते, ब्लॉक प्रिंटिंग, गरम जैकेट आदि।
(ii)	आईआईटीएफ, प्रगति मैदान, दिल्ली	14.11.2024 27.11.2024	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पुद्दुचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड।	रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा कार्य के कपड़े, साड़ियां और सूट, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेशम की सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, ब्लॉक प्रिंटिंग, गरम जैकेट आदि।
(iii)	शिल्प समागम मेला तिरुवनंतपुरम केरल	24.12.2024 31.12.2024	दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पुद्दुचेरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड।	हथकरघा कपड़े, साड़ियाँ और सूट, लकड़ी के खिलौनें, रेडीमेड वस्त्र, लकड़ी के जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेशम की सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, ब्लॉक प्रिंटिंग, गरम कपड़े, पीतल की वस्तुएँ, चमड़े के उत्पाद, कृत्रिम आभूषण आदि।
(iv)	शिल्प समागम मेला, नासिक महाराष्ट्र	17.01.2025 26.01.2025	हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पुद्दुचेरी, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।	हथकरघा कपड़े, साड़ियाँ और सूट, लकड़ी के खिलौने, रेडीमेड वस्त्र, लकड़ी के जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेशम की सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, ब्लॉक प्रिंटिंग, गरम कपड़े, पीतल की वस्तुएँ, चमड़े के उत्पाद, कृत्रिम आभूषण आदि।
(v)	महाकुंभ मेला, प्रयागराज (यूपी)	13.01.2025 26.02.2025	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।	क्लॉथ वर्क, रेशम की सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, चमड़े के जूते, ब्लॉक प्रिंटिंग, गरम जैकेट, पीतल की वस्तुएं, लकड़ी के खिलौने, साड़ी और सूट, लकड़ी के जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा आदि।
(vi)	सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद हरियाणा	07.02.2025 23.02.2025	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल।	पीतल की वस्तुएं, लकड़ी के खिलौने, साड़ियां और सूट, लकड़ी के जड़ाऊ शिल्प/पेंटिंग, रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा कपड़े, रेशम की सामग्री, अचार, ड्रेस सामग्री, कढ़ाई, चादरें, चमड़े के जूते, ब्लॉक प्रिंटिंग, गरम जैकेट आदि।

वर्ष के दौरान, 06 प्रमुख प्रदर्शनियों/मेलों में हमारे लाभार्थियों (एनएसएफडीसी) की कुल बिक्री के आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	प्रदर्शनी का नाम	तारीख	कारीगर	बिक्री के आंकड़े (रु.)
(i)	शिल्प समागम मेला, दिल्ली हाट मेला	1 से 15 नवंबर, 2024	37	54,00,000.00
(ii)	आईआईटीएफ, प्रगति मैदान, दिल्ली	14 से 27 नवंबर, 2024	32	26,31,750.00
(iii)	शिल्प समागम मेला, तिरुवनंतपुरम	24 से 31 दिसंबर, 2024 तक	24	48,98,184.00
(iv)	शिल्प समागम मेला, नासिक	17 से 26 जनवरी, 2025 तक	25	51,50,700.00
(v)	सूरजकुंड मेला, हरियाणा	7 से 23 फरवरी, 2025	15	37,69,700.00
(vi)	महाकुंभ मेला, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025	15	7,50,000.00



श्रीमती एम. अंजना, आईएएस, प्रबंध निदेशक, केएसडब्ल्यूडीसी, 24–31 दिसंबर, 2024 के दौरान तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित शिल्प समागम मेला में।



1–15 नवंबर 2024 के दौरान शिल्प समागम मेला, दिल्ली हाट में एनएसएफडीसी लाभार्थी की भागीदारी।

2.1.11 राज्यों में संयुक्त जागरूकता शिविर

वर्ष के दौरान, आपका निगम क्षेत्रीय स्तर पर मंत्रालय और राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं के प्रचार हेतु विभिन्न संयुक्त/जागरूकता शिविरों में भी भाग लेता है। इनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	राज्य/जिला	कार्यक्रम का विवरण	प्रतिभागी	तारीख
(i)	टीएनजीबी, सेलम, तमिल नाडु	एनएसएफडीसी की योजनाओं के बारे में संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।	50	07 अक्तूबर, 2024

2.1.12 विशेष पहलें

➢ **विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय की योजनाओं के साथ अभिसरण**

निगम द्वारा पूर्व में किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रस्तुति के आधार पर, विकास आयुक्त (हथकरघा) ने स्वीकृति आदेश संख्या 1/5/4/2023–डीसीएच/एनएचडीपी/एमपी/सीडीपी–II दिनांक 19.02.24/14.06.2024 (संशोधित) के तहत लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम

(एससीडीपी) के अंतर्गत चंदेरी हथकरघा क्लस्टर को मंजूरी दी, जिसकी कुल परियोजना लागत रु.189.65 लाख है और जिसमें 676 बुनकर शामिल हैं। पीआईए के रूप में एनएसएफडीसी को बेसलाइन सर्वेक्षण, उत्पाद विकास, एक्सपोजर विजिट, प्रदर्शनी/बीएसएम/प्रचार में भागीदारी, क्लस्टर गतिविधि का दस्तावेजीकरण, टेक्सटाइल डिजाइनर का नियोजन और परियोजना प्रबंधन लागत के प्रति रु.46.50 लाख की राशि प्राप्त होगी।

तदनुसार, क्लस्टर के कार्यान्वयन और की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा हेतु, हथकरघा एवं हस्तशिल्प आयुक्त, भोपाल (मध्य प्रदेश) की अध्यक्षता में 30.07.24 को राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी) की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में विज्ञापन के माध्यम से क्लस्टर विकास कार्यकारी (सीडीई) एवं डिजाइनर की नियुक्ति का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त, एनएसएफडीसी के अधिकारियों ने हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस) योजना के तहत लाभांवित होने वाले बुनकरों की सूची बनाने के लिए क्लस्टर स्थानों का सर्वेक्षण किया अर्थात् 03.09.24 से 10.09.24 के दौरान बुनकरों को लूम्स, जैक्वार्ड और लाइटनिंग यूनिट का वितरण किया गया।

- **एनएसएफडीसी की कौशल/प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अंतर्गत कच्छ कढ़ाई में 50 अनुसूचित जाति महिला कारीगरों की क्षमता का निर्माण**

पीआईए के माध्यम से 15.10.2024 से 14.11.2024 तक ग्रामः तलवाना, जिलाः कच्छ–भुज, गुजरात में प्रशिक्षण–सह–क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एनएसएफडीसी के उप महाप्रबंधक ने सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केंद्र (एचएससी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, कच्छ–भुज (गुजरात) कार्यालय और पीआईए के प्रतिनिधियों के साथ किया। अनुसूचित जाति की 25 महिला कारीगरों को कच्छ कढ़ाई शिल्प का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की कुल लागत रु.7.95 लाख एनएसएफडीसी द्वारा प्रायोजित की गई थी।





कच्छ कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम 15.10.2024–14.11.2024 के दौरान ग्राम तलवाना, जिला कच्छ, गुजरात में आयोजित किया गया।

- **द गोट ट्रस्ट**

एनएसएफडीसी और द गोट ट्रस्ट (टीजीटी) के बीच हुए समझौता करार के अंतर्गत, 50 बकरी पालकों के प्रशिक्षण–सह–क्षमता निर्माण कार्यक्रम के समापन पर द गोट ट्रस्ट द्वारा रु.8,53,600/– का उपयोग प्रमाण पत्र जमा किया गया।

इसके अतिरिक्त, नामित समिति ने 04.01.2024 को प्रशिक्षण–सह–क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे बैच के लिए 30 बकरी पालकों की पहचान की।





24–26 जून, 2024 और 8–10 जुलाई, 2024 को प्रेम नगर, जिला फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में गोट ट्रस्ट के माध्यम से क्लस्टर विकास के अंतर्गत एनएसएफडीसी प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

गोट ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षण–सह–क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण 24.06.24 से 26.06.24 और 08.07.24 से 10.07.24 के दौरान दो बैचों में चलाया गया।

- **पीएम सूरज पोर्टल**
  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम–सूरज पोर्टल) का रखरखाव और संवर्धन कर रही है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों का लक्षित समूह इस पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। बेहतर दक्षता के लिए इस पोर्टल को एनएसएफडीसी की ऋण लेखा प्रबंधन प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है।

- **कार्यशाला सह एमडीपी**
  एनएसएफडीसी ने पंजाब ग्रामीण बैंक और जेएण्डकेएससीएसटीबीसीडीसी के अधिकारियों के लिए क्रमशः 15.07.2024 से 26.07.2024 तक जालंधर, पंजाब और 18.01.2025 को जम्मू, जम्मू व कश्मीर में 6 कार्यशालाएँ आयोजित कीं। संशोधित एनएसएफडीसी नीति, लाभार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों के संवितरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने पर राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/ चैनलाइजिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ उपयोगी विचार–विमर्श किया गया। एनएसएफडीसी की योजनाओं को संशोधित करते समय विचार–विमर्श के परिणामों को ध्यान में रखा गया था।



18.01.2025 को जम्मू व कश्मीर अजा, अजजा और पिव विकास निगम के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया गया।

2.1.13 वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित 2022–23 के दौरान आयोजित ऋण आधारित योजनाओं और गैर–ऋण आधारित योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन :

आपके निगम ने अपनी ऋण और गैर–ऋण आधारित योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन मेसर्स डेवलपमेंट ओरिएंटेड ऑपरेशंस रिसर्च एंड सर्वेज (डीओओआरएस), नोएडा (उत्तर प्रदेश) को सौंपा था। इस अध्ययन में 11 राज्यों में वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान प्रशिक्षित 5790 लाभार्थियों/प्रशिक्षुओं को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

अध्ययन के अंतर्गत शामिल राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार लाभार्थी/प्रशिक्षु निम्नानुसार हैं:–

क्रम सं.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	कुल
(i)	छत्तीसगढ़	100	30	130
(ii)	हरियाणा	100	110	210
(iii)	झारखंड	0	70	70
(iv)	केरल	200	20	220
(v)	मध्य प्रदेश	240	170	410
(vi)	महाराष्ट्र	150	80	230
(vii)	राजस्थान	320	100	420
(viii)	सिक्किम	100	0	100
(ix)	तेलंगाना	100	30	130
(x)	उत्तर प्रदेश	820	380	1200
(xi)	पश्चिम बंगाल	2570	100	2670
कुल		4700	1090	5790

2.1.14 रिपोर्ट के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं

- **ऋण आधारित योजनाएँ**

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
(i)	अध्ययन के दौरान निरीक्षित किए गए लाभार्थियों की संख्या	10 राज्यों में 4,700
(ii)	दिए गए उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	4468 (95.1%)
(iii)	संपत्ति अर्जित करने व ाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	4248 (92.9%)
(iv)	गरीबी रेखा (बीपीएल) पार करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	777 (58.8%)
(v)	दोगुनी गरीबी रेखा (डीपीएल) पार करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत	1842 (40.3%)

- गैर ऋण/कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	ब्यौरा	विवरण		
(i)	अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या	10 राज्यों में 1090		
(ii)	एनएसएफडीसी के कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या और प्रतिशत	668 (63%)		
(iii)	प्रशिक्षुओं के रोजगार की वर्तमान स्थिति	नौकरी में कार्यरत	स्व–रोजगार	बेरोजगार
		299 (27%)	183 (17%)	608 (56%)
(iv)	नौकरी पेशा प्रशिक्षुओं का मासिक आय	औसत मासिक आय रु.11,268 है		
(v)	स्व–रोजगार प्रशिक्षुओं की मासिक आय	औसत मासिक आय रु.9,841 है		

2.1.15 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम–उपलब्धियां :–

प्रधानमंत्री–दक्ष योजना दिशानिर्देश, 2024–25 के अनुसार, एनएसएफडीसी वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नहीं थी, अतः एनएसएफडीसी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान एसडीटीपी लागू नहीं की है। हालाँकि, एनएसएफडीसी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान स्वीकृत एसडीटीपी के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को रु.17.03 करोड़ (पात्र प्रशिक्षुओं को जारी रु.4.44 करोड़ की वजीफा राशि सहित) निर्मुक्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, जिन 30,660 व्यक्तियों के लिए एसडीटीपी शुरू किए गए थे, उनमें से 7,807 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 31.03.2024 तक पूरे कर लिए गए और शेष 22,853 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान पूरे कर लिए गए।

2024–25 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरे किए गए प्रशिक्षण का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सारांश और जारी की गई प्रशिक्षण निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

2.1.16 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी): –

- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी) योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2005–06 से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान में एम.फिल/पीएचडी में उच्च अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है।
- यह योजना उन अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतिवर्ष 2,000 नई जूनियर रिसर्च अध्येतावृत्ति प्रदान करती है, जिन्होंने यूजीसी नेट

(1,500) और संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट (500) परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये स्लॉट यूजीसी और सीएसआईआर अध्येतावृत्ति के लिए सरकार की सामान्य आरक्षण नीति के तहत चुने गए अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या के अतिरिक्त हैं।

- यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्वानों को अध्येतावृत्ति, आकस्मिक व्यय, एस्कॉर्ट/रीडर सहायता और एचआरए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- अध्येतावृत्ति और अन्य वित्तीय घटक केनरा बैंक के छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रबंधन के लिए बने पोर्टल (एसएफएमपी) के माध्यम से पात्र छात्रों को डीबीटी मोड में जारी किए जाते हैं।
- नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 01.10.2022 से केंद्रीय नोडल एजेंसी (चैनलाइजिंग एजेंसी) के रूप में नियुक्त किया है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आपके कॉर्पोरेशन ने एनएफएससी योजना के अंतर्गत 4,143 शोधकर्ताओं को रु.216.75 करोड़ जारी किए हैं।

2.1.17 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (एसईईडी)

- डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (एसईईडी) विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों (डीडब्ल्यूबीडीएनसी), डीएनटी बोर्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विकास और कल्याण बोर्ड की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- एनएसएफडीसी सीड के आजीविका घटक के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है।



2024–2025 के दौरान नवचेतना सर्वांगिण विकास केंद्र के माध्यम से महाराष्ट्र के अहमदनगर में सीड आजीविका परियोजना का संचालन किया।

- आजीविका घटक लक्षित समूह को स्थायी आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाता है। इसमें **स्वः सहायता समूह (एसएचजी) का गठन**, क्षमता निर्माण, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार/स्वरोजगार शामिल हैं। लक्षित समूह को आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जनधन योजना, पेंशन योजना और जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत पात्रताएँ भी प्रदान की जाती हैं।

- 1450 एसएचजी अर्थात् आंध्र प्रदेश (150 एसएचजी), महाराष्ट्र (300 एसएचजी), तमिल नाडु (500 एसएचजी) और उत्तर प्रदेश (500 एसएचजी), के गठन के लिए सीड परियोजना को मंजूरी दी गई थी और डीएनटी बोर्ड द्वारा अग्रिम के रूप में एनएसएफडीसी को रु.1385.00 लाख की राशि जारी की गई थी।



2024–2025 के दौरान एनआईएमएसएमई के माध्यम से आंध्र प्रदेश में सीड आजीविका परियोजना का संचालन किया।

- वित्तीय वर्ष (2024–2025) के दौरान, आपके कॉर्पोरेशन ने 04 राज्यों (नामतः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, के 28 जिलों में 08 पार्टनरों एजेंसियों (नामतः मेसर्स राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एनआई–एमएसएमई), मेसर्स निर्माण बहु उद्देशीय संस्थान, मेसर्स नवचेतना सर्वांगीण विकास केंद्र, मेसर्स धन (डेवलमेंट ऑफ हयूमेन एक्शन) फाउंडेशन, मेसर्स मैसूर पुनर्वास विकास एजेंसी (एमवाईआरएडीए), मेसर्स आगा खान फाउंडेशन, मेसर्स अर्पण सेवा संस्थान और मेसर्स गोट ट्रस्ट के माध्यम से इस योजना को लागू किया और 1058 एसएचजी का गठन किया।
- वित्तीय वर्ष (2024–25) के दौरान, आपके कॉर्पोरेशन ने सीड परियोजना के अंतर्गत 08 पार्टनर एजेंसियों और स्वः सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड और प्रवेश बिंदु गतिविधियों के लिए रु.635.88 लाख जारी किए हैं।

2.1.18 वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विसवास) योजना : ब्याज आर्थिक सहायता योजना

- विसवास योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों (हाथ से मैला ढोने वालों और कचरा बीनने वालों सहित) की आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना है और आय–सृजन ऋणों पर 5% ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों और इसी तरह के संस्थानों में मानक खातों वाले व्यक्तिगत और स्व–सहायता समूह (एसएचजी) ऋणधारक (कम से कम 70% लक्षित समूह के सदस्यों के साथ) इस लाभ के लिए पात्र हैं।
- यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत तीन निगमों, अर्थात् नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- ऋणदाता संस्थानों के सभी आर्थिक सहायता के दावों का निपटान पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित वित्तीय समावेशन योजनाओं के लिए

संपूर्ण समाधान प्रदान करने हेतु एक डिजिटल पहल है। इसमें विसवास के अलावा निगमों की ऋण योजनाएँ और उद्यम पूंजी निधि भी शामिल हैं।

- इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या 3.13 लाख है, जिसकी तुलना में निगम को विसवास के माध्यम से 1.62 लाख लाभार्थियों के दावे प्राप्त हुए हैं। निगम ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 1,62,294 लाभार्थियों को रु.9.64 करोड़ संवितरित किए हैं।

2.1.19 वर्ष 2024–25 के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य–प्रदर्शन करने वाली पांच राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां

(क) प्राप्त संवितरण

रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	राशि (रु. करोड़ में)
1.	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	37.16
2.	केएसडीसी, केरल	31.97
3.	एलएएसडीसी, महाराष्ट्र	25.64
4.	यूपीएसजीवीबी, उत्तर प्रदेश	14.47
5.	टीएएचडीसीओ, तमिल नाडु	5.38

(ख) निधियों का उपयोग (संचयी)

रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	प्रतिशत
1.	यूपीएसजीवीबी, उत्तर प्रदेश	100%
2.	पीएससीएलडीएफसी, पंजाब	100%
3.	एचएससीडीसी, हरियाणा	99.82%
4.	टीएससीडीसी, त्रिपुरा	98.54%
5.	सीजीएससीडीसी, छत्तीसगढ़	98.34%
6.	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	97.74%

(ग) अदायगी की गई

रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	(रु. करोड़ में)
1.	डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल	43.91
2.	केएसडीसी, बंगाल	31.82
3.	एपीएससीएफसी, आंध्र प्रदेश	24.00
4.	केएसडडब्ल्यूडीसी, केरल	20.56
5.	जीएससीडीसी, गुजरात	19.65

(घ) शामिल किए गए लाभार्थी

रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	संख्या
1.	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	4763
2.	केएसडीसी, केरल	2300
3.	एलएएसडीसी, महाराष्ट्र	810
4.	यूपीएसजीवीबी, उत्तर प्रदेश	400
5.	एचपीएससीएसटीडीसी, हिमाचल प्रदेश	182

(ड.) राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी या अन्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा शामिल की गईं महिला लाभार्थी

रैंक	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	संख्या
1.	केएसडब्ल्यूडीसी, केरल	4763
2.	केएसडीसी, केरल	1803
3.	एलएएसडीसी, महाराष्ट्र	446

4.	यूपीएसजीवीबी, उत्तर प्रदेश	153
5.	एचपीएससीएसटीडीसी, हिमाचल प्रदेश	103
रैंक	अन्य राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	संख्या
1.	स्त्रीनिधि – आंध्र प्रदेश	5556
2.	तमिल नाडु ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु	3345
3.	पंजाब ग्रामीण बैंक, पंजाब	2475
4.	पीबीजीबी – पुद्दुचेरी	1188

2.1.20 वर्ष 2024–25 के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य–प्रदर्शन करने वाली अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (पीएसबी, आरआरबी, एनबीएफसी–एमएफआई

(क) सर्वश्रेष्ठ कार्य–प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)

रैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम	राशि (रु. करोड़ में)
1.	पंजाब नेशनल बैंक	100.05
2.	पंजाब एंड सिंध बैंक	58.94
3.	यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा	27.81
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	18.20
5.	केनरा बैंक	10.00

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा शामिल किए गए लाभार्थी

रैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम	संख्या
1.	यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा	2657
2.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2609
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1571
4.	पंजाब नेशनल बैंक	1441
5.	केनरा बैंक	1138

2.1.21 वर्ष 2024–25 के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य–प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(क) सर्वश्रेष्ठ कार्य–प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

प्राप्त संवितरित राशि		
रैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	राशि (रु. करोड़ में)
1.	पंजाब ग्रामीण बैंक, पंजाब	63.12
2.	तमिल नाडु ग्रामीण बैंक, तमिल नाडु	43.65
3.	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक	22.43
4.	पीबीजीबी, पुद्दुचेरी	19.13
5.	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	18.48

(ख) आरआरबी द्वारा कवर किए गए लाभार्थी

रैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	संख्या
1.	पंजाब ग्रामीण बैंक, पंजाब	4445
2.	तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, तमिल नाडु	4361
3.	पीबीजीबी, पुद्दुचेरी	1862
4.	कर्नाटक ग्रामीण बैंक, कर्नाटक	1201
5.	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक	1175

2.1.22 **वर्ष 2024–25 के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य–प्रदर्शन करने वाली एनबीएफसी–एमएफआई और अन्य**

(क) सर्वश्रेष्ठ कार्य–प्रदर्शन करने वाली एनबीएफसी–एमएफआई और अन्य

प्राप्त संवितरित राशि		
रैंक	अन्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	राशि (रु. करोड़ में)
1.	स्त्री निधि, आंध्र प्रदेश	50.00

एनबीएफसी–एफएमआई और अन्य द्वारा कवर किए गए महिला लाभार्थी

रैंक	ओसीए का नाम	संख्या
1.	स्त्री निधि, आंध्र प्रदेश	5556

2.1.23 **चैनलाइजिंग एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलें**

2.1.23(क) **अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसओसीए)**

आपका निगम **"अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसओसीए)"** नामक एक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जो एनएसएफडीसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के अलावा अन्य सभी एजेंसियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

नई योजना 2020–2021 से लागू की गई है। ओसीए को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार कार्य–निष्पादन प्रोत्साहन प्रदान किए जाएँगे :

(क) अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियां जिन्होंने एनएसएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान लगातार एनएसएफडीसी से निधि प्राप्त की है।

(ख) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जा रहा है, उसका 31 मार्च तक संचयी निधि उपयोग कम से कम 90% होना चाहिए।

(ग) संबंधित वित्तीय वर्ष तक ओसीए की संचयी वसूली (रिफंड पर ब्याज सहित) जिसके लिए प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जाता है, 100% होनी चाहिए।

(घ) एनएसएफडीसी से प्राप्त पूर्व प्रोत्साहन राशि, यदि कोई है, का कोई उपयोग प्रमाण पत्र लंबित नहीं होना चाहिए!

"अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन योजना" (आईएसओसीए) के अंतर्गत अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान जिसके लिए प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जाता है, अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (ओसीए) द्वारा एनएसएफडीसी को पुनर्भुगतान की गई कुल राशि का 0.5% (वसूली पर ब्याज को छोड़कर, यदि कोई है) या रु.10.00 लाख, जो भी कम हो, के रूप में कार्य–निष्पादन प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

3. परिचालन कार्य–प्रदर्शन के संदर्भ में वित्तीय कार्य प्रदर्शन

3.1 आय और व्यय लेखा

वर्ष के दौरान, आपके कॉर्पोरेशन का परिचालन से राजस्व (निवल) रु.74.48 करोड़ है। वर्ष के दौरान, आपके कॉर्पोरेशन का परिचालन लाभ या अधिशेष/परिचालन से राजस्व (निवल) 62.15% है।

(i) वर्ष 2024–25 के दौरान, निगम की आय रु.76.88 करोड़ से बढ़कर रु.91.89 करोड़ हो गई है।

(ii) कर्मचारी लागत सहित कुल व्यय 2024–25 में रु.29.86 करोड़ से घटकर रु.28.19 करोड़ हो गया है।

(iii) व्यय से आय की अधिकता (ईओआईओई) वर्ष 2024–25 के दौरान रु.63.70 करोड़ हुई, जबकि वर्ष 2023–24 के दौरान यह रु.47.06 करोड़ थी।

3.2 लाभ का विनियोजन

निगम व्यय से आय की अधिकता (ईओआईओई) का 10% विशेष आरक्षित निधि में और शेष सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित करता है। तदनुसार, रु.637.03 लाख विशेष आरक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है और रु.5726.38 लाख सामान्य आरक्षित में भावी संवितरण के लिए अंतरित किया है, जिन्हें आगे के वितरण हेतु पुनः निवेश किया जाएगा।

3.3 प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर अर्जन वर्ष 2023–24 के लिए यह रु.31.37 और रु.31.35 (मूलभूत और तरलीकृत) की तुलना में वर्ष 2024–25 के दौरान रु.42.05 और रु.42.05 (मूलभूत और तरलीकृत) है।

4. निगम की कार्यपद्धति में सुधार

4.1 समझौता–ज्ञापन (एमओयू) की रेटिंग (2023–24)

आपके निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए समझौता–ज्ञापन की स्व–मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट, प्रस्तुत की थी। लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने समझौता–ज्ञापन को 71.50 का समग्र स्कोर दिया है और आपके निगम के कार्य प्रदर्शन को ''बहुत अच्छा'' रेटिंग दी है।

4.2 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस (आईएसओ 9001:2015)

आपका निगम एक आईएसओ प्रमाणित संगठन है और आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) प्रमाणन की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है।

एनएसएफडीसी को रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड (आरआईसीएल) द्वारा 24.1.2023 को आईएसओ 9001:2015 के अनुरूप गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन प्रदान किया गया है। यह प्रमाणन वार्षिक निगरानी ऑडिट के तहत 23.1.2026 तक वैध है। पहला और दूसरा निगरानी ऑडिट क्रमशः 25.06.2024 और 14.02.2025 को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका ळें

4.3 एमआईएस का सुदृढ़ीकरण

आपका निगम परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढाँचे को निरंतर उन्नत कर रहा है। निगम ने परियोजना, वित्त और कौशल प्रशिक्षण सहित सभी विभागों में फाइलों के निर्बाध डिजिटल प्रसंस्करण के लिए ई–ऑफिस को पूरी तरह से अपना लिया है। प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्रों के सभी अधिकारी सक्रिय रूप से ई–ऑफिस का उपयोग करते हैं, ताकि एनआईसी वेब वीपीएन के माध्यम से दूरस्थ स्थानों में निर्बाध रूप से कार्य करना सुनिश्चित किया जा सके।

एनएसएफडीसी एक गतिशील, द्विभाषी और दिव्यांगजन–अनुकूल वेबसाइट का रखरखाव करता है, जो भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुरूप है। यह वेबसाइट एनआईसी क्लाउड सर्वर पर लांच की गई है, जो सिक्योर सॉकेट्स लेयर (एसएसएल) प्रमाणपत्र और नियमित सुरक्षा ऑडिट द्वारा सुरक्षित है।

निगम परियोजनाओं से संबंधित डेटा के लिए एक आंतरिक डेटाबेस मॉड्यूल का भी प्रबंधन करता है, जिससे व्यापक रिपोर्ट तैयार करना संभव हो पाता है। डेटा, हार्डवेयर और नेटवर्क को वायरस, स्पाइवेयर, एडवेयर और अन्य खतरों से बचाने के लिए, एनएसएफडीसी ने समय–समय पर अपडेट किए गए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, निगम ने नए पीसी, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों की खरीद करके अपने आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जिससे एक विश्वसनीय तकनीकी आधार सुनिश्चित हुआ है।

5. मानव संसाधन विकास

5.1 मानव पूंजी और एनएसएफडीसी कर्मचारियों का प्रशिक्षण

आपके निगम में 31 मार्च, 2025 तक 75 कार्मिक हैं जो निगम के प्रधान कार्यालय और चार संपर्क केंद्रों में तैनात हैं। निगम संगठनात्मक ढांचे में व्यक्तियों और समूहों के कार्य–निष्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और विकास को संगठनात्मक क्रियाकलापों से से संबंधित कार्य के रूप में मानता है। ज्ञान, कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में भाग लिया। इस संबंध में प्रशिक्षणों और संस्थानों का विवरण इस प्रकार है :–

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजक
(i)	सार्वजनिक प्राधिकारियों/एफएए/ सीपीआईओ के साथ आरटीआई पर आपसी विचार–विमर्श सत्र (22 नवंबर, 2024)	सीआईसी, नई दिल्ली
(ii)	जीएसटी पर कार्यशाला (5 दिसंबर, 2024)	आईसीएमएआई के सहयोग से स्कोप द्वारा की गई पहल
(iii)	सीड आजीविका योजना के हितधारकों के लिए प्रशिक्षण (11 से 13 दिसंबर, 2024)	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) दिल्ली केंद्र और एनआरएलएम–आरसी हैदराबाद के सहयोग से डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा संचालित।

इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल के तहत, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के

पाठ्यक्रम शामिल हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में, आपके निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उपरोक्त प्लेटफॉर्म पर निम्नलिखित छह अनिवार्य ऑनलाइन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में भाग लिया :–

क्र.सं.	कार्यक्रम/पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजक
(i)	सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली।
(ii)	कार्यस्थल पर योग अवकाश	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली।
(iii)	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम	आईएसटीएम, नई दिल्ली।
(iv)	उभरती प्रौद्योगिकियों की शुरूआत	क्षमता निर्माण आयोग, नई दिल्ली।
(v)	मिशन लाइफ पर अभिविन्यास मॉड्यूल	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
(vi)	स्टे सेफ इन साइबर स्पेस	भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र– 14सी, नई दिल्ली।

5.2 निगम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

आपका निगम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और दिव्यांगजन श्रेणियों के लिए आरक्षण और रियायतों पर जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी नीति का पालन कर रहा है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और दिव्यांगजन श्रेणियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आवश्यक ऑकड़े निर्धारित प्रारूप में क्रमशः **अनुलग्नक–V, VI और VII** में दिए गए हैं।

5.3 भर्ती में अल्पसंख्यकों को विशेष ध्यान देने के उपाय :

आपका निगम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकार की नीति का पालन कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ अल्पसंख्यकों की भर्ती में विशेष ध्यान देने की परिकल्पना की गई है।



18 अक्टूबर, 2024 को आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मोगा, पंजाब में अजा/अजजा उद्यमियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अजा/अजजा हब योजना के तहत एक दिवसीय मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

5.4 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए आईसीसी :

निगम की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए शून्य सहनशीलता नीति है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुपालन में, आपके निगम ने 09 जुलाई, 2024 को मुख्यालय और संपर्क केंद्र स्तर पर 'आंतरिक शिकायत समिति' का पुनर्गठन किया है ताकि संगठन परिसर में यौन उत्पीड़न की घटनाओं/शिकायतों, यदि कोई है, की जाँच की जा सके। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:–

एनएसएफडीसी, प्रधान कार्यालय

(i) श्रीमती सुमन यादव, मुख्य प्रबंधक – पीठासीन अधिकारी
(ii) श्री धनपत सिंह, सहायक महाप्रबंधक – सदस्य
(iii) श्रीमती आरती लूकर, प्रबंधक – सदस्य
(iv) श्री गुंजन सिंह, एनजीओ (मेसर्स ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (एचआरएलएन), नई दिल्ली के प्रतिनिधि – बाहरी विशेषज्ञ)

एनएसएफडीसी, संपर्क केंद्र– बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और लखनऊ

(i) श्रीमती सुमन यादव, मुख्य प्रबंधक – पीठासीन अधिकारी
(ii) श्री के.जी. नाथ, उप प्रबंधक – सदस्य
(iii) श्रीमती. प्रोमिला अवस्थी, उप प्रबंधक – सदस्य
(iv) श्री गुंजन सिंह, एनजीओ (मेसर्स ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (एचआरएलएन), नई दिल्ली के प्रतिनिधि – बाहरी विशेषज्ञ)

सभी आईसीसी सदस्यों के नाम और संपर्क संबंधी विवरण प्रधान कार्यालय और सभी संपर्क केंद्रों के बोर्ड पर नियमित रूप से प्रदर्शित किए गए थे। आंतरिक शिकायत समिति, एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू अधिनियम, हैंडबुक, शी–बॉक्स लिंक (http://www.shebox.nic.in/user/faq) से संबंधित सभी जानकारी एनएसएफडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पीड़ित महिला कर्मचारियों को अपनी शिकायतें समिति को प्रस्तुत करनी होती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, निगम को अपने कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

आईसीसी की बैठकें

वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एनएसएफडीसी आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की चार बैठकें 20.06.2024, 25.09.2024, 5.12.2024 और 26.03.2025 आयोजित की गईं।

एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू संबंधी आईसीसी की वार्षिक रिपोर्ट

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 22 के अनुपालन में, यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट निम्नानुसार है :

1	वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
2	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लागू नहीं
3	90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	लागू नहीं
4	कार्यक्रम पर आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	शून्य
5	नियोजक द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	अपेक्षित नहीं

6. अन्य उपलब्धियां

6.1 राजभाषा

वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें 06.06.2024, 24.12.2024 और 28.03.2025 को एनएसएफडीसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गईं।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 के धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए। राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जाँच बिंदुओं की पहचान की गई और उन्हें तैयार किया गया।

वर्ष के दौरान, राजभाषा के प्रयोग में कौशल में सुधार लाने के लिए एनएसएफडीसी के कार्मिकों के लिए 27.06.2024, 26.09.2024, 29.12.2024 और 28.03.2025 को चार अंतर कार्यालयीन कार्यशालाएं आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान, 14 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम, दिल्ली में हिंदी दिवस आयोजित किया गया। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, एनएसएफडीसी द्वारा राजभाषा हिंदी पखवाड़ा 14 से 28 सितंबर, 2024 तक निगम के मुख्यालय और संपर्क केंद्रों में आयोजित किया गया।

एनएसएफडीसी के राजभाषा हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग, हिंदी ज्ञान, कविता पाठ, अंतर्विभागीय प्रश्न मंच, चित्र अभिव्यक्ति और अंताक्षरी प्रतियोगिताएं दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय और सम्पर्क केन्द्रों के लिए आयोजित की गईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए।



दिनांक 17.02.2025 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित[1] पुरस्कार वितरण समारोह एवं संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और कर्मचारियों को अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते, एनएसएफडीसी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ जैसे (1) मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना, (2) अधिकारियों को अधिकतम डिक्टेशन हिंदी में देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (3) हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए हिंदी आशुलिपि और टाइपिंग प्रोत्साहन भत्ता योजना (4) राजभाषा चल शील्ड, (5) श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना और (6) समवर्ती मूल्यांकन पुरस्कार योजना चला रहा है।

6.2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का आयोजन

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशानुसार, आपके निगम ने 28.10.2024 से 03.11.2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 आयोजित किया गया।

इसके अलावा, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 की प्रस्तावना के रूप में, आपके निगम ने तीन माह का एक अभियान (16.8.2024 से 15.11.2024 तक) भी चलाया, जिसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों में किए जाने वाले उपायों पर विशेष ध्यान दिया। ये प्रमुख क्षेत्र थे (क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम, (ख) प्रणालीगत सुधार के उपायों की पहचान और कार्यान्वयन, (ग)

परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअलों का अद्यतन, (घ) 30.6.2024 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान, (ङ) गतिशील डिजिटल की मौजूदगी।

6.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपका निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। जो अक्तूबर, 2005 से आरटीआई का क्रियान्वयन कर रहा है सीपीआईओ की नियुक्ति प्रबंधन द्वारा की जाती है। वर्तमान सीपीआईओ श्री रतिकांत जेना, महाप्रबंधक हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित कर रहे हैं।

(i) निगम के कार्यकलापों का विवरण निगम की वेबसाइट (www-nsfdc-nic-in) पर उपलब्ध है।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित मैनुअल को अद्यतन कर वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है।

(iii) निगम ने अधिनियम के तहत यथापेक्षित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी भी नामित किए हैं ।

(iv) निगम आरटीआई के शुरूआती वर्ष 2016–17 से ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रबंधित आरटीआई को ऑनलाइन पोर्टल पर अनुकूलन के माध्यम से आरटीआई अधिनियम को ऑनलाइन कार्यान्वित कर रहा है।

(v) वर्ष 2024–25 के दौरान, 211 (पिछले वर्ष 143) आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान, 14 (पिछले वर्ष 11) अपीलें प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटाया गया।

(vi) डीओपीटी के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/2011–आईआर के संबंध में, जैसा कि दिनांक 7.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया है, निगम ने समय सीमा के भीतर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण को लागू किया है।

(vii) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, प्रत्येक तिमाही में केंद्रीय सूचना आयोग को ऑनलाइन रिपोर्ट किए गए आरटीआई आवेदनों की स्थिति नीचे दी गई है :–

	तिमाही के आरंभ में शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को रद्द किया	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को स्वीकार किया
पहली तिमाही (अप्रैल से जून, 2024) के दौरान प्रगति						
अनुरोध	11	14	34	13	0	38
प्रथम अपील	02	लागू नही	03	लागू नहीं	0	05
दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर, 2024) के दौरान प्रगति						
अनुरोध	08	08	39	11	0	39
प्रथम अपील	0	लागू नही	0	लागू नहीं	0	0
तीसरी तिमाही (अक्तूबर से दिसंबर, 2024) के दौरान प्रगति						
अनुरोध	5	22	29	18	0	33

	तिमाही के आरंभ में शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को रद्द किया	निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को स्वीकार किया
प्रथम अपील	0	लागू नही	02	लागू नहीं	0	01
चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च, 2025) के दौरान प्रगति						
अनुरोध	05	20	45	9	0	51
प्रथम अपील	01	लागू नही	09	लागू नहीं	0	07
	नामोद्दिष्ट सीएपीआईओ की कुल संख्या				नामोद्दिष्ट पारदर्शिता अधिकारी की कुल संख्या	नामोद्दिष्ट अपीलीय अधिकारी की कुल संख्या
	1				1	1

ब्लॉक II (संगृहीत शुल्क, प्रभारित दंड और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में का विवरण)

	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
धारा 7(1) के संगृहीत पंजीकरण शुल्क (रु. में)	20	100	250	70
धारा 7(3) के अंतर्गत संगृहीत अंतिरिक्त शुल्क (रु. में)	0	258	10	0

(viii) केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई आरटीआई पर चौथी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2025 तक 10 आरटीआई आवेदन और 3 अपीलें लंबित थीं। इन आवेदनों/अपीलों का उत्तर निर्धारित समय सीमा में जवाब दिया गया/निपटाया गया।

6.4 वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्य की रिपोर्टिंग

आपके निगम ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 68.11% खरीद की, जबकि लक्ष्य 25% निर्धारित किया गया था।

6.5 वार्षिक विवरणी (रिटर्न)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरणी (रिटर्न) https://nsfdc-nic-in/UploadedFiles/other/2025-06-23/annualreturn2024-25.pdf पर उपलब्ध है।

7. कर्मचारियों और संबंधित प्रकटन का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) 5(3) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार, पूरे वित्तीय वर्ष में

नियोजित उन कर्मचारियों के नाम और विवरण दर्शाने वाला विवरण, जिन्होंने उक्त नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया, **अनुलग्नक–VIII** के रूप में संलग्न है।

पारिश्रमिक संबंधी प्रकटन और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197(2) के तहत आवश्यक अन्य विवरणों को वार्षिक लेखों में दिया गया है।

8. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास नीति (सीएसआर एवं एसडी) तैयार की गई है और बोर्ड को संस्तुति की गई है। कंपनी के कार्यकलापों को दर्शाने वाली कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को कंपनी की वेबसाइट http://www-nsfdc-nic-in/hi/csr पर देखा जा सकता है।



एनएसएफडीसी, सीएसआर पहल के अंतर्गत लाल किले, दिल्ली में प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन की स्थापना।

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक–IX** में संलग्न है।

9. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट

कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेन्स का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट **अनुलग्नक–X** में इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है। कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की रिपोर्ट के रूप में **अनुलग्नक–XI** में संलग्न है।

10. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की अध्यक्षता अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक करते हैं। दिनांक 31.03.2025 को, बोर्ड में 07 सदस्य थे। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की रिपोर्ट देखें।

11. निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की तीन बैठकें आयोजित की गईं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की रिपोर्ट देखें।

11.1 पारिश्रमिक समिति:

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

11.2 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की शर्तों के अनुसार किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में एनएसएफडीसी के अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक, मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार, स्वतंत्र निदेशक और आईडीबीआई के प्रतिनिधि शामिल थे। कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति के सचिव है। वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

धारा 462 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एमसीए ने दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना जीएसआर 466(ई) के तहत कंपनियों को धारा 177(2) के तहत लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम संख्या की आवश्यकता से छूट दी गई है।

12. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशकों का कहना है किः–

वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृष्टिकोण दिया जा सकेः–

(क) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

(ख) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को कार्यशील आधार पर तैयार किया है।

(ग) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने योग्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए थे निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपयुक्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

13. जोखिम प्रबंधन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, निदेशक मंडल द्वारा जोखिम कार्य का उचित मूल्यांकन करने, प्रबंधन, कार्य (फ्रेम वर्क) को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित किया है, जिसे कॉर्पोरेट उद्देश्यों के साथ एकीकृत और संरेखित किया गया है।

तदनुसार, निगम के सभी विभागों के प्रमुखों को मिलाकार बनी जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा संभावित जोखिम क्षेत्रों का आकलन किया जाता है और सुझाए गए संवेदनशील क्षेत्रों को निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है तथा निदेशकों की तिमाही समीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाता है।

14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जाँच की गई और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण भौतिक कमी नहीं पाई गई।

15. वार्षिक आम बैठक

वर्ष के दौरान, वर्ष 2023–24 के लिए लेखों को अपनाने के लिए 30.09.2024 को 35वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नाम पर रखे गए एक शेयर को छोड़कर, संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा धारित है, जिनका प्रतिनिधित्व सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, करते हैं। वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के बाद, वर्ष 2023–24 के वार्षिक लेखों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ अपनाया गया।

16. लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

16.1 सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स दविंदर पाल सिंह एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के अंधीन महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट–क** में दी गई है।

16.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) और (7) के अधीन महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) के माध्यम से अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी इस रिपोर्ट में **परिशिष्ट–ख** के रूप में संलग्न की जाएगी।

17. आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, निगम के कार्मिकों द्वारा वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आपके निगम को बेहतर परिणाम की प्राप्ति के लिए समय–समय पर मार्गदर्शन देने में सतत् सहायता लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी कार्य विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए सहयोग तथा राज्य–स्तरीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगमों और अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के सहयोग के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण निगम के विभिन्न अन्य सरकारी विभागों, एजेंसियों और सांविधिक लेखापरीक्षक का भी उनके निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

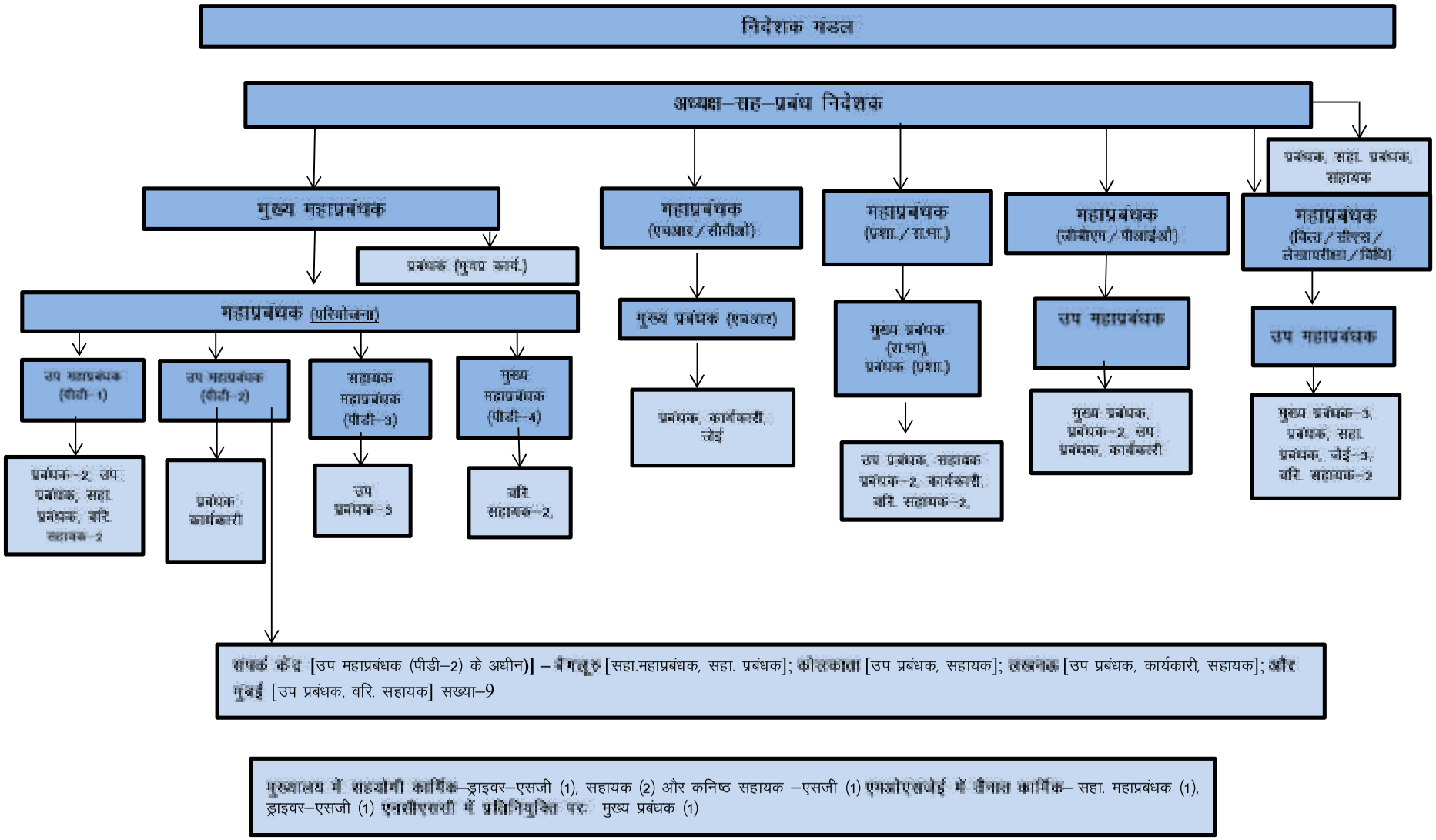
कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह०
(प्रभात त्यागी)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 11091166

दिनांक : 18.09.2025
स्थान : दिल्ली

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

संगठन चार्ट (31.03.2025 तक)



अनुलग्नक–II (क)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 1)

राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार चैनलाईजिंग एजेंसियों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चैनलाईजिंग एजेंसी का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड. अमरावती 2. आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम, ऑटो नगर, विजयवाड़ा
2.	असम	3. असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेडए दिसपुर, गुवाहाटी
3.	बिहार	4. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड,. बेली रोड, पटना
4.	छत्तीसगढ	5. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, नया रायपुर
5.	गोवा	6. गोवा राज्य अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, पणजी
6.	गुजरात	7. गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम, गांधीनगर 8. डॉ. अंबेडकर अंत्योदय एवं विकास निगम, गांधीनगर
7.	हरियाणा	9. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़
8.	हिमाचल प्रदेश	10. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, सोलन
9.	झारखंड	11. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, रांची
10.	जम्मू व कश्मीर	12. जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर (मई से अक्टूबर) और जम्मू (नवंबर से अप्रैल)
11.	कर्नाटक	13. डॉ. बी.आर. अंबेडकर विकास निगम लिमिटेड, बैंगलोर
12.	केरल	14. केरल राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, त्रिशूर 15. केरल राज्य महिला विकास निगम, तिरुवनंतपुरम
13.	मध्य प्रदेश	16. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपल
14.	महाराष्ट्र	17. महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, मुंबई 18. साहित्यरत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे विकास निगम, मुंबई 19. संत रोहिदास चमड़ा उद्योग एवं चर्मकार विकास निगम, मुंबई
15.	मणिपुर	20. मणिपुर जनजातीय विकास निगम लिमिटेड, इम्फाल 21. मणिपुर राज्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, इम्फाल

अनुलग्नक–II (क)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 2)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चैनलाईजिंग एजेंसी का नाम
16.	मेघालय	22. मेघालय कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, शिलांग
17.	मिजोरम	23. मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड, आइजोल 24. मिजोरम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, आइजोल
18.	उड़ीसा	25. ओडिशा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास वित्त सहकारी निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर
19.	पंजाब	26. पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम, चंडीगढ़
20.	राजस्थान	27. राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जयपुर
21.	सिक्किम	28. सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास निगम, गंगटोक
22.	तमिलनाडू	29. तमिलनाडु आदि द्रविड़ आवास एवं विकास निगम, चेन्नई
23.	त्रिपुरा	30. त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	31. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ
		32. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ
25.	उत्तराखंड	33. उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून
26.	पश्चिम बंगाल	34. पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम, कोलकाता
27.	चंडीगढ़	35. चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़
28.	दादर, नगर हवेली और दमन व दीव	36. डीएनएच, डी एंड दीव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम, सिलवासा
29.	दिल्ली	37. दिल्ली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड . रोहिणी, नई दिल्ली
30.	पुद्दुचेरी	38. पुद्दुचेरी आदि द्रविड़ विकास निगम लिमिटेड, पुद्दुचेरी

टिप्पणी:
जनगणना–2011 के आंकड़ों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह जैसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है, इसलिए उन्हें विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

अनुलग्नक–II (ख)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 1)

चैनलाईजिंग एजेंसियों की सूची – वैकल्पिक चैनल

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चैनलाईजिंग एजेंसियों का नाम	
1.	आंध्रप्रदेश	1.	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
		2.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल
		3.	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर
		4.	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक कडप
		5.	स्त्रीनिधि, विजयवाड़ा
2.	असम	6.	ग्रामीण विकास एवं वित्त प्राइवेट लिमिटेड, दुबजेनी, छायगांव, कामरूप
		7.	असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
		8.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम, दिसपुर, गुवाहाटी
		9.	कोनोकलता महिला शहरी सहकारी बैंक, गर–अली, जोरहाट
3.	बिहार	10.	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक,.पटना
		11.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
4.	छत्तीसगढ़	12.	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर
5.	दिल्ली	13.	पंजाब नेशनल बैंक (पैन इंडिया), द्वारका, नई दिल्ली
		14.	पंजाब एंड सिंध बैंक (पैन इंडिया), पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली
6.	गुजरात	15.	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा
		16.	श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड,. एलिसब्रिज, अहमदाबाद
		17.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
		18.	बैंक ऑफ बड़ौदा (पैन इंडिया), अलकापुरी, बड़ौदा
		19.	पहल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, अहमदाबाद
7.	हरियाणा	20.	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
		21.	सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड, गुड़गांव
8.	हिमाचल प्रदेश	22.	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
9.	जम्मू एवं कश्मीर	23.	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण विकास, जम्मू
		24.	एलाक्वाई देहाती बैंक, श्रीनगर
10.	झारखण्ड	25.	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक, दुमका
		26.	झारखंड रेशम, वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम, रांची
11.	कर्नाटक	27.	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़
		28.	कर्नाटक ग्रामीण बैंक, मुसुरे
		29.	केनरा बैंक (पैन इंडिया), बेंगलुरु
12.	केरल	30.	केरल ग्रामीण बैंक, मलप्पुरम

अनुलग्नक–II (ख)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 2)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चैनलाईजिंग एजेंसियों का नाम	
13.	महाराष्ट्र	31.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद
		32.	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर
		33.	अनिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लातूर
		34.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पैन इंडिया), मुंबई
		35.	बैंक ऑफ इंडिया (पैन इंडिया), मुंबई
		36.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र (पैन इंडिया), पुणे
		37.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (पैन इंडिया), मुंबई
14.	मध्य प्रदेश	38.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर
		39.	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर
15.	मणिपुर	40.	मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल
16.	मिजोरम	41.	मिजोरम ग्रामीण बैंक, आइजोल
17.	मेघालय	42.	मेघालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक . शिलांग
18.	ओडिशा	43.	संबंध फिनसर्व प्रा. लिमिटेड, राउरकेला, सुंदरगढ़
		44.	उत्कल ग्रामीण बैंक, भुवनेश्वर
		45.	ओडिशा ग्रामीण बैंक, भुवनेश्वर
		46.	वेक्टर फाइनेंस लिमिटेड
19.	पुद्दुचेरी	47.	पुदुवई भारथियार ग्राम बैंक, पुद्दुचेरी
20.	पंजाब	48.	पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
		49.	मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड, लुधियाना
21.	राजस्थान	50.	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर
		51.	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर
22.	तमिलनाडु	52.	इंडियन ओवरसीज बैंक (पैन इंडिया), चेन्नई
		53.	इंडियन बैंक (पैन इंडिया), चेन्नई
		54.	तमिल नाडु ग्राम बैंक, सेलम
23.	तेलंगाना	55.	तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
		56.	स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड,. हैदराबाद
24.	त्रिपुरा	57.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
25	उत्तर प्रदेश	58.	आर्यावर्त बैंक, लखनऊ
		59.	बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, रायबरेली
		60.	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
		61.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), लखनऊ
26	उत्तराखंड	62.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून
27	पश्चिम बंगाल	63.	पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक,. हावड़ा
		64.	एएसए इंटरनेशनल माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड, साल्ट लेक कोलकाता
		65.	उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
		66.	यूको बैंक (अखिल भारतीय), कोलकाता

अनुलग्नक–III
(पैरा 2.1.2 (ग) देखें)

समझौता–ज्ञापन (एमओयू) मापदंडों की उपलब्धियाँ (2024–25) (अनंतिम)

क्रम सं.	निष्पादन मापदंड	इकाई	भार	"उत्कृष्ट" लक्ष्य	उपलब्धियाँ
(i)	परिचालन से राजस्व	रु. करोड़	8	102.11	74.48
(ii)	नए लाभार्थियों की कुल संख्या	संख्या	5	120943	41750
(iii)	पीएम–दक्ष (मंत्रालय योजना) के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	संख्या	5	37473	0
(iv)	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए	%	10	69.96	69.88
(v)	निवल मूल्य पर प्रतिफल	%	15	2.78	2.69
(vi)	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	%	5	3.83	3.77
(vii)	कुल उपलब्ध निधियों में वितरित ऋण	%	10	100	83.40
(viii)	सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को वितरित ऋण	%	10	55	35.85
(ix)	कुल ऋणों में अतिदेय ऋण	%	5	11.49	19.04
(x)	कुल ऋणों में एनपीए	%	5	0.65	0
(xi)	भौगोलिक कवरेज	%	5	100	97
(xii)	अंतिम लाभार्थी को दूरस्थ स्थान तक संवितरण	%	10	100	89.05
(xiii)	निर्दिष्ट समय के भीतर टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति **(दिनांक 22.07.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित मापदंड)**	%	5	(i) टीआरईडीएस पोर्अल पर अपलोड करने के लिए – 1 अंक (ii) ईआरपी के साथ एकीकरण – 2 अंक (iii) एमएसई विक्रेताओं को 45 दिन के भीतर समयोचित भुगतान	टीआरईडीएस पोर्टल पर अपलोड करने तथा 45 दिनों के भीतर एमएसई विक्रेता को समय पर भुगतान
(xiv)	अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जेम पोर्टल से खरीद	%	2	100	86.27
			100		

टिप्पणी: उपरोक्त उपलब्धियां संबंधित विभाग अर्थात् एमआईएस, वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन और कौशल प्रशिक्षण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/सूचना के अनुसार संकलित की गई हैं।

अनुलग्नक–IV
(पैरा 2.1.15 देखें)

2024–25 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सारांश और जारी की गई धनराशि।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसडीटीपी पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण संस्थानों को जारी निधि (रु. करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश	30	0.08
2.	असम	658	0.46
3.	बिहार	512	0.24
4.	छत्तीसगढ़	153	0.00
5.	दिल्ली	113	0.03
6.	गुजरात	180	0.08
7.	हरियाणा	383	0.41
8.	हिमाचल प्रदेश	60	0.13
9.	जम्मू व कश्मीर	60	0.02
10.	झारखंड	373	0.18
11.	कर्नाटक	715	0.23
12.	केरल	25	0.06
13.	लद्दाख	30	0.00
14.	मध्य प्रदेश	4643	2.49
15.	महाराष्ट्र	3140	2.05
16.	ओडिशा	355	0.32
17.	पुददुचेरी	30	0.01
18.	पंजाब	738	0.66
19.	राजस्थान	2430	0.32
20.	तमिल नाडु	1095	0.70
21.	तेलंगाना	450	0.11
22.	त्रिपुरा	182	0.05
23.	उत्तर प्रदेश	6058	3.61
24.	उत्तराखंड	380	0.32
25.	पश्चिम बंगाल	60	0.02
	कुल	**22853**	***12.59**

* पात्र प्रशिक्षुओं को जारी की गई रु.4.44 करोड़ की वजीफा राशि को छोड़कर।

अनुलग्नक – V
(पैरा 5.2 देखें)

बेंचमार्क दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व (01 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार)

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नियुक्ति की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या				नियुक्ति की संख्या		
	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि	दृबा	श्रबा	लोवि	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि	दृबा	श्रबा	लोवि	कुल	दृबा	श्रबा	लोवि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ग्रुप 'क'	47	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ग्रुप 'ख'	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रुप 'ग'	23	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**75**	**1**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**

टिप्पणी : बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) का समग्र प्रतिनिधित्व 4 प्रतिशत है।

दृबा–दृष्टि बाधित,
श्रबा–श्रवण बाधित,
लोवि–लोकोमोटर विकलांगता

अनुलग्नक–VI

(पैरा 5.2 देखें)

अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग रिपोर्ट-II

वर्ष की पहली जनवरी तक विभिन्न ग्रुप 'क' सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व तथा पिछले कैलेंडर वर्ष में विभिन्न ग्रेडों में की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम : **नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली**

वेतनमान (रुपए में)	अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (01.01.2025 की स्थिति के अनुसार)				कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनु.जन–जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु.जाति	अनु.जनजाति	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
सीएमडी (1.9.2024 से अतिरिक्त प्रभार)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-7: ₹100000-260000	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई-6: ₹90000-240000	5	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
ई-5: ₹80000-220000	4	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-
ई-4: ₹70000-200000	3	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
ई-3: ₹60000-180000	8	2	-	1	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-
ई-2: ₹50000-160000	10	3	-	2	-	-	-	-	9	3	-	-	-	-
ई-1: ₹40000-140000	09	3	2	2	-	-	-	-	8	3	1	-	-	-
ई-0: ₹30000-120000	06	4	-	1	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-
कुल	**47**	**15**	**3**	**8**	-	-	-	-	**36**	**13**	**1**	-	-	-

अनुलग्नक–VII
(पैरा 5.2 देखें)
अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग रिपोर्ट-I

वर्ष की पहली जनवरी तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व तथा पिछले कैलेंडर वर्ष में की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम : **नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली**

समूह	अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (01.01.2025 की स्थिति के अनुसार)				कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनु. जन–जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
ग्रुप 'क' प्रबंधकीय/कार्यकारी स्तर *	47	15	03	08	-	-	-	-	36	13	01	-	-	-
ग्रुप 'ख' गैर–पर्यवेक्षण कार्मिक	05	01	01	01	-	-	-	-	03	01	-	-	-	-
ग्रुप 'ग' गैर–कार्यकारी कार्मिक (सफाईकर्मियों को छोड़कर)	23	10	01	09	04	-	-	04	-	-	-	-	-	-
कुल	**75**	**26**	**5**	**18**	**04**	**-**	**-**	**04**	**39**	**14**	**01**	**-**	**-**	**-**

* अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण

क) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यरत तथा वित्तीय वर्ष के लिए कुल मिलाकर 1,02,00,000/– रुपये से कम पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया।

क्रम सं.	नाम और आयु	पदनाम और कार्य की प्रकृति	प्राप्त पारिश्रमिक	शैक्षिक योग्यता	अनुभव (वर्ष)	कार्यभार ग्रहण की तिथि	पूर्व रोजगार का विवरण	अधिनियम की धारा 217 की उपधारा (2ए) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अर्थ के अनुसार कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
शून्य								

ख) वर्ष के कुछ भाग के लिए कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 8,50,000/– रुपये प्रति माह की दर से पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे।

क्रम सं.	नाम और आयु	पदनाम और कार्य की प्रकृति	प्राप्त पारिश्रमिक	शैक्षिक योग्यता	अनुभव (वर्ष)	कार्यभार ग्रहण की तिथि	पूर्व रोजगार का विवरण	उपरोक्त उपनियम (2) के उप–खंड (iii) के अर्थ के अनुसार कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	क्या ऐसा कोई कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का रिश्तेदार है, यदि हां, तो ऐसे निदेशक या प्रबंधक का नाम
शून्य									

टिप्पणियाँ :

1. उपरोक्त सभी नियुक्तियों के नियम व शर्तें कंपनी के नियमों के अनुसार हैं।
2. प्राप्त पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 और उसके लिए निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार वेतन, अन्य भत्ते और बोनस शामिल हैं।
3. यदि संपूर्ण वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग में कार्यरत हैं, तो उस वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक, कुल मिलाकर या जैसा भी मामला हो, उस दर पर है जो कुल मिलाकर प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक से अधिक है और स्वयं या पति/पत्नी और आश्रित बच्चों सहित कंपनी के इक्विटी शेयरों का न्यूनतम दो प्रतिशत रखता है।

अनुलग्नक – IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 5 का 1)

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अनुपालन रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा इसके अधीन निर्मित नियमों के अनुपालन में)

1	**कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**	सीएसआर नीति का उद्देश्य निगम की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों तथा समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान देकर सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बनना है। सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों तथा समाज के लिए विकास कार्यक्रमों और अन्य नवीन पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता को महत्व देते हुए समाज में समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना। सीएसआर और एसडी योजनाओं की पहचान तथा संरचना एनएसएफडीसी के साझेदार संगठनों के सहयोग से की जाएगी, जिसमें राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां, चैनलाइजिंग एजेंसियां, प्रशिक्षण भागीदार तथा अन्य विकास भागीदार शामिल होंगे। वार्षिक योजना में प्रस्तावित सीएसआर और एसडी गतिविधियाँ भी संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अनुरूप तैयार की जाएँगी। ऐसा कोई भी परियोजना/कार्यक्रम जो कर्मचारियों या उनके परिवारों को लाभ पहुँचाता हो, उसे सीएसआर और एसडी गतिविधियाँ नहीं माना जाएगा। सीएसआर और एसडी गतिविधियों के सभी प्रस्तावों की पहले एनएसएफडीसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा गठित सीएसआर और एसडी की आंतरिक समिति द्वारा जाँच की जाएगी। उपयुक्त पाए जाने पर, प्रस्तावों को एनएसएफडीसी में उचित अनुमोदन प्रक्रिया के बाद निदेशकों की सीएसआर तथा एसडी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। एनएसएफडीसी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों से संबंधित होंगी।

...2/-

अनुलग्नक – **IX**
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 5 का 1)

2 सीएसआर समिति का गठन

क्रम सं.	निदेशक का डीआईएन	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशिकता का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
(i)	09056584	रजनीश कुमार जैनव (01.04.2024 – 31.08.2024)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	3	2
(ii)	03633935	राजन सहगल (01.09.2024 – 31.03.2025)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	3	1
(iii)	06804536	एस.एम. अवाले	निदेशक	3	2
(iv)	09453376	दुर्गा प्रसाद राय	स्वतंत्र निदेशक	3	1
(v)	06644859	अंजुला सिंह माहुर	स्वतंत्र निदेशक	3	1
(vi)	09350971	मशर वेलूपारथ	निदेशक	3	1

3. वह वेब–लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई हैं। www.nsfdc.nic.in

4. नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का वेबलिंक सहित कार्यकारी सारांश उपलब्ध कराएं, यदि लागू हो। लागू नहीं

(राशि रु. लाख में)

5.	(क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	4781.68
	(ख) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	95.63
	(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	102.40
	(घ) अप्रयुक्त निधि पर अर्जित ब्याज	6.05
	(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख) + (ग) + (घ)]	204.08

...3/-

अनुलग्नक – IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 5 का 1)

6. सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (दोनों चालू परियोजना)
(क) : पिछले वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष 2024–25 में खर्च सीएसआर राशि का ब्यौरा :

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना आईडी/ फाइल सं.	वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है।	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (महीनों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु.)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
						जिला	राज्य				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1.	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/ एमएचसी/एनई एफ/टोंक/23–24/ई–71213	2023-24	खंड i (iv)	चिकित्सा स्वास्थय शिविर	हाँ	टोंक	राजस्थान	36 महीने	16470	नहीं	सीएसआर00000560	नेतराम आई फाउंन्डेशन
2.	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/आर.ओ.एंडएस.पी/यू.पी/23-24/E-79449	2023-24	खंड i (v)	आर.ओ. प्लांट और सालैर पैनल की स्थापना	हाँ	हाथरस	उत्तर प्रदेश	36 महीने	436632	नहीं	सीएसआर00010248	एचएलएफ पीपीटी
3.	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/23-24/ ई–65134/ राजसमंद राज./	2023-24	खंड i (iii)	अनुसूचित जाति छात्रावास के लिए शौचालय का निर्माण	हाँ	राजसमंद	राजस्थान	36 महीने	250000	नहीं	सीएसआर00041278	श्री जागृति सेवा संस्थान
4.	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/ ईडब्ल्यूपीएमएचपी/ डीएच/83163	2023-24	खंड i (i)	10 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग और निपटान मशीनों की स्थापना	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	36 महीने	85400	नहीं	सीएसआर00054442	महात्मा गांधी शोध संस्थान
5.	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/ गिरिडीह (जेएच)/एलएम/ 82652	2023-24	खंड i (i)	उपकरण/शौचालय मरम्मत	हाँ	गिरिडीह	झारखंड	36 महीने	420000	नहीं	सीएसआर00042656	जिला प्रशासन, गिरिडीह
6.	65एनएसएफडीसी/सीएसआर/पीएम केयर्स फंड में जमा हेतु बोर्ड एजेंडा/ 84579	2020-21	खंड i (v)	पीएम केयर्स फंड में सीएसआर योगदान	हाँ	पैन इंडिया	पैन इंडिया	36 महीने	1112388	हां	लागू नहीं	एनएसएफडीसी
7.	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/ पीएम केयर्स फंड से प्रदत्त अव्ययित सीएसआर राशि/ 84175	2023-24	खंड i (v)	पीएम केयर्स फंड में सीएसआर योगदान	हाँ	पैन इंडिया	पैन इंडिया	36 महीने	56250	हां	लागू नहीं	एनएसएफडीसी
8.	एनएसएफडीसी/ सीएसआर/ नई स्वीकृतियों के लिए 2021–22 के दौरान सीएसआर व्यय/ 49564	2021-22	खंड i (v)	पीएम केयर्स फंड में सीएसआर योगदान	हाँ	पैन इंडिया	पैन इंडिया	36 महीने	5058675	हां	लागू नहीं	एनएसएफडीसी
	वर्ष 2024–25 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में खर्च की गई राशि का उप–योग								**7435815**			

अनुलग्नक – IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 5 का 1)

ख: वर्ष 2024–25 के लिए चालू परियोजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में खर्च सीएसआर राशि का ब्यौरा :

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना आईडी/फाइल सं.	वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है।	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (महीनों में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु.)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
						जिला	राज्य				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/एआईएफ/बीएचआर/ई–91993/2024-25/	2024-25	खंड i (ii)	भगवानपुर ब्लॉक में ग्रामीण महिलाओं के लिए स्व–रोजगार दर्जी प्रशिक्षण	हाँ	बेगूसराय	बिहार	36 महीनें	453240	नहीं	सीएसआर00001977	अमरीकन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईएफ)
2.	एनएसएफडीसी/स्वावलम्बन/पीबीसीएम/डीएल/ई–92705	2024-25	खंड i (iv)	प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन की स्थापना	हाँ	लाल किला और कुतुब मीनार	दिल्ली	36 महीनें	589000	नहीं	सीएसआर00001968	स्वावलम्बन
3.	एनएसएफडीसी/सीएसआर/पेंटिस/यूपी/2024–25/ (ई–ऑफिस फाइल सं. 93932)	2024-25	खंड i (i)	पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजन	हाँ	महाकुंभ मेला, प्रयागराज	उत्तर प्रदेश	36 महीनें	1710000	नहीं	सीएसआर00022598	पेंटिस फाउंन्डेशन
4	एनएसएफडीसी/सीएसआर/डीएसजीएमसी/के.डी./डीएल/24–25 (ई–ऑफिस फाइल सं. 94624)	2024-25	खंड i (i)	रोगियों का किडनी डायलिसिस	हाँ	गुरुद्वारा बाला साहेब	दिल्ली	36 महीनें	1365000	नहीं	सीएसआर00004559	डीएसजीजीएम (गुरु हरकिशन किडनी डायलिसिस हास्पिटल
	2024.25 के दौरान स्वीकृत 2024–25 से संबंधित व्यय की गई राशि का उप योग								4117240			
	कुल राशि (क+ख)								11553055			

ग. वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

(राशि रु. लाख में)

1.	प्रशासनिक शीर्ष पर व्यय की गई राशि	शून्य
2.	प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं
3.	वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय की गई राशि [क+ख+ग]	1,15,53,055.00

7. वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अथवा अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण :

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय की गई राशि (रु.)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135 (5) के दूसरे प्रावधानों के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिश्ट निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरित की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरित की तारीख
1,15,53,055.00	39,99,791.27	28.04.2025	पीएम केयर्स फंड	11,12,388.00	24.04.2024
			पीएम केयर्स फंड	56,250.00	26.06.2024
			पीएम केयर्स फंड	50,58,675.00	28.03.2025

...5/-

अनुलग्नक – IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 5 का 5)

8. सैट ऑफ के लिए अधिक राशि, यदि कोई है

क्रम सं.	विवरण	राशि (रु. लाख में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ लाभ का 2 प्रतिशत	95.63
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि	115.53
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	19.9
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सैट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	लागू नहीं

9. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	5	6		7
क्रम सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	धारा 135 (6) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो (रु. लाख में)		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च किए जाने हेतु शेष राशि (रु. लाख में)
				राशि (रु. लाख)	अंतरण की तिथि	
1.	2021-22	60.12	शून्य	50.59	28.03.2025	शून्य
2.	2022-23	56.58	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	2023-24	43.20	12.08	0.56	26.06.2024	40.70

10 क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि से निगमित सामाजिक दायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अधिग्रहित की गई है : नहीं

यदि हाँ, तो निर्मित/अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें।

वित्तीय वर्ष में सीएसआर के माध्यम से सृजित या अधिग्रहित की गई ऐसी परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें:

(क)	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	-
(ख)	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिनकोड	-
(ग)	पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	-
(घ)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि	-
(ड)	उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि	-

11	यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।	वर्ष 2024–25 के दौरान, परियोजनाओं की आवश्यकताओं और परियोजना के पूरा होने के आधार पर, अव्ययित राशि किश्तों में या चरणों में जारी की जानी है। आवंटन योग्य अधिशेष की सीमा तक राशि स्वीकृति देने के प्रयास किए गए हैं। सीएसआर थीम और परिसंपत्ति निर्माण के संदर्भ में प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई।

अनुलग्नक -X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 1)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित अभिशासन) रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड (निगमित अभिशासन की संहिता) संबंधी कंपनी की राय पर विवरण

निगमित अभिशासन में एक ऐसी प्रणाली शामिल है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि कंपनी मामलों को इस प्रकार प्रबंधित किया जा रहा है कि जवाबदेही, और व्यापक अर्थों में सभी लेन–देन में निष्पक्षता है। शेयरधारकों को कंपनी के प्रशासन में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है।

यद्यपि अनुसूचित जाति के विकासात्मक मानदंडों में वर्ष 2001 से सुधार हुआ है। फिर भी, समाज में मुख्यधारा और अनुसूचित जाति की आबादी के बीच की खाई अभी भी बनी हुई है। तेजी से विकास के बावजूद, वित्तीय प्रतिरोध (exclusion), अस्वीकार्य गरीबी स्तर, बेरोजगारी, पारंपरिक कृषि गतिविधियों से घट रहे आय के स्तर और कौशल की कमी, अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में प्रमुख चुनौती बनी रहती हैं। एनएसएफडीसी अपने स्वंय के संचालन में सुशासन के तत्वों को और अधिक एकीकृत करने की भी आकांक्षा रखता है।

2 निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का गठन और निदेशकों के पद

भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। बोर्ड के निदेशक मंडल में 15 स्वीकृत पद हैं। दिनांक 31.03.2025 को बोर्ड में 7 सदस्य थे, जिनमें से तीन महिला निदेशक हैं।

बोर्ड का गठन और निदेशकों की श्रेणी नीचे दी जा रही है:–

श्रेणी		निदेशक का नाम	स्थिति में
पूर्णकालिक कार्यपालक, प्रबंध निदेशक		श्री रजनीश कुमार जैनव (01.01.2022 से 30.08.2024 तक) श्री राजन सहगल (01.09.2024 से 02.05.2025 तक)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
सरकारी निदेशक:–			
(क)	स.न्या.अधि.मं. का प्रतिनिधित्व	सुश्री देबोलीना ठाकुर श्री बिस्वरंजन सस्मल	संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, स.न्या.अधि.मं. संयुक्त सचिव, स.न्या.अधि.मं.
(ख)	अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व	श्री एस.एम. अवाले	आईडीबीआई के प्रतिनिधि
(ग)	एमएसएमई का प्रतिनिधित्व	श्रीमती सुधा केसरी	निदेशक
(घ)	एएफसी इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व	श्री मशर वेलापूरथ	निदेशक
(ङ)	एससीए का प्रतिनिधित्व	श्रीमती गीता भारती	निदेशक

अनुलग्नक -X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 2)

2.2 निदेशकों का पारिश्रमिक

2.2.1 पूर्णकालिक कार्यकारी, प्रबंधन निदेशक

केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करने वाले सरकारी पत्र में नियुक्ति की अवधि, वेतनमान आदि सहित उनकी नियुक्ति के विस्तृत निबंधनों और शर्तों को इंगित करता है और यह भी बताता है कि पत्र में शामिल अन्य शर्तों और नियमों के संबंध में, निगम के प्रशासतिक नियम लागू होंगे।

2.2.2 अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशक

अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क का भुगतान नही किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकारी निदेशकों में से कोई भी कंपनी के साथ किसी भी तरह का आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं करता है।

2.2.3 गैर–सरकारी निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को लाभार्थियों और प्रशिक्षण संस्थानों के आधिकारिक दौरे पर खर्चे की प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। निदेशक मंडल के दिनांक 20.03.2019 को आयोजित अपनी 150वी बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड बैठक/समिति बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिदिन रु.4000/– की फीस अनुमोदित की।

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक को बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान की गई फीस निम्नलिखित तालिका में दी गई है:–

बोर्ड/समिति की बैठक की तारीख	बोर्ड/समिति की बैठकों की संख्या	सिटिंग फीस का भुगतना (रु. में)	
		श्रीमती अंजुला सिंह माहुर	श्री दुर्गा प्रसाद राय
06.05.2024	168वीं बोर्ड बैठक/23वीं ऑडिट/17वीं सीएसआर समिति बैठक	4000/-	-
22.07.2024	169वीं बोर्ड बैठक /24वीं ऑडिट/18वीं सीएसआर समिति बैठक	-	4000/-
30.09.2024	35वीं वार्षिक आम बैठक	-	4000/-
31.01.2025	170वीं बोर्ड बैठक/25वीं ऑडिट/19वीं सीएसआर समिति बैठक	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल		**4000/-**	**8000/-**

अनुलग्नक -X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 3)

2.2.4 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान, दिसंबर, 2024 तक आपकी कंपनी के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक थे। चूंकि वे पहले ही सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग ले चुके हैं, इसलिए वर्ष के दौरान आधिकारिक अनिवार्यताओं के कारण वे किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके।

2.2.5 आचार संहिता

एनएसएफडीसी एक सुपरिभाषित आचार संहिता का पालन करता है, जो ईमानदारी, हितों के टकराव और गोपनीयता के मुद्दों का निष्पक्ष रूप से समाधान करती है तथा नैतिक आचरण की आवश्यकता पर जोर देती है, जो अच्छे प्रशासन का आधार है। बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे, अर्थात् बोर्ड स्तर से एक ग्रेड नीचे से लेकर महाप्रबंधक संवर्ग तक, लागू आचार संहिता अस्तित्व में है और प्रतिवेदन वर्ष के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों (मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को छोड़कर) /मुख्य महाप्रबंधक /महाप्रबंधक(कों) द्वारा इसे स्वीकार किया गया है।

3 बोर्ड/समिति की बैठकें और प्रक्रियाएं

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख के लिए गठित सर्वोच्च निकाय है। निदेशक मंडल कंपनी की रणनीतिक दिशा, प्रबंधन नीतियों और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है और यह शेयरधारकों (भारत सरकार) के दीर्घकालिक हितों की पूर्ति सुनिश्चित करता है।

निदेशकों की समिति का गठन करते समय, यह अपेक्षा की जाती है एवं सुनिश्चित किया जाता है कि एक निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं होगा। कोई भी गैर–सरकारी निदेशक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता हो।

3.1 आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और तारीखें:

वर्ष के दौरान, दो बैठकों की न्यूनतम वैधानिक आवश्यकता (धारा 8 कंपनियों के मामले में) के विपरीत, तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की गई। बोर्ड बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है :–

बोर्ड बैठक	तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
168 वीं	06.05.2024	10	08
169 वीं	22.07.2024	10	07
170 वीं	31.01.2025	07	05

अनुलग्नक -X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 4)

3.2 बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	से	तक	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या (2024-25)	आयोजित बैठकों में उपस्थिति की संख्या (2024-25)
श्री रजनीश कुमार जैनव	01.01.2021	30.08.2024	2	2
श्री राजन सहगल	01.09.2024	आज तक	1	1
श्रीमती देबोलीना ठाकुर	19.09.2024	आज तक	2	1
श्री बिस्वरंजन सस्मल	09.02.2024	आज तक	3	2
श्री शालिल एम. आवले	04.06.2015	आज तक	3	2
श्रीमती गीता भारती	18.12.2023	आज तक	3	3
श्री मशर वेलापुरथ	18.12.2023	आज तक	3	3
श्रीमती सुधा केशरी	18.12.2023	आज तक	3	1
श्रीमती अंजुला सिंह माहुर	06.12.2021	05.12.2024	2	1
श्री गुरदीप सिंह मनकटहला	22.01.2024	30.06.2024	1	1
श्री दुर्गा प्रसाद राय	29.12.2021	29.12.2024	2	1
श्री धम्मज्योति रामदास गजभिये	18.12.2023	09.09.2024	2	1

3.3 निदेशकगणों की नियुक्ति और समाप्ति

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

क्रम.	निदेशक का नाम	से	तक
1.	श्रीमती देबोलीना ठाकुर	19.09.2024	आज तक
2.	श्री गुरदीप सिंह मनकटहला	22.01.2024	30.06.2024
3.	श्री रजनीश कुमार जैनव	01.01.2021	30.08.2024
4.	श्री धम्मज्योति रामदास गजभिये	18.12.2023	09.09.2024
5.	श्री राजेश बिहारी, सीएफओ	09.08.2018	30.09.2024
6.	श्रीमती अंजुला सिंह माहुर	06.12.2021	05.12.2024
7.	श्री दुर्गा प्रसाद राय	29.12.2021	29.12.2024
8.	श्री राजन सहगल	01.09.2024	02.05.2025
9.	श्री बिस्वरंजन सस्मल	09.02.2024	15.07.2025

3.4 बोर्ड तथा समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रिकार्ड करना

कंपनी सचिव प्रत्येक बोर्ड और समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण दर्ज करता है। कार्यवृत्त का मसौदा बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाता है। तदुपरांत, बोर्ड/समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों से संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों की स्थिति पर एक कार्रवाई रिपोर्ट, अगली बैठक में बोर्ड/समिति के सदस्यों की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाती है।

अनुलग्नक -X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 5)

4 लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में एनएसएफडीसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, मंत्रालय के प्रतिनिधि, स्वतंत्र निदेशक और आईडीबीआई के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति के सचिव होंगे। वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की तीन बैठकें दिनांक 06.05.2024, 22.07.2024 और 31.01.2025 को आयोजित की गई।

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25) के तहत एक लाभ–निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। धारा 462 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एमसीए ने दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना जीएसआर 466(ई) के तहत कंपनी को धारा 177(2) के तहत लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता से छूट दी गई है।

चूँकि कंपनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए लेखा परीक्षा समिति के गठन का प्रावधान निगम पर लागू नहीं था। तथापि, डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, डीपीई द्वारा निर्धारित संदर्भ शर्तों के अनुसार दिनांक 14.01.2016 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था।

5. सीएसआर समिति

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची-VII तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियमावली, 2014 के अनुरूप किया गया है। 31.03.2025 तक सीएसआर समिति के सदस्य श्री एस.एम. आवले, श्री राजन सहगल और श्री मशर वेलापुरथ हैं। सीएसआर समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(i) बोर्ड को सीएसआर नीति का निर्माण और अनुशंसा।
(ii) सीएसआर व्यय की अनुशंसा।
(iii) सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें दिनांक 06.05.2024, 22.07.2024 और 31.01.2025 को आयोजित की गईं।

6. वार्षिक सामान्य बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान, 33वीं, 34वीं और 35वीं वार्षिक सामान्य बैठकें सचिव के कक्ष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, छठी मंजिल ('ए' विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गईं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक सामान्य बैठकों की तिथि और समय तथा उनमें पारित विशेष प्रस्ताव इस प्रकार हैं :–

अनुलग्नक -X

(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 6)

वार्षिक सामान्य बैठक	वर्ष	तिथि	समय	पारित विशेष प्रस्ताव
33वीं	2021–22	06.12.2022	सांय 5 बजे	शून्य
34वीं	2022–23	10.11.2023	दोपहर 12.30 बजे	शून्य
35वीं	2023–24	30.09.2024	अपराह्न 3 बजे	शून्य

7. प्रकटीकरण

7.1 भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण, जिनका कंपनी के हितों से टकराव हो सकता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने वेतन, भत्ते और आवास ऋण के अलावा अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया था।

7.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन का विवरण, किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए दंड, प्रतिबंध ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा जुर्माना/निषेध नहीं लगाया गया था।

7.3 अनुपालन

कंपनी सचिव, बैठक (कों) की कार्यसूची, एजेंडा नोट्स और कार्यवृत्त तैयार करते समय, कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ–साथ इसके तहत जारी नियमों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा अनुशंसित सचिवीय मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष अपने–अपने कार्यों के अनुसार सभी लागू कानूनों और विनियमों के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है और अवैध या अनैतिक आचरण की सूचना देने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कंपनी के पास एक सतर्कता तंत्र और व्हिसल ब्लोअर नीति है जिसके तहत कर्मचारी लागू कानूनों, विनियमों और आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना देने के लिए स्वतंत्र हैं।

9. संचार के साधन

कंपनी अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदर्शित करती है। वार्षिक रिपोर्ट और शेयरधारकों से संबंधित अन्य दस्तावेज़ नियमित रूप से लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। कंपनी अपनी वेबसाइट www.nsfdc.nic.in और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तथा व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ प्रदर्शित करती है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, महाकुंभ मेला, शिल्प समागम मेला, दिल्ली हाट और भारत मंडपम में प्रदर्शनियों को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से कवर किया गया। आवधिक ऋण और कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत एनएसएफडीसी की अन्य गतिविधियों को भी सोशल मीडिया पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।

अनुलग्नक -X
(पैरा 9 देखें)
(पृष्ठ 7 का 7)

10. अनुपालन रिपोर्ट

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करती है और इसमें दिशानिर्देशों के अनुलग्नक–VII में उल्लिखित सुझाए गए सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। डीपीई द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भी नियमित रूप से भेजी जाती है। सीपीएसई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र **अनुलग्नक–XI** में बोर्ड रिपोर्ट के साथ संलग्न है।





वर्ष 2024–2025 के दौरान बेगूसराय, बिहार में महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण हेतु एनएसएफडीसी सीएसआर पहल

अनुलग्नक – XI
(पैरा 9 देखें)

एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी

कंपनी सचिव, सलसलपीआई : एएएम–9113
पंजीकृत कार्यालय : 9ए/9–10, बेसमेंट, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
दूरभाष +91–1145095230, मोबाइल : +91–9818136340, ईमेल: naziin@iiinknssociates.com

कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रमाण पत्र

(डीपीई द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देश, 2010 के खंड 8.2.1 के अनुसार)

सदस्यगण,
नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ('डीपीई') द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 और उसके तहत उल्लिखित अनुलग्नक में निर्दिश्ट के अनुसार नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ('कंपनी') द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो एक लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

1. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार होगी और किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होगा। कंपनी के अभिलेखों का अवलोकन करने पर हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बोर्ड की तीन बार बैठक हुई है अर्थात् दिनांक 06.05.2024, 02.07.2024 और 31.01.2025, जबकि बोर्ड की दूसरी तथा तीसरी बैठकों के बीच का अंतराल 3 (तीन) महीने से अधिक है।
2. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति पिछले 12 महीनों में कम से कम चार बार बैठक आयोजित करेगी और प्रत्येक दो बैठक के बीच चार महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। कंपनी के अभिलेखों का अवलोकन करने पर हमने पाया कि लेखा परीक्षा समिति पिछले 12 महीनों में तीन बार अर्थात् दिनांक 06.5.2024, 22.07.2024 और 31.01.2025 को बैठक कर चुकी है, जबकि दूसरी तथा तीसरी लेखा परीक्षा समिति की बैठक के बीच का अंतराल 4 (चार) महीनों से अधिक है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है जिसके तहत प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते एमएनके एंड
एसोसिएट्स एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएन :
L2018DE004900

ह0
कुमार अरुण
भागीदार
प्रैक्टिसरत कंपनी सचिव
एसीएस : ए67168 सीपी : 27657
यूडीआईएन : AO67168G0004490A5
अभिजात समीक्षा प्रमाण पत्र
सं. 671/2020
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.05.2025

एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सचिव, नई दिल्ली, भारत

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर–चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	416.23	404.89
	(ख) विनिधान संपत्ति	4	11.63	11.63
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	1.98	0.55
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) ऋण	6	1,18,191.40	1,22,458.78
	(ii) अन्य	7	12.95	29.98
	(ड.) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	8	38.68	47.34
			1,18,672.87	**1,22,953.17**
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकद और नकद के समकक्ष	9	11,555.57	7,325.24
	(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा बैंक शेष	10	8,997.49	6,617.62
	(iii) ऋण	6	1,01,134.04	97,125.19
	(iv) अन्य	11	3,476.45	3,989.27
	(ख) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	12	15.75	15.75
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	56.77	77.50
			1,25,236.07	**1,15,150.56**
	कुल परिसंपत्तियां		**2,43,908.94**	**2,38,103.73**
II.	**इक्विटी और दायित्व**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	1,51,500.00	1,51,500.00
	(ख) अन्य इक्विटी	15	84,958.08	77,971.07
			2,36,458.08	**2,29,471.07**
2	**दायित्व**			
(i)	**गैर–चालू दायित्व**			
	(क) प्रावधान	16	546.98	512.41
			546.98	**512.41**
(ii)	**चालू दायित्व**			
	(क) वित्तीय दायित्व			
	(i) ऋण	17.1	-	2,500.00
	(ii) अन्य	17.2	6,063.52	4,762.63
	(ख) अन्य चालू दायित्व	18	76.12	91.07
	(ग) प्रावधान	16	764.24	766.55
			6,903.88	**8,120.25**
	कुल इक्विटी और देयताएं		**2,43,908.94**	**2,38,103.73**
III.	वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां 1–45 देखें ।			

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
मैसर्स दविन्द्र पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 00760IN

ह0
सी.ए. दविन्द्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 086596

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08-07-2025

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0
(मंजीत सिंह छतवाल)
उप–महाप्रबंधक (वित्त)

ह0
(अन्नु भोगल)
महाप्रबंधक (वित्त) और कंपनी सचिव

ह0
(मशर वेलापुरथ) निदेशक
डीआईएन:09350971

ह0
(प्रभात त्यागी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन. 11091166

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
I	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	19	7,447.90	6,865.38
II	अन्य आय	20	1,002.67	823.05
III	संदिग्ध ऋण और ब्याज के लिए भत्ते का प्रत्यावर्तन	30.4	738.57	-
	कुल राजस्व (I+II+III)		**9,189.14**	**7,688.43**
IV	**व्यय**			
	कर्मचारी हित व्यय	21	2,087.87	2,004.12
	वित्त लागत	21.1	6.22	62.06
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	22	50.06	35.12
	संदिग्ध ऋण और ब्याज के लिए भत्ता	30.4	-	59.53
	एससीए को प्रोत्साहन	23	50.00	105.00
	सीएसआर व्यय	36	104.41	85.56
	अन्य व्यय	24	520.17	634.49
	कुल व्यय (IV)		**2,818.73**	**2,985.87**
V	**असाधारण मदों और करों से पूर्व व्यय से अधिक आय (III - IV)**		6,370.41	4,702.56
VI	असाधारण मदें	25	-0.07	3.27
VII	**कर–पूर्व व्यय से अधिक आय (V - VI)**		**6,370.34**	**4,705.83**
VIII	कर व्यय :			
	(1) वर्तमान कर			
	(2) आस्थगित कर			
IX	**निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (VII-VIII)**		**6,370.34**	**4,705.83**
X	अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय			
XI	अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय			
XII	अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय (X - XI)			
XIII	**इस अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (IX + XII)**		**6,370.34**	**4,705.83**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) वह मदें जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	26	(6.93)	26.05
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिसे आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।			
	ख. (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया			
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।			
XV	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (जिसमें व्यय से अधिक आय और इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल है)**		**6,363.41**	**4,731.88**
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन :** (निरंतर प्रचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)	27	**42.05**	**31.37**
	(2) तरलीकृत (₹)	27	**42.05**	**31.35**
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन :** (अनिरंतर प्रचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)			
	(2) तरलीकृत (₹)			
XVIII	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन :** (अनिरंतर और निरंतर प्रचालन के लिऐ)			
	(1) मूलभूत (₹)	27	**42.05**	**31.37**
	(2) तरलीकृत (₹)	27	**42.05**	**31.35**
XIX	वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियों को देखें			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
मैसर्स दविन्द्र पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 00760IN

ह0
सी.ए. दविन्द्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 086596

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.07.2025

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0
(मंजीत सिंह छतवाल)
उप–महाप्रबंधक (वित्त)

ह0
(अन्नु भोगल)
महाप्रबंधक (वित्त) और कंपनी सचिव

ह0
(मशर वेलापुरथ)
निदेशक
डीआईएन:09350971

ह0
(प्रभात त्यागी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन. 11091166

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
असाधारण मदों और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		**6,370.34**	**4,700.67**
प्रचालन क्रियाकलापों द्वारा प्रावधान किए गए निवल नकद के प्रति निवल लाभ का सामंजस्य के लिए समायोजन			
मूल्यह्रास		50.06	35.12
पट्टा दायित्व पर ब्याज		-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री/हानिकरण/विनिमय पर हानि/लाभ)		0.07	(3.27)
पट्टों पर संशोधन लाभ		-	-
प्रचालन परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तनों से पहले प्रचालन लाभ के लिए समायोजनः	**(1)**	**6,420.47**	**4,732.52**
गैर–चालू ऋणों में (कमी)/(वृद्धि)		4,267.38	(3,856.42)
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में (कमी)/(वृद्धि)		17.03	82.31
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में (कमी)/(वृद्धि)		8.66	(3.35)
चालू ऋणों में (कमी)/वृद्धि		(4,008.85)	(10,908.42)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में (कमी)/(वृद्धि)		512.82	(996.30)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (कमी)/(वृद्धि)		20.73	(12.14)
अन्य वित्तीय दायित्वों में (कमी)/(वृद्धि)		(1,199.09)	(18,523.31)
अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/(वृद्धि)		(14.95)	(52.92)
गैर–चालू प्रावधानों में (कमी)/(वृद्धि)		27.64	44.54
चालू प्रावधानों में (कमी)/(वृद्धि)		(2.31)	(29.05)
	(2)	(370.94)	(34,255.06)
प्रचालन से सृजित नकद	**(1+2)**	**6,049.53**	**(29,522.54)**
प्रदत्त आयकर		-	9.12
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद बर्हिवाह		**6,049.53**	**(29,513.42)**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
संपत्ति/संयत्र और उपकरणों की बिक्री/निपटान		0.82	3.79
संपत्ति/संयत्र और उपकरणों की खरीद		(61.73)	(44.34)
अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		(2.00)	-
अन्य बैंकों में बकाया राशि में कमी/(वृद्धि)		(2,379.87)	606.26
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज		623.59	552.08
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह		**(1,819.19)**	**1,117.79**
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
शेयर पूंजी का निर्गम		-	1,500.00
शेयर आवेदन का पैसा लंबित आबंटन		-	-
उधार से प्राप्ति		-	2,500.00
पट्टा दायित्व पर ब्याज		-	-
मूल पट्टे का भुगतान		-	-
वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह		**-**	**4,000.00**
नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		4,230.34	(24,395.63)
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी 9 देखें)		7,325.24	31,720.86
नकद अंतशेष और नकद समकक्ष		**11,555.58**	**7,325.23**
नकद और नकद समकक्ष का सामंजस्य वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी 9 देखें)		**11,555.57**	**7,325.24**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह का विवरण

टिप्पणियां :–

i यह नकद प्रवाह विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक –7 में दी गई अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।

ii. कंपनी ने 01 अर्पेल 2017 से प्रभावी भारतीय लेखा मानक–7 में संशोधन को अपनाया है, जिसके तहत प्रकटीकरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन संस्थानों को ऐसे प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, जो नकदी प्रवाह और गैर–नकदी परिवर्तनों दोनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों सहित, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन–पत्र में प्रारंभ और समापन शेष के बीच सामंजस्य शामिल करने का सुझाव देते हैं, ताकि वित्तीय आवश्यकता का प्रकटीकरण हो सके।

iii. पिछले वर्ष के आंकड़ों की पुष्टि करने तथा वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ उनकी तुलना करने के लिए उन्हें पुनःवर्गीकृत/पुनर्गठित किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स दविन्द्र पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 007601N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0
(मंजीत सिंह छतवाल)
उप–महाप्रबंधक (वित्त)

ह0
(अन्नु भोगल)
महाप्रबंधक (वित्त) और कंपनी सचिव

ह0
सी.ए. दविन्द्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 086596

ह0
(मशर वेलापुरथ)
निदेशक
डीआईएनः09350971

ह0
(प्रभात त्यागी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन. 11091166

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :08.07.2025

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि
01 अप्रैल 2024 को शेष	**151.50**	**1,51,500.00**
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर पूंजी		
31 मार्च 2025 को शेष	**151.50**	**1,51,500.00**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष			कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	-	8,996.84	68,974.23	-	77,971.07
पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी 32 का संदर्भ लें)			-		-
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	**-**	**8,996.84**	**68,974.23**	**-**	**77,971.07**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	6,370.34	6,370.34
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-			(6.93)	(6.93)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**6,363.41**	**6,363.41**
विशेष आरक्षित में अंतरण		637.03		(637.03)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज		623.59		-	623.59
सामान्य आरक्षित में अंतरण		-	5,726.38	(5,726.38)	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि		-			-
शेयर पूंजी का निर्गम					-
वर्ष के अंत में बकाया शेष	**-**	**10,257.47**	**74,700.61**	**-**	**84,958.08**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स दविन्द्र पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 006747N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0
(मंजीत सिंह छतवाल)
उप–महाप्रबंधक (वित्त)

ह0
(अन्नु भोगल)
महाप्रबंधक (वित्त) और कंपनी सचिव

ह0
सी.ए. दविन्द्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 086596

ह0
(मशर वेलापुरथ) निदेशक
डीआईएन:09350971

ह0
(प्रभात त्यागी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन. 11091166

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक :08.07.2025

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि ₹
01 अप्रैल 2023 को बकाया शेष	**150.00**	**1,50,000.00**
पूर्व अवधि त्रृटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
01 अप्रैल 2023 को पुनः उल्लिखित बकाया शेष	**150.00**	**1,50,000.00**
चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम	**1.50**	**1,500.00**
31 मार्च 2024 को शेष	**151.50**	**1,51,500.00**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष			कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	-	7,974.18	64,718.09	-	72,692.27
पूर्व अवधि समायोजन (नोट 32 का संदर्भ लें)			(5.16)		(5.16)
वर्ष के आरंभ में पुनःउल्लिखित बकाया शेष	**-**	**7,974.18**	**64,712.93**	**-**	**72,687.11**
वर्ष के लिए लाभ	-	-		4,705.83	4,705.83
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-			26.05	26.05
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**4,731.88**	**4,731.88**
विशेष आरक्षित में अंतरण		470.58		(470.58)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज		552.08		-	552.08
सामान्य आरक्षित में अंतरण		-	4,261.29	(4,261.29)	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि		-			-
शेयर पूंजी का निर्गम					-
वर्ष के अंत में बकाया शेष	**-**	**8,996.84**	**68,974.23**	**-**	**77,971.07**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स दविन्द्र पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 006747N

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0
(मंजीत सिंह छतवाल)
उप–महाप्रबंधक (वित्त)

ह0
(अन्नु भोगल)
महाप्रबंधक (वित्त) और कंपनी सचिव

ह0
सी.ए. दविन्द्र पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 086596

ह0
(मशर वेलापुरथ) निदेशक
डीआईएन:09350971

ह0
(प्रभात त्यागी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन. 11091166

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :08.07.2025

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1 कॉर्पोरेट सूचना

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भारत में स्थित एक लाभ–निरपेक्ष कंपनी है और यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 हो गई है) के अंतर्गत दिनांक 08.02.1989 को नेशनल शेडयूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपेंट कॉर्पोरेशन के नाम से स्थापित की गई थी। इसने दिनांक 09.04.2001 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। यह निगम दिनांक 10.04.2001 को जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के पश्चात् द्विभाजित हो गया था। इसके द्विभाजन के परिणामस्वरूप निगम अब अनुसूचित जाति लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं की अनन्य रूप से पूर्ति करता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092 में स्थित है।

2 लेखांकन नीतियां

2.1 अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए की और की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) समय–समय पर संशोधित नियमावली के अनुसार तैयार किए गए हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के प्रभाग–II में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू या गैर–चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान एमसीए ने भारतीय लेखा मानक 117 – बीमा अनुबंधों और भारतीय लेखा मानक 116–पट्टों में बिक्री और लीज–बैक लेनदेन से संबंधित संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे।

कंपनी ने यह आकलन किया है कि उसके वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिनांक 07 मई, 2025 को एमसीए भारतीय लेखा मानक 21– विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव में संशोधनों को अधिसूचित

करता है। इन संशोधनों का उद्देश्य मुद्रा विनिमय योग्यता का आकलन करने और उन मुद्राओं के लिए विनिमय दरों का अनुमान लगाने के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना है जो आसानी से विनिमय योग्य नहीं हैं। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी हैं। कंपनी ने यह आकलन किया है कि उसके वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2.2 तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं, निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है:

(i) सुनिश्चित लाभ योजना और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ।
(ii) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और उचित मूल्य पर मापे गए दायित्व।

2.3 अनुमानों और निर्णय का इस्तेमाल

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान करें, जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों और दायित्वों के प्रकटीकरण तथा आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करे। इस प्रकार के अनुमानों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल, संदिग्ध ऋणों, कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्वों और आकस्मिक दायित्वों के लिए प्रावधान शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं। इन अनुमानों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम जाने जाते हैं/इन्हें मूर्त रूप दिया जाता है।

2.4 सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों को दो दशमलव पॉइंटों के साथ निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय ऐसी स्थिति के, जहां अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

2.5 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह, अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा कर–पूर्व लाभ/(हानि) को गैर–नकद प्रकार के लेन–देनों और बाद के या भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों के उपार्जन या किसी आस्थगन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण के क्रियाकलापों से नकद प्रवाह सूचना के आधार पर अलग–अलग कर दिया जाता है।

नकद प्रवाह के विवरण के उद्देश्यों के लिए, नकद और नकद समकक्ष में हस्तांगत नकदी, बैंकों में नकद और बैंकों में मांग जमा राशियां, निवल बकाया बैंक, मांग ड्राफ्ट (ओवरड्राफ्ट) शामिल हैं, जो मांग किए जाने पर भुगतान किए जाने योग्य हैं और कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का भाग माने जाते हैं।

भारतीय लेखा मानक–7 :

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक–7 के संशोधन को अपनाया, जिसके तहत संस्थाओं को प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकद प्रवाह और गैर–नकद परिवर्तनों दोनों से उठे परिवर्तन, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन–पत्र के आरंभिक और अंतःशेष राशि के बीच समायोजन पर सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

2.6 विदेशी मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए मदों को ऐसे प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का इस्तेमाल करके मापा जाता है, जिसमें कंपनी संचालन करती है (अर्थात् कार्यात्मक मुद्रा)। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

विदेशी मुद्राओं में हुई आय और किए गए खर्चे के लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा की आर्थिक परिसंपत्तियां और दायित्व तुलन–पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर रूपांतरित की जाती हैं और निपटान तथा पुनः उल्लेख से उत्पन्न विनिमय लाभों और हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, संचित मूल्यह्रास और नुकसान से होने वाली हानियां, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई लागत

(ii) मदों को अलग–अलग करने और हटाने तथा उस साइट को पुनः स्थापित करने, जिस पर यह स्थित है, यदि मान्यता संबंधी मापदंड पूरे किए गए हैं, की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत की लागत और दीर्घावधि निर्माण परियोजनाओं की उधार लागतें पूंजीकृत की जाती हैं, यदि मान्यता का मापदंड पूरा किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत रु.5,000/– से अधिक है, को आय एवं व्यय के विवरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किया गया है।

परिसंपत्तियों की बिक्री पर लागत और संचित मूल्यह्रास का अनुमान वित्तीय विवरणों से लगाया जाता है और परिणामी लाभों तथा हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर अधोलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है। अनुमानित, उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा भावी आधार पर लेखे में लिए गए अनुमानों में किसी परिवर्तन की अवधि से, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, निम्नानुसार हैः

परिसंपत्तियों की श्रेणी

विवरण	**अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)**
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	60
एयर कंडीशनर	5
कंप्यूटर और कल–पुर्जे	3
जुड़नार और फिटिंग	10
फर्नीचर	10
कार्यालय उपकरण	5
वाहन	8

लीज होल्ड बिल्डिंग का परिशोधन प्राथमिक पट्टा अवधि पर किया जा रहा है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग–अलग किया जाता है, यदि भाग की लागत उस मद की तुलना के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवनकाल बाकी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल से भिन्न है।

परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, परिसंपत्तियों की लागत के 5 प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

मूल्यह्रास को चल रहे पूंजीगत कार्य पर दर्ज नहीं किया जाता जब तक निर्माण और संस्थापन पूरा न कर लिया गया हो और परिसंपत्ति इसके आशायित इस्तेमाल के लिए तैयार न हो।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयेागी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।

2.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को उस समय मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम तक आएंगे और परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। अमूर्त परिसंपत्तियों का उल्लेख, संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई है, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

''अमूर्त परिसंपत्तियों'' के संबंध में ऐसा सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर उपकरण का अभिन्न अंग नहीं है, सॉफ्टवेयर तैयार करने और उससे संबंधित खर्च, जिसके परिणामस्वररूप तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक संस्थापन किया गया है, को लागत पर मान्यता दी जाती है और इसे तीन वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्टक मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

2.9 निवेश संपत्तियां

(i) निवेश संपत्ति में पूरी कर ली गई संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और वित्तपोषण पट्टे के अधीन रखी गई संपत्ति शामिल है, जो सामान्य व्यवसाय में बिक्री के लिए या उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल के लिए, के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजी बढ़ाने के लिए या दोनों के लिए रखी गई है।

(ii) निवेश संपत्तियों का उल्लेख लागत, निवल संचित मूल्यह्रास और संचित नुकसान से होने वाली हानियॉं, यदि कोई हैं, पर किया जाता है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार कंपनी, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यथाविनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर उचित ढंग से निवेश के भवन संघटक पर मूल्यह्रास करती है **(टिप्पणी 2.7 देखें)**।

(iv) निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास या तो तब दिया जाता है जब उनका निपटान कर दिया गया हो या जब वे उपयोग से स्थायी रूप से वापस ले ली गई हों और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो। निपटान से प्राप्त निवल राशि और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि के बीच के अंतर को मान्यता समाप्त करने की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 प्रावधान

प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब

(i) कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणाम के रूप में कोई वर्तमान दायित्व हो;

(ii) संसाधनों के किसी संभावित बहिर्वाह द्वारा दायित्व के निपटाए जाने की आशा हो और

(iii) दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

ऊपर मान्यता प्रदान किए गए प्रावधान, जिसे 12 महीने से अधिक के समय में निपटान किए जाने की आशा हो, को कर–पूर्व रियायती दर का इस्तेमाल करके वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो देयताओं के प्रति विशिष्ट जोखिम दर्शाता है और समय बीत जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज खर्चों के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

2.11 राजस्व मान्यता

(I) प्रचालन से राजस्व :

कंपनी भारतीय लेखा मानक–115 में निर्धारित पाच चरणों के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती हैः

(i) ग्राहक के साथ अनुबंधों की पहचान : एक अनुबंध को दो या दो से अधिक पक्षों के बीच समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रवर्तनीय अधिकारों और दायित्वों तथा प्रत्येक अनुबंध के लिए मानदंड निर्धारित करता है जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) अनुबंध में निष्पादन दायित्वों की पहचान : निष्पादन दायित्व ग्राहक के साथ अनुबंध में ग्राहक को एक वस्तु या सेवा हस्तांतरित करने का एक चयन है।

(iii) लेन–देन मूल्य निर्धारित करना : लेन–देन मूल्य वह प्रतिफल राशि है जिसके लिए निगम किसी ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की आशा करता है, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

(iv) अनुबंध में निष्पादन दायित्वों के लिए लेन–देन मूल्य आवंटित करना : एक से अधिक निष्पादन दायित्व वाले अनुबंध के लिए निगम प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए एक राशि में लेनदेन मूल्य आवंटित करता है जो उस प्रतिफल राशि को दर्शाता है जिसके लिए निगम प्रत्येक निष्पादन दायित्व को पूरा करने के बदले में हकदार होने की आशा करता है।

(v) राजस्व को तब या उसके रूप में मान्यता दें जब निगम किसी निष्पादन दायित्व को पूरा करके किसी ग्राहक को वचनबद्ध सामान या सेवाएँ। किसी परिसंपत्ति का हस्तांतरण तब होता है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

राजस्व की पहचान उस सीमा तक की जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। हालाँकि, जब राजस्व में पहले से शामिल किसी राशि की संग्रहणीयता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो वसूली न की जा सकने वाली राशि, या वह राशि जिसके संबंध में वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, को पहले से मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि के समायोजन के बजाय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

क) दिए गए ऋणों पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुएए बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए, समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ख) पुनर्भुगतान में चूक पर दंडात्मक ब्याजए उसकी संग्रहणीयता की अनिश्चितता के कारण वसूली पर मान्यता दी जाती है।

ग) प्रबंधन नीति के अधीन वापस किए गए ऋणों की अप्रयुक्त राशि पर दंडात्मक ब्याज लगाया जाता है और इसका लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है **(टिप्पणी 19.1 देखे)**।

(II) अन्य राजस्व मान्यताः

(क) बैंक जमा राशियों पर ब्याज को बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रख कर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) स्टाफ ऋण पर ब्याज संबंधी आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके लागू होने वाली ब्याज दर और बकाया राशि को लेखों में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.12 इंड एएस 20 के अंतर्गत यथानुमत सरकार/अन्य संगठनों से राजस्व अनुदान

i) जिस अवधि में संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है उसमें अनुदानों को जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए होते हैं प्रणालीबद्ध आधार पर आय एवं व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

ii) सरकारी अनुदान पूर्वावधि में किए गए व्यय या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में किसी संस्था द्वारा प्राप्ति योग्य हो सकता है। ऐसे अनुदान को उसको प्राप्ति योग्य बनने की अवधि में आय एवं व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

iii) आय से संबंधित अनुदानों को संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

2.13 पट्टा

पट्टाधारी के रूप में

(i) कंपनी पट्टा आरंभ होने की तिथि पर परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार एवं पट्टा देयता को मान्य करती है। संपत्ति के प्रयोगाधिकार को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या इससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि, व्यय की गई कोई आरंभिक सीधी लागत सहित तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने या हटाने के लिए या अंतर्निहित परिसंपत्ति या क्षेत्र जिस पर यह स्थित है, को बहाल करने का लागत अनुमान शामिल होता है तथा इसमें से प्राप्त कोई पट्टा प्रोत्साहन घटाया जाता है।

(ii) संपत्ति के प्रयोगाधिकार के उपयोगी कार्यकाल के अंत से पहले की प्रारंभ तिथि या पट्टा अवधि की समाप्ति से सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके संपत्ति के प्रयोगाधिकार को बाद में मूल्यह्रास किया जाता है। परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार के अनुमानित उपयोगी कार्यकाल का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जिस आधार पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा, संपत्ति के प्रयोगाधिकार को क्षति नुकसानी, यदि कोई हो, द्वारा घटाया जाता है और पट्टा देयता के कुछ पुनः मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

(iii) पट्टा देयता को जिनका प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता, पट्टा में अंतर्निहित ब्याज दर के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है या उस दर का आसानी से निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो कंपनी की वृद्धि मूलक ऋण दर का प्रयोग करके छूट दी जाती है।

(iv) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, इसे जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से भावी पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है तब उस समय पुनः मापा जाता है। जब पट्टा देयता को इस तरह से पुनः मापा जाता है तो परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार की अग्रनीत राशि में समतुल्य समायोजन किया जाता है या यदि परिसंपति के प्रयोगााधिकार की अग्रनीत राशि को घटाकर शून्य कर दिया गया है, तब लाभ एवं हानि में दर्ज किया जाता है।

(v) कंपनी परिसंपत्ति के ऐसे प्रयोगाधिकार को तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है जो 'संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण' में निवेश संपत्ति और 'अन्य वित्तीय देयताएं' में वित्तीय देयता की परिभाषा को पूरा नहीं करते, को तुलन–पत्र में प्रस्तुत करती है।

(vi) अल्प अवधि का पट्टा तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे। कंपनी ने अल्प अवधि के पट्टों के लिए परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार एवं पट्टा देयताओं को मान्य न करने का चयन किया है जिनकी पट्टा अवधि 12 माह या कम है तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में मान्य करती है।

<u>पट्टाकार के रूप में</u>

(i) जब कंपनी पट्टाकार के रूप में कार्य करती है तो यह पट्टा शुरू होने पर निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है अथवा प्रचालन पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए कंपनी इस बात का समग्र आकलन करती है कि क्या पट्टा अप्रयुक्त परिसंपत्ति के स्वामित्व से वास्तविक सभी जोखिम एवं लाभों को पर्याप्त रूप से अंतरित करता है। यदि ऐसा होता है तो पट्टा वित्त पट्टा है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह प्रचालन पट्टा है। आकलन के अंग के रूप में कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक उपयोगिता के बड़े भाग के लिए है।

(ii) यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर–पट्टा घटक होते हैं तो कंपनी संविदा में प्रतिफल आवंटित करने के लिए इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' का प्रयोग करती है।

(iii) कंपनी प्रचालन पट्टा के तहत प्राप्त पट्टा भुगतानों को 'अन्य आय' के अंग के रूप में पट्टा अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आय के रूप में मान्य करती है।

2.14 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण

(i) परिसंपत्तियों की कैरिंग राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को यह निश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या हानिकरण का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए, जो उपयोग के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं, वसूली योग्य राशि का अनुमान प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को लगाया जाता है।

(ii) नुकसान से होने वाली हानि को उस समय मान्यता दी जाती है जब कभी किसी परिसंपत्ति की कैरिंग राशि या इसकी नकदी, सृजन इकाई इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। क्षति नुकसानी को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।

(iii) नुकसान से होने वाली हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन किया गया है। क्षति नुकसानी को केवल उसी सीमा तक प्रत्यावर्तित किया जाता है कि परिसंपत्ति की कैरिंग राशि उस कैरिंग राशि से अधिक नहीं है, जो निवल मूल्यह्रास या परिशोधन के रूप में निर्धारित की जाती, यदि क्षति नुकसानी को मान्यता न दी गई होती।

2.15 कर्मचारी लाभ

(i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूरित अनुपस्थितियों को, उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, के आय एवं व्यय का विवरण में गैर–बट्टागत आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) नियोजनोत्तर लाभ और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

क) सुनिश्चित अंशदान योजना

सुनिश्चित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि, पेंशन, कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा और समूह बचत संबद्ध बीमा योजनाओं को, खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे आय एवं व्यय का विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी, भविष्य निधि के संबंध में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सुनिश्चित अंशदान देती है। कंपनी के पास अपने अंशदान के अलावा, इस संबंध में कोई अन्य दायित्व नहीं है, जिसका भुगतान देय होने के समय किया जाता है।

एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त योजनाएं जैसे 'परिभाषित अंशदान पेंशन योजना' और 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान चिकित्सा' योजना हैं बशर्ते कि लोक उद्यम विभाग के दिनांक 21.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कंपनी द्वारा अंशदान किया गया हो।

(i) पेंशन योजना

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशानुसार निगम में ''एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना'' है। नियोक्ता, न्यास को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भता का 10 प्रतिशत देता है। निगम ने योजना के प्रबंधन के लिए 'एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना न्यास (ट्रस्ट)' नामक एक ट्रस्ट का गठन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम एनएसएफडीसी का निधि प्रबंधक है।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना

निगम में ''सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित चिकित्सा योजना'' है। निगम ने ''एनएसएफडीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान

चिकित्सा योजना न्यास (न्यास)'' नामक एक न्यास का गठन किया है। नियोक्ता न्यास को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भत्ता का 3 प्रतिशत अंश देता है। निधियों का प्रबंधन, न्यास द्वारा स्थापना से दिनांक 01.08.2018 तक किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम दिनांक 02.08.2018 से समूह सेवानिवृत्ति नकद संचयी लाभ योजना के अंतर्गत न्यास की निधियों का प्रबंधन कर रहा है।

(ख) सुनिश्चित लाभ योजना

(i) उपदान

कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधिकरण, एक अलग न्यास के माध्यम से जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जीवन बीमा निगम, जो एक सरकारी उपक्रम है, ने अपने द्वारा प्रमाणित अनुसार बीमांकिक गणना के आधार पर वर्ष के दौरान प्रीमियम प्रभारित किया है। तुलन–पत्र में मान्यता दी गई राशि, तुलन–पत्र की तारीख को सुनिश्चित लाभ दायित्वों में से 'योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य' घटाकर और उसमें से अभी तक मान्यता न दी गई कोई पूर्व सेवा लागत घटाकर निकाली गई राशि है।

(ii) छुट्टी लाभ

निगम में एक सुनिश्चित लाभ योजना (छुट्टी लाभ योजना) है, जिसमें निगम की छुट्टी नियमावली के अनुसार, संबंधित कर्मचारी के वेतन और सेवाकाल के आधार पर पात्र कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। छुट्टी लाभ जैसे छुट्टी नकदीकरण, चिकित्सा छुट्टी इत्यादि को वर्ष के अंत में यथास्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.16 विशेष आरक्षित निधि

निगम, व्यय से अधिक आय का 10 प्रतिशत, भवनों में निवेश करने और आकस्मिकताओं/आकस्मिक घटनाओं के लिए विशेष राजस्व निधि में अंतरित करता है।

2.17 आय कर

कंपनी की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26बी) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार आयकर के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप ''आयकर के लिए लेखांकन'' का भारतीय लेखा मानक–12 का प्रावधान लागू नहीं होता।

2.18 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन निर्धारित करने में, कंपनी, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर अर्जनों की संगणना करने में इस्तेमाल किए गए शेयरों की संख्या, इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन निर्धारित करने में, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या, तरलीकरण की संभावना वाले सभी इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किए जाते हैं।

2.19 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तिया

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, निम्नलिखित मामलों में से किसी मामले में किया जाता है:

(i) किसी पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि इस दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; या

(ii) वर्तमान दायित्व का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता; या

(iii) कोई संभावित दायित्व, जब तक संसाधन के बहिर्वाह की संभावना अल्पतम है।

– आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।

–आकस्मिक देयताओं और परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक देयताओं और प्रावधानों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।

–आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बहिर्वाह पर विचार करते हुए निवल अनुमानित प्रावधान हैं।

2.20 उचित मूल्य मापन

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं, जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है, को पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट पर आधारित, निम्नलिखित के रूप में विनिर्धारित उचित मूल्य अनुक्रम के अंदर श्रेणीकृत किया जाता है:

- स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2: ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्यांकन मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य हैं।
- स्तर 3: ऐसी मूल्य तकनीकें, जिनके लिए, उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट, अवलोकन न किए जाने योग्य हैं।

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, जिन्हें वित्तिय विवरणों में आवर्ती अधार पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनः निर्धारित करके (पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट पर आधारित) अनुक्रम में स्तरों के बीच किए गए हैं।

रिपोर्टिंग की तारीख को, कंपनी, परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में संचालनों का विश्लेषण करती है, जिनका पुनः मापन या पुनः निर्धारण लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए कंपनी संविदाओं और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल्यांकन संगणना में अप्रयुक्त प्रमुख इनपुटों का सत्यापन करती है।

कंपनी प्रत्येक परिसंपत्ति और देयताओं के उचित मूल्यांकन में हुए परिवर्तन का भी मिलान सुसंगत बाहरी स्रोतों के साथ यह पता लगाने हेतु करती है कि क्या परिवर्तन तर्क संगत है।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति या दायित्व के स्वरूप, गुण और जोखिमों और ऊपर स्पष्ट किए गए उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की है।

2.21 वित्तीय विलेख :

(i) आरंभिक मान्यता और मापन

इनमें वित्तीय विलेखों को प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण या वित्तीय विलेख जारी करने के लिए प्रदान किए जाने योग्य लेन–देन संबंधी ऐसी लागतें जोड़कर या कम करके इसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(ii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तिया

वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैः

(अ) परिशोधित लागत पर

किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन, परिशोधित लागत पर किया जाएगा, यदि निम्नलिखित में से दोनों शर्तें पूरी की जाती हैंः

(क) वित्तीय परिसंपत्ति, किसी व्यवसाय मॉडल के अंदर धारित है, जिसका उद्देश्य, संविदात्मक नकद प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां धारित करना है; और

(ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें, विनिर्दिष्ट तारीखों को, ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो बकाया मूलधन पर अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज के भुगतान हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, हानिकरण, यदि कोई है, कम करके, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके, परिशोधित लागत पर किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) आय एवं व्यय का विवरण में वित्तीय आय में शामिल है।

(आ) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई)

'ऋण विलेख' अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है, यदि निम्नलिखित में से दोनों मापदंड पूरे किए जाते हैंः

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहीत करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर दोनों तरीके से प्राप्त किया जाता है।
- परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह अन्य रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान को प्रदर्शित करता है।

एफवीटीओसीआई के अंदर शामिल किए गए ऋण विलेखों का मापन आरंभ में और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। तथापि, कंपनी आय और व्यय का विवरण में ब्याज से आय, नुकसान होने वाली हानियों एवं प्रत्यावर्तनों और विदेशी विनिमय लाभ या हानि को मान्यता देती है। ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान की गई परिसंपत्ति, संचयी लाभ या हानि की मान्यता समाप्त करने पर उसे लाभा और हानि की इक्विटी में पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के इस्तेमाल को मान्यता दी गई है।

(इ) लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

लाभ एवं हानि के जरिऐ उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल), वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत पर एफवीटीओसीआई में दिए गए श्रेणीकर का मापदंड पुरा नहीं करती, एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी, ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट करने का विकल्प चुन सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मापदंड को पूरा करती है, यदि ऐसा करना मापन या मान्यता की असंगति को कम करता है या समाप्त करता है। कंपनी कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल की गई वित्तीय परिसंपत्तियों का आय एवं व्यय का विवरण में मान्यता दिए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

क) परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशियों, प्रतिभूति जमा और अवधारण राशि द्वारा प्रदर्शित परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्वों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात इसे प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित मूल्य पर लिया जाता है।

(ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी ने किसी वित्तीय दायित्व को, एफवीटीपीएल पर नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) मान्यता समाप्त करना

वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति के किसी भाग या उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह के भाग) की मान्यता केवल तभी समाप्त की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियां और परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्ततः सभी

जोखिम और रिवार्डस अंतरित हो जाते हैं।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता की मान्यता तभी समाप्त की जाती है, जब देयता के अंतर्गत उत्तरदायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता, पर्याप्ततः भिन्न शर्तों पर उसी ऋणी से अन्य ऋणी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या किसी वर्तमान देयता की शर्तें पर्याप्ततः संशोधित कर दी जाती हैं तो ऐसी अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त करने के रूप में माना जाता है और किसी नई देयता की मान्यता और संबंधित कैरिंग राशियों में अंतर को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरणः

i) कंपनी, तुलन–पत्र की प्रत्येक तारीख को यह आकलन करती है कि क्या वित्तीय परिसंपत्ति का हानिकरण हुआ है। भारतीय लेखा मानक–109 में, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) को, हानि अनुमति के जरिए मापे जाने की अपेक्षा की गई है।

ii) संविदा परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तव्यों के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को 12 माह के बराबर राशि पर या जीवनकाल ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाएगा, यदि वित्तीय परिसपंत्ति पर क्रेडिट जोखिम में इसकी आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप में वृद्धि हो गई है।

iii) इस अवधि के दौरान मान्यता दी गई ईसीएल क्षति नुकसानी भत्ते (या रिवर्सल) को 'आय एवं व्यय का विवरण' में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.22 बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह), बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, जब उनकी कैरिंग राशि, किसी बिक्री लेनदेन के जरिए सिद्धांत रूप में वसूल की जानी हैं और बिक्री अत्यधिक संभावना वाली केवल तभी मानी जाती है, जब परिसंपत्ति या निपटान समूह, उसकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऐसी संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी और बिक्री, वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों का उल्लेख, कैरिंग राशि के न्यूनतम स्तर और उचित मूल्य में से बिक्री करने की लागत घटाकर आए मूल्य पर किया जाता है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाने के पश्चात संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता या इन्हें परिशोधित नहीं किया जाता। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां और दायित्व, तुलन–पत्र में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

यदि भारतीय लेखा मानक–105 ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां और बंद कर दिए गए प्रचालन'' द्वारा उल्लिखित मापदंड पूरे नहीं किए गए हैं तो निपटान समूह का, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है। गैर–चालू परिसंपत्ति, जिसका बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है, का मापन : (i) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले की मूल्यह्रास के लिए समायोजित इसकी कैरिंग राशि, जिसे मान्यता दी जाती है, यदि वह परिसंपत्ति, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत न की गई होती; और (ii) उस तारीख, जब निपटान समूह, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त होता है, को इसकी वसूली योग्य राशि से निम्नतर राशि पर किया जाता है।

2.23 भारतीय लेखा मानक 8 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रृटियों में परिवर्तन' के अनुसार प्रकटीकरण

क) भौतिक लेखांकन नीति सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, एमसीए ने भारतीय लेखा मानक 117 बीमा अनुबंधों और भारतीय लेखा मानक 116 पट्टों में बिक्री और लीज–बैक लेन–देन से संबंधित संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे। कंपनी ने यह आकलन किया है कि उसके वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ख) मानक/संशोधन जारी किए गए हैं, लेकिन अभी प्रभावी नहीं हैं:

7 मई, 2025 को, एमसीए भारतीय लेखा मानक 21 –विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव. में संशोधनों को अधिसूचित करता है। इन संशोधनों का उद्देश्य मुद्रा विनिमय योग्यता का आकलन करने और उन मुद्राओं के लिए विनिमय दरों का अनुमान लगाने के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना है जो आसानी से विनिमय योग्य नहीं हैं। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए प्रभावी हैं। कंपनी ने यह आकलन किया है कि उसके वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रु. लाख में)

विवरण	भवन फ्रीहोल्ड	भवन लीजहोल्ड	फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग्स	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	कुल
लागत या मानित लागत							
01 अप्रैल 2023 को	**22.48**	**646.89**	**115.46**	**16.25**	**50.39**	**84.10**	**935.58**
अभिवर्धन	-	-	6.78	-	2.89	34.67	44.34
निपटान/समायोजन	-	-	(0.26)	(7.95)	(0.69)	(1.31)	(10.21)
31 मार्च 2024 को	**22.48**	**646.89**	**121.98**	**8.30**	**52.59**	**117.46**	**969.71**
अभिवर्धन	28.95	-	1.71	9.85	8.21	13.01	61.73
निपटान/समायोजन	-	-	(0.17)	-	(2.83)	(2.10)	(5.10)
31 मार्च 2025 को	**51.43**	**646.89**	**123.52**	**18.15**	**57.97**	**128.37**	**1,026.34**
मूल्यह्रास और हानिकरण							
01 अप्रैल 2023 को	**18.35**	**294.25**	**103.83**	**11.56**	**36.51**	**75.48**	**539.99**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार हानिकरण	-	15.16	2.54	1.25	6.46	9.11	34.52
निपटान/समायोजन	-	-	(0.25)	(7.51)	(0.64)	(1.29)	(9.69)
31 मार्च 2024 को	**18.35**	**309.41**	**106.12**	**5.30**	**42.33**	**83.30**	**564.82**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार हानिकरण	-	14.68	1.59	0.99	5.49	26.75	49.50
निपटान/समायोजन	-	-	(0.10)	-	(2.36)	(1.75)	(4.21)
31 मार्च 2025 को	**18.35**	**324.09**	**107.61**	**6.29**	**45.46**	**108.30**	**610.11**
निवल बुक मूल्य							
31 मार्च 2025 को	**33.07**	**322.80**	**15.92**	**11.86**	**12.51**	**20.07**	**416.23**
31 मार्च 2024 को	**4.12**	**337.48**	**15.87**	**3.00**	**10.26**	**34.16**	**404.89**

टिप्पणी 3.1 : कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्दिश्ट स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास / परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तदनुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधन बाकी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

टिप्पणी 3.2 : भवनों में लीज़होल्ड और फ्रीहोल्ड दोनों भवन शामिल हैं। पट्टे वाले भवनों में, स्वामित्व/उप–पट्टे का अंतरण लंबित रहते, उप–पट्टे पर खरीदा गया, स्कोप मीनार भवन स्थित परिसर शामिल है। इसके अलावा मुंबई में खरीदे गए दो फ्लैटों का औपचारिक विलेख म्हाडा और आवास समिति के बीच निष्पादित किया जाना है।

टिप्पणीः– 3.3 : ऐसी संपत्ति का विवरण जो कंपनी के नाम नहीं है, का विवरण निम्नानुसार हैः–

	संपत्ति के मदों का विवरण	सकल वहन मूल्य	कंपनी के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक/प्रमोटार/निदेशक का प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकण (पीपीई)	**कोर 1व 2, 14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092 में स्थित भवन**	541.49	लोक उद्यमों की स्थायी समिति	लागू नहीं	17-06-2005	**उपर्युक्त 3.2 का संदर्भ लें**
संपत्ति, संयंत्र और उपकण (पीपीई)	**एनएसएफडीसी, ओशीवाड़ा एमएचएडीए काम्प्लेक्स भवन नं. 5, फ्लेट नं. 02 और 04, आजाद नगर, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई–400053**	47.09	एमएचएडीए	लागू नहीं	25.06.1997	**उपर्युक्त 3.2 का संदर्भ लें**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

4 विनिधान संपत्ति

(रु. लाख में)

विवरण	भवन	कुल
लागत या मानित लागत		
01 अप्रैल, 2023 को	**46.50**	**46.50**
अभिवर्धन	-	-
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 को	**46.50**	**46.50**
अभिवर्धन	-	-
निपटान / समायोजन	-	-
31 मार्च, 2025 को	**46.50**	**46.50**
मूल्यह्रास और हानिकरण		
01 अप्रैल, 2023 को	**34.87**	**34.87**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-
हानिकरण	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 को	**34.87**	**34.87**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-
हानिकरण	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2025 को	**34.87**	**34.87**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च, 2025 को	**11.63**	**11.63**
31 मार्च, 2024 को	**11.63**	**11.63**

टिप्पणी 4.1 : कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्दिश्ट स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तदनुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधित/बाकी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

टिप्पणी :– 4.2 संपत्ति के विनिवेश संपत्ति का मूल्य निरधारण

भाग ''क'' का मूल्य निर्धारण

कारपेट एरिया	328.39 वर्ग मीटर
कार्यालय स्थान के लिए दिनांक 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट	रु.77000/वर्ग मीटर
रु.77000 की दर पर भाग 'क' कार्यलय स्थान का मूल्य	2,52,86,030.00
बाजार मूल्य	रु.1,50,000.00
भाग 'क' का बाजार मूल्य	4,92,58,500.00
यह चौथी मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर फ्लाईओवर के सामने है अतः @ 20 प्रतिशत की दर पर कटौती	98,51,700.00
	रु.3,94,06,800.00
भाग ''क'' का उचित बाजार मूल्य	**रु.394.06 लाख**

भाग ''ख'' का मूल्य निर्धारण

कारपेट एरिया	57.704 वर्ग मीटर
कार्यालय स्थान के लिए दिनांक 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट	रु.77000/वर्ग मीटर
रु.77000 की दर पर भाग 'क' कार्यलय स्थान का मूल्य	44,43,208.00
बाजार मूल्य	रु.1,50,000.00
भाग 'ख' का बाजार मूल्य	86,55,600.00
यह चौथी मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर फ्लाईओवर के सामने है अतः @ 20 प्रतिशत की दर पर कटौती	17,31,120.00
	69,24,480.00
जोड़ें: मूल्यह्रास को समायोजित करने के उपरांत लकड़ी के विभाजक और अन्य लकड़ी के कार्य	1,00,000.00
	रु. 70,24,480.00
भाग 'ख' का उचित बाजार मूल्य	**रु.70.24 लाख**
संपत्ति का उचित बाजार मूल्य (क+ख)	**रु.464.30 लाख**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हुए कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) अधिनियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर उचित मूल्य का निर्धारण।

टिप्पणीः– 4.3: भारतीय लेखा मानक 40 निवेशित संपत्ति के अनुसार लाभ और हानि में मान्यता प्रदान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) निवेशित संपत्ति के किराए से प्राप्त आय 19.17 लाख रु. (पिछले वर्ष रु.19.17 लाख) है;
(ii) निवेश संपत्ति से उत्पन्न प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित) जिससे इस अवधि के दौरान किराये से सृजित आय 1.84 लाख रुपये (पिछले वर्ष रुपये1. 83 लाख) है और
(iii) निवेश संपत्ति से उत्पन्न प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित) जो इस अवधि के दौरान किराये की आय सृजित नहीं करता है, वह 0. 71 लाख रुपये (पिछले वर्ष रुपये 0.70 लाख) है।

5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	**कंप्यूटर सोफ्टवेयर**	**कुल**
लागत या मानित लागत		
01 अप्रैल, 2023 को	**33.59**	**33.59**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च, 2024 को	**33.59**	**33.59**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	2.00	2.00
समायोजन	-	-
31 मार्च, 2025 को	**35.59**	**35.59**
परिशोधन और हानिकरण		
01 अप्रैल, 2023 को	**32.44**	**32.44**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.60	0.60
वर्ष के दौरान हानिकरण	-	-
31 मार्च, 2024 को	**33.04**	**33.04**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.57	0.57
वर्ष के दौरान हानिकरण	-	-
31 मार्च, 2025 को	**33.61**	**33.61**
निवल कैरिंग मूल्य		
31 मार्च, 2025 को	**1.98**	**1.98**
31 मार्च, 2024 को	**0.55**	**0.55**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

6 वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

ऋणों को गैर–चालू भाग, 'गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ऋणों को चालू भाग'–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण' के अतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(रु. लाख में)

I क.	**ऋण (प्रतिभूत–अच्छा समझा गया)**						
i)	**मियादी ऋण संवितरण (संदर्भ टिप्पणी सं. 6.1)**	6,75,577.26		6,75,577.26	6,30,553.76		6,30,553.76
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(83,810.33)		(83,810.33)	(82,535.05)		(82,535.05)
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(4,07,937.64)		(4,07,937.64)	(3,64,066.13)		(3,64,066.13)
	घटाएं : चालू भाग	(82,229.60)	82,229.60	-	(78,463.51)	78,463.51	-
		1,01,599.69	**82,229.60**	**1,83,829.29**	**1,05,489.07**	**78,463.51**	**1,83,952.58**
ii)	**लघु ऋण वित्त संवितरण**	77,667.87		77,667.87	73,386.60		73,386.60
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(13,945.83)		(13,945.83)	(13,695.83)		(13,695.83)
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(56,747.08)		(56,747.08)	(54,928.85)		(54,928.85)
	घटाएं : चालू भाग	(4,395.91)	4,395.91	-	(3,236.20)	3,236.20	-
		2,579.05	**4,395.91**	**6,974.96**	**1,525.72**	**3,236.20**	**4,761.92**
iii)	**महिला समृद्धि योजना संवितरण**	99,559.77		99,559.77	93,140.37		93,140.37
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(13,327.13)		(13,327.13)	(13,172.63)		(13,172.63)
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(75,736.32)		(75,736.32)	(69,807.29)		(69,807.29)
	घटाएं : चालू भाग	(6,032.27)	6,032.27	-	(5,852.79)	5,852.79	-
		4,464.05	**6,032.27**	**10,496.32**	**4,307.66**	**5,852.79**	**10,160.45**
iv)	**महिला किसान योजना संवितरण**	1,358.70		1,358.70	1,358.70		1,358.70
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(564.27)		(564.27)	(564.27)		(564.27)
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(756.24)		(756.24)	(714.92)		(714.92)
	घटाएं : चालू भाग	(17.45)	17.45	-	(59.71)	59.71	-
		20.74	**17.45**	**38.19**	**19.80**	**59.71**	**79.51**
v)	**शिल्पी समृद्धि योजना संवितरण**	480.65		480.65	480.65		480.65
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(260.24)		(260.24)	(260.24)		(260.24)
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(209.30)		(209.30)	(195.36)		(195.36)
	घटाएं : चालू भाग	(11.11)	11.11	-	(16.78)	16.78	-
		-0.00	**11.11**	**11.11**	**8.27**	**16.78**	**25.05**
vi)	**शिक्षा ऋण योजना संवितरण**	9,573.78		9,573.78	8,402.97		8,402.97
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(671.88)		(671.88)	(630.46)		(630.46)
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(4,717.87)		(4,717.87)	(4,136.99)		(4,136.99)
	घटाएं : चालू भाग	(1,648.62)	1,648.62	-	(1,506.21)	1,506.21	-
		2,535.41	**1,648.62**	**4,184.03**	**2,129.31**	**1,506.21**	**3,635.52**
vii)	**वीईटीएलएस**	568.27		568.27	568.27		568.27
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	-		-	-		-
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(500.77)		(500.77)	(397.27)		(397.27)
	घटाएं : चालू भाग	(67.50)	67.50	-	(103.50)	103.50	-
		-	**67.50**	**67.50**	**67.50**	**103.50**	**171.00**
viii)	**एएमवाई**	6,625.96	-	6,625.96	6,625.96	-	6,625.96
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(330.00)	-	(330.00)	-	-	-
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(5,590.89)	-	(5,590.89)	(2,277.54)	-	(2,277.54)
	घटाएं : चालू भाग	(705.07)	705.07	(0.00)	(3,532.02)	3,532.02	(0.00)
		-	**705.07**	**705.07**	**816.40**	**3,532.02**	**4,348.42**
				-			-
ix)	**एम.ए.वाई.संवितरण ***	2,380.65		2,380.65	2,380.65		2,380.65
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(514.08)	-	(514.08)	(85.59)	-	(85.59)
	घटाएं : चालू भाग	(490.21)	490.21	-	(255.45)	255.45	-
		1,376.36	**490.21**	**1,866.57**	**2,039.61**	**255.45**	**2,295.06**
				-			-
x)	**यूएनवाई. संवितरण ***	17,589.04		17,589.04	12,589.04		12,589.04
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	-		-	-		-
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(6,755.04)		(6,755.04)	(2,755.04)		(2,755.04)
	घटाएं : चालू भाग	(5,428.57)	5,428.57		(4,000.00)	4,000.00	
		5,405.43	**5,428.57**	**10,834.00**	**5,834.00**	**4,000.00**	**9,834.00**
		1,17,980.73	**1,01,026.31**	**2,19,007.04**	**1,22,237.34**	**97,026.17**	**2,19,263.51**

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर–चालू	चालू		गैर–चालू	चालू	
1 ख ऋण (प्रतिभूत–अच्छा समझा गया)						
xi) स्टॉफ अग्रिम	210.67	107.73	318.40	221.44	99.02	320.46
कुल : 1ख	**210.67**	**107.73**	**318.40**	**221.44**	**99.02**	**320.46**
' एफडीआर, पीडीसी के लियन के विरुद्ध में			-			-
1 ग ऐसी ऋण प्राप्तियां जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है			-			-
(i) **मियादी ऋण संवितरण**	-		-	605.65		605.65
घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया			-			-
घटाएं : पुनर्भुगतान			-			-
घटाएं : चालू भाग			-			-
	-	-	-	605.65	-	605.65
(ii) **लघु ऋण वित्त संवितरण**	-		-	16.00		16.00
घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया			-			-
घटाएं : पुनर्भुगतान			-			-
घटाएं : चालू भाग			-			-
	-	**-**	**-**	**16.00**	**-**	**16.00**
(iii) **महिला समृद्धि योजना संवितरण**	-		-	95.00		95.00
घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया			-			-
घटाएं : पुनर्भुगतान			-			-
घटाएं : चालू भाग			-			-
	-	**-**	**-**	**95.00**	**-**	**95.00**
कुल : 1ग	**-**	-	-	**716.65**	-	716.65
घटाएं – अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता (टिप्पणी 28 और 32 देखें)	**-**		-	(716.65)		(716.65)
कुलः 1क+1ख+1ग	**1,18,191.40**	**1,01,134.04**	**2,19,325.44**	**1,22,458.78**	**97,125.19**	**2,19,583.97**

6.1 वर्ष के विवरण

विवरण	प्रारंभिक शेष	संवितरण	पुनर्भुगतान	वापसी/वापस मंगाया	अंतः शेष
	01.04.2024	2024-25	2024-25	2024-25	31.03.2025
मियादी ऋण (टीएल)	1,84,558.23	44,417.85	43,871.51	1,275.27	1,83,829.30
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ)	4,777.92	4,265.26	1,818.23	250.00	6,974.95
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	10,255.45	6,324.40	5,929.03	154.50	10,496.32
महिला किसान योजना (एमकेवाई)	79.52	-	41.32	-	38.20
शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई)	25.05	-	13.94	-	11.11
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	3,635.52	1,170.80	580.88	41.42	4,184.03
वीईटीएलएस	171.00	-	103.50	-	67.50
आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई)	4,348.41	-	3,313.35	330.00	705.06
महिला अधिकारिता योजना	2,295.06	-	428.49	-	1,866.57
यूएनवाई	9,834.00	5,000.00	4,000.00	-	10,834.00
कुल	**2,19,980.16**	**61,178.31**	**60,100.25**	**2,051.20**	**2,19,007.03**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**2,05,215.97**	**71,445.37**	**53,712.44**	**2,968.73**	**2,19,980.16**

6.1 (क) : वर्तमान ऋण वह ऋण राशि हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत तक अगले 12 महीनों के दौरान प्राप्ति योग्य हैं।

6.1 (ख) : एमआरसीडी/मध्यस्था कार्यवाहियों की स्थिति निम्नानुसार है:

(क) : मणिपुर राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (एमएसटीसीबी): मध्यस्थ ने एनएसएफडीसी के पक्ष में निर्णय पारित किया और 'एमएसटीसीबी को रु.1.53 करोड़ (मूलधन और ब्याज सहित) की राशि, दावे की तिथि से प्रतिवादी द्वारा वसूली की तिथि तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित, अदा करने का निर्देश दिया। एनएसएफडीसी ने जिला न्यायाधीश, इंफाल, मणिपुर की अदालत में निष्पादन वाद दायर किया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार, दायर निष्पादन याचिका खारिज कर दी गई। एएमआरसीडी के मद्देनजर, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, लेखा अवधि के दौरान सामान्य ब्याज को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) : बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम (बीएससीडीसी): एएमआरसीडी के दिनांक 27.08.2025 के निर्देश के अनुसार रु.716.65 लाखे का मूल बकाया प्राप्त हुआ है, प्रावधान को वापस लिख दिया गया है तथा आय और व्यय खाते में रु.7,38,57,188/– (रु.7,16,65,056.00 मूलधन तथा रु.21,92,132.00 ब्याज) के रूप में दर्शाया गया है।

(ग) : झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड : एएमआरसीडी के दिनांक 10.02.2025 के निर्देशानुसार, रु.542.00 लाख की देय राशि का भुगतान दिनांक 02.04.2025 को पूर्ण रूप से कर दिया गया है और दिनांक 19.11.2024 तक खातों का एकमुश्त निपटान कर दिया गया है। बोर्ड ने दिनांक 06.06.2025 के कार्यवृत्त के माध्यम से तदनुसार अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(घ) : एएमआरसीडी के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड, गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम और छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के बकाया पर विचार किया जा रहा है।

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर–चालू

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रतिभूत – अच्छा माना गया		
प्राप्त करने योग्य ब्याज, किंतु देय नहीं	7.11	8.83
अप्रतिभूत – अच्छा माना गया		
प्रतिभूत जमा	5.84	21.15
ऐसी प्राप्तियां जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।		
जमा वसूली योग्य (संदिग्ध)	1,539.99	1,539.99
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ता **(टिप्पणी संख्या 30.3 का संदर्भ लें)**	(1,539.99)	(1,539.99)
कुल	**12.95**	**29.98**

8 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
कार्मिकों हेतु पूर्व प्रदत्त व्यय (टिप्पणी 8.1 का संदर्भ लें)	38.68	47.34
	38.68	**47.34**

8.1 पूर्व प्रदत्त व्यय में कार्मिक ऋण और अग्रिम के गैर–परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता या दिए गए ऋण पर पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का रु.38.68 लाख (वर्ष 2023–24 के लिए रु.47.34 लाख) शामिल हैं।

9 नकद और नकद समकक्ष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में शेष राशि		
– सक्रिय बैंक खाता	5,671.33	2,702.20
– अनुदान निधि खाता	5,843.25	4,564.37
– अव्यवित सीएसआर निधि खाता	40.99	58.66
कुल	**11,555.57**	**7,325.24**

10 नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
अन्य बैंक शेष		
विशेष आरक्षित निधि की एफडीआर	8,997.49	6,617.62
कुल	**8,997.49**	**6,617.62**

11 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
i)	**प्राप्तियोग्य ब्याज**	3,023.05	4,344.53
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ता (टिप्पणी संख्या 11.1 और 30 का संदर्भ लें)	-	(918.10)
		3,023.05	**3,426.43**
ii)	**अन्य**		
	बचत बैंक खाते पर प्राप्तव्य ब्याज	-	0.04
	विशेष आरक्षित निधि पर प्राप्तव्य, परंतु अदेय ब्याज	334.94	232.40
	प्राप्तव्य किराया	-0.00	2.70
	प्राप्तव्य राशि	118.46	327.71
	कुल	**3,476.45**	**3,989.27**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

11.1 वर्ष के दौरान, एएमआरसीडी के दिनांक 27.08.2025 के निर्णय के अनुसार बीएससीडीसी से बकाया राशि का निपटान कर दिया गया है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ब्याज (पिछले वर्ष रु.59.53 लाख) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्तए प्राप्त रु.738.57 लाख में से रु.21.92 लाखे ब्याज के रूप में समायोजित कर दिए गए हैं।

12 चालू कर परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्राप्तव्य स्रोत पर कर की कटौती	15.75	15.75
कुल	**15.75**	**15.75**

13 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 3ार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अग्रिम		
स्टाफ को अग्रिम	2.76	6.28
पार्टियों को अग्रिम	38.33	57.90
अन्य		
पूर्व–प्रदत्त खर्चे	15.68	13.32
कुल	**56.77**	**77.50**

13.1 पूर्व प्रदत्त व्यय में कार्मिक ऋण और अग्रिम के गैर–परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता या दिए गए ऋण पर पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का रु.9.44 लाख (वर्ष 2023–24 के लिए रु.10.04 लाख) शामिल हैं।

14 शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति रु. 1000 के 1,80,00,000 इक्विटी शेयर (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार : प्रति रु.1000 के 1,80,00,000 इक्विटी शेयर)।	1,80,000	1,80,000
जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
प्रति रु. 1000 के 1,51,50,000 इक्विटी शेयर जो 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार प्रति रु. 1000 के 1,51,50,000 इक्विटी शेयर हैं।	1,51,500	1,51,500
	1,51,500	**1,51,500**

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 02.02.2024 को अधिकृत शेयर पूंजी को रु.300 करोड़ तक बढ़ाने की मंजूरी दी।

14.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का सामंजस्य

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या लाख में	राशि (रु.लाख में)	शेयरों की संख्या लाख में	राशि (रु.लाख में)
वर्ष के आरंभ में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	151.50	151500.00	150.00	150000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के आरंभ में पुनःनिर्धारित शेष राशि	151.50	151500.00	150.00	150000.00
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	1.50	1,500.00
वर्ष के अंत में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	**151.50**	**1,51,500.00**	**151.50**	**1,51,500.00**

इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें और अधिकार

निगम के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जो रु.1,000 प्रति शेयर के सममूल्य वाले हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के हकधार है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, इसलिए कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान योग्य नहीं है।

14.2 कंपनी में कुल मिलाकर 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या लाख में	धारिता का %	शेयरों की संख्या लाख में	धारिता का %
इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति	151.50	100%	151.50	100%
	151.50	**100.00%**	**151.50**	**100.00%**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

14.3 प्रमोटर की शेयरधारिता का ब्यौरा

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		
	शेयरों की संख्या लाख में	कुल शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन %	शेयरों की संख्या लाख में	कुल शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन %
भारत के राष्ट्रपति	151.50	100.00%	शून्य	151.50	100.00%	शून्य

15 अन्य इक्विटी

(रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
अन्य आरक्षित		
विशेष आरक्षित	10,257.47	8,996.85
सामान्य आरक्षित	74,700.61	68,974.23
	84,958.08	**77,971.07**

15.1 विशेष आरक्षित

(रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	8,996.85	7,974.18
जोड़े : विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	623.59	552.08
जोड़े : प्रतिधारित आय से अंतरित	637.03	470.58
अंतःशेष	**10,257.47**	**8,996.85**

15.2 सामान्य आरक्षित

(रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	68,974.23	64,718.09
घटाएं : पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	5.16
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष का दहराव	68,974.23	64,712.93
जोड़े : प्रतिधारित आय से अंतरण	5,726.38	4,261.29
अंतः शेष	**74,700.61**	**68,974.23**

15.3 प्रतिधारित आय

(रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	-	-
जोड़े : आय और व्यय खाते से अंतरित	6,370.34	4,705.83
घटाएं : विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज विशेष आरक्षित में अंतरित	-	-
जोंड़े : पूर्वावधि समायोजन (निवल)	-	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश के ब्याज से आय पर विचार करने से पूर्व आय एवं व्यय	**6,370.34**	**4,705.83**
घटाएं : विशेष आरक्षित निधि में अंतरित 10 प्रतिशत	637.03	470.58
जोड़े : निर्धारित लाभा दायित्व की अस्वीकृति से उत्पन्न होने वाली व्यापक आय	(6.93)	26.05
बकाया साधारण आरक्षित में अंतरित शेष	5,726.38	4,261.29
अंतःशेष	**-**	**-**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

16 चालू और गैर–चालू प्रावधान (रु.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर–चालू	चालू		गैर–चालू	चालू	
i) कर्मचारी हितों के लिए प्रावधान						
–छुट्टी लाभ	546.98	78.05	**625.03**	512.41	81.67	**594.08**
–कार्य निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	-	448.66	**448.66**	-	396.23	**396.23**
–उपदान (निवल)	-	115.11	**115.11**	-	65.76	**65.76**
ii) अन्य प्रावधान						
–एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	-	110.00	**110.00**	-	195.09	**195.09**
–सीएसआर के लिए प्रावधान	-	12.42	**12.42**	-	27.80	**27.80**
कुल	**546.98**	**764.24**	**1,311.22**	**512.41**	**766.55**	**1,278.96**

16.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अगले 12 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से संबंधित धनराशि चालू प्रावधान के रूप में ली गई है।

16.2 प्रावधानों के ब्यौरे

विवरण	01 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2024–25 के दौरान अभिवर्धन	वर्ष 2024–25 के दौरान उपयोग/भुगतान	2024–25 के दौरान वापस लिया	वर्ष के दौरान प्रावधान सेट–ऑफ	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार
छुट्टी लाभ	594.08	111.56	80.61	-	-	625.03
पीआरपी के लिए प्रावधान	396.23	243.64	150.67	40.54	-	448.66
एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	195.09	50.00	0.09	135.00	-	110.00
सीएसआर के लिए प्रावधान	27.80	-	15.38	-	-	12.42
कुल	**1,213.20**	**405.20**	**246.76**	**175.54**	**-**	**1,196.11**
विगत वर्ष के आंकड़े	**1,207.74**	**424.23**	**418.77**	**-**	**-**	**1,213.20**

16.3 भारतीय लेखा मानक–19 बीमांकिक मूल्यांकन (उपदान, छुट्टी लाभ) के अनुसार प्रकटीकरण

आय और व्यय विवरण तथा तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि छुट्टी लाभों तथा उपदान के परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति, वित्त पोषित स्थिति के साथ निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)
(I) बीमांकिक का मुख्य अनुमान				
मृत्यु दर	**आईएएलएम (2012-14)**		**आईएएलएम (2012-14)**	
एट्रीशन दर				
30 वर्षों तक	5%	5%	5%	5%
31 से 44 वर्ष	5%	5%	5%	5%
44 वर्ष से अधिक	5%	5%	5%	5%
बट्टा दर	6.78	6.78	7.23	7.23
वेतन में वृद्धि (वार्षिक)	6.00	6.00	6.00	6.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर लाभ की दर (वार्षिक)				
शेष कार्यकाल			11.15 Years	
(II) देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	961.59	594.08	901.41	544.34
ब्याज लागत	69.52	42.95	65.98	39.84
चालू सेवा लागत	37.66	26.83	36.29	24.81
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	
प्रदत्त लाभ (यदि कोई हो)	(78.52)	(80.61)	(21.28)	(47.81)
बामांकिक लाभ/हानि (यदि कोई हो)	7.31	41.79	(20.81)	32.90
अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**997.57**	**625.03**	**961.59**	**594.08**
(III) तुलन पत्र में मान्यता दी जाने वाली राशि				
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-	895.83	-
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार देयताओं का वर्तमान मूल्य	997.57	625.03	961.59	594.08
तुलन पत्र में मान्यता दी गई निवल परिसंपत्ति /(देयता)	**(997.57)**	**(625.03)**	**(65.76)**	**(594.08)**

(IV) आय और व्यय विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय				
चालू सेवा लागत	37.66	26.83	36.29	24.81
पूर्व सेवा लागत				
निवल ब्याज लागत	69.52	42.95	5.99	39.84
बीमांकिक (लाभ)/हानि	7.31	41.79		32.90
आय और व्यय विवरणी में मान्यता दी गई निवल लागत	**114.50**	**111.56**	**42.28**	**97.55**
(V) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :				
अवधि के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	895.83	-	819.63	-
योजनागत परियंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	65.15	-	65.23	-
अंशदान	-	-	32.24	-
प्रदत्त लाभ	(78.52)	-	(21.27)	-
योजनागत परिसंपत्तियों का बीमांकित लाभ/(हानि)	-		-	
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**882.47**	**-**	**895.83**	**-**
(VI) अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए जाने वाले बीमांकिक लाभ/(हानि) :	(6.93)	-	26.05	-
	(6.93)	**-**	**26.05**	**-**

संवेदनशीलता का विश्लेषण :

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

निम्नलिखित में परिवर्तन	**अनुमानों में परिवर्तन**	**31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार**	
		उपदान देयता का प्रभाव	**छूट्टी नकदीकरण पर प्रभाव**
बट्टा दर	वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	997.57	625.03
	0.50 प्रतिशत वृद्धि के कारण का प्रभाव	(19.29)	(13.20)
	0.50 प्रतिशत कमी के कारण का प्रभाव	20.03	13.72
वेतन वृद्धि दर	वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	997.57	625.03
	0.50 प्रतिशत वृद्धि के कारण का प्रभाव	20.09	13.77
	0.50 प्रतिशत कमी के कारण का प्रभाव	(19.51)	(13.31)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

निम्नलिखित में परिवर्तन	**अनुमानों में परिवर्तन**	**31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार**	
		उपदान देयता का प्रभाव	**छूट्टी नकदीकरण पर प्रभाव**
बट्टा दर	वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	961.59	594.08
	0.50 प्रतिशत वृद्धि के कारण का प्रभाव	(19.48)	(13.14)
	0.50 प्रतिशत कमी के कारण का प्रभाव	20.23	13.61
वेतन वृद्धि दर	वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	961.59	594.08
	0.50 प्रतिशत वृद्धि के कारण का प्रभाव	20.38	13.73
	0.50 प्रतिशत कमी के कारण का प्रभाव	(19.80)	(13.29)

मृत्यु दर और आहरणों के कारण संवेदनशीताएं महत्वपूर्ण नहीं और इसलिए परिवर्तनों के प्रभाव का परिकलन नहीं किया गया है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के बारें में संवेदनशीलताएं सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती।

परिभाषित लाभ देयता की परिपक्वता की रुपरेखा

		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		**31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार**	
		उपदान (वित्तपोषित)	**छूट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)**	**उपदान (वित्तपोषित)**	**छूट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)**
	वर्ष	**राशि**	**राशि**	**राशि**	**राशि**
i	0 से 1 वर्ष	113.92	78.05	128.25	81.66
ii	1 से 2 वर्ष	121.55	74.15	96.95	64.59
iii	2 से 3 वर्ष	173.50	127.66	102.92	60.89
iv	3 से 4 वर्ष	141.82	76.60	154.10	108.81
v	4 से 5 वर्ष	154.69	90.38	122.14	62.61
vi	5 से 6 वर्ष	94.46	48.17	132.44	73.43
vii	6 वर्ष से अधिक	197.62	130.02	224.78	142.09

17 वित्तीय देयताएं

17.1 ऋण देयताएं

(रु.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
बीओबी से ऋण	-	2,500.00
कुल	**-**	**2,500.00**

17.2 अन्य

(रु.लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
	निम्नलिखित के प्रति सहायता अनुदान :		
(ia)	सीड अनुदान	749.12	600.00
	पीएम दक्ष सीएनए खाता	4,025.89	2,145.13
	यूजीसी अनुदान योजना	411.11	1,319.40
	डीएपीएससी	-	-
	विश्वास योजना (3886) एमओएसजेएंडई	548.84	-
	कौशल प्रशिक्षण के लिए अनुदान (एमओएसजेएंडई)(9496) (टिप्पणी :17.3 देखें)	0.13	205.99
	वस्त्र मंत्रालय से अनुदान	9.68	9.68
(b)	भारत सरकार को देय अनुदान पर ब्याज	17.29	58.09
(ii)	अन्य संगठनों से अनुदान	30.65	29.64
	बीपीसीएल सीएसआर	0.54	0.47
(iii)	प्राप्त हुई प्रतिभूति जमा	4.05	4.70
(iv)	देय ईएमडी	8.32	13.63
(v)	विविध लेनदार	194.93	129.03
(vi)	बकाया व्यय	34.53	159.15
(vii)	अन्य देय	28.44	87.72
	कुल	**6,063.52**	**4,762.63**

17.3 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार उपलब्ध अनुदानों को राज्स्व अनुदानों के रूप में मान्यता दी जाती है और अव्ययित शेष को चालू देयताओं के रूप में दर्शाश जाता है। कंपनी ने अनुदान की मान्यता के लिए आय दृष्टिकोण का पालन किया है। अनुदान संबंधी व्यय और प्राप्तियों को आय और व्यय खाते के माध्यम से मान्यता दी जाती है। प्रशिक्षण अनुदानों और आर्थिक सहायता के ब्यौरे वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान प्राप्त, वापस किए गए, निर्मुक्त किए गए और 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार शेष राशि निम्नलिखित है:–

(रु.लाख में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्ति/प्राप्य	वर्ष 2024–25 के दौरान ब्याज आय	वर्ष 2024–25 के वापसी	वर्ष 2024–25 के दौरान मान्यता प्राप्त (निर्मुक्ति)	भारत सरकार को वापस किया गया/वापसी योग्य ब्याज *	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार जमा शेष
1	पीएम दक्ष सीएनए खाता *	2,145.13	3,632.00	29.13	-	1,751.23	29.13	4,025.90
2	एलएफएससी अनुदान (एमओएसजेई–सीएनए)*	1,319.40	20,982.45	39.58	-	21,890.74	39.58	411.11
3	डीएपीएससी सीएनए (एजेएस एंड वाईईएस	-	-	6.10	168.60	-168.60	6.10	-
4	विश्वास योजना (3886) एमओएसजेएंडई	0.00	1,149.00	0.10	-	600.16	0.10	548.84
5	सीड अनुदान योजना	600.00	785.00	41.55	-	635.87	41.55	749.13
6	कौशल प्रशिक्षण अनुदान (9496) एमओएसजेएंडई	205.99	-	7.51	205.86	-	7.51	0.13
7	वस्त्र अनुदान	9.67	-	0.07	-	-	0.07	9.67
8	रिसोर्स लिंकेज प्रोग्राम II	-						-
	(i) आरएलपी–बीपीसीएल	0.47	-	0.07	-	-	-	0.54
	(ii) आरएलपी–अन्य पीएसयू	29.64	-	1.00	-	-	-	30.64
	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार शेष	**4,310.30**	**26,548.45**	**125.11**	**374.46**	**24,709.40**	**124.04**	**5,775.96**
	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार शेष	**13,605.84**	**24,721.99**	**765.59**	**15,336.93**	**18,681.52**	**764.67**	**4,310.30**

*** वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान भारत सरकार को वापस की गई राशि शामिल है।**

18 अन्य चालू देयताएं

(रु.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देय राशियां	76.12	91.07
कुल	**76.12**	**91.07**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

19 प्रचालनों से प्राप्त राजस्व **(रु. लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
(I) राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/अन्यों को दिए गए ऋण पर ब्याज		
(क) मियादी ऋण (टीएल) पर ब्याज	6,165.34	5,798.38
(ख) लघु ऋण वित्त (एमसीएफ) पर ब्याज	101.54	105.73
(ग) महिला किसान योजना (एमकेवाई) पर ब्याज	0.99	1.65
(घ) महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) पर ब्याज	130.85	113.55
(ड.) शिल्पी महिला समृद्धि योजना (एसएसवाई) पर ब्याज	0.33	0.67
(च) शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) पर ब्याज	67.98	49.07
(छ) व्यावसयिक शिक्षा प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) पर ब्याज	1.79	3.24
(ज) उद्यम निधि योजना (यूएनवाई) पर ब्याज	343.11	310.93
(झ) आजीविका माइक्रोंफाइनेंस योजना (एएमवाई) पर ब्याज	141.15	146.50
(ट) महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई) पर प्राप्त ब्याज	53.69	41.63
(ठ) वापसी पर ब्याज (टिप्पणी :19.1 देखें)	36.49	1.11
(II) अन्य प्रचालन से राजस्व		
(क) विसवास ब्याज अनुदान योजना के तहत प्रशासनिक एवं मॉनीटरिंग शुल्क (टिप्पणी :19.2 देखें)	97.11	-
(ख) पीएम दक्ष योजना के तहत मॉनीटरिंग शुल्क (टिप्पणी : 19.3 देखें)	17.31	16.13
(ग) अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के तहत कार्यान्वयन शुल्क (टिप्पणी : 19.4 देखें)	217.72	200.03
(घ) सीड योजना के तहत कार्यान्वयन शुल्क (टिप्पणी : 19.5 देखें)	72.50	-
(ड) अमृत जलधारा योजना (एजेएस) और युवा उद्यम योजना (वाईईएस) के तहत मॉनीटरिंग शुल्क	-	76.76
कुल	**7,447.90**	**6,865.38**

19.1 वर्ष 2024–25 के दौरान, एससीए से 36.49 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1.11 लाख रुपये) की वापसी पर ब्याज 2955.39 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 31.23 लाख रुपये) की वापसी राशि पर लगाया गया था।

मौजूदा ऋण नीति के अनुसार वापसी पर ब्याज निम्नानुसार लगाया जाता है:.

(i) एससीए के मामले में, जब संवितरण राशि पूरी तरह से वापस कर दी जाती है।

(ii) चैनलाइज़िंग एजेंसियों के मामले में :.

(क) निर्धारित समय अवधि के भीतर उपयोग नहीं की गई और वापस की गई धनराशि पर ब्याज 4 प्रतिशत प्रति वर्ष (पीएसबी और आरआरबी के मामले में 3 प्रतिशत) लागू होगा जो सीए से एनएसएफडीसी द्वारा ली जाने वाली सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त होगा और यह संवितरण की तारीख से वापसी की तारीख तक लागू होगा।

(ख) निर्धारित समय अवधि के भीतर भी सीए द्वारा अप्रयुक्त वापस की गई एनएसएफडीसी निधि पर ऊपर बताए अनुसार ही ब्याज लगेगा।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में, यदि संचयी निधि के उपयोग का स्तर पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 80 प्रतिशत या उससे अधिक है तो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को अप्रयुक्त निधियों पर उच्चतर ब्याज दर लगाने से छूट दी जाएगी।

(iii) एनबीएफसी–एमएफआई के मामले में, यदि विशेष योजना के अंतर्गत संचयी निधि के उपयोग का स्तर 80 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो सीए को वापसी पर ब्याज लगाने से छूट दी जाएगी।

19.2 वर्ष के दौरान, निगम वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना के अंतर्गत कुल ऋण अनुदान का 1 प्रति पाने का हकदार है।

19.3 वर्ष के दौरान पीएम–दक्ष योजना के कार्यान्वयन हेतु, निगम प्रशिक्षण लागत के 1 प्रतिशत की दर से मॉनीटरिंग शुल्क पाने का हकदार है।

19.4 वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप के अंतर्गत, निगम वितरित कुल फेलोशिप के 1 प्रतिशत की दर से कार्यान्वयन शुल्क पाने का हकदार है।

19.5 वर्ष के दौरान, एसईईडी योजना के अंतर्गत, निगम संस्थागत व्यय के अनुसार प्रति स्वयं सहायता समूह 10,000.00 रुपये पाने का हकदार है।

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

20 अन्य आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	54.97	-
बचत बैंक खातों पर ब्याज	711.18	666.70
कर्मचारियों और अन्य को दिए गए अग्रिम पर ब्याज **(टिप्पणी 20.1 देखें)**	39.79	35.59
ख) अन्य गैर–प्रचालन आय		
विविध प्राप्तियां	2.02	1.14
प्राप्त किराया	19.17	19.17
बट्टे खाते के लिए प्रावधान (टिप्पणी 20.2 का संदर्भ लें)	175.54	100.45
कुल	**1,002.67**	**823.05**

20.1 कार्मिक ऋण के उचित मूल्यांकन के कारण मान्यता प्राप्त आस्थगित व्यय के परिशोधन के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान रु.19.40 लाख (वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रु.12.68 लाख)।

20.2 रु.175.54 लाख का प्रावधान वापस लिया गया, जिसमें एससीए को रु.135.00 लाख का प्रोत्साहन और रु.40.54 लाख का पीआरपी प्रावधान शामिल है।

21 कर्मचारी हित लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, मजदूरी एवं लाभ : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक		
वेतन और भत्ते	22.41	52.37
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	0.11
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	0.61	-
बाह्य सेवा अंशदान	4.26	10.07
	27.28	**62.55**
ख) वेतन, मजदूरी एवं लाभ : कर्मचारी		
वेतन और भत्ते	1,309.06	1,298.13
छुट्टी लाभ	110.73	97.55
एलटीसी नकदीकरण	0.62	0.05
एलटीसी व्यय	6.47	1.94
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	79.84	44.71
समयोपरि भत्ता	1.39	1.07
व्यावसायिक सदस्यता शुल्क	0.06	0.10
पीआरपी	243.64	205.02
इंटर्नशिप व्यय	3.12	2.95
	1,754.93	**1,651.52**
ग) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
पीएफ/जीएसएलआईएस में निगम का योगदान	101.68	98.15
पेंशन में निगम का योगदान	7.84	9.66
पीएफ प्रशासनिक व्यय	4.61	4.53
उपदान	42.42	40.98
चिकित्सा (सेवानिवृत्त)	27.32	26.96
पेंशन (सेवानिवृत्त)	91.69	89.86
	275.56	**270.14**
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	10.69	7.23
	10.69	**7.23**
ड) ऋणों और अग्रिमों पर कर्मचारी लाभ व्यय	19.40	12.68
कुल	**2,087.87**	**2,004.12**

21.1 वित्त लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण पर ब्याज	6.22	62.06
कुल	**6.22**	**62.06**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

22 मूल्यह्रास और परिशोधन लागतें

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (**टिप्पणी : 3 और 4 का संदर्भ लें**)	49.49	34.06
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (**टिप्पणी : 5 का संदर्भ लें**)	0.57	0.61
कुल	**50.06**	**34.67**

23 राज्य चैनलाइजिंग एजेसियों को प्रोत्साहन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
एससीए–एनएपीई को प्रोत्साहन	-	45.00
एससीए–आईएसओसीए को प्रोत्साहन	50.00	60.00
	50.00	**105.00**

24 अन्य व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक शुल्क	0.02	0.01
व्यावसायिक प्रचार व्यय	10.22	3.62
कंप्यूटर और वेबसाइट व्यय	13.61	5.44
निगम सदस्यता शुल्क	1.53	1.89
निदेशक/बोर्ड बैठक व्यय	6.40	2.06
बिजली शुल्क	22.64	20.44
बीमा शुल्क	3.95	4.80
कानूनी और व्यावसायिक परामर्श व्यय	15.75	11.20
मीडिया ऑडियो विजुअल प्रकाशन/सम्मेलन/सेमिनार	44.31	186.99
कार्यालय इमारत व्यय	61.65	53.08
कार्यालय व्यय **(टिप्पणी :24.2 का संदर्भ लें)**	82.53	77.33
कार्यालय किराया	5.01	3.53
लेखापरीक्षकों को भुगतान **(टिप्पणी : 24.1 का संदर्भ लें)**	2.30	2.10
डाक, तार	0.61	0.60
मुद्रण और लेखन सामग्री	6.84	9.37
टेलीफोन एवं टेलेक्स	5.67	6.76
प्रशिक्षण व्यय – स्टॉफ	0.19	2.07
प्रशिक्षण व्यय – निदेशक	-	0.12
परिवहन व्यय	3.26	4.40
यात्रा व्यय – निदेशक	3.23	3.62
यात्रा व्यय – स्टॉफ	26.69	32.11
यात्रा व्यय – सलाहकार	0.83	0.63
वाहन व्यय	20.39	11.17
दरें एवं कर	2.88	7.56
संसदीय समिति व्यय	3.62	13.24
समाचार पत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	0.36	0.38
स्टॉफ भर्ती व्यय/आय	2.20	6.38
अनुदान के विरुद्ध प्रशासनिक व्यय	173.48	163.59
अनुदान व्यय	24,709.40	18,681.52
घटाएँ : अनुदान आय	-24,709.40	-18,681.52
कुल	**520.17**	**634.49**

24.1 लेखापरीक्षक पारिश्रमिक

लेखापरीक्षा के लिए	2.30	2.10
गत वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए	-	-
कराधान मामलों के लिए	-	-
कंपनी विधिक मामलों के लिए	-	-
प्रबंधकीय सेवाओं के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	-	-
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	-	-
कुल	**2.30**	**2.10**

24.2 वर्ष के दौरान, आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए साइबर अपराध के कारण 1,66,500 रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई तथा उसे कार्यालय व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया।

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

25 असाधारण मदें

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (निवल)	(0.07)	3.27
कुल	**(0.07)**	**3.27**

26 अन्य व्यापक आय के संघटक (ओसीआई)

इक्विटी में आरक्षण के प्रत्येक प्रकार द्वारा अन्य आय के परिवर्तनों को पृथकतः नीचे दर्शाया गया है:

(रु. लाख में)

विवरण	एफवीटीओसीआई 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	एफवीटीओसीआई 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सुनिश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन –उपदान	(6.93)	26.05
कुल	**(6.93)**	**26.05**

27 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूलभूत ईपीएस		
निरंतर प्रचालन से	42.05	31.37
तरलीकृत ईपीएस		
निरंतर प्रचालन से	42.05	31.35

27.1 प्रति शेयर मूलभूत अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए इक्विटी शेयरो का अर्जन और भारित औसत संख्या

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ		
निरंतर प्रचालन से	6,370.34	4,705.83
प्रति शेयर मूलभत अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त अर्जन	6,370.34	4,705.83
प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	151.50	150.02

27.2 प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन

प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या :–

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ		
निरंतर प्रचालन से	6,370.34	4,705.83
निरंतर प्रचालनों से प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त अर्जन	**6,370.34**	**4,705.83**

मूल अर्जन प्रति शेयर के परिकलन में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या को तरलीकृत प्रति शेयर अर्जन के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों की भारित संख्या के समांजस्य को नीचे दिया जा रहा है :

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की औसत भारित संख्या	151.50	150.02
तरलीकरण का प्रभाव :	-	0.10
आबंटन के लिए लंबित शेयर	-	-
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	**151.50**	**150.12**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

28 पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस प्रकार करना है कि वह अपनी क्षमता को सुनिश्चित और सुरक्षित रख सके, ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचा सके।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के मद्देजनर, समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

29 उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणियों के अनुसार वित्तीय विलेखों का वहन मूल्य निम्नानुसार है: **(रु. लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) नकद और नकद समकक्ष	-	-	11,555.57	-	-	7,325.24
(ii) अन्य बैंकों में शेष	-	-	8,997.49	-	-	6,617.62
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों	-	-	3,489.40	-	-	4,019.25
(iv) एससीए और सीए को ऋण	-	-	2,19,007.04	-	-	2,19,263.51
(v) कर्मचारियों को ऋण	-	-	318.40	-	-	320.46
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**2,43,367.90**	**-**	**-**	**2,37,546.08**
वित्तीय देयताएं						
(i) सुरक्षा जमा और देय बयाना राशि	-	-	12.37	-	-	18.33
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	6,051.15	-	-	4,744.30
कुल वित्तीय देयताएं			**6,063.52**			**4,762.63**

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया :

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) एससीए और सीए को ऋण	2,19,007.04	2,19,007.04	2,19,263.51	2,19,263.51
(ii) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	318.40	311.57	320.46	315.62
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,19,325.44**	**2,19,318.61**	**2,19,583.97**	**2,19,579.13**
वित्तीय देयताएं				
(i) सुरक्षा जमा और भुगतान योग्य बयाना राशि	12.37	12.37	18.33	18.33
कुल वित्तीय देयताएं	**12.37**	**12.37**	**18.33**	**18.33**

i) नकद और नकद समकक्ष की वहन राशियां, अन्य बैंक शेष, उधार, ईएमडी, वित्तीय देयताएं और एससीए को ऋण के अल्पावधि स्वरूप होने के कारण उतने ही माने जाते हैं, जितना उनका उचित मूल्स है।

ii) ''कर्मचारियों को ऋण'' का उचित मूल्य को वर्तमान बाजार दर का इस्तेमाल करके बट्टाकृत नकद प्रवाहों के आधार पर परिकलित किया गया है। काउंटर पार्टी केडिट जोखित सहित अतथ्यात्मक योग्य इनपुटों के समावेशन के कारण उन्हें उचित मूल्य अनुक्रम में स्तर–3 उचित मूल्यों में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1. समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं) है।

स्तर 2. स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से व्युत्पन्न) अवलोकनीय हैं।

स्तर 3. परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट जो अवलोकनीय (अदृश्य इनपुट) बाज़ार डेटा पर आधारित नहीं हैं ।

निम्नलिखित सारणी परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य मापन अनुक्रम को दर्शाती है।

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम **(रु. लाख में)**

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2025 को	-	-	311.57	311.57
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**-**	**-**	**311.57**	**311.57**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम **(रु. लाख में)**

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2024 को	-	-	315.62	315.62
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**-**	**-**	**315.62**	**315.62**

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अनुदान और अन्य देय राशियाँ शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन प्रदान करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/सीए को दिए गए सावधि/सूक्ष्म वित्त ऋण शामिल हैं जो सीधे इसकी इक्विटी से प्राप्त होते हैं।
कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के प्रति संवेदनशील है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और उन वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियों की समीक्षा कर उन पर सहमति व्यक्त करता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है :–

क) बाजार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय विलेख के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव के कारण होता है। बाज़ार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाज़ार जोखिम से प्रभावित वित्तीय विलेखों में ऋण और अग्रिम, जमा और अन्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय विलेख शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय विलेख के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाज़ार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव के रूप में होता है। कंपनी को ब्याज दर जोखिम का खतरा नहीं है।

ग) उधार जोखिम

उधार जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि किसी वित्तीय विलेख की कोई काउंटर पार्टी अपने संविदात्मक दायित्व पूरा करने में विफल रहती है और यह मुख्यतः एससीए और सीए से प्राप्ति योग्य कंपनी के ऋणो से उत्पन्न होता है। कंपनी को एससीए और सीए को दिए गए ऋणों के अपने वित्तीय कियाकलापों से उधार जोखिम क खतरा है।

कंपनी अपनी आंतरिक नीतियों के आधार पर ऋण जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। कंपनी परिसंपत्तियों की प्रारंभिक पहचान पर चूक की संभावना पर विचार करती है और यह भी कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ऋण जोखिम में निरंतर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्ति पर होने वाले चूक के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक पहचान की तिथि पर चूक के जोखिम से करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक भविष्यदर्शी सूचनाओं पर विचार करती है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतकों को शामिल किया गया है।

– दायित्व को समर्थन देने वाले संपार्श्विक के मूल्य में या तीसरे पक्ष की गारंटी की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

–उधारकर्ता (एससीए और सीए) के अपेक्षित प्रदर्शन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसमें समूह में उधारकर्ताओं (एससीए और सीए) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन तथा उधारकर्ता (एससीए) के परिचालन परिणामों में परिवर्तन शामिल हैं।

सामान्यतः यह माना जाता है कि यदि भुगतान 3 वर्ष से अधिक समय के लिए देय हैं, तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक तब होती है जब प्रतिपक्ष देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है।

वित्तीय उपकरण और नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास शेष राशि से उत्पन्न ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश केवल प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार परए प्रतिपक्ष के साथ अनुमोदित रूप से ही किया जाता है।

ड) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है, कंपनी पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

30 प्रावधान

30.1 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान : **(रु. लाख में)**

विवरण		परिसंपत्ति समूह	चूक की अनुमानित सकल वहन राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित ऋण हानियां	वहन राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
जीवनकाल की प्रत्याशित ऋण हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है *	**ऋण**	2,19,114.77	0%	-	2,19,114.77
		ऋणों पर ब्याज	3,023.05	0%	-	3,023.05
	वित्तीय परिसंपत्त्यिां जिनके लिए ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है और ऋण रूप से हानिकरण नहीं हुआ है।	**ऋण**	-	100%	-	-
		ऋणों पर ब्याज	-	100%	-	-
		अग्रिम	1,539.99	100%	1,539.99	-
			2,23,677.81		**1,539.99**	**2,22,137.82**

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान **(रु. लाख में)**

विवरण		परिसंपत्ति समूह	चूक की अनुमानित सकल वहन राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित ऋण हानियां	वहन राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
जीवनकाल की प्रत्याशित ऋण हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है *	**ऋण**	2,19,362.53	0%	-	2,19,362.53
		ऋणों पर ब्याज	3,426.43	0%	-	3,426.43
	वित्तीय परिसंपत्त्यिां जिनके लिए ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है और ऋण रूप से हानिकरण नहीं हुआ है।	**ऋण**	716.65	100%	716.65	-
		ऋणों पर ब्याज	918.10	100%	918.10	-
		अग्रिम	1,539.99	100%	1,539.99	-
			2,25,963.70		**3,174.74**	**2,22,788.96**

30.2 एससीए के लिए जहां राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासन उपलब्ध हैं, संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति लेखा बहियों में 100 प्रतिशत की दर से किया जाता है, यदि अतिदेय तुलन पत्र की तिथि पर 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया है और राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासन में कमी है।

(क) भुगतान के लिए देय राशि पर 100 प्रतिशत प्रावधान लेकिन 3 वर्ष और उससे अधिक की अवधि के लिए बकाया।

(ख) भुगतान के लिए देय राशि पर 40 प्रतिशत प्रावधान, लेकिन 2 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया।

(ग) भुगतान के लिए देय राशि पर 25 प्रतिशत प्रावधान, लेकिन 1 वर्ष या उससे अधिक किंतु 2 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया।

(घ) भुगतान हेतु देय राशि पर कोई प्रावधान नहीं, लेकिन 1 वर्ष से कम अवधि के लिए बकाया है।

30.3 अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान

वर्ष 2000–01 के दौरान पुनवायर में जमा राशि के संबंध में लेखा पुस्तकों में 1,539.99 लाख रुपये (2023–24 में 1,539.99 लाख रुपये) मूल राशि 1,485.00 लाख रुपये (2023–24) 1,485.00 लाख रुपये) और प्राप्य एवं देय ब्याज 54.99 लाख रुपये (2023–24 में 54.99 लाख रुपये) के लिए अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान किया गया है। चूंकि मूल राशि स्वयं वसूली के लिए संदिग्ध है, इसलिए ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

एनएसएफडीसी द्वारा पुनवायर के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत दो मामले संबंधित न्यायालय में लंबित हैं। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2001 को पारित एक आदेश द्वारा कंपनी (पुनवायर) का परिसमापन कर दिया गया था। तत्पश्चात, न्यायालय द्वारा इस मामले में एक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया। आधिकारिक परिसमापक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुनवायर की संपत्तियाँकंपनी के अपने सुरक्षित लेनदारों के प्रति दायित्वों का निपटान करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। एक असुरक्षित लेनदार होने के कारण, एनएसएफडीसी के पास अपने धन की वसूली की कोई संभावना नहीं है और एनएसएफडीसी द्वारा उक्त कंपनी में निवेशित धन की वसूली संदिग्ध है।

30.4 संदिग्ध ऋणों और ब्याज के लिए भत्ते का प्रत्यावर्तन/(संदिग्ध ऋणों और ब्याज के लिए भत्ता)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
संदिग्ध ऋणों और ब्याज के लिए भत्ते का प्रत्यावर्तन	738.57	-
संदिग्ध ऋण और ब्याज के लिए भत्ता	-	-59.53
कुल	**738.57**	**-59.53**

पैरा 6.1 और 20 के साथ पठित

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

भविष्य से संबंधित मुख्य अनुमान निम्नलखित हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान की अनिशिचितता के मुख्य स्रोत, जो महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है, जिसके कारण अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन किया जा सकता है।

क) संपत्ति, संयंत्र औा उपकरण का उपयोगी जीवनकाल

जैसा कि टिप्पणी संख्या 2.7 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास संपत्ति, संयत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।
उपरोक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव आगामी वित्तीय वर्षों में मूल्यह्रास व्यय को प्रभावित कर सकता है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

जैसा कि टिप्पणी संख्या 2.8 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल है।
उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव आगामी वित्तीय वर्षों में परिशोधन खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

ग) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों द्वारा मापा जाता है। जहाँ तक संभव हो, इन विधियों के इनपुट अवलोकनीय बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ यह संभव न हो, वहाँ उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल होता है। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोट 29 देखें।

घ) सुनिश्चित लाभ दायित्व

कर्मचारी लाभ दायित्वों का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकनों का उपयोग करके किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँशामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारणए एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

32 पूर्वावधि त्रृटियां

विवरण	कुल राशि
01.04.2023 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक सामान्य आरक्षित राशि	64,718.09
पूर्वावधि समायोजन	-5.16
01.04.2023 की स्थिति के अनुसार पुनः उल्लिखित सामान्य आरक्षित राशि	**64,712.94**
2023–24 को समाप्त वर्ष के लिए निरंतर प्रचालन की अवधि के लिए पुनः प्रस्तुत व्यय से अधिक आय की राशि	4,705.83
2023–24 के दौरान विशेष आरक्षित में अंतरण	-470.58
2023–24 के दौरान अन्य व्यापक आय	26.05
31.03.204 की स्थिति के अनुसार पुनः उल्लिखित प्रारंभिक सामान्य आरक्षित राशि	**68,974.22**

इक्विटी, आय और व्यय का विवरण तथा ईपीएस पर पूर्वावधि त्रृटियों का प्रभाव

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी पर प्रभाव (वृद्धि/(कमी)	
पार्टियों को अग्रिम	8.75
बकाया व्यय	(3.70)
प्राप्य ब्याज	(0.01)
विविध लेनदार	(0.21)
बैंक	
अन्य वित्तीय देयताएं	
अन्य देय	(0.23)
अन्य प्राप्य	0.56
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	
इक्विटी पर शुद्ध प्रभाव	**5.16**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आय और व्यय के विवरण पर प्रभाव (लाभ में वृद्धि/(कमी)	
अन्य व्यय	-
सीएसआर व्यय	-
अन्य आय	-
कुल प्रभाव	**-**
इक्विटी धारकों को देय	-

मूल और तरलीकृत प्रति शेयर अर्जनों (ईपीएस) [ईपीएस) (वृद्धि/(कमी) पर प्रभाव] *	कुल
विवरण	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
निरंतर प्रचालन के लिए प्रति शेयर अर्जन	
इक्विटी धारकों को देय निरंतर प्रचालनों से मूलभूत लाभ	-
इक्विटी धारकों को निरंतर प्रचालनों से तरलीकृत लाभ	-

*टिप्पणी : सीएजी को दिए गए आश्वासन के अनुसार, विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज आय को लाभ और हानि खाते के माध्यम से नहीं दर्शाया जाता है। तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े भी चालू वर्ष में भी पुनःसमूहीकृत किए गए हैं, इसका प्रभाव ऊपर शामिल नहीं किया गया ह, क्योंकि यह पुनर्समूहन है न कि पूर्व अवधि समायोजना।

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

33 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

33.1 कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद
श्री रजनीश कुमार जेनाव (31.08.2024 तक)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्री राजन सहगल (01.09.2024 से 02.05.2025 तक)	सीएमडी, अतिरिक्त प्रभार
श्री प्रभात त्यागी (02.05.2025 से)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्रीमती अन्नू भोगल	कंपनी सचिव
श्री राजेश बिहारी (30.09.2024 तक)	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)
श्री दुर्गा प्रसाद रॉय (29.12.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती अंजुला सिंह माहुर (05.12.2024 तक)	स्वतंत्र निदेशक

33.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेनदेनः

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेनदेन का स्वरूप या मात्राः

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ *	99.09	153.27
स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	0.12	0.24
नियोजनोत्तर कर्मचारी लाभ	33.76	74.88
	132.97	**228.39**

*अल्पावधि लाभ में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को दिया गया पारितोषिक शामिल है।

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
संबंधित पार्टी को ऋण		
(i) श्री राजेश कुमार (मुख्य महाप्रबंधक–वित्त)		
वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	-	3.86
वर्ष के दौरान दिया गया ऋण	-	-
ब्याज	-	0.04
वर्ष के दौरान अदायगी	-	(3.90)
अंतिम शेष	**-**	**-**
(ii) श्रीमती अन्नू भोगल (कंपनी सचिव)		
वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	3.30	4.58
ब्याज	0.99	
वर्ष के दौरान दिया गया ऋण	16.74	-
वर्ष के दौरान अदायगी	(8.49)	(1.28)
अंतिम शेष	**12.55**	**3.30**
वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	**12.55**	**3.30**

33.3 सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेनः

उपरोक्त दिए गए लेनदेन के अतिरिक्त, कंपनी का अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ भी लेनदेन है, जिसमें निम्न शामिल हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं हैंः

सरकार का नाम	भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से (100 प्रतिशत पूंजीगत अंशदान)

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन :

(रु. लाख में)

पक्ष	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	(i) पूंजीगत अंशदान	-	1,500.00
	(ii) पीएम–दक्ष के लिए अनुदान (3965)–कौशल प्रशिक्षण योजना	3,632.00	3,266.00
	(iii) (क) अनुसूचित जाति के छात्रों को फेलोशिप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप हेतु अनुदान (एमओएसजेई)	20,982.45	20,960.40
	(ख) सीड अनुदान	785.00	600.00
	(ग) विसवास योजना	1,149.00	
	(iv) डीएपीएससी के लिए अनुदान	-168.60	-15,286.64
	(v) निम्नलिखित के लिए एमओएसजेएंडई को लौटाए गए अनुदान पर ब्याज :		
	(क) कौशल प्रशिक्षण योजना	6.06	8.87
	(ख) विसवास योजना	0.10	0.00
	(ग) टेक्सटाइल अनुदान	5.18	4.51
	(घ) फेलोशिप योजना	39.58	38.93
	(ड.) डीएपीएससी	6.10	5.37
	(च) दक्ष सीएएन	35.11	-
	(छ) सीड योजना	41.55	-
	(vi) अनुदान प्राप्त/वापसी (ब्याज सहित):		
	(क) विसवास ब्याज अनुदान योजना	-	-50.29
	(ख) प्रशिक्षण (एमओएसजेएंडई)–9496	-205.86	
	(vii) एमएवीपी से संबंधित कार्यक्रमों में एमओएसजेएंडई अंशदान	49.65	424.30
एनबीसीएफडीसी	एमएवीपी से संबंधित कार्यक्रम	20.83	67.99
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास	एमएवीपी से संबंधित कार्यक्रम	40.36	66.48
		26,418.51	**11,605.92**

34 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अधीन आवश्यक प्रकटीकरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई बाकी मूल राशि	6.41	7.17
(ii) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई राशि पर देय ब्याज	-	-
(iii) निश्चित तारीख के पश्चात किए गए भुगतान की राशियों के साथ प्रदत्त ब्याज की राशि	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	-	-
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और शेष अप्रदत्त	-	-
(vi) आगामी देय ब्याज की राशि ओर आगामी वर्ष में भी भुगतान योग्य, जब तक कि उस तारीख तक उक्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशियां, उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक, प्रबंधन द्वारा प्राप्त की गई सूचना के आधार पर इन पार्टियों की पहचान कर ली गई है। इस पर, लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

35 राष्ट्रीय स्तर के निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ किए गए लेनदेन के कारण, प्राप्य/देय सेट ऑफ के बाद वसूल की जाने वाली कुल राशि रु.93.74 लाख (31.03.2024 को रु.291.73 लाख) है, जो आम तौर पर उनकी ओर से आयोजित कार्यक्रमों के लिए है।

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

36 निगमित सामाजिक दायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय का गतिविधिवार विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

सीएसआर व्यय	वित्तीय वर्ष	
	2024-25	2023-24
(i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	11.92	16.07
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए		
स्वास्थ्य देखभाल/पोषण के अंतर्गत विषयगत गतिविधियां	99.08	65.90
अन्य गतिविधियां (शिक्षा, राशन किट वितरण, बर्तन वितरण)	4.53	4.15
कुल	**115.53**	**86.12**

36.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ पठित उसकी अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरण:

(क) खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) ईओआईओई		
2020-21	-	4,782.13
2021-22	4,877.62	4,877.62
2022-23	4,761.44	4,761.39
2023-24	4,709.24	
(ii) कुल (ईओआईओई)	**14,348.30**	**14,421.14**
(iii) घटाएं : परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए समायोजन	**3.27**	**0.06**
(iv) निवल लाभ	14,345.03	14,421.08
(v) औसत (iv/3)	4,781.68	4,807.03
(vi) (v) का 2%	**95.63**	**96.14**
(vii) वर्ष के आरंभ में अव्ययित राशि	**102.40**	**88.88**
(vii) अव्ययित निधि पर अर्जित ब्याज	**6.05**	**3.50**
(viii) वर्ष के दौरान व्ययित राशि	**115.53**	**86.12**
(ix) वर्ष के अंत में अयित राशि (vi+vii-viii)	**88.55**	**102.40**

36.2 अव्ययित राशि चल रही योजनाओं से संबंधित है। चल रही सीएसआर परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

क्रम सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना का नाम	आरंभिक वर्ष	राज्य	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1	मैसर्स नेत्रम आई फाउनडेशन *	स्वास्थ्य शिविर, टोंक	2023-24	राजस्थान	0.55	0.17
2	मैसर्स एचएलएफपीपीटी	आर.ओ. प्लांट और सौर संयंत्र, हाथरस	2023-24	उत्तर प्रदेश	8.23	4.37
3	मैसर्स श्री जागृति सेवा संस्थान *	राजस्थान में अनुसूचित जाति के छात्रों के	2023-24	राजस्थान	5.00	2.50
4	मैसर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गिरिडीह *	झारखंड सरकार, गिरिडीह में उपकरण/शौचालय आदि	2023-24	झारखंड	6.00	4.20
5	मैसर्स महात्मा गांधी शोध संस्थान (एमजीएसएस)	10 सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल मशीन की स्थाना	2024-25	दिल्ली	1.22	0.85
6	पीएमकेयर्स फंड	पीएमकेयर्स फंड में सीएसआर अंशदान	2020-21	पैन इंडिया	11.12	11.12
7	पीएमकेयर्स फंड	पीएमकेयर्स फंड में सीएसआर अंशदान	2023-24	पैन इंडिया	0.56	0.56
8	रोगी कल्याण समिति **	सामुदायिक हॉल का निर्माण	2023-24	टीकमगढ़ (म.प्र.)	41.40	-
9	पीएमकेयर्स फंड	पीएमकेयर्स फंड में सीएसआर अंशदान	2021-22	पैन इंडिया	50.59	50.59
	पिछले वर्ष (क) के संदर्भ में वर्ष 2024–25 के दौरान खर्च की गई राशि का उप–योग					**74.36**

*एनएसएफडीसी प्रचालन खातों से कुल रु.6.87 लाख की राशि जारी की गई है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, इसे अव्ययित सीएसआर 2023–24 खाता से समायोजित किया जाएगा।

**रु.41.40 लाख की स्वीकृत राशि में से, रु.12.42 लाख वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान संवितरित किए गए हैं।

	ख: नई संस्वीकृतियों के विरुद्ध वर्ष 2024–25 के दौरान संवितरण					
क्रम सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना का नाम	आरंभिक वर्ष	राज्य	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1	मैसर्स अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईएफ)	बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड में ग्रामीण महिलाओं के लिए स्व–रोजगार दर्जी प्रशिक्षण	2024.25	बिहार	15.11	4.53
2	मेसर्स स्वावलंबन	दिल्ली के लाल किला और कुतुब मीनार में प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन की स्थापना	2024.25	दिल्ली	5.89	5.89
3	मैसर्स पेंटिस फाउंडेशन	प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना	2024.25	उत्तर प्रदेश	17.10	17.10
4	मैसर्स दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी)	गुरुद्वारा बाला साहिब में गरीब सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के मरीजों का किडनी डायलिसिस	2024.25	दिल्ली	13.65	13.65
5	मैसर्स प्रांतीय सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड (पीसीसीडी)	महात्मा गांधी पालिका इंटर कॉलेज, उझानी, बदायूं के खेल के मैदान में अखाड़े सहित बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण	2024.25	उत्तर प्रदेश	48.21	0.00
	वर्ष 2024–25 संस्वीकृति से संबंधित वर्ष 2024–25 के दौरान खर्च की गई राशि का उप–योग (ख)					**41.17**
	सकल योग (क+ख)					**115.53**

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में (चालू परियोजना) पर अव्ययित राशि का विवरण **(रु. लाख में)**

प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि			जमा शेष
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर खाते में
33.15	55.73	99.64	85.56	0.56	43.73	58.67

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में (चालू परियोजना) पर अव्ययित राशि का विवरण **(रु. लाख में)**

प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि		जमा शेष	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर खाते में
43.73	58.67	101.68	41.17	74.36	54.46	40.99

36.3 (i) दिनांक 31.03.2025 तक चालू पिछले वर्ष की परियोजना पर अव्ययित राशि के कारण आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास 40.99 लाख रुपये (पिछले वर्ष 58.67 लाख) जमा हैं।

(ii) दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सीएसआर व्यय हेतु 12.42 लाख रुपये (पिछले वर्ष 16.67 लाख रुपये) का प्रावधान किया गया है/किया जाना बाकी है। (iii) वर्ष 2024–25 के दौरान, परियोजना के आनुपातिक/आवश्यक पूर्णता के आधार पर अव्ययित राशि किश्तों में या चरणबद्ध तरीके से जारी की जानी है।

(iv) कंपनी के पास दिनांक 31.03.2025 को सीएसआर – 2024–25 की तक अव्ययित राशि रु.54,46,091/27 थी, जिसमें से अव्ययित सीएसआर निधि खाता खोलने से पहले 03.04.25 को रु.14,46,300/– खर्च हो चुके थे। इसलिए, रु.39,99,791/27 की शेष अव्ययित सीएसआर राशि को निर्धारित समय सीमा (30 अप्रैल, 2025) में अव्ययित सीएसआर निधि 2024–25 में अंतरित किया गया है।

(v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (6) के तहत, 3 वर्षों से अधिक अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021–22 (पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित दिनांक 24.04.2024 को रु.11.13 लाख) से संबंधित दिनांक 28.03.2025 को रु.50.59 लाख की अव्ययित राशि को पीएम केयर फंड (अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि) में अंतरित कर दिया गया है।

37 ''मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार अपने एनएसएफडीसी के ऋण पोर्टफोलियो को विभाजित कर दिया है, जो पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश (एमपी) राज्य के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश (एमपी) में विभाजन के कारण निगम/राज्य सरकार के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। पूर्ववर्ती एमपीएससीएफडीसी के विभाजन के कारण एमपीएससीएफडीसी और सीएसएएसएफडीसी के बीच ऋण देयता के बंटवारे का मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
न्यायालय द्वारा निर्णय लंबित होने तकए सीएसएएसएफडीसी द्वारा देय ब्याज सहित रु.210.09 लाख की ऋण देयता स्वीकार कर चुका दी गई है। मूलधन के लिए रु.835.93 लाख (पिछले वर्ष रु.835.93 लाख) और ऋण के लिए रु.1,438.15 लाख (पिछले वर्ष रु.1,369.12 लाख) की ऋण देयता दिनांक 31.03.2024 तक का ब्याज एमपीएससीएफडीसी के विरुद्ध दिखाया जा रहा था और उसके पुनर्भुगतान की मांग उनसे की जा रही थी। हालांकि, दिनांक 10.02.2025 को सीएसएएसवीईवीएन और एमपीएससीएफडीसी के एनएसएफडीसी को बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए एएमआरसीडी की समीक्षा बैठक के दौरान, यह पाया गया कि एनएसएफडीसी को देय विभाजन पूर्व देनदारियों के पुनर्भुगतान पर वर्तमान में कोई रोक नहीं है। तदनुसार, सीएसएएसएफडीसी को माननीय न्यायाधिकरण के निर्णय का अनुपालन करने की सलाह दी गई क्योंकि देनदारियों का बंटवारा विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुसार किया गया था। इसलिए, मार्च, 2025 से विभाजन.पूर्व देनदारियों की त्रैमासिक मांग अब एमपीएससीएफडीसी के बजाय सीएसएएसएफडीसी से की जा रही है।''

38 दिनांक 31.03.2025 को ऋणों का कुल अतिदेय, रु.42,269.41 लाख (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार रु.40,508.32 लाख) के ब्याज सहित रु.3,016.38 लाख (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार रु. 3,783.63 लाख) है।

38.1 जिन ''एसीसए/सीए'' का बकाया (3 वर्ष से अधिक) है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

कम सं.	एजेंसी	राज्य	कुल बकाया 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार	3 वर्ष से अधिक बकाया राशि
क	एससीए/सीए जिनके अतिदेय के चुकौती बकाया है।			
1	एपीएससीडीसी	आंध्र प्रदेश	14,073.27	1,186.90
2	एमपीबीसीडीसी	महाराष्ट्र	6,988.77	890.50
3	आरएससीडीसी	राजस्थान	4,965.36	-
4	जीएससीडीसी	गुजरात	4,556.81	589.88
5	सीटीजीएसडीसी	छत्तीसगढ़	3,993.29	3,260.39
6	टीएससीडीसी	त्रिपुरा	3,282.11	700.05
7	लिडकॉम	महाराष्ट्र	1,230.21	-
8	डीएससीएफडीसी	दिल्ली	620.21	-
9	जेएंडकेएससीडीसी	जम्मू एवं कश्मीर	500.26	-
10	डीबीआरएडीसी	कर्नाटक	372.44	372.44
11	एसएससीबीसीडीसी	सिक्किम	251.39	45.34
12	पीएडीसीओ	पुदुचेरी	161.19	-
13	एमएसटीसीबी	मणिपुर	153.44	153.45
14	एलएएसडीसी	महाराष्ट्र	44.73	-
15	एचपीएससीडीसी	हिमाचल प्रदेश	25.14	-
16	एलडीआरबी	असम	6.61	6.61
17	यूबीआई	महाराष्ट्र	0.31	-
	(कुल (क)		41,225.55	7,205.56
B.	एससीए/सीए जिनके बकाया का भुगतान 23.06.25 को या उससे पहले प्राप्त हो गया है।			
18	जेएससीडीसी	झारखंड	542.00	521.70
19	बीओबी	गुजरात	208.45	-
20	आईओबी	तमिलनाडु	161.10	-
21	पीएसएलडीएफसी	पंजाब	56.76	-
22	टीएएचडीसीओ	तमिलनाडु	71.61	45.17
23	पीएनबी	दिल्ली	2.08	-
24	एचपीजीबी (एचपी ग्रामीण बैंक)	हिमाचल प्रदेश	1.10	-
25	केएसडब्ल्यूडीसी	केरल	0.41	-
26	पंजाब ग्रामीण बैंक	पंजाब	0.33	-
27	एमएएचजीबी	महाराष्ट्र	0.02	-
	कुल (ख)		1,043.86	566.87
	कुल योग (क+ख)		42,269.41	7,772.42

38.2 रु.27,568.90 लाख (31.03.2024 तक रु.78,721.72 लाख) की संवितरित धनराशि कार्यान्वयनाधीन है, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है।

क्रम सं.	एजेंसी	राज्य	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (रु. लाख में)	
			2024-25	2023-24
1	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएससीएसटीडीएफसी	2,130.25	7,998.38
2	आंध्र प्रदेश	एपीएससीसीएफसी	5,618.89	5,929.37
3	महाराष्ट्र	एमपीबीसीडीसी	2,345.56	5,611.31
4	गुजरात	जीएससीडीसी	3,259.68	3,639.29
5	राजस्थान	आरएससीडीसी	4,636.38	8,068.46
6	त्रिपुरा	टीएससीडीसी	212.46	2,131.71
7	केरल	केएसडीसी	1,104.90	3,321.06
8	तमिलनाडु	टीएएचडीसीओ	402.06	161.11
9	केरल	केएसडब्ल्यूडीसी	336.86	2,255.91
10	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेएससीएसटीबीसीडीसी	625.11	1,588.74
11	उत्तर प्रदेश	बीयूपीजीबी	-	1,128.83
12	दिल्ली	डीएसएफडीसी	116.28	1,247.79
13	हिमाचल प्रदेश	एचपीएससीएसटीडीसी	230.01	973.57
14	हरियाणा	एचएससीडीसी	15.40	1,533.54
15	महाराष्ट्र	लिडकॉम	1,578.43	2,734.45
16	छत्तीसगढ	सीजीएससीएफडीसी	134.14	676.52
17	झारखंड	जेएससीडीसी	94.84	301.28
18	पुदुचेरी	पीएडीसीओ	50.83	102.97
19	चंडीगढ़	सीएससीएफडीसी	4.66	128.68
20	गुजरात	जीएससीएमबीसीडीसी	50.56	50.56
21	शेष चैनल पार्टनर		4,621.60	29,138.19
	कुल		**27,568.90**	**78,721.72**

39 आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर से छूट

आयकर/आस्थगित कर कर के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निगम की आय, आयकर अधिनियम,1961 की धारा–10 (26)(ख) के अंतर्गत आयकर से छूट है।

इसके अलावा सीडीबीटी ने दिनांक 29.05.2017 को परिपत्र सं. 18/2017 जारी किया था, जिसमें कहा या था कि धारा –10 खंड (26बी) में संदर्भित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्थापित निगत, निकाय, संस्था या संगठन के मामले में, जिनकी आय में अप्रतिबंधित रूप से छूट प्राप्त है और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–139 के अनुसार वैधानिक रूप से आयकर विवरणी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, वहां स्रोत पर कर कटौती की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी आय भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा –10 (26बी) के तहत कर से छूट प्राप्त है।

40.1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत छूट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या डीएनबीएस.एनडी.सं. 4175एमआई/10.01.001/2010–11 दिनांक 29.04.2011 के माध्यम से प्रमाणित किया है कि एनएसएफडीसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1क के प्रावधानों और तथा अन्य विनियामक और विवेकपूर्ण मानदंडों की प्रयोज्यता से बैंक द्वारा छूट दी गई है, क्योंकि कंपनी (एनएससीएफडीसी) को भारत सरकार द्वारा 'सामुदायिक सेवाओं' में संलग्न 'न लाभ न हानि' वाली कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई ने बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रति प्रस्तुत करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि कंपनी (एनएससीएफडीसी) जनता से जमा स्वीकार नहीं करेगी। तदनुसार, दिनांक 30.05.2011 को आयोजित 118वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसे पत्र संख्या एनएसएफडीसी/एसईसीटी/193/2010/2704 दिनांक 13.06.2011 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

40.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, निगम एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है और उसे गैर–निष्पादित आस्तियों पर प्रावधान करने तथा आय निर्धारण के लिए निर्धारित भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की छूट प्राप्त है। चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड निगम पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए इसने कुछ अतिदेय ऋणों/उन पर ब्याज पर प्रावधान करने के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रावधान करने हेतु अपने स्वयं के मानदंड बनाए हैं।

41 भौतिक वस्तुओं पर भारतीय लेखांकन मानकों की प्रयोज्यता

पूर्व अवधि की मदों तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों की प्रयोज्यता भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्वव्यापी रूप में केवल भौतिक वस्तुओं पर किया जाता है।

42 सेंगमेंट रिपोर्टिंग

(क) प्रचालन सेगमेंट

कांपनी एकल सेगमेंट में अर्थात लक्षित समूह के लिए आय अर्जित करने वाली परियोजना के परोक्ष वित्त पोषण के व्यवसाय में लगी हुई है जहां से यह अपनी आय अर्जित कर रही है और व्यय कर रही है। एकल भाग के प्रचालन के परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा निष्पादन का आकलन किया जाता है, जिश्रन्हें मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में माना जा सकता है। कंपनी के सभी संसाधन इस एकल भाग के लिए समर्पित हैं तथा इस भाग के लिए सभी अलग वित्तीय सूचना उपलब्ध है।

(ख) भौगोलिक सूचना

चूंकि कंपनी की गतिविधियां/प्रचालन देश के अंदर हैं और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए जोखिम और प्रतिफल समान हैं जिसके कारण केवल एक भौगोलिक सेगमेंट हैं।

43 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों से तुलना कर पाने के लिए पुनः एकीकृत किया गया है।

44 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधनों के अनुसार प्रकटीकरण

एमसीए ने 23 मार्च 2021 की अधिसूचना के तहत कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में संशोधन किया है जो 01 अप्रैल 2021 से लागू है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधनों के अनुसार परिवर्तनों को शामिल किया है और उक्त संशोधन के अनुपालन में नीचे सूचनाएं दिए गए हैं:

(i) इस अवधि के दौरान कंपनी का कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

(ii) कंपनी ने इस अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी में व्यवहार अथवा निवेश नहीं किया है।

(iii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(iv) कंपनी के पास कोई ऋण या सुविधा नहीं है, जिसे अभी तक वैधानिक अवधि से परे अदायगी के साथ पंजीकृत होना बाकी है।

(v) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ :

(a) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या

(b) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से गारंटी, प्रतिभूति या समान प्रदान करें।

(vi) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) से इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी:

(a) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या आयात से उधार या निवेश करें या

(b) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या समान प्रदान करें।

(vii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो बहीखातों में दर्ज न की, जिसे बाद में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पता लगे कर निर्धारण (जैसे तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों) के बाद के वर्ष में वर्ष के दौरान आय के रूप में सामने या प्रकट किया गया हो।

(viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ix) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

(x) कंपनी को बैंक के पास सावधि परिसंपत्तियों का विलंग प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, इसलिए कंपनी द्वारा बैंक के पास दर्शित विलंग और खाता बहियों का मिलान लागू नहीं होता है ।

(xi) कंपनी को ऐसा कोई लेनदेन नहीं है, जिसमें कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार का उपयोग उस उद्देश्य के लिए न किया हो, जिसके लिए वही तुलन-पत्र की तिथि पर लिया गया था।

(xii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवसाय की किसी भी योजना में प्रवेश नहीं किया है।

(xiii) लेखा अनुपात को प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

विवरण	अंश (न्यूमरेटर)	भाजक (डिनोमिनेटर)	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियां	चालू देनदारें	18.14	14.18	27.92%	लागू नहीं
ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	-1.00	0.01	-100.00%	चालू वित्त वर्ष में ऋण की अदायगी के कारण
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिशोधन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और लीज भुगतान + मूलधन चुकौती	लागू नहीं			लागू नहीं
इक्विटी अनुपात पर आय	करों के बाद शुद्ध लाभ – वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.03	0.02	31.37%	चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभ में वृद्धि के कारण
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेची गई वस्तुओं की लागत	औसत मालसूची	लागू नहीं			लागू नहीं
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री = सकल क्रेडिट बिक्री – बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	लागू नहीं			लागू नहीं
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद = सकल क्रेडिट खरीद – खरीद रिटर्न	औसत व्यापार देय	लागू नहीं			लागू नहीं
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री – बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = चालू परिसंपत्तियां – चालू देयताएं	0.06	0.06	-1.88%	लागू नहीं
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद = सकल क्रेडिट खरीद – खरीद रिटर्न	शुद्ध बिक्री = शुद्ध बिक्री – बिक्री रिटर्न	0.86	0.69	24.78%	चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभ में वृद्धि के कारण
नियोजित पूंजी पर आय	ब्याज और करों से पहले की आय	नियोजित पूंजी = कुल शुद्ध मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.03	0.02	29.78%	चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभ में वृद्धि के कारण
निवेश पर आय *	आय (वित्त आय)	निवेश	0.04	0.05	-22.04%	लागू नहीं

* आवश्यकता नहीं है।

45 वित्तीय विवरण की स्वीकृति

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 08.07.2025 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

अग्रवाल सन्स सिंघी की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स दलिन्द पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 007601N

ह.
सीए. दलिन्द पाल सिंह
भागीदार
सदस्यता सं. 088996

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 08.07.2025

ह.
(सतीश सिंह खरवार)
एच-महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(शक्ति चेलानुरम)
निदेशक
डीआईएन:00080077

ह.
(अनु भोगल)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह.
(प्रभात तलवार)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11005100

परिशिष्ट–क

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 16.1 देखें)

दविंदर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

प्रधान कार्यालय : मकान नं. 933
एचआईजी, इंडीपेन्डेंड सैक्टर 70,
मोहाली जिला, एसएएस नगर,
मोबाइल नं. 98140–25756
फोन : 0161–4610756
ईमेल : davinderpal@gmail.com

शाखा कार्यालय : 524–एल, मॉडल टाउन
बावा बेकरी, लुधियाना के सामने
मोबाइल नं. 8360054645
फोन नं. 161–2310756
ईमेल : dpsinghca@yahoo.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की योग्य राय पर रिपोर्ट

हमने नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की तुलन पत्र, आय और व्यय का विवरण तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपयुक्त राय खंड के लिए आधार तथा **महत्वपूर्ण विषय से संबंधित पैराग्राफ के लिए दिए गए आधार** से संबंधित विषय के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ('इंड एएस'') और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी के व्यवसाय, आय, कुल व्यापक आय तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु 'लेखापरीक्षक के दायित्व' खंड में विस्तार से किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक नैतिक अर्हताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अर्हताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों का निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा के मुख्य विषय

लेखापरीक्षा के मुख्य विषयों में ऐसे मामले शामिल हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को

समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में, तथा उन पर हमारी राय बनाने हेतु संबोधित किया गया था, जिन पर हमारी पृथक राय नहीं है।

एसए 701 के अनुसार लेखापरीक्षा के मुख्य विषयों की रिपोर्टिंग। लेखापरीक्षा के मुख्य विषय कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

महत्वपूर्ण विषय

1. कंपनी एससीए तथा सीए के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के अनुसार, नए ऋण संवितरण की स्थिति में, एससीए और सीए को ऋण संवितरण की तिथि से 120 दिनों के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त, समग्र ऋण संवितरण की स्थिति में सभी एससीए और सीए से तिमाही आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। तथापि, कुछ मामलों में, निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी को रु.275.69 करोड़ के बकाया ऋणों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं (टिप्पणी 38.2 देखें)।

2. यह देखा गया कि कई एससीए द्वारा ऋण की अदायगी करने में विफल रहे हैं जिसके कारण ब्याज सहित रु.7,772.42 लाख की राशि तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया है। यद्यपि, इसमें से रु.566.87 लाख की राशि दिनांक 30.06.2025 से पहले ही प्राप्त की जा चुकी है (टिप्पणी सं. 38.1 देखें) ।

3. मणिपुर राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (एमएसटीसीबी) से संबंधित **टिप्पणी 6.1(ख)(ii)(क)** की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। मध्यस्थ ने एनएसएफडीसी के पक्ष में आदेश पारित कर एमएसटीसीबी को दावे का विवरण दाखिल करने की तिथि से लेकर प्रतिवादी द्वारा दावेदार (एनएसएफडीसी) को वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित रु.1.53 करोड़ की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। हालाँकि, एससीए निर्धारित समय के भीतर आदेश का पालन करने में विफल रहा है। निगम ने जिला न्यायाधीश, इम्फाल, मणिपुर के न्यायालय में एक मध्यस्था निष्पादन वाद दायर किया है। निगम ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखा अवधि के दौरान ब्याज आय की मान्यता स्थगित कर दी है।

4. ऋण और अग्रिम, लेनदार आदि के संबंध में शेष राशि की पुष्टि की व्यवस्था करना कंपनी की ज़िम्मेदारी है। कुछ एससीए, पीएसबी/आरआरबी, एनबीएफसी–एमएफआई तथा लेनदारों के मामलों में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इसका भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव अनिश्चित है, लेकिन परिमाणात्मक रूप से महत्वपूर्ण है।

5. टिप्पणी 17.2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार सरकारी अनुदानों के लिए रु.5744.77 लाख और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त अनुदानों के लिए रु.31.19 लाख की राशि का अप्रयुक्त अनुदान है। अप्रयुक्त अनुदान देयता को वित्तीय विवरणों में 'अन्य वित्तीय देयताओं' के रूप में दर्शायी गई है।

6. एनएसएफडीसी की ऋण नीति, बकाया राशि (मूलधन और ब्याज) के भुगतान में चूक (एलडीडीपी) पर निर्धारित/सहमत तिथि के बाद बकाया राशि पर लागू सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तरलता क्षति (एलडीडीपी) का प्रावधान करती है। एलडीडीपी की वसूली की अनिश्चितता के कारण, इसकी वसूली पर ही इसकी पहचान की जाती है। हालाँकि, देखा गया है कि एलडीडीपी के लिए एससीए को नियमित रूप से माँग जारी की जाती रही है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय उचित/संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल का दायित्व अन्य जानकारी तैयार करना है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है तथा हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन रूपी निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा संपन्न कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है और इस संबंध में हमें कुछ भी सूचित नहीं करना है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में निर्दिश्ट विषयों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो हमारे लिए सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, तथा साथ ही लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना भी है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार संपन्न लेखापरीक्षा गलत बयानी होने के बावजूद भी सदैव किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगा सकती है। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और संपूर्ण

लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित के प्रति भी उत्तरदायी हैं :

- भारतीय लेखा मानक ;(इंड एएस) के वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की डिज़ाइन कर उन्हें निष्पादित करें और लेखापरीक्षा के लिए ऐसे साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम मौजूदा वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष प्रदान करें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण किया जा सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान की है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अर्हताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में चर्चा की है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकते हैं तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप.धारा (11) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार, सीएआरए 2020 ('आदेश') कंपनी पर लागू नहीं होता है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक नहीं दिया गया है।

2. प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देश के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा अपेक्षित हम संलग्न 'अनुलग्नक 'क' में निर्दिष्ट मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) उचित राय के आधार और विषय के महत्व के खंड में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे,

ख) उपरोक्त उचित राय के आधार और महत्वपूर्ण विषय के खंड में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही रखी गई है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

ग) उपरोक्त उचित राय के आधार और महत्वपूर्ण विषय के खंड में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, इस रिपोर्ट द्वारा तैयार तुलन पत्र, आय–व्यय विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण बही खाता की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

घ) उपरोक्त उचित राय के आधार और महत्वपूर्ण विषय के खंड में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 और यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पढ़ा जाता है।

ड) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

च) हमारी राय में उपरोक्त पैराग्राफ में वर्णित मामले का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **'अनुलग्नक–ख'** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

ज) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषयों के संबंध में, यथा संशोधित, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार रिपोर्टिंग अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

झ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली 2016 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- कंपनी ने भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।

- कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित ऐसा कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित हानि हुई हो।

- ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना आवश्यक था।

- **क.** प्रबंधन ने सूचित किया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में प्रकटित को छोड़कर, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) अथवा संस्था(ओं) जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') शामिल हैं, को कोई भी धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से), इस समझ के साथ, लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ('अंतिम लाभार्थियों[टीएम]') द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इस तरह की कोई वस्तु चीज़ प्रदान करेगा।

  ख. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में प्रकटित विवरण के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) अथवा संस्था(ओं) जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्तपोषण पक्ष) शामिल हैंए कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई हैए इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा ऐसी ही कोई वस्तु प्रदान करेगी, और

  ग. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपखंड (iv)(a) और (iv)(b) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

  i. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमने ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे हमें विश्वास हो कि उपखंड (iv)(a) और (iv)(b) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

  ii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अपने बहीखातों के रखरखाव हेतु टैली ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, यह मानक कार्यक्षमता प्रदान करता है और सिस्टम में सभी परिवर्तित डेटा को लॉग इन करता है। टैली ईआरपी में यह कार्यक्षमता और ऑडिट ट्रेल सुविधा निगम में एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए वर्षभर लागू रही है।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 08.07.2025

ह०
दविन्दर पाल सिह (एफसीए)
भागीदार
एम.एम. सं. 086596
यूडीआईएन : 25086596बीएमजीवाईके17773

दविंदर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

प्रधान कार्यालय : मकान नं. 933
एचआईजी, इंडीपेन्ठेंड सैक्टर 70,
मोहाली जिला, एसएएस नगर,
मोबाइल नं. 98140–25756
फोन : 0161–4610756
ईमेल : davinderpal@gmail.com

शाखा कार्यालय : 524–एल, मॉडल टाउन
बावा बेकरी, लुधियाना के सामने
मोबाइल नं. 8360054645
फोन नं. 161–2310756
ईमेल : dpsinghca@yahoo.com

"अनुलग्नक क"

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट के अनुसार

नीचे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** के भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों के संबंध में जारी निर्देशों के उत्तर दिए गए हैं।

1. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और उद्धृत न किए गए दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानक (इंड अकाउंटेंट्स) की अनुरूपता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।	वर्ष के दौरान, कंपनी ने अर्जित अवकाश देयता और ग्रेच्युटी देयता के लिए एक्चुरियल मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है और एक्चुअरी रिपोर्ट के आधार पर प्रावधान बनाया है। "कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 'एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना ट्रस्ट' और 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी चिकित्सा योजना' के नाम से ट्रस्ट बनाए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) दोनों ट्रस्टों का निधि प्रबंधक है।"
2. क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेनों को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की कोई प्रणाली है? यदि हाँ,तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेनों के संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जा सकता है।	कंपनी का वित्तीय लेखाजोखा ईआरपी सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। यद्यपि, कंपनी का ऋण लेखाजोखा मैन्युअल लेज़र पर किया जाता है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, मैन्युअल लेज़र का मिलान ईआरपी सॉफ्टवेयर से किया जाता है। जैसा कि हमें बताया गया है, आईटी सिस्टम के बाहर ऋण लेनदेन की प्रक्रिया से खातों की अखंडता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
3. क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखाजोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के	वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से 3 विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उचित रूप से लेखाजोखा रखा गया है /उपयोग किया गया है।

अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त निधियों का उपयोग अनुदानों पर अर्जित ब्याज के अनुसार किया गया था? क्या यह अनुदान की शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया है, विचलन के मामलों की सूची बनाएँ। क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखाजोखा अनुदान की शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	टिप्पणी 17.2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दिनांक 31.03.2025 तक अप्रयुक्त अनुदान सरकारी अनुदानों के लिए 5744.77 लाख रुपये और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त अनुदानों के लिए 31.19 लाख रुपये है। अप्रयुक्त अनुदान देयता को वित्तीय विवरणों में 'अन्य वित्तीय देयताएँ' के रूप में दर्शाया गया है। प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज भारत सरकार को वापस कर दिया गया है तथा लेखा वर्ष के दौरान इसकी शर्तों के अनुसार कोई विचलन नहीं हुआ है।
4. क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है और इन जोखिमों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। (क) जोखिम प्रबंधन नीति सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। (ख) कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान कर ली है और उनका उचित मूल्यांकन किया गया है।
5. क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अर्हता) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी–आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (जहाँ भी लागू हो) के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों पर प्रकाश डालें।	चूंकि यह एक सूचीबद्ध इकाई नहीं है, इसलिए इस पर सेबी के नियम लागू नहीं होते। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक के लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया गया है। एनएसएफडीसी वेबसाइट एनआईसी (एमईआईटीवाई भारत सरकार) सर्वर पर होस्ट की गई है और सीईआरटी.आईएन, एमईआईटीवाई के लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी ने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की एक फर्म से सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणन प्राप्त किया है। वर्ष के दौरान विचलन का कोई मामला नहीं देखा गया।

कूते दविन्दर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 08.07.2025

ह०

दविन्दर पाल सिह (एफसीए)
भागीदार
एम.एम. सं. 086596
यूडीआईएन : 25086596बीएमजीवाईके17773

दविंदर वाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

प्रधान कार्यालय : मकान नं. 933
एचआईजी, इंडीपेन्डेंड सैक्टर 70,
मोहाली जिला, एसएएस नगर,
मोबाइल नं. 98140–25756
फोन : 0161–4610756
ईमेल : davinderpal@gmail.com

शाखा कार्यालय : 524–एल, मॉडल टाउन
बावा बेकरी, लुधियाना के सामने
मोबाइल नं. 8360054645
फोन नं. 161–2310756
ईमेल : dpsinghca@yahoo.com

"अनुलग्नक ख"

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणियों में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक कंपनी की नीतियों के अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करने सहित, कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित किए जाते हैं।

लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन टिप्पणी ('मार्गदर्शन टिप्पणी') और आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार,जहां तक लागू हो, संपन्न की है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर लागू होती हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणियों की आवश्यकता है कि हम नैतिक अर्हताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्श्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक

मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो :

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण सहित कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं,

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं, और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम और समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है जिसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, नीचे दिए गए खंड 1 से 3 में उल्लिखित मामले को छोड़कर, सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहा था, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणियों में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है।

1. एससीए और सीए को स्वीकृत तथा संवितरित धनराशि के अंतिम उपयोग की पुष्टि के लिए प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त रूप से उचित नहीं हैं। प्रबंधन को कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति के अनुरूप प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को धनराशि जारी करना एससीए की एकमात्र ज़िम्मेदारी है। कंपनी को एक लेखा परीक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को धनराशि उचित रूप से संवितरित की जा रही है।

2. कंपनी अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को एससीए और सीए के माध्यम से वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। तथापि, दिनांक 31 मार्च 2025 तक 275.69 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 787.22 करोड रु.) के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

3. विषय पर महत्व देने वाले पैराग्राफ के अंतर्गत खंड 1 से खंड 6 तक उल्लिखित मामले वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर आंतरिक नियंत्रण में कमियां इंगित करती हैं। कंपनी को ऐसे मुद्दों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निगरानी और उसे मज़बूत करना चाहिए।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 08.07.2025

ह०
दविन्दर पाल सिह (एफसीए)
भागीदार
एम.एम. सं. 086596
यूडीआईएन : 25086596बीएमजीवाईके17773

परिशिष्ट–क–1
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 16.1 देखें)

दविंदर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

प्रधान कार्यालय : मकान नं. 933
एचआईजी, इंडीपेन्डेंड सैक्टर 70,
मोहाली जिला, एसएएस नगर,
मोबाइल नं. 98140–25756
फोन : 0161–4610756
ईमेल : davinderpal@gmail.com

शाखा कार्यालय : 524–एल, मॉडल टाउन
बावा बेकरी, लुधियाना के सामने
मोबाइल नं. 8360054645
फोन नं. 161–2310756
ईमेल : dpsinghca@yahoo.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

योग्य राय

हमने नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की तुलन पत्र, आय और व्यय का विवरण और, इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ('इंड एएस'') और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी के व्यवसाय, आय, कुल व्यापक आय तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु 'लेखापरीक्षक के दायित्व' खंड में विस्तार से किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक नैतिक अर्हताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अर्हताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों का निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा के मुख्य विषय

लेखापरीक्षा के मुख्य विषयों में ऐसे मामले शामिल हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में, तथा उन पर हमारी राय बनाने हेतु संबोधित किया गया था, जिन पर हमारी पृथक राय नहीं है।

एसए 701 के अनुसार लेखापरीक्षा के मुख्य विषयों की रिपोर्टिंग। लेखापरीक्षा के मुख्य विषय कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

महत्वपूर्ण विषय

1. कंपनी एससीए तथा सीए के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के अनुसार, नए ऋण संवितरण की स्थिति में, एससीए और सीए को ऋण संवितरण की तिथि से 120 दिनों के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त, समग्र ऋण संवितरण की स्थिति में सभी एससीए और सीए से तिमाही आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। तथापि, कुछ मामलों में, निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी को रु.275.69 करोड़ के बकाया ऋणों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं (टिप्पणी 38.2 देखें)।

2. यह देखा गया कि कई एससीए द्वारा ऋण की अदायगी करने में विफल रहे हैं जिसके कारण ब्याज सहित रु.7,772.42 लाख की राशि तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया है। यद्यपि, इसमें से रु.566.87 लाख की राशि दिनांक 30.06.2025 से पहले ही प्राप्त की जा चुकी है (टिप्पणी सं. 38.1 देखें) ।

3. मणिपुर राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (एमएसटीसीबी) से संबंधित **टिप्पणी 6.1(ख)(ii)(क)** की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। मध्यस्थ ने एनएसएफडीसी के पक्ष में आदेश पारित कर एमएसटीसीबी को दावे का विवरण दाखिल करने की तिथि से लेकर प्रतिवादी द्वारा दावेदार (एनएसएफडीसी) को वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित रु.1.53 करोड़ की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। हालाँकि, एससीए निर्धारित समय के भीतर आदेश का पालन करने में विफल रहा है। निगम ने जिला न्यायाधीश, इम्फाल, मणिपुर के न्यायालय में एक मध्यस्था निष्पादन वाद दायर किया है। निगम ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखा अवधि के दौरान ब्याज आय की मान्यता स्थगित कर दी है।

4. ऋण और अग्रिम, लेनदार आदि के संबंध में शेष राशि की पुष्टि की व्यवस्था करना कंपनी की ज़िम्मेदारी है। कुछ एससीए, पीएसबी/आरआरबी, एनबीएफसी–एमएफआई तथा लेनदारों के मामलों में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इसका भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव अनिश्चित है, लेकिन परिमाणात्मक रूप से महत्वपूर्ण है।

5. टिप्पणी 17.2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार सरकारी अनुदानों के लिए रु.5744.77 लाख और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त अनुदानों के लिए रु.31.19 लाख की राशि का अप्रयुक्त अनुदान है। अप्रयुक्त अनुदान देयता को वित्तीय विवरणों में 'अन्य वित्तीय देयताओं' के रूप में दर्शायी गई है।

6. एनएसएफडीसी की ऋण नीति, बकाया राशि (मूलधन और ब्याज) के भुगतान में चूक (एलडीडीपी) पर निर्धारित/सहमत तिथि के बाद बकाया राशि पर लागू सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तरलता क्षति (एलडीडीपी) का प्रावधान करती है। एलडीडीपी की वसूली की अनिश्चितता के कारण, इसकी वसूली पर ही इसकी पहचान की जाती है। हालाँकि, देखा गया है कि एलडीडीपी के लिए एससीए को नियमित रूप से माँग जारी की जाती रही है।

7. इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल का दायित्व अन्य जानकारी तैयार करना है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है तथा हम इस पर किसी भी प्रकार का

आश्वासन रूपी निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा संपन्न कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है और इस संबंध में हमें कुछ भी सूचित नहीं करना है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में निर्दिश्ट विषयों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो हमारे लिए सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, तथा साथ ही लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना भी है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार संपन्न लेखापरीक्षा गलत बयानी होने के बावजूद भी सदैव किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगा सकती है। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और संपूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित के प्रति भी उत्तरदायी हैं :

- भारतीय लेखा मानक ;(इंड एएस) के वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की डिज़ाइन कर उन्हें निष्पादित करें और लेखापरीक्षा के लिए ऐसे साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम मौजूदा वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष प्रदान करें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण किया जा सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान की है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अर्हताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में चर्चा की है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकते हैं तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप.धारा (11) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार, सीएआरए 2020 ('आदेश') कंपनी पर लागू नहीं होता है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक नहीं दिया गया है।

2. प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देश के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा अपेक्षित हम

संलग्न 'अनुलग्नक 'क' में निर्दिष्ट मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) उचित राय के आधार और विषय के महत्व के खंड में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे,

ख) उपरोक्त उचित राय के आधार और महत्वपूर्ण विषय के खंड में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही रखी गई है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

ग) उपरोक्त उचित राय के आधार और महत्वपूर्ण विषय के खंड में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, इस रिपोर्ट द्वारा तैयार तुलन पत्र, आय–व्यय विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण बही खाता की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

घ) उपरोक्त उचित राय के आधार और महत्वपूर्ण विषय के खंड में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 और यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पढ़ा जाता है।

ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

च) हमारी राय में उपरोक्त पैराग्राफ में वर्णित मामले का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **'अनुलग्नक–ख'** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

ज) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषयों के संबंध में, यथा संशोधित, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार रिपोर्टिंग अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

झ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली 2016 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- कंपनी ने भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।

- कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित ऐसा कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित हानि हुई हो।

- ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना आवश्यक था।

- **(क)** प्रबंधन ने सूचित किया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में प्रकटित को छोड़कर, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) अथवा संस्था(ओं) जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') शामिल हैं, को कोई भी धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से), इस समझ के साथ, लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ('अंतिम लाभार्थियों[टीएम]') द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इस तरह की कोई वस्तु चीज़ प्रदान करेगा।

  (ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में प्रकटित विवरण के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) अथवा संस्था(ओं) जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्तपोषण पक्ष) शामिल हैंए कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई हैए इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा ऐसी ही कोई वस्तु प्रदान करेगी, और

  (ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपखंड (iv)(a) और (iv)(b) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

  i. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमने ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे हमें विश्वास हो कि उपखंड (iv)(a) और (iv)(b) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

  ii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अपने बहीखातों के रखरखाव हेतु टैली ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, यह मानक कार्यक्षमता प्रदान करता है और सिस्टम में सभी परिवर्तित डेटा को लॉग इन करता है। टैली ईआरपी में यह कार्यक्षमता और ऑडिट ट्रेल सुविधा निगम में एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए वर्षभर लागू रही है।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 01.08.2025

ह०

दविन्दर पाल सिह (एफसीए)
भागीदार
एम.एम. सं. 086596
यूडीआईएन : 25086596बीएमजीवाईके17773

दविंदर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

प्रधान कार्यालय : मकान नं. 933
एचआईजी, इंडीपेन्डेंड सैक्टर 70,
मोहाली जिला, एसएएस नगर,
मोबाइल नं. 98140–25756
फोन : 0161–4610756
ईमेल : davinderpal@gmail.com

शाखा कार्यालय : 524–एल, मॉडल टाउन
बावा बेकरी, लुधियाना के सामने
मोबाइल नं. 8360054645
फोन नं. 161–2310756
ईमेल : dpsinghca@yahoo.com

"अनुलग्नक क"

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट के अनुसार

नीचे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** के भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों के संबंध में जारी निर्देशों के उत्तर दिए गए हैं।

1. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और उद्धृत न किए गए दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानक (इंड अकाउंटेंट्स) की अनुरूपता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।	वर्ष के दौरान, कंपनी ने अर्जित अवकाश देयता और ग्रेच्युटी देयता के लिए एक्चुरियल मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है और एक्चुअरी रिपोर्ट के आधार पर प्रावधान बनाया है। "कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 'एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना ट्रस्ट' और 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी चिकित्सा योजना' के नाम से ट्रस्ट बनाए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) दोनों ट्रस्टों का निधि प्रबंधक है।"
2. क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेनों को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की कोई प्रणाली है? यदि हाँ,तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेनों के संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जा सकता है।	कंपनी का वित्तीय लेखाजोखा ईआरपी सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। यद्यपि, कंपनी का ऋण लेखाजोखा मैन्युअल लेज़र पर किया जाता है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, मैन्युअल लेज़र का मिलान ईआरपी सॉफ्टवेयर से किया जाता है। जैसा कि हमें बताया गया है, आईटी सिस्टम के बाहर ऋण लेनदेन की प्रक्रिया से खातों की अखंडता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
3. क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखाजोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के	वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से 3 विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उचित रूप से लेखाजोखा रखा गया है /उपयोग किया गया है।

अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त निधियों का उपयोग अनुदानों पर अर्जित ब्याज के अनुसार किया गया था? क्या यह अनुदान की शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया है, विचलन के मामलों की सूची बनाएँ। क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखाजोखा अनुदान की शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	टिप्पणी 17.2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दिनांक 31.03.2025 तक अप्रयुक्त अनुदान सरकारी अनुदानों के लिए 5744.77 लाख रुपये और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त अनुदानों के लिए 31.19 लाख रुपये है। अप्रयुक्त अनुदान देयता को वित्तीय विवरणों में 'अन्य वित्तीय देयताएँ' के रूप में दर्शाया गया है। प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज भारत सरकार को वापस कर दिया गया है तथा लेखा वर्ष के दौरान इसकी शर्तों के अनुसार कोई विचलन नहीं हुआ है।
4. क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है और इन जोखिमों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। (क) जोखिम प्रबंधन नीति सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। (ख) कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान कर ली है और उनका उचित मूल्यांकन किया गया है।
5. क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अर्हता) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी–आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (जहाँ भी लागू हो) के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों पर प्रकाश डालें।	चूंकि यह एक सूचीबद्ध इकाई नहीं है, इसलिए इस पर सेबी के नियम लागू नहीं होते। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक के लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया गया है। एनएसएफडीसी वेबसाइट एनआईसी (एमईआईटीवाई भारत सरकार) सर्वर पर होस्ट की गई है और सीईआरटी.आईएन, एमईआईटीवाई के लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी ने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की एक फर्म से सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणन प्राप्त किया है। वर्ष के दौरान विचलन का कोई मामला नहीं देखा गया।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 01.08.2025

ह०
दविन्दर पाल सिह (एफसीए)
भागीदार
एम.एम. सं. 086596
यूडीआईएन : 25086596बीएमजीवाईके17773

दविंदर वाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

प्रधान कार्यालय : मकान नं. 933
एचआईजी, इंडीपेन्डेंड सैक्टर 70,
मोहाली जिला, एसएएस नगर,
मोबाइल नं. 98140–25756
फोन : 0161–4610756
ईमेल : davinderpal@gmail.com

शाखा कार्यालय : 524–एल, मॉडल टाउन
बावा बेकरी, लुधियाना के सामने
मोबाइल नं. 8360054645
फोन नं. 161–2310756
ईमेल : dpsinghca@yahoo.com

"अनुलग्नक ख"

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणियों में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक कंपनी की नीतियों के अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करने सहित, कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित किए जाते हैं।

लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन टिप्पणी ('मार्गदर्शन टिप्पणी') और आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार,जहां तक लागू हो, संपन्न की है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर लागू होती हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणियों की आवश्यकता है कि हम नैतिक अर्हताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्श्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक

मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो :

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण सहित कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं,

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं, और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम और समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है जिसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, नीचे दिए गए खंड 1 से 3 में उल्लिखित मामले को छोड़कर, सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहा था, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणियों में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है।

1. एससीए और सीए को स्वीकृत तथा संवितरित धनराशि के अंतिम उपयोग की पुष्टि के लिए प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त रूप से उचित नहीं हैं। प्रबंधन को कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति के अनुरूप प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को धनराशि जारी करना एससीए की एकमात्र ज़िम्मेदारी है। कंपनी को एक लेखा परीक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को धनराशि उचित रूप से संवितरित की जा रही है।

2. कंपनी अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को एससीए और सीए के माध्यम से वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। तथापि, दिनांक 31 मार्च 2025 तक 275.69 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 787.22 करोड रु.) के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

3. विषय पर महत्व देने वाले पैराग्राफ के अंतर्गत खंड 1 से खंड 6 तक उल्लिखित मामले वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर आंतरिक नियंत्रण में कमियां इंगित करती हैं। कंपनी को ऐसे मुद्दों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निगरानी और उसे मज़बूत करना चाहिए।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 01.08.2025

ह०
दविन्दर पाल सिह (एफसीए)
भागीदार
एम.एम. सं. 086596
यूडीआईएन : 25086596बीएमजीवाईके17773

परिशिष्ट–क–2

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 16.1 देखें)

दविंदर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

प्रधान कार्यालय : मकान नं. 933
एचआईजी, इंडीपेन्डेंड सैक्टर 70,
मोहाली जिला, एसएएस नगर,
मोबाइल नं. 98140–25756
फोन : 0161–4610756
ईमेल : davinderpal@gmail.com

शाखा कार्यालय : 524–एल, मॉडल टाउन
बावा बेकरी, लुधियाना के सामने
मोबाइल नं. 8360054645
फोन नं. 161–2310756
ईमेल : dpsinghca@yahoo.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

योग्य राय

हमने नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की तुलन पत्र, आय और व्यय का विवरण एवं इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकद प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सारांश और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ('इंड एएस'') और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी के व्यवसाय, आय, कुल व्यापक आय उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु 'लेखापरीक्षक के दायित्व' खंड में विस्तार से किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक नैतिक अर्हताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अर्हताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों का निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा के मुख्य विषय

लेखापरीक्षा के मुख्य विषयों में ऐसे मामले शामिल हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में, तथा उन पर हमारी राय बनाने हेतु संबोधित किया गया था, जिन पर हमारी पृथक राय नहीं है।

एसए 701 के अनुसार लेखापरीक्षा के मुख्य विषयों की रिपोर्टिंग। लेखापरीक्षा के मुख्य विषय कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

महत्वपूर्ण विषय

1. कंपनी एससीए तथा सीए के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के अनुसार, नए ऋण संवितरण की स्थिति में, एससीए और सीए को ऋण संवितरण की तिथि से 120 दिनों के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त, समग्र ऋण संवितरण की स्थिति में सभी एससीए और सीए से तिमाही आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। तथापि, कुछ मामलों में, निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी को रु.275.69 करोड़ के बकाया ऋणों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं (टिप्पणी 38.2 देखें)।

2. यह देखा गया कि कई एससीए द्वारा ऋण की अदायगी करने में विफल रहे हैं जिसके कारण ब्याज सहित रु.7,772.42 लाख की राशि तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया है। यद्यपि, इसमें से रु.566.87 लाख की राशि दिनांक 30.06.2025 से पहले ही प्राप्त की जा चुकी है (टिप्पणी सं. 38.1 देखें) ।

3. मणिपुर राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (एमएसटीसीबी) से संबंधित **टिप्पणी 6.1(ख)(ii)(क)** की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। मध्यस्थ ने एनएसएफडीसी के पक्ष में आदेश पारित कर एमएसटीसीबी को दावे का विवरण दाखिल करने की तिथि से लेकर प्रतिवादी द्वारा दावेदार (एनएसएफडीसी) को वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित रु.1.53 करोड़ की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। हालाँकि, एससीए निर्धारित समय के भीतर आदेश का पालन करने में विफल रहा है। निगम ने जिला न्यायाधीश, इम्फाल, मणिपुर के न्यायालय में एक मध्यस्था निष्पादन वाद दायर किया है। निगम ने भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखा अवधि के दौरान ब्याज आय की मान्यता स्थगित कर दी है।

4. ऋण और अग्रिम, लेनदार आदि के संबंध में शेष राशि की पुष्टि की व्यवस्था करना कंपनी की ज़िम्मेदारी है। कुछ एससीए, पीएसबी/आरआरबी, एनबीएफसी–एमएफआई तथा लेनदारों के मामलों में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इसका भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव अनिश्चित है, लेकिन परिमाणात्मक रूप से महत्वपूर्ण है।

5. टिप्पणी 17.2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार सरकारी अनुदानों के लिए रु.5744.77 लाख और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त अनुदानों के लिए रु.31.19 लाख की राशि का अप्रयुक्त अनुदान है। अप्रयुक्त अनुदान देयता को वित्तीय विवरणों में 'अन्य वित्तीय देयताओं' के रूप में दर्शायी गई है।

6. एनएसएफडीसी की ऋण नीति, बकाया राशि (मूलधन और ब्याज) के भुगतान में चूक (एलडीडीपी) पर निर्धारित/सहमत तिथि के बाद बकाया राशि पर लागू सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तरलता क्षति (एलडीडीपी) का प्रावधान करती है। एलडीडीपी की वसूली की अनिश्चितता के कारण, इसकी वसूली पर ही इसकी पहचान की जाती है। हालाँकि, देखा गया है कि एलडीडीपी के लिए एससीए को नियमित रूप से माँग जारी की जाती रही है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल का दायित्व अन्य जानकारी तैयार करना है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है तथा हम इस पर किसी भी प्रकार का

आश्वासन रूपी निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा संपन्न कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है और इस संबंध में हमें कुछ भी सूचित नहीं करना है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में निर्दिश्ट विषयों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो हमारे लिए सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, तथा साथ ही लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना भी है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार संपन्न लेखापरीक्षा गलत बयानी होने के बावजूद भी सदैव किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगा सकती है। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और संपूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित के प्रति भी उत्तरदायी हैं :

- भारतीय लेखा मानक ;(इंड एएस) के वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की डिज़ाइन कर उन्हें निष्पादित करें और लेखापरीक्षा के लिए ऐसे साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम मौजूदा वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष प्रदान करें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण किया जा सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान की है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अर्हताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में चर्चा की है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकते हैं तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप.धारा (11) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार, सीएआरए 2020 ('आदेश') कंपनी पर लागू नहीं होता है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक नहीं दिया गया है।

2. प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देश के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा अपेक्षित हम

संलग्न 'अनुलग्नक 'क' में निर्दिष्ट मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) उचित राय के आधार और विषय के महत्व के खंड में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे,

ख) उपरोक्त उचित राय के आधार और महत्वपूर्ण विषय के खंड में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही रखी गई है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

ग) उपरोक्त उचित राय के आधार और महत्वपूर्ण विषय के खंड में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, इस रिपोर्ट द्वारा तैयार तुलन पत्र, आय–व्यय विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण बही खाता की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

घ) उपरोक्त उचित राय के आधार और महत्वपूर्ण विषय के खंड में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 और यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पढ़ा जाता है।

ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

च) हमारी राय में उपरोक्त पैराग्राफ में वर्णित मामले का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **'अनुलग्नक–ख'** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

ज) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषयों के संबंध में, यथा संशोधित, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार रिपोर्टिंग अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

झ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली 2016 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- कंपनी ने भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।

- कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित ऐसा कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित हानि हुई हो।

- ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना आवश्यक था।

- **(क)** प्रबंधन ने सूचित किया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में प्रकटित को छोड़कर, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) अथवा संस्था(ओं) जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') शामिल हैं, को कोई भी धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से), इस समझ के साथ, लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ('अंतिम लाभार्थियों[टीएम]') द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इस तरह की कोई वस्तु चीज़ प्रदान करेगा।

  (ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में प्रकटित विवरण के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) अथवा संस्था(ओं) जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्तपोषण पक्ष) शामिल हैंए कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई हैए इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा ऐसी ही कोई वस्तु प्रदान करेगी, और

  (ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपखंड (iv)(a) और (iv)(b) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

  i. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमने ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे हमें विश्वास हो कि उपखंड (iv)(a) और (iv)(b) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

  ii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अपने बहीखातों के रखरखाव हेतु टैली ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, यह मानक कार्यक्षमता प्रदान करता है और सिस्टम में सभी परिवर्तित डेटा को लॉग इन करता है। टैली ईआरपी में यह कार्यक्षमता और ऑडिट ट्रेल सुविधा निगम में एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए वर्षभर लागू रही है।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 22.08.2025

ह०
दविन्दर पाल सिह (एफसीए)
भागीदार
एम.एम. सं. 086596
यूडीआईएन : 25086596बीएमजीवाईके17773

दविंदर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

प्रधान कार्यालय : मकान नं. 933
एचआईजी, इंडीपेन्डेंड सैक्टर 70,
मोहाली जिला, एसएएस नगर,
मोबाइल नं. 98140–25756
फोन : 0161–4610756
ईमेल : davinderpal@gmail.com

शाखा कार्यालय : 524–एल, मॉडल टाउन
बावा बेकरी, लुधियाना के सामने
मोबाइल नं. 8360054645
फोन नं. 161–2310756
ईमेल : dpsinghca@yahoo.com

"अनुलग्नक क"

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट के अनुसार

नीचे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** के भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों के संबंध में जारी निर्देशों के उत्तर दिए गए हैं।

1. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और उद्धृत न किए गए दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानक (इंड अकाउंटेंट्स) की अनुरूपता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।	वर्ष के दौरान, कंपनी ने अर्जित अवकाश देयता और ग्रेच्युटी देयता के लिए एक्चुरियल मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है और एक्चुअरी रिपोर्ट के आधार पर प्रावधान बनाया है। "कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 'एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना ट्रस्ट' और 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी चिकित्सा योजना' के नाम से ट्रस्ट बनाए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) दोनों ट्रस्टों का निधि प्रबंधक है।"
2. क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेनों को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की कोई प्रणाली है? यदि हाँ,तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेनों के संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जा सकता है।	कंपनी का वित्तीय लेखाजोखा ईआरपी सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। यद्यपि, कंपनी का ऋण लेखाजोखा मैन्युअल लेज़र पर किया जाता है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, मैन्युअल लेज़र का मिलान ईआरपी सॉफ्टवेयर से किया जाता है। जैसा कि हमें बताया गया है, आईटी सिस्टम के बाहर ऋण लेनदेन की प्रक्रिया से खातों की अखंडता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
3. क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखाजोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के	वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से 3 विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उचित रूप से लेखाजोखा रखा गया है /उपयोग किया गया है।

अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त निधियों का उपयोग अनुदानों पर अर्जित ब्याज के अनुसार किया गया था? क्या यह अनुदान की शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया है, विचलन के मामलों की सूची बनाएँ। क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखाजोखा अनुदान की शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	टिप्पणी 17.2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दिनांक 31.03.2025 तक अप्रयुक्त अनुदान सरकारी अनुदानों के लिए 5744.77 लाख रुपये और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त अनुदानों के लिए 31.19 लाख रुपये है। अप्रयुक्त अनुदान देयता को वित्तीय विवरणों में 'अन्य वित्तीय देयताएँ' के रूप में दर्शाया गया है। प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज भारत सरकार को वापस कर दिया गया है तथा लेखा वर्ष के दौरान इसकी शर्तों के अनुसार कोई विचलन नहीं हुआ है।
4. क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है और इन जोखिमों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। (क) जोखिम प्रबंधन नीति सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। (ख) कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान कर ली है और उनका उचित मूल्यांकन किया गया है।
5. क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अर्हता) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी–आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (जहाँ भी लागू हो) के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों पर प्रकाश डालें।	चूंकि यह एक सूचीबद्ध इकाई नहीं है, इसलिए इस पर सेबी के नियम लागू नहीं होते। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक के लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया गया है। एनएसएफडीसी वेबसाइट एनआईसी (एमईआईटीवाई भारत सरकार) सर्वर पर होस्ट की गई है और सीईआरटी.आईएन, एमईआईटीवाई के लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी ने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की एक फर्म से सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणन प्राप्त किया है। वर्ष के दौरान विचलन का कोई मामला नहीं देखा गया।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 22.08.2025

ह०
दविन्दर पाल सिह (एफसीए)
भागीदार
एम.एम. सं. 086596
यूडीआईएन : 25086596बीएमजीवाईके17773

दविंदर वाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

प्रधान कार्यालय : मकान नं. 933
एचआईजी, इंडीपेन्ठेंड सैक्टर 70,
मोहाली जिला, एसएएस नगर,
मोबाइल नं. 98140–25756
फोन : 0161–4610756
ईमेल : davinderpal@gmail.com

शाखा कार्यालय : 524–एल, मॉडल टाउन
बावा बेकरी, लुधियाना के सामने
मोबाइल नं. 8360054645
फोन नं. 161–2310756
ईमेल : dpsinghca@yahoo.com

"अनुलग्नक ख"

नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक नेशनल शेड्यूल्ड कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणियों में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक कंपनी की नीतियों के अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करने सहित, कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित किए जाते हैं।

लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन टिप्पणी ('मार्गदर्शन टिप्पणी') और आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार,जहां तक लागू हो, संपन्न की है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर लागू होती हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणियों की आवश्यकता है कि हम नैतिक अर्हताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्श्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक

मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो :

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण सहित कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं,

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं, और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम और समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है जिसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, नीचे दिए गए खंड 1 से 3 में उल्लिखित मामले को छोड़कर, सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहा था, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणियों में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है।

1. एससीए और सीए को स्वीकृत तथा संवितरित धनराशि के अंतिम उपयोग की पुष्टि के लिए प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त रूप से उचित नहीं हैं। प्रबंधन को कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति के अनुरूप प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को धनराशि जारी करना एससीए की एकमात्र ज़िम्मेदारी है। कंपनी को एक लेखा परीक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को धनराशि उचित रूप से संवितरित की जा रही है।

2. कंपनी अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को एससीए और सीए के माध्यम से वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। तथापि, दिनांक 31 मार्च 2025 तक 275.69 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 787.22 करोड रु.) के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

कृते दविन्दर पाल सिंह एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण सं. 007601एन

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 22.08.2025

ह०
दविन्दर पाल सिह (एफसीए)
भागीदार
एम.एम. सं. 086596
यूडीआईएन : 25086596बीएमजीवाईके17773

परिशिष्ट–ख

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय),
ऑडिट भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली–110002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE),
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE,
NEW DELHI-110002

सं.CW/2-11/NSCFDC/2025-26/871 **दिनांक: 16.09.2025**

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर,
नई दिल्ली – 110092

विषय: नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर "शून्य टिप्पणी प्रमाण पत्र"।

महोदय,

कृपया इस पत्र के साथ 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का शून्य टिप्पणी प्रमाण पत्र प्राप्त करें। वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन पत्र इस पत्र के जारी होने के बाद जारी किया जाएगा।

भवदीय,

ह०
(तान्या अम्बस्था)
उप निदेशक (सीएडब्ल्यू)

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम की धारा-143(6) 9(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा-139(5) के अधीन नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा-143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित अधिनियम की धारा-143 के अधीन वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनके द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2025 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है, जो उनकी दिनांक 01 अगस्त, 2025 और 08 जुलाई, 2025 की पूर्व रिपोर्टों के अधिक्रमण में है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा-143(6)(क) के अधीन **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन**, के दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका पर अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा, स्वतंत्र ढंग से वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजात को देखे बिना किया गया है तथा यह प्राथमिकत: वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा अभिलेखों की जाँच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशेष नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी प्रस्तुत किया जा सके।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
तथा उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16.09.2025

ह०

(सौख कुमार जैपुरियर)
महालेखापरीक्षा
(केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली

कार्यालयों का पता

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
(आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित कंपनी)

प्रधान कार्यालय
14वीं मंजिल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092
फोन: 011-22054394, 22054396
टोल फ्री नंबर: 1800110396
ई-मेल: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट: www.nsfdc.nic.in

संपर्क केंद्र

1	डॉ. वी.आर. सालकुटे, सहायक महाप्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दूसरी मंजिल, पोडियम ब्लॉक, वी.वी. टॉवर, डॉ. अंबेडकर वीधी, बेंगलुरु – 560 001. फोन नंबर: 080-23465175
2	श्री एच.एल. थंगा, उप प्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, न्यू मार्केट फेज-I, 5वीं मंजिल, हुडको बिल्डिंग, 15-एन, नेल्ली सेन गुप्ता सारनी, कोलकाता-700 087 फोन नंबर: 033-22521395
3	श्री के.जी. नाथ, उप प्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओशिवारा म्हाडा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर 5, फ्लैट नंबर 004, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400 053 फोन नंबर: 022-47493581
4	श्री आर.एन. गोंड, उप प्रबंधक, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बी-2, चौथी मंजिल, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010 फ़ोन नंबर 0522-4346535

36वीं वार्षिक रिपोर्ट
36th ANNUAL REPORT
2024-25

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ **9001:2015** प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001:2015 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092
14th Floor, Core - 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092

फोन/Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 टोल फ्री न. / Toll Free No. 1800110396
ई-मेल/E-mail: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website : www.nsfdc.nic.in

CONTENTS

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Company Information	1
2.	Notice	2
3.	Chairman's Message	4
4.	Director's Report	10
5.	Balance Sheet	77
6.	Statement of Income & Expenditure	78
7.	Statement of Cash Flow	79
8.	Independent Auditor's Report	120
9.	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	155
10.	Registered Office & Liaison Centres	157

COMPANY INFORMATION

Board of Directors (2024-25)

Shri Prabhat Tyagi
Chairman-cum-Managing Director
(w.e.f. 02.05.2025)

Shri Rajan Sehgal
Ex-Chairman-cum-Managing Director
(w.e.f. 01.09.2024 to 02.05.2025)

Shri Rajnish Kumar Jenaw
Ex-Chairman-cum-Managing Director
(w.e.f. 01.01.2021 to 30.08.2024)

Shri Biswaranjan Sasmal
(w.e.f. 09.02.2024 to 15.07.2025)

Smt. Debolina Thakur,
(w.e.f. 19.09.2024)

Shri S.M. Awale
(w.e.f. 04.06.2015)

Smt. Sudha Keshari
(w.e.f. 18.12.2023)

Smt. Geeta Bharti
(w.e.f. 18.12.2023)

Shri Mashar Velapurath
(w.e.f. 18.12.2023)

Shri Gurdeep Singh Manaktahla
(w.e.f. 22.01.2024 to 30.06.2024)

Shri Dhammajyoti Ramdas Gajbhiye
(w.e.f. 18.12.2023 to 09.09.2024)

Smt. Anjula Singh Mahur
(Independent Director)
(w.e.f. 06.12.2021 to 05.12.2024)

Shri Durga Prasad Rai
Independent Director
(w.e.f. 29.12.2021 to 29.12.2024)

Statutory Auditors

M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants,
S-53, Industrial Estate,
Phase-2, Okhla,
New Delhi – 110 02**0**

Bankers

- SBI, New Delhi/Kolkata
- Canara Bank, Delhi/Mumbai/Bengaluru
- Punjab National Bank
- Bank of Baroda
- Punjab & Sind Bank
- Union Bank of India
- ICICI Bank
- IDFC First Bank Ltd.
- IDBI
- Axis Bank
- Indusind Bank
- Kotak Mahindra Bank
- Au Small Fin. Bank
- Bandhan Bank
- Equitas Small Financial Bank

Registered Office

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation,
(A Government of India Undertaking)
14th Floor, SCOPE Minar, Core 1 & 2,
Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar,
Delhi-110 0092.

Company Secretary

C.A. Annu Bhogal
General Manager (Finance)

CIN: U93000DL1989NPL034967

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice and Empowerment)

NSFDC/SECT/312/36th AGM/6367-6375 18.09.2025

NOTICE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the members of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation will be held on 29.09.2025 (Monday) at 3.30 p.m., in the old Conference Room No.603, Ministry of Social Justice & Empowerment at 6th Floor ('A'Wing), Shastri Bhawan, New Delhi-110001, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2025, together with Board Report, Auditor's Report, Management's Replies and Comments of the Comptroller & Auditor General of India thereon and pass the following resolution as an ordinary resolution, with or without modification(s):-

"RESOLVED THAT the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2025, together with Board Reports, Auditor's Report, Management's replies thereon and Comments of the Comptroller & Auditor General of India on the same be and are hereby received, considered and adopted."

By the Order of the Board of Directors

(Annu Bhogal)
General Manager (Finance, Audit & Legal) & Company Secretary

Place : Delhi
Dated: 18th September, 2025

NOTE:
A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND THE MEETING AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER (PROXY FORM IS ENCLOSED).

CIN: U93000DL1989NPL034967

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice and Empowerment)

NSFDC/SECT/312/36th AGM/ 29.09.2025

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING TO INTIMATE THE CHANGE IN TIMING

This is to bring kind attention towards the changed timing i.e. preponment by 2:30 hours in the timing of the 36th Annual General Meeting ("AGM") of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation. ("The Company").

Pursuant to the provisions of Section 96 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, this Corrigendum is being issued to inform that the 36th AGM of the Company will be held on Monday, 29th September, 2025 at 1:00 p.m. in the Old Conference Room, No.603, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001, instead of 3:30 p.m. as stated in the Notice of the 36th AGM circulated earlier.

The Notice of the AGM was dispatched to all the shareholders of the Company on 18th September, 2025 in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs. The timing of the meeting mentioned therein was 3:30 p.m. however due to meeting of SGoS, as per direction of the majority shareholders i.e. Hon'ble Secretary, SJ&E, the timing of the AGM has been preponed to 1:00 p.m.

The members of the Company should take note that the 36th AGM will be held on 29th September, 2025, Monday at 1:00 p.m.

This corrigendum of the AGM Notice shall form and integral part of the 36th AGM Notice, which has already been circulated to the shareholders of the Company, and on the form the date hereof, the AGM Notice shall always be read in conjunction with this corrigendum.

By the Order of the Board of Directors

(Annu Bhogal)
General Manager (Finance, Audit & Legal) & Company Secretary

Place : Delhi
Dated: 29th September, 2025



CHAIRMAN'S ADDRESS ON 36th AGM OF NSFDC

Dear Members,

On behalf of the Board of Directors, I extend a very warm welcome to all of you to the 36th Annual General Meeting of your Company. I would like to convey my sincere gratitude to you for sparing your valuable time to be present on this important occasion.

The Annual Report for the financial year ending 31st March, 2025 along with the Directors' Report, Audited Annual Accounts with the Report of Auditors and comments of Comptroller and Auditor General of India have already been circulated to the Members, and with your permission, I shall take them as read.

As on 31st March, 2025, the Authorized Share Capital of your Corporation was ₹1800.00 crore and Paid-up Capital was ₹1515.00 crore.

❖ **Major Achievements**

- **Lending Schemes**

  During the year, your Corporation sanctioned proposals worth ₹ 759.50 crores to the SCAs/CAs for implementation of Schemes. During the year, your Corporation disbursed ₹611.78 crores i.e., 83.40% of total funds available as against the target of 100% ('Excellent' target under MoU) to the SCAs/CAs for implementation of schemes to benefit 41,750 beneficiaries.

- **<u>Skill Development Training Programmes</u>**

  As per the PM-DAKSH Yojana Guidelines, 2024-25, the NSFDC was not the implementing agency for the financial year 2024-25, thus, NSFDC has not implemented SDTPs during the financial year 2024-25. However, NSFDC has released an amount of ₹17.03 crore (including ₹ 4.44 crore Stipend amount released to the eligible trainees) to the Training Institutes towards implementation of SDTPs sanctioned during the financial year 2023-24.

  Out of 30,660 persons for which SDTPs were commenced during the financial year 2023-24, training programmes for 7,807 persons were completed up to 31.03.2024 and the rest training programmes for 22,853 persons were completed during the financial year 2024-25.

- **<u>National Fellowship For SC Students (NFSC)</u>**

  National Fellowship for Scheduled Caste Students (NFSC) Scheme is a Central Sector Scheme of the MoSJ&E, introduced from the financial year 2005-06 to provide fellowships in the form of financial assistance to the students belonging to Scheduled Caste category to pursue higher studies leading to M.Phil/Ph.D in Science, Humanities, Social Science, in Indian Universities/Institutions/Colleges recognized by University Grants Commission (UGC).

The Scheme provides 2,000 new Junior Research Fellowships per year to such Scheduled Caste students who have qualified in UGC NET (1,500) and Joint CSIR UGC NET (500) examination. These slots are over and above the number of Scheduled Castes students selected under the normal reservation policy of the Government for UGC and CSIR Fellowships.

The Scheme provides financial assistance to scholars in form of fellowship, contingencies, escort/ reader assistance & HRA to pursue their higher studies.

The fellowship and other financial components are released in DBT mode to the eligible scholars through a dedicated Scholarship & Fellowship Management Portal (SFMP) of the Canara Bank.

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) is appointed as a Central Nodal Agency (CNA) w.e.f. 01.10.2022.

During the Financial Year 2024-25, your Corporation has released ₹ 216.75 crore under NFSC Scheme to 4,143 Scholars.

- **Scheme for Economic Empowerment of De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities (SEED)**

Scheme for Economic Empowerment of DNT's (SEED) is a Central Sector Scheme of Development and Welfare Board for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities (DWBDNC), DNT Board, MoSJ&E, Govt. of India.

NSFDC is an implementing agency for the livelihood component of SEED.

The livelihood component enables the target group to earn sustainable livelihood. Interventions include **Self Help Group (SHG) formation,** capacity building, skill training and employment/self-employment. The target group is also facilitated for entitlements under Ayushman Card, Aadhaar Card, Jhan Dhan Yojana, Pension Scheme and Caste certificate.

The SEED project was sanctioned for formation of 1450 SHGs [i.e. Andhra Pradesh (150 SHGs), Maharashtra (300 SHGs), Tamil Nadu (500 SHGs) and Uttar Pradesh (500 SHGs)] and an amount of ₹1385.00 lakhs was released to NSFDC, as an advance by the DNT Board.

During the Financial Year (2024-25), your Corporation implemented the scheme in 28 districts of 04 States [namely, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Uttar Pradesh] through 08 Partner Agencies [namely, M/s National Institute for Micro Small and Medium Enterprises (Ni-MSME), M/s Nirman Bahu Uddeshiya Sansthan, M/s Navchetana Sarvangin Vikas Kendra, M/s DHAN (Development of Humane Action) Foundation, M/s Mysore Resettlement Development Agency (MYRADA), M/s Aga Khan Foundation, M/s Arpan Seva Sansthan and M/s The Goat Trust] and formed 1058 SHGs.

During the Financial Year (2024-25), your Corporation has released ₹ 635.88 lakhs under SEED Project to the 08 Partner Agencies and SHGs towards Revolving Funds & Entry Point Activities.

- **Vanchit Ikai Samooh Aur Vargon Ki Arthik Sahayta (VISVAS) Yojana: Interest Subvention Scheme**

VISVAS Yojana is an initiative of the Department of Social Justice and Empowerment (DoSJE), Government of India, to support livelihood activities for marginalized SC, OBC, and Safai Karamcharis (including manual scavengers and waste pickers) with a 5% interest subvention on income-generating loans. Individual and SHG loanees (with at least 70% target group members) with standard accounts in Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Bank (RRBs), Private Banks, Small Finance Banks, and similar institutions are eligible for this benefit.

The Scheme is being implemented by the three Corporations under the administrative control of DoSJE, namely the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), the National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) and the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC).

All subvention claims from lending institutions are processed via the PM SURAJ portal, a digital initiative to provide end-to-end solutions for an umbrella of financial inclusion schemes implemented by DoSJE. This includes, apart from VISVAS, the lending schemes of Corporations and the Venture Capital Fund.

The total number of SC beneficiaries targeted under the Scheme is 3.13 lakh, against which the Corporation has received claims of 1.62 lakh beneficiaries under VISVAS. Corporation has disbursed ₹9.64 crore to 1,62,294 beneficiaries during Financial Year 2024-25.

- **Achievements vis-à-vis Targets of MoU (2024-25)**

During the year, the achievement by your Corporation, as per MOU parameters on the basis of the audited data, total aggregate score for the financial year 2024-25 comes to 74.95 (provisional) which conform to 'Very Good' Rating.

- **Special Initiatives**

Your Corporation has taken special initiatives during 2024-25 to further broaden and strengthen its activities. Some of them are as follows:-

(i) **Convergence with Schemes of Development Commissioner (Handlooms), Ministry of Textiles**

On the basis of Baseline Survey conducted by the Corporation earlier and submission of Detailed Project Report (DPR), Development Commissioner (Handlooms) vide sanction order No.1/5/4/2023-DCH/NHDP/MP/CDP-II dated 19.02.24/14.06.24 (revised) sanctioned Chanderi Handloom Cluster under Small Cluster Development Programme (SCDP) with total project cost of ₹ 189.65 lakhs covering 676 weavers. NSFDC in the capacity of PIA will receive an amount of ₹ 46.50 lakh towards Baseline survey, Product Development, Exposure Visit, Participation in Exhibition/BSMs/Publicity, Documentation of Cluster activity, Engaging of Textile Designer and Project Management Cost.

Accordingly, first State Level Project Committee (SLPC) meeting was held on 30.07.24 under the Chairmanship of Commissioner of Handloom & Handicrafts, Bhopal (MP) to discuss the implementation and activities to be undertaken for the cluster. In the meeting, decision was taken on appointment of Cluster Development Executive (CDE) & Designer through advertisement.

Further, NSFDC officials carried out survey at cluster locations during 03.09.24 to 10.09.24 to shortlist the weavers to benefit under Hathkargha Sanvardhan Sahayta (HSS) i.e. distribution of Looms, Jacquard & Lightning unit to weavers.

(ii) **Capacity building of 50 SC women artisans in Kutch Embroidery under Skill/ Technology upgradation scheme of NSFDC**

Training-cum-capacity building programme was organized from 15.10.2024 to 14.11.2024 at Village: Talwana, Distt: Kutch-Bhuj, Gujarat through the PIA. The programme was inaugurated by DGM, NSFDC alongside representatives from the O/o Assistant Director, Handicraft Service Center (HSC), Ministry of Textiles, GoI, Kutch-Bhuj (Gujarat) and PIA. 25 SC women artisans were trained in Kutch Embroidery craft. The total cost of ₹ 7.95 lakh

for the programme was sponsored by NSFDC.

(iii) **The Goat Trust**

Under MoA between NSFDC and The Goat Trust (TGT), UC of ₹ 8,53,600/- was submitted by The Goat Trust on completion of training-cum-capacity building programme for 50 goat farmers. Further, nominated committee identified 30 goat farmers for the 2nd batch of training-cum-capacity building programme on 04.01.2024.

2nd phase of training-cum-capacity building programme was undertaken by the Goat Trust in two batches during 24.06.24 to 26.06.24 and 08.07.24 to 10.07.24.

(iv) **PM SURAJ Portal**

The Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India is maintaining and enhancing Pradhanmantri Samajik Uthhan evam Rozgar Adharit Jankalyan (PM-SURAJ) Portal. The target groups of NSFDC, NBCFDC & NSKFDC can apply for loan through this portal. The portal is also being integrated with NSFDC's Loan Accounting Management System for enhanced efficiency.

(v) **Workshop cum MDP**

NSFDC organized 6 Workshops from 15.07.2024 to 26.07.2024 at Jalandhar, Punjab and on 18.01.2025 at Jammu, J&K for the officials of Punjab Gramin Bank and J&KSCSTBCDC respectively. Fruitful discussions were held with the SCAs/CAs representative on revised NSFDC policy, incentives to beneficiaries and obtaining proposals for fund outflow during financial year. The outcome of the discussion was taken into consideration while revising the schemes of NSFDC.

(vi) **Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes (AMRCD) on repayment of overdues.**

The long pending overdues pertaining to the States/SCAs of Andhra Pradesh (APSCCFC), Bihar (BSCCDC), Chhattisgarh (CSASVEVN), Gujarat (GSCDC), Jharkhand (JSCDC) and Madhya Pradesh (MPSCFDC) were brought under the ambit of Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes (AMRCD). A total amount of ₹ 273.31 crore was claimed to be resolved for repayment through the AMRCD process.

The Committee of Secretaries (CoS) consisting of the Secretary, SJ&E, GoI; the Secretary, Legal Affairs, GoI and the Concerned Officials of the State Government participated in the AMRCD meetings held during the financial year on 05.07.2024, 19.11.2024 and 10.02.2025 under hybrid mode.

After the payment of overdue amounting to ₹ 7.38 crore under "One Time Settlement", as per the decisions taken in the AMRCD preliminary meeting, the AMRCD proceeding against Bihar (BSCCDC), stands closed.

As per the decision taken by the Committee of Secretaries (CoS) under AMRCD. Jharkhand (JSCDC) has repaid ₹ 5.42 crore as lump sum payment to NSFDC and closure of matter under AMRCD is in process.

Andhra Pradesh (APSCCFC) and Gujarat (GSCDC) have initiated repayment process as per the decisions taken by the Committee of Secretaries (CoS) and repaid ₹ 24 crore and ₹ 1.14 crore respectively.

Due to persistent defaults, two more cases of Maharashtra (MPBCDC) and Rajasthan (RSCDC) amounting to ₹ 228.80 crore are being escalated to AMRCD. These efforts may facilitate recovery through AMRCD mechanism.

(vii) **Exhibitions / Composite Awareness Camps in States**

During the year, your Corporation participated in major exhibitions namely Shilp Samagam Mela held at Dilli Haat, IITF held at Pragati Maidan, New Delhi, Surajkund International Craft Mela held in Faridabad, Haryana, Shilp Samagam Melas held in Thiruvanantpuram (Kerala) and Nashik (Maharashtra), and Maha Kumbh Mela, Prayagraj (Uttar Pradesh). The Corporation also participated in Composite/ Awareness Camps held in Salem (Tamil Nadu) to publicize the Ministry's and National Corporation's schemes at the ground level.

(viii) **Coverage of Women Beneficiaries**

During the year, your Corporation has provided concessional financial assistance of ₹ 295.96 crores to 26,868 women beneficiaries under its various Schemes, which constituted 48.38% of the year's total disbursement and 64.35% of the total coverage against the norm of 40% both in financial and physical terms respectively.

(ix) **Corporate Governance**

Your Corporation was graded "Excellent" by the Department of Public Enterprises (DPE) on the basis of compliance with Guidelines on corporate governance. The Company is committed to maintain the highest standards of corporate governance and adhere to the guidelines set out by the Companies Act, 2013 and DPE.

(x) **Quality Management System Certification License (ISO 9001:2015)**

Your Corporation is an ISO Certified Organization and conforms to all the requirements of Quality Management System (QMS) Certification, as per ISO 9001:2015.

The NSFDC has been awarded the Quality Management Certification in accordance with ISO 9001:2015 by Royal Impact Certification Limited (RICL) on 24.1.2023. The said Certification is valid until 23.1.2026 subject to yearly Surveillance Audit. The first and second Surveillance Audit have been successfully completed on 25.06.2024 & 14.02.2025 respectively.

(xi) **Strengthening of IT-System**

- Your Corporation continues to advance its digital infrastructure to enhance operational efficiency. The Corporation has fully adopted e-Office for seamless digital processing of files across departments including Project, Finance, and Skill Training. All officials at the Head Office and Liaison Centres actively utilize e-Office, with the ability to access the platform remotely via the NIC web VPN, ensuring uninterrupted workflow from remote locations.
- NSFDC maintains a dynamic, bilingual, and disability-friendly website, compliant with the Guidelines for Indian Government Websites (GIGW). The website is hosted at NIC cloud server which is secured by Secure Sockets Layer (SSL) certificate and regular security audit.
- The Corporation also manages an in-house database module for projects related data, enabling generation of comprehensive reports. To safeguard the data, hardware, and networks from viruses, spyware, adware, and other threats, NSFDC has deployed periodically updated antivirus software. Additionally, during the reporting year, the Corporation strengthened its IT infrastructure by procuring new PCs, accessories, and peripherals, ensuring a reliable technological foundation.

Road Ahead

Your Corporation will use innovative approaches to face the challenges in the lending scenario, to assist the target group for accelerating economic growth and increasing incomes. The focus of assistance will continue to be in economic activity, professional/technical education and skill development leading to employability. Geographically, the focus will be primarily on areas where the concentration of the target group is high, particularly in the aspirational districts of the country. Your Corporation will continue building on existing collaborative relationships and develop new partnerships with channelizing agencies and other development partners as well as follow multi-pronged strategy to promote entrepreneurship among Scheduled Castes along with convergence with the schemes of other Ministries.

Acknowledgements

On behalf of the Board of Directors of the Company, I take this opportunity to convey my deep gratitude for your continued support and valuable guidance. I convey my sincere thanks to the Ministry of Social Justice and Empowerment for their unstinted support and co-operation. I appreciate and acknowledge the support of the Board of Directors for their constant advice and encouragement. I acknowledge the assistance received from various Ministries of Government of India, Department of Public Enterprises, State Governments and UT Administrations. I also acknowledge the cooperation received from various State Channelizing Agencies, Channel Partners consisting of various Public Sector Banks, Regional Rural Banks and Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions, Skill Training Institutions etc.

I would also acknowledge the sincere efforts of all employees of the Corporation which have enabled us to reach higher milestones. I look forward to continued support from all stakeholders in this journey.

(Prabhat Tyagi)
Chairman-cum-Managing Director

Place: Delhi

Date: 29.09.2025

DIRECTORS' REPORT (2024-25)

I welcome you to the 36th Annual General Meeting of your Corporation. Annual General Meetings are a platform to discuss the Annual Report on the progress of your Corporation together with its Audited Financial Statements, Auditors' Report and Comments of the C&AG on Accounts.

1. CORPORATE PROFILE

Your Corporation was set up as National Scheduled Castes & Scheduled Tribes Finance and Development Corporation on 08.02.1989, as a Company 'not for profit' under Section-25 of the Companies Act, 1956 (now, under Section-8 of the Companies Act, 2013). It catered to the needs of both Scheduled Castes & Scheduled Tribes target groups till 09.04.2001. On 10.04.2001, the Corporation was bifurcated after creation of National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation for Scheduled Tribes target group under Ministry of Tribal Affairs. Consequent upon its bifurcation, your Corporation now exclusively caters to the needs of Scheduled Caste target group.

1.1 Vision

To be the leading catalyst in systematic reduction of poverty through socio-economic development of eligible Scheduled Castes, working in an efficient, responsive and collaborative manner with channelizing agencies and other development partners.

1.2 Mission

Promote prosperity among Scheduled Castes by improving flow of financial assistance and through skill development & other innovative initiatives.

1.3 Objectives

The Memorandum of Association of your Corporation lists the following main objects to be pursued:

(i) Identification of trades & other economic activities of importance to Scheduled Castes population.
(ii) Upgrapdation of skills & processes used by persons belonging to Scheduled Castes.
(iii) Promotion of small, cottage & village industries.
(iv) Financing of pilot programmes for upliftment and economic welfare of persons belonging to Scheduled Castes.
(v) Improvement in flow of financial assistance to persons belonging to Scheduled Castes for their economic well-being.
(vi) Assistance to target group in setting up their projects by way of project preparation, training and financial assistance.
(vii) Extending loans to eligible students belonging to Scheduled Castes for pursuing full-time professional and technical courses in India and abroad.

(viii) Extending loans to eligible youth to enhance their skill & employability by pursuing vocational education & training courses in India.

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit-based schemes to persons belonging to Scheduled Castes through the States/UTs Channelizing Agencies and other channel partners and is also implementing various non-credit based schemes to support the target groups.

1.4 Authorized and Paid-up Share Capital

During the year, the authorized share capital of your Corporation is Rs.1800.00 crore. The cumulative paid up share capital at the beginning and end of financial year 2024-25 remains Rs.1515.00 crore.

1.5 Organization Chart:

Your Corporation is headed by a Chairman-cum-Managing Director who is assisted by one Chief General Manager, five General Managers and a team of Senior Executives. There are 75 employees working in your Corporation as on 31.03.2025. Apart from Projects, Finance, Human Resource, Administration Departments, there are other Departments/Cells viz. Corporate Services, Internal Audit, Co-ordination, Vigilance, Legal, MIS, Grant Based Model, Corporate Social Responsibility, RTI, ISO, Record Management and Official Language Cell. As far as operations of your Corporation are concerned, the HoDs/Desk-in-charges posted in the Project Department are assigned with specific States/UTs where they ensure efficient implementation and monitoring of NSFDC schemes through State Channelizing Agencies (SCAs), Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Banks (RRBs), Co-operative Banks, Co-operative Societies, other Institutions and the Last Mile Financiers, i.e., the NBFC-MFIs working at the grass root level in backward regions.

The Organization Chart is depicted at **Annexure-I.**

1.6 Liaison Centres:

Your Corporation has four Liaison Centers, which keep liaison with respective States/UTs Channelizing Agencies & other Channel Partners and monitor implementation of various schemes in the respective States/UTs. The locations of the Liaison Centers and their jurisdiction are given below:

Sl. No.	Liaison Centers	Jurisdiction
(i)	Bengaluru	Tamil Nadu, Telangana, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Puducherry
(ii)	Mumbai	Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Goa, Daman & Diu, Dadra Nagar Haveli

Sl. No.	Liaison Centers	Jurisdiction
(iii)	Kolkata	Odisha, West Bengal, Bihar Jharkhand, Chhatisgarh, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura and Sikkim
(iv)	Lucknow	Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Uttrakhand

Delhi & Chandigarh are being monitored from Head Office, directly.

1.7 Channel Finance System

(i) Your Corporation implements various credit based and non-credit based schemes for the target group through a network of 38 States/UTs Channelizing Agencies (SCAs) spread across the country that are nominated by respective State Governments/UT Administrations. In addition, your Corporation has also established alternate channels for implementation of schemes through Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Banks (RRBs), Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) and other Institutions. As on 31.03.2025, your Corporation has 66 (***after amalgamation of PSBs & RRBs)*** Alternate Channelizing Agencies (CAs).

(ii) State/UT-wise list of SCAs/CAs is given at **Annexure-II (A) & (B)**.

(iii) Formulation and sponsoring of project proposals based on local needs, identification of eligible applicants and selection of beneficiaries, documentation with beneficiaries, implementation of schemes and recovery of loans from beneficiaries lies in the domain of the SCAs/CAs.

1.8 Notional Allocation of Funds

At the beginning of each financial year, your Corporation notionally allocates funds to the SCAs/CAs, in proportion to the Scheduled Castes population of the Country represented by the respective State/UT.

1.9 Norms for Disbursement of Funds

1.9.1 Norms of SCAs

Before disbursement of funds to the SCAs, the following norms are taken into consideration:

- **Guarantee:**
  Availability of adequate State Government Guarantee/Bank Guarantee/State Government Order/State Government Assurance.

- **Utilization Level:**
  There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March.

- **Repayment of Dues:**
  There should not be any overdues more than one year old.

The above norms are followed in case of disbursement under loan schemes. As regards the Educational Loan Scheme introduced w.e.f. 01.12.2009, the conditions of availability of State Government Guarantee and no overdues more than one year old are ensured at the time of sanction of Education Loan.

1.9.2 Norms for PSBs/RRBs

As per the Lending Policy of NSFDC, the PSBs & RRBs (Channelizing Agencies) have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:



Signing of Moat with Ujjivan Small Finance Bank on 13.12.2024.



Signing of MoA with Odisha Gramya Bank on 18.02.2025.

- There shall be no overdue in payments against demand of earlier disbursals.
- The cumulative utilization level of earlier disbursements shall be 80% as at the end of preceding month for disbursement of funds till February end. However, for disbursement of funds in the month of March utilization level of 80% will be considered at the end of preceding day of disbursement.
- Besides above, the following conditions are to be fulfilled by the Regional Rural Banks (RRBs) based on their Annual Accounts of the preceding financial year:
  (a) Net Non-performing Assets (NPA) must be less than 15% in at least 3 years out of last 6 years preceding to the year of disbursement.

(b) The RRB must be in profit (net profit) for at least in 3 out of last 6 financial years preceding to the year of disbursement.
(c) Should not be a defaulter of any Regulatory Body.
(d) In case of amalgamated/merged entities, NPA norms of previous years of dominant partner of RRB retained with the same sponsor Bank will be considered.

1.9.3 Norms for Other Organizations

Fixed Deposit lien to NSFDC/Bank Guarantee/Multi-city Post Dated Cheques in favour of NSFDC issued by a Public Sector Bank (PSB).

1.9.4 Norms for NBFC-MFIs

As per the Lending Policy of NSFDC, the NBFC-MFIs (Channelizing Agencies) have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:

- No pending utilization of NSFDC funds for more than one year at the end of the preceding financial year.
- There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March.
- No overdues payable to NSFDC at the time of disbursement.
- The disbursement to NBFC-MFIs shall be subject to Security.
- Under Cluster Mode, Guarantee from Public Sector Bank (PSB) equivalent to the amount to be disbursed or 50% in the form of Post Dated Cheques (PDCs) and 50% Fixed Deposit from PSB. One undated PDC equivalent to the 50% of amount to be disbursed.
- Under Non-Cluster Mode, Guarantee/Fixed Deposit from Public Sector Bank equivalent to the amount to be disbursed or up to 50% in the form of mortgage of Residential/Commercial property alongwith Personal/ Corporate Guarantee of respective property owner(s) and remaining as Guarantee/Fixed Deposit from PSB.

1.9.5 Norms for Co-operative Banks

As per the Lending Policy of NSFDC, the Cooperative Banks (Channelizing Agencies) have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:

- There should not be any overdues payable to NSFDC at the time of disbursement.
- There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March, under project-based schemes.

Besides above, the following conditions are to be fulfilled by the Cooperative Banks based on their Annual Accounts of the preceding financial year:

- Net Non-performing Assets (NPA) of the CA(s) should be less than 5% for the preceding financial year.

  Or

  Average net NPA for the last 05 financial years should be less than 5%. Further, out of these 05 years, the net NPA of the CA(s) should be less than 5% each year, for at least 03 years.

- CA(s) should have 3 years of continuous profit track record.

  Or

  CA(s) should be in profit for at least any 03 out of last 05 financial years.

- CA(s) should not be defaulter of any Regulatory Body.
- Satisfactory Credit Opinion Report of funding organization in respect of the Cooperative Society.

1.9.6 Norms for Co-operative Societies

As per the Lending Policy of NSFDC, the Cooperative Societies (Channelizing Agencies) have to fulfill certain norms to be eligible for disbursement of funds from NSFDC. These norms are given as under:

- There should not be any overdues payable to NSFDC at the time of disbursement.
- There should be a minimum of 80% cumulative utilization level of funds already disbursed as at the end of preceding month for disbursement till February end and cumulative fund utilization level of 80% at the end of preceding day for disbursement of fund in the month of March, under project-based schemes.
- Besides above, the following conditions are to be fulfilled by the Cooperative Societies based on their Annual Accounts of the preceding financial year:
  - Central/State Government should be Stakeholder in the Share capital of the Cooperative Society.
  - Central/State Government should have nominated members in the Board of Directors/Governing Body of the Cooperative Society.
  - Net Non-performing Assets (NPA) of the CA(s) should be less than 5% for the preceding financial year.

  Or

  Average net NPA for the last 05 financial years should be less than 5%. Further, out of these 05 years, the net NPA of the CA(s) should be less than 5% each year, for at least 03 years.

- CA(s) should have 3 years of continuous profit track record.
  Or
  CA(s) should be in profit for at least any 03 out of last 05 financial years.

- The CA should have credit rating of *Adequate Safety* equivalent to 'A' of CRISIL.
- CA(s) should not be defaulter of any Regulatory Body.
- The CA(s) should not have defaulted in repayment of outside borrowings in the last three years or undergone a corporate debt re-structuring.
- Satisfactory Credit Opinion Report of funding organization in respect of the Cooperative Society.

1.10 Beneficiaries' Eligibility Criteria

The eligibility criteria of applicants for coverage under Corporation's schemes are as under:

(i) Applicants should belong to the Scheduled Caste community.

(ii) Annual family income of the applicants should be within Rs.3.00 lakhs (for both rural and urban areas w.e.f. 08.03.2018) under Credit Based Schemes.

The Annual Family Income Criterion will not be applicable for skill development training programmes. The funds under skill development training programmes shall be provided as per the norms of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India.

1.11 Norms for coverage of Women Beneficiaries

Your Corporation gives importance to adequate coverage of women beneficiaries under its schemes. Consequent upon the recommendation of Task Force on Convergence and Coordination of Government Programmes / Schemes for Educational, Economic and Social Empowerment of Scheduled Castes and OBC women, your Corporation has devised norms to cover 40% women beneficiaries both in financial and physical terms under its schemes.

1.12 Schemes of Corporation

Your Corporation has various Credit Based & Non-Credit Based Schemes for providing financial and other assistance to the beneficiaries. Loans are provided to beneficiaries for various economic activities under Agriculture & Allied, Small Industries and Services including Transport Sectors. Your Corporation also provides loan for pursuing higher education and vocational education & training.

Details of schemes financed by your Corporation for the target group through its SCAs and CAs are as follows:

1.12.1 Credit-Based Schemes

The various schemes formulated over the years by your Corporation include Mahila Samriddhi Yojana, Micro Credit Finance, Suvidha Loan, Utkarsh Loan, Educational Loan Scheme, Aajeevika Microfinance Yojana and Udyam Nidhi Yojana, for the socio-economic development of its target group. Under these schemes, loans are provided at concessional interest rates ranging from 2% to 5% p.a. Further, the SCAs/CAs are allowed to add 4% (except 10% in case of Aajeevika Microfinance Yojana and 8% in case of Udyam Nidhi Yojana) to the aforesaid interest rates under different Schemes and charge interest from the beneficiaries.

1.12.1(A) Unit Costs, NSFDC Share & Interest Rates

S.No		Project Cost	Maximum Loan limit up to 90% of Project Cost	Interest Rate p.a. for	
				CAs	Beneficiary
SCHEMES TO BE IMPLEMENTED THROUGH SCAs / PSBs / RRBs					
(i)	Mahila Samriddhi Yojana (MSY)	Up to Rs.1.40 lakh	Rs.1.25 lakh	2%	6%
(ii)	Micro-Credit Finance (MCF)	Up to Rs.1.40 lakh	Rs.1.25 lakh	2.5%	6.5%
(iii)	Suvidha Loan	Up to Rs.10 lakh	Rs.9 lakh	4%	8%
(iv)	Utkarsh Loan	Above Rs.10 lakh and upto Rs. 50 Lakh	Rs.45 lakh	5%	9%
EDUCATION LOAN					
(v)	Educational Loan Scheme (ELS)	For studies in India, upto Rs.30 lakh or 90% of course fee, whichever is less		2% (Men) 1.5% (Women)	6% (Men) 5.5% (Women)
		For studies abroad, upto Rs.40 lakh, or 90% of course fee, whichever is less		3% (Men) 2.5% (Women)	7% (Men) 6.5% (Women)
SCHEME TO BE IMPLEMENTED THROUGH NBFC-MFIs					
(vi)	Aajeevika Microfinance Yojana (AMY)	Up to Rs.1.40 lakh	Rs.1.25 lakh	5 %	15%
SCHEME TO BE IMPLEMENTED THROUGH CO-OPERATIVE SOCIETIES / CO-OPERATIVE BANKS					
(vii)	Udyam Nidhi Yojana (UNY)	Upto Rs.5.00 lakh	Rs.4.50 lakh	5 %	13%

1.12.1(B) Means of Finance

As per your Corporation's Lending Policy, the Corporation (NSFDC) provides loans up to 90% of unit cost. The channelizing agencies and/or promoters provide the remaining amount of the cost of the project.

1.12.1(C) Promoter's Contribution

In order to have promoter's stake and involvement in the project, promoter's contribution is insisted under Term Loan projects costing above Rs.1.00 lakh per unit as per the details given below:

Sl. No.	Project/Unit Cost	Minimum Promoter's Contribution as %age of Project Cost
(i)	Projects costing up to Rs.1.00 lakh	Not insisted upon
(ii)	Projects costing above Rs.1.00 lakh & up to Rs. 5.00 lakhs	2%
(iii)	Projects costing above Rs.5.00 lakhs & up to Rs. 10.00 lakhs	3%
(iv)	Projects costing above Rs.10.00 lakhs & up to Rs. 50.00 lakhs	5%

1.12.1(D) Subsidy to Beneficiaries

In all the schemes except Educational Loan Scheme, subsidy up to Rs.50,000/- or 50% of the unit cost, whichever is less, is provided by SCAs to the Below Poverty Line (BPL) beneficiaries from Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan (SCSP) funds released by Ministry of Social Justice & Empowerment to the State Governments. Under Educational Loan Scheme, beneficiaries enrolled in recognized Technical/ Professional courses (after Class XII) are also eligible for interest subsidy during moratorium period, which is provided by the Ministry of Human Resources Development (MHRD) under the Central Scheme of Interest Subsidy for students belonging to economically weaker sections.



Shri Moti Lal Das, Agartala availed loan under LVY through TSCDC, Tripura for Stationary Shop on 11.12.2024.

1.12.1(E) Moratorium Period

Moratorium (Repayment Holiday) for repayment of principal amount is given to beneficiaries after disbursement of loan to enable beneficiaries to gain a firm footing in their business activities.

However, no moratorium is offered for payment of interest amount. The scheme-wise moratorium periods are given as under:

Scheme	Moratorium Period
➢ Mahila Samriddhi Yojana	3 months
➢ Micro Credit Finance	3 months
➢ Suvidha Loan	6 months except for plantation and construction activities for which it will be 12 months
➢ Utkarsh Loan	6 months except for plantation and construction activities for which it will be 12 months
➢ Educational Loan Scheme (ELS)	Course period plus 01 year- where repayment has not started Upto 6 months- where loan disbursed and repayment started
➢ Aajeevika Microfinance Yojana (AMY)	3 months
➢ Udyam Nidhi Yojana (UNY)	3 months

1.12.1(F) Repayment Period

The repayment period of loans is broadly fixed on the basis of assessment of cash flow generation, life of the project assets and gestation period of projects. Repayment periods under different schemes and activities are given below:

Schemes	Repayment period
Mahila Samriddhi Yojana (MSY)	Within 3 years
Micro-Credit Finance (MCF)	Within 3 years
Suvidha Loan	Within 5 years
Utkarsh Loan	Within 7 years
Educational Loan Scheme (ELS)	Within 10 years- where loan disbursed and repayment started, Within 12 years- where repayment has not started
Aajeevika Microfinance Yojana (AMY)	Within 3 Years
Udyam Nidhi Yojana (UNY)	Within 5 Years



Members of Polivu health care manufacturing personal health care product under Utkarsh Loan Yojana (ULY) of NSFDC during 2024-25.

1.12.1(G) Second time loan facility

Beneficiaries, if they have availed first time loan under any of the NSFDC Scheme, after repayment of entire loan within the stipulated period, are eligible for availing loan under any Scheme of your Corporation subject to the following two conditions:

(a) full repayment of earlier loan in time and (b) submission of Field Report on actual asset creation and successful running of the business.

1.12.1(H) Sector-wise illustrative list of projects financed

Projects financed under various Credit Based Schemes are categorized into four major sectors namely Agriculture & Allied, Small Industries, Services & Transport and Educational Loan Scheme. Illustrative list of projects under different sectors are given as under:

Agricultural & Allied Sector	
➢ Agricultural Land Purchase	➢ Tractor Trolley
➢ Poly House	➢ Power Tiller With Trolley
Industries Sector	
➢ Flour Mill & Chilly Mill	➢ Fly Ash Bricks Manufacturing
Service & Transport Sector	
➢ Mini Venture	➢ Tent House
➢ Kirana & Cool Drinks	➢ Centering Materials
➢ Mini Hotel	➢ Medical Shop
➢ Mini Super Bazar	➢ Leather Chappal Mfg. Unit
➢ Concrete Mixture	➢ DTP with Laser & Screen
➢ Internet with Xerox Machine	➢ Advocate Office
➢ Mini Super Bazar	➢ Fast Food
➢ Mushroom Processing	➢ Guest House Cum Lodge
➢ Green Business (E-Rickshaw)	➢ Auto Taxi
➢ Pickup Van	➢ Jeep Taxi
➢ Auto Trolley Goods	➢ Small Business
➢ Taxi Car	➢ Auto Goods Carrier
➢ Small Business (Agriculture& Allied)	➢ Auto Passenger
Educational Loan Scheme	
➢ Engineering (Diploma in Electrical, Mechanical Engineering, Plastic Technology, B.E, B. Tech., M.Tech., etc.)	➢ Nursing (B.Sc.)
➢ PG Diploma in Transportation Design	➢ Information Technology (BCA/MCA)
➢ Architecture (B.Arch)	➢ Management (BBA/MBA)
➢ Medical (BAMS/BHMS/MBBS/ MD)	➢ Law (LLB/LLM)
➢ Pharmacy (B. Pharma/M. Pharma)	➢ Dental (BDS)
➢ Hospitality & Hotel Management (B.Sc.)	➢ Education (PTC/B.Ed)
➢ Postgraduate Marine Biology and Aquaculture	➢ Doctor of Medicine
➢ Masters in Sustainable Engineering of Infrastructure	➢ Graduate Certificate Project Management Programme
➢ Master of Mechanical Engineering	

1.12.2 Non-Credit Based Scheme

1.12.2(A) Skill Development Training Programmes

- Your Corporation sponsors Skill Development Training Programmes for the persons of the target group in employable sectors such as Apparel, Electronics, Furniture & Fittings, Leather, Rubber and Petrochemicals, Textile, Telecom, Capital Goods, Logistics, Food Processing, Handicrafts and Carpet, Instrumentation and Automation, Domestic Worker, Beauty & Wellness, Life Science, Power, Sports & Physical Education, Healthcare, Construction, Tourism & Hospitality, Media & Entertainment, Infrastructure, etc. The training programmes, in addition to technical skills, also cover soft skills.

- The Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJ&E) has launched Pradhan Mantri-Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojana, Central Sector Scheme, from the financial year 2020-21, to provide Skill Development Trainings to its target group, *inter-alia*, Scheduled Castes persons, in the age group from 18-45 years without any income criterion. NSFDC was one of the implementing agencies under PM-DAKSH Yojana and sponsoring Skill Development Training Programmes (SDTPs) for Scheduled Castes Persons upto the financial year 2023-24 and implemented SDTPs through the Training Institutes selected by MoSJ&E on year to year basis.

- As per the revised PM-DAKSH Yojana Guidelines, the scheme would be implemented by Department of Social Justice & Empowerment (DoSJ&E) with the help of Project Management Unit (PMU) which will also act as a Project Implementing Agency (PIA). Thus, NSFDC is not implementing agency of PM DAKSH Yojana.

1.12.2(B) Marketing Support to Beneficiaries



Participation by NSFDC during Mahakumbh at Prayagraj, U.P. during 13.1.2025-15.2.2025.

Your Corporation provides platform to the beneficiaries making saleable products for selling their items at selected exhibitions and fairs of National and International Importance.

1.12.2(C) Free Stalls to Beneficiaries at Exhibitions/Fairs

(i) Your Corporation participates in National and International Exhibitions & Fairs and provides free Stalls to beneficiaries for exhibiting and selling their products.

(ii) Participation in these exhibitions provides the beneficiaries an opportunity not only to sell their products but also to interact with customers, dealers, exporters and assess the needs/ requirements for development of new products.

1.12.2(D) Marketing Training to Beneficiaries

In order to provide beneficiaries with various inputs relating to marketing and developing/re-designing of artisan products as per customers' needs, marketing training is provided. In such training programmes, emphasis is given on how to modify products to suit customers' needs with input of better Over The Counter (OTC) salesmanship.

1.12.2(E) Awareness Camps

Awareness camps are conducted in various States to generate mass awareness among the target group about the schemes of your Corporation. During these camps, presentations are made and brochures & pamphlets on Corporation's schemes are distributed to the visitors. Successful beneficiaries are invited to address the gathering about their experiences of availing loans under Corporation's schemes and other activities related to business.

2. MANAGEMENT DISCUSSIONS AND ANALYSIS REPORT

2.1 Achievements during the year

2.1.1 Sanction of Proposals

During the year, your Corporation sanctioned proposals worth Rs.759.50 crores to the SCAs/CAs for implementation of schemes.

2.1.2 Disbursement of Funds

During the year, your Corporation disbursed Rs.611.78 crores i.e. 83.40% of total funds available as against the target of 100% ('Excellent' target under MoU) to the SCAs/CAs for implementation of schemes to benefit 41,750 beneficiaries.

2.1.2(A) Scheme-wise details of disbursement & beneficiaries covered

The scheme-wise disbursement & beneficiaries covered for the year 2024-25 and that of previous year are given in the table:

Sl. No.	Scheme	Amount (Rs. in crores)		Beneficiaries (Numbers)	
		2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
A.	**Term Loan Schemes**				
(i)	Term Loan	7.60	0.00	34	0
(ii)	Udyam Nidhi Yojana	70.00	50.00	11482	5556
(iii)	Mahila Adhikarita Yojana	18.75	0.00	685	0
(iv)	Laghu Vyavasay Yojana	261.23	22.12	14720	1005
(v)	Educational Loan Scheme	9.42	11.71	128	411
(vi)	Utkarsh Loan	0.73	27.69	5	172
(vii)	Suvidha Loan	260.98	394.37	24533	19195
	Sub Total (A)	**628.71**	**505.89**	**51587**	**26339**
B.	**Micro Credit Scheme**				
(i)	Micro Credit Finance	14.72	42.65	2227	5641
(ii)	Mahila Samriddhi Yojana	36.84	63.24	23185	9770
(iii)	Aajeevika Microfinance Yojana	34.18	0.00	8373	0
	Sub Total (B)	**85.74**	**105.89**	**33785**	**15411**
	Grand Total [(A) + (B)]	**714.45**	**611.78**	**85372**	**41750**

*In addition to the above, under all other Schemes except Educational Loan Scheme (ELS), your Corporation has considered the funds disbursed up to Rs.1.25 lakhs per unit as Micro Finance Loan, as per the Reserve Bank of India (RBI) Notification No.RBI/2019-20/95 dated 08.11.2019.

Accordingly, the disbursed funds of Rs.219.36 crores for 28,233 beneficiaries are considered as Micro Finance Loan as well.

2.1.2(B) Sector-wise details of disbursement & beneficiaries covered:

Sl. No.	Scheme	Amount (Rs. in crores)		Beneficiaries (Numbers)	
		2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
(i)	Term Loan				
(a)	Primary Sector (Land Purchase, Irrigation and other Allied Activities)	0.12	0.00	01	0
(b)	Secondary Sector (Industries)	0.00	0.00	0.00	0
(c)	Tertiary Sector (Services & Transport)	7.48	0.00	33	0
	Total (a) + (b) + (c)	**7.60**	**0.00**	**34**	**0.00**
(ii)	Udyam Nidhi Yojana	70.00	50.00	11482	5556
(iii)	Laghu Vyavasay Yojana	261.23	22.12	14720	1005
(iv)	Micro Credit Finance	14.72	42.65	2227	5641
(v)	Mahila Samriddhi Yojana	36.84	63.24	23185	9770
(vi)	Aajeevika Microfinance Yojana	34.18	0.00	8373	0
(vii)	Educational Loan Scheme	9.42	11.71	128	411
(viii)	Mahila Adhikarita Yojana	18.75	0.00	685	0
(ix)	Utkarsh Loan	0.73	27.69	5	172
(x)	Suvidha Loan	260.98	394.37	24533	19195
	Grand Total (i to x)	**714.45**	**611.78**	**85372**	**41750**

2.1.2(C) MoU Targets Vs Achievements (2024-25) (Provisional)

Consolidated MoU targets and achievements for the financial year 2024-25 are placed at **Annexure-III.** As per the achievements and based on the audited data, total aggregate score for the financial year 2024-25 comes to 74.95 which conform to ' Very Good' Category.

Financial Parameter

(i) **Revenue from operations (Net of Taxes)**
During the year, Revenue from Operations (Net) of your Corporation is Rs.74.48 crores.

(ii) **Total Number of New Beneficiaries**
During the year, total number of New beneficiaries covered under credit based schemes is 41750.

(iii) **Number of persons trained under PM-DAKSH (Ministry Scheme)**
During the year, total number of persons trained under PM-DAKSH yojana is NIL.

(iv) **EBTDA as a percentage of Revenue**
During the year, EBTDA as a percentage of Revenue (Net) of your Corporation is 69.88%.

(v) **Return on Net Worth**
During the year, Return on Net Worth is 2.69%.

(vi) **Asset Turnover Ratio**
During the year, Asset Turnover Ratio is 3.77 %.

(vii) **Loans disbursed to Total Funds Available**
During the year, Loans Disbursed to Total funds available of your Corporation is 83.40%.

(viii) **Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries**
During the year, Loans Disbursed to Micro Finance Beneficiaries as 35.85% of Total Disbursement.

(ix) **Overdue Loans to Total Loans (Net)**
During the year, Overdue Loans to Total Loans (Net) is 19.04%.

(x) **NPA to Total Loans (Net)**
During the year, NPA to Total Loans (Net) is NIL.

(xi) **Geographical coverage (Number of States/UTs)**
During the year, geographical coverage (Number of States/UTs) is 97%**.**

(xii) **Last Mile disbursement to ultimate beneficiaries**
During the year, the Last Mile disbursement to ultimate beneficiary is 89.05% of total disbursement by 31.03.2025.

(xiii) **Acceptance / Rejection of Goods & Services through TReDS Portal within specified time (parameter revised as per MOU Division O.M. dated 22.07.2024)**
As per DPE OM dated 22.07.2024, NSFDC is registered on TReDS portal and made timely payments to its MSE vendors within 45 days.

(xiv) **GeM Procurement as per approved procurement plan**
During the year, your Corporation has procured 86.27 % of goods and services through GeM Portal as per approved procurement plan.

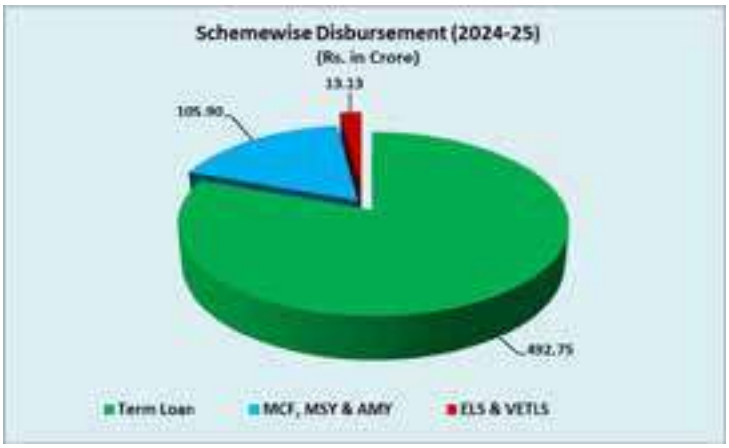
Compliance parameter

Sl. No.	Compliance factors	Marks	Complied/ not complied
1	DPE guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs.	-1	complied
2	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 (or SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as: (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committee etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency	-3	complied
3	Procurement of goods or services through MSEs as % of Total procurement of goods and services (25%)	-1	complied
4	Procurement of goods or services through SC/ST MSEs as % of Total procurement of goods and services (4%)	-1	complied
5	Procurement of goods or services through Women MSEs as % of Total procurement of goods and services (3%)	-1	Not complied
6	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (Target to be prescribed by the Administrative Ministry)	-1	complied

Final score will be available only after completion of process of PE Survey Portal.

2.1.2(D) Scheme-wise/Sector-wise Disbursement

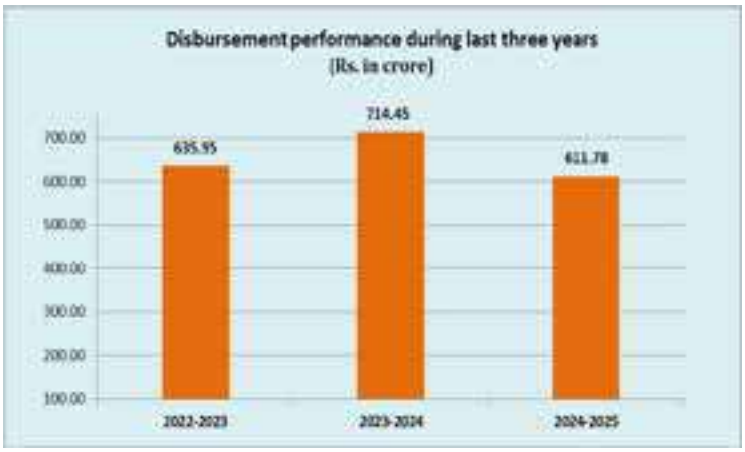
The performance during 2024-25 is depicted in the following graphs:



(i) Term Loan Scheme includes Laghu Vyavasay Yojana (LVY), Utkarsh Loan, Suvidha Loan, Udhyam Nidhi Yojana (UNY), Mahila Adhikarita Yojana (MAY).

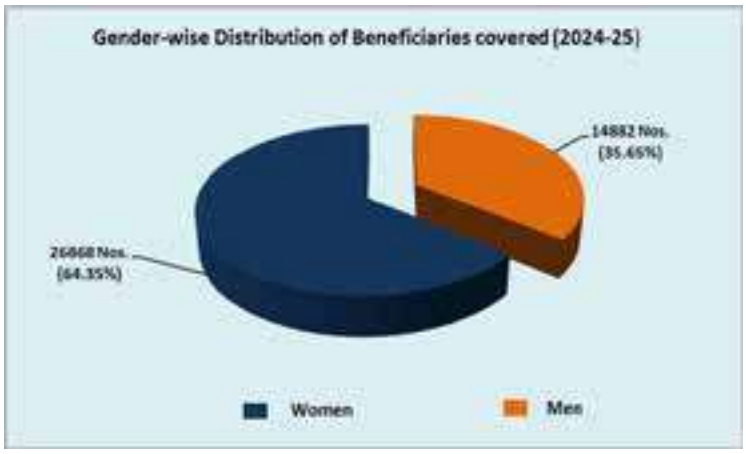
(ii) Micro Credit includes Micro Credit Finance (MCF), Mahila Samriddhi Yojana (MSY) and Aajeevika Microfinance Yojana (AMY).

(iii) Educational Loan Scheme (ELS).

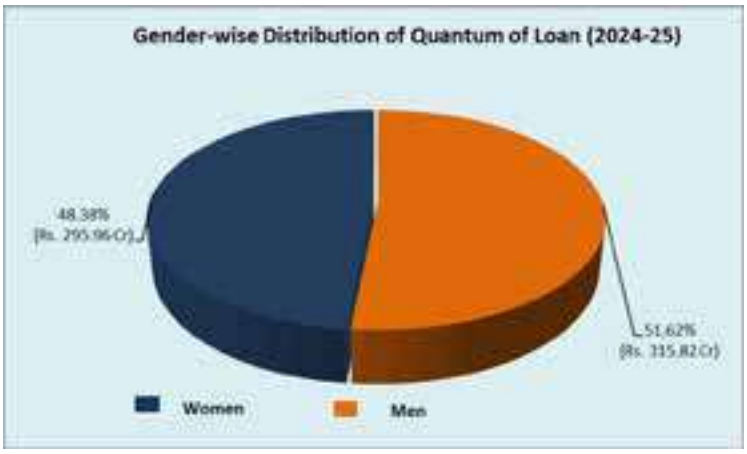


2.1.3 Coverage of Women Beneficiaries

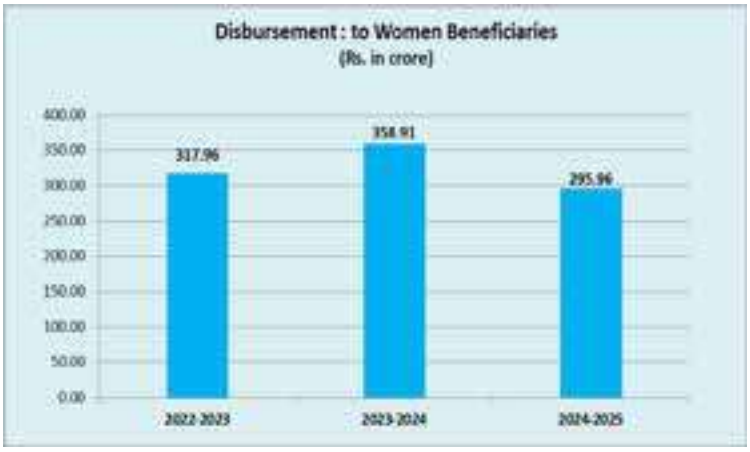
- During the year, your Corporation has provided concessional financial assistance to 26,868 women beneficiaries under its various schemes, which constituted 64.35% of the total coverage against the norm of 40% in physical terms.



- Similarly, during the year, your Corporation has disbursed Rs.295.96 crores for women beneficiaries, which constitutes 48.38% of the year's total disbursement as against the norm of 40% in financial terms.

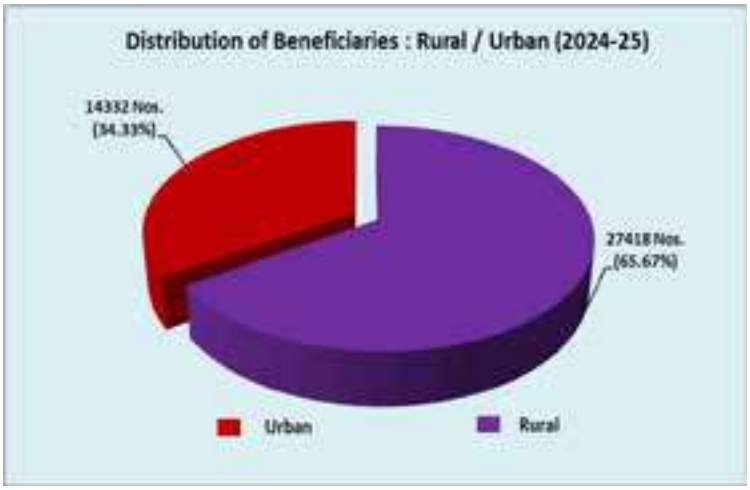


- During the last three years, disbursement to women beneficiaries.



2.1.4 Coverage of beneficiaries in Rural/Urban Areas:

During the year, your Corporation covered 65.67% beneficiaries from rural areas and 34.33% from urban areas.

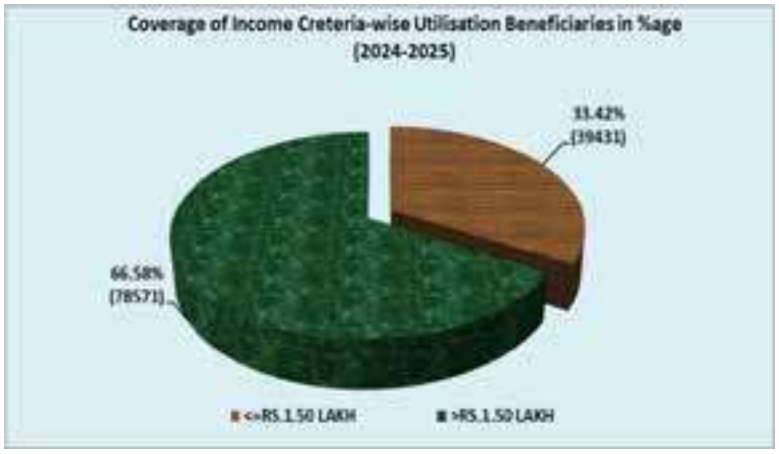


2.1.5 Fund Utilization

During the year, your Corporation took up an intensive drive with all the SCAs/CAs to improve utilization of funds disbursed for implementation of schemes. This resulted in achieving cumulative utilization level of 96.70**%** as on 31.03.2025.

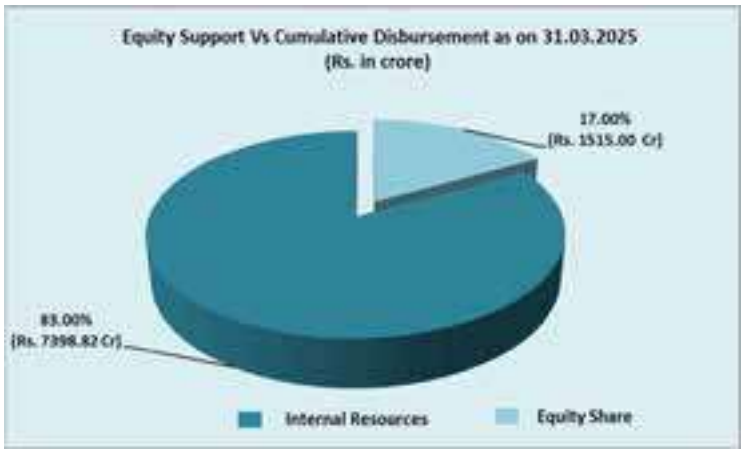
2.1.6 Coverage of beneficiary–As per the revised annual family income ceiling limits

During the year, as per the utilization report received from channelizing agencies, 66.58% beneficiaries falling under having annual family income up to Rs.1.50 lakhs category and 33.42% falling under having annual family income above Rs.1.50 lakhs & up to Rs.3.00 lakhs category were covered under your Corporation's schemes.



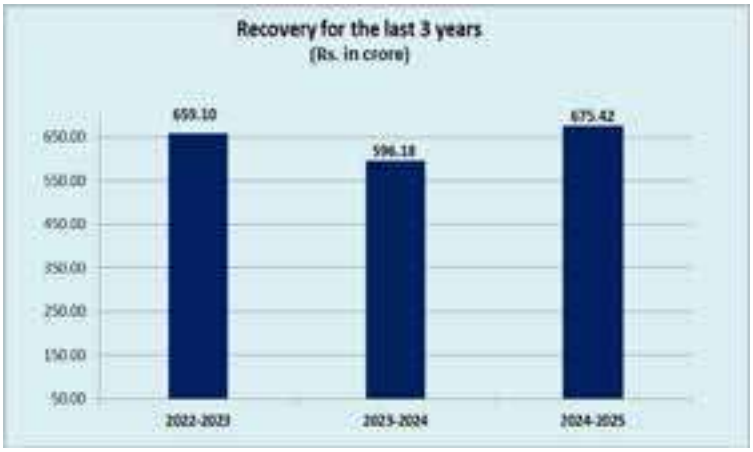
2.1.7 Equity Support Vis-à-vis Cumulative Disbursement

- During the year, your Corporation disbursed Rs.611.78 crores.
- The cumulative equity support as on 31.03.2025 is Rs.1515.00 crore against which your Corporation achieved cumulative disbursement of Rs.8913.82 crores covering 16.43 lakhs beneficiaries out of which 9.98 lakhs were women beneficiaries (60.74%).
- The disbursement so far is 5.88 times of equity received from Government of India.



2.1.8 Loan Recovery from the SCAs/CAs

During the year, your Corporation received recovery of Rs. 675.42 crores from SCAs/CAs.



2.1.9 Functioning of SCAs/CAs

Your Corporation adopts channel finance system wherein funds are channelized to the beneficiaries through the SCAs/CAs. At beginning of the financial year, there were 38 SCAs in the normal channel and 63 CAs in the Alternate Channel. During the financial year, your Corporation signed MoA with new Channelizing Agencies and at present there are 38 SCAs and 66 other Channelizing Agencies in the alternative channel with NSFDC. During the year, out of 28 States and 8 UTs, having SC population as per Census 2011, 28 States and 5 UTs have availed funds.



Shri Raj Kumar, 42, Saidbara, Lucknow availed Suvidha Loan through UP Sarkari Gram Vikas Bank for Tent House on 30.10.2024.

2.1.10 Partnerships

2.1.10(A) Partnership with Government Departments/Established Institutions to leverage the Corporation's objectives

During the year, your Corporation established partnership with the following institutions to leverage the Corporation's objectives:

Sl. No.	Institutions	Objectives
(i)	UCO Bank	For implementation of NSFDC Credit/Loan Schemes in various States.
(ii)	Odisha Gramya Bank	
(iii)	Vector Finance Ltd.	
(iv)	NABARD	For conducting skill, livelihood and entrepreneurship related training/ exposure.
(v)	The American India Foundation (AIF)	Supporting communities with high impact interventions in essential area of need: Education, Health and livelihood including CSR.

2.1.10 (B) Participation in Exhibitions/Fairs (2024-25)

During the year, your Corporation participated in the following Exhibitions/Fairs to provide marketing platforms for the products of beneficiaries. The details of States/UTs covered and Craft items exhibited in the events are given as under:-

Sl. No.	Exhibitions	Date	State/UT represented	Craft items exhibited & sold
(i)	Shilp Samagam Mela Dilli Haat INA, Delhi	01.11.2024 15.11.2024	Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Punjab, Puducherry, Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, and West Bengal.	Brass items, Sarees & Suits, Wooden Toys, Wooden Inlay Crafts/Painting, Readymade Garments, Handloom Cloth work, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed Sheets, Leather

Sl. No.	Exhibitions	Date	State/UT represented	Craft items exhibited & sold
				Footwear, Block Printing, Woollen Jacket etc.
(ii)	IITF, Pragati Maidan, Delhi	14.11.2024 27.11.2024	Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Puducherry, Delhi, Uttar Pradesh, Karnataka, Uttarakhand, Maharashtra, Madhya Pradesh and Punjab.	Readymade Garments, Handloom Cloth Work, Sarees & Suits, Wooden Toys, Wooden Inlay Crafts/Painting, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed Sheets, Block Printing, Woollen Jacket etc.
(iii)	Shilp Samagam Mela, Thiruvananthap-uram, Kerala	24.12.2024 31.12.2024	Delhi, Haryana, Gujarat, Rajasthan, Puducherry, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Uttarakhand .	Handloom Cloth work, Sarees & Suits, Wooden Toys, Readymade Garments ,Wooden Inlay Crafts/Painting, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed Sheets, Block Printing, Woolen, Brass Items, Leather Products, Artificial Jewelry etc.
(iv)	Shilp Samagam Mela, Nashik, Maharashtra	17.01.2025 26.01.2025	Haryana, Gujarat, Rajasthan, Puducherry, Delhi, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab,Uttar Pradesh and West Bengal	Handloom Cloth work, Readymade Garments, Sarees & Suits, Wooden Toys, Wooden Inlay Crafts/Painting, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed Sheets, Block Printing, Woolen, Brass Items, Leather Products, Artificial Jewelry etc.
(v)	Mahakhumbh Mela, Prayagraj (UP)	13.01.2025 26.02.2025	Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chattishgarh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal	Cloth work,, Silk Material, Pickles, Dress Material, Embroidery, Bed sheets, Leather Footwear, block printing, woolen jacket, Brass items, Wooden Toys, Sarees & Suits, Wooden Inlay Crafts/Painting, Readymade Garments, Handloom etc
(vi)	Surajkund Mela, Faridabad, Haryana	07.02.2025 23.02.2025	Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, Puducherry, Jammu & Kashmir, Punjab, Karnataka,	Brass items, Wooden Toys, Sarees & Suits, Wooden Inlay Crafts/Painting, Readymade Garments, Handloom Cloth work,, Silk Material, Pickles,

Sl. No.	Exhibitions	Date	State/UT represented	Craft items exhibited & sold
			Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh Chandigarh, and West Bengal	Dress Material, Embroidery, Bed sheets, Leather Footwear, block printing, woolen jacket etc

During the year, the total sale figure of our beneficiaries (NSFDC) in 06 major exhibitions/Melas are as under:

Sl. No.	Name of Exhibitions	Date	Artisans	Sale figures (Rs.)
(i)	Shilp Samagam Mela, Dilli Haat	1st to 15th November, 2024	37	54,00,000
(ii)	IITF, Pragati Maidan, Delhi	14th to 27th Noverber,2024	32	26,31,750
(iii)	Shilp Samagam Mela, Thiruvananthapuram	24th to 31st December, 2024	24	48,98,184
(iv)	Shilp Samagam Mela, Nashik	17th to 26th January, 2025	25	51,50,700
(v)	Surajkhund Mela, Haryana	7th to 23rd February, 2025	15	37,69,700
(vi)	Mahakhumbh Mela, Prayagraj, Uttar Pradesh	13th Jan. to 26th Feb., 2025	15	7,50,000



Smt. M. Anjana, IAS, Managing Director, KSWDC at Shilp Samagam Mela held at Thiruvananthapuram, Kerala during 24-31 Dec, 2024.



Participation by NSFDC beneficiary in Shilp Samagam Mela, Dilli Haat during 1- 15 Nov. 2024.

2.1.11 Composite Awareness Camp in States

During the year, your Corporation also participates in various Composite/ Awareness Camps to publicize the Ministry's and National Corporation scheme at the field level. The details are given as under:

Sl. No.	State/ District	Programme details	Participants	Date
(i)	TNGB,Salem,Tamil Nadu	Conducting Sensitization and Awareness Programme on NSFDC Schemes	50	07th October, 2024

2.1.12 Special initiatives

- **Convergence with Schemes of Development Commissioner (Handlooms), Ministry of Textiles**

  On the basis of Baseline Survey conducted by the Corporation earlier and submission of Detailed Project Report (DPR), Development Commissioner (Handlooms) vide sanction order No.1/5/4/2023-DCH/NHDP/MP/CDP-II dated 19.02.24/ 14.06.24 (revised) sanctioned Chanderi Handloom Cluster under Small Cluster Development Programme (SCDP) with total project cost of 189.65 lakhs covering 676 weavers. NSFDC in the capacity of PIA will receive an amount of Rs. 46.50 lakh towards Baseline survey, Product Development, Exposure Visit, Participation in Exhibition/BSMs/Publicity, Documentation of Cluster activity, Engaging of Textile Designer and Project Management Cost.

  Accordingly, first State Level Project Committee (SLPC) meeting was held on 30.07.24 under the Chairmanship of Commissioner of Handloom & Handicrafts, Bhopal (MP) to discuss the implementation and activities to be undertaken for the cluster. In the meeting decision on appointment of Cluster Development Executive (CDE) & Designer was taken through advertisement.

  Further, NSFDC official carried out survey at cluster locations to shortlist the weavers to benefit under Hathkargha Sanvardhan Sahayta (HSS) i.e. distribution of Looms, Jacquard & Lightning unit to weavers during 03.09.24 to 10.09.24.

- **Capacity building of 50 SC women artisans in Kutch Embroidery under Skill/Technology upgradation scheme of NSFDC**

  Training-cum-capacity building programme was organized from 15.10.2024 to 14.11.2024 at Village: Talwana, Distt: Kutch-Bhuj, Gujarat through the PIA. The programme was inaugurated by DGM, NSFDC alongside representatives from the O/o Assistant Director, Handicraft Service Center (HSC), Ministry of Textiles, GoI, Kutch-Bhuj (Gujarat) and PIA. 25 SC women artisans were trained in Kutch Embroidery craft. The total cost of Rs.7.95 lakh for the programme was sponsored by NSFDC.




SC artisans of Kutch embroidery undergoing training programme held during 15.10.2024 - 14.11.2024 at village Talwana, District Kutch, Gujarat.

- **The Goat Trust**

Under MoA between NSFDC and The Goat Trust (TGT), UC of Rs.8,53,600/- was submitted by The Goat Trust on completion of training-cum-capacity building programme for 50 goat farmers. Further, nominated committee identified 30 goat farmers for the 2nd batch of training-cum-capacity building programme on 04.01.2024.

2nd phase of training-cum-capacity building programme was undertaken by the Goat Trust in two batches during 24.06.24 to 26.06.24 and 08.07.24 to 10.07.24.




NSFDC sponsored Training Programme through Goat Trust at Prem Nagar, Dist. Fatehpur (UP) during 24-26 June 2024 & 8-10 July 2024.

- **PM SURAJ Portal**

The Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India is maintaining and enhancing Pradhanmantri Samajik Uthhan evam Rozgar Adharit Jankalyan (PM-SURAJ) Portal. The target group of SC, BC & Safai Karamchari can apply for loan through this portal. The portal is also being integrated with NSFDC's Loan Accounting Management System for enhanced efficiency.

- **Workshop cum MDP**



NSFDC sponsored one-day Capacity Building-cum-Training Program for employees of J&K SC ST & BC Dev.Corporation on 18.01.2025.

NSFDC organized 6 Workshop from 15.07.2024 to 26.07.2024 at Jalandhar, Punjab and on 18.01.2025 at Jammu, J&K for the officials of Punjab Garmin Bank and J&KSCSTBCDC respectively. Fruitful Discussions were held with the SCAs/CAs representative on revised NSFDC policy, incentives to beneficiaries and obtaining proposals for fund outflow during financial year. The outcome of the discussion was taken into consideration while revising the schemes of NSFDC.

2.1.13 External Evaluation of Credit Based Schemes & Non-Credit Based Scheme conducted during 2022-23 pertaining to F.Y. 2019-20 & 2020-21:

Your Corporation had commissioned and awarded an evaluation study of its Credit and Non-Credit Based Schemes to M/s. Development Oriented Operations Research & Surveys (DOORS), Noida (UP). The study envisages to cover 5790 beneficiaries/trainees trained during 2019-20 and 2020-21 in 11 States.

The State/UT-wise beneficiaries/trainees covered under the study are as under:-

Sl. No	State/UT	Numbers of Beneficiaries	Numbers of Trainees	Total
(i)	Chhattisgarh	100	30	130
(ii)	Haryana	100	110	210
(iii)	Jharkhand	0	70	70
(iv)	Kerala	200	20	220
(v)	Madhya Pradesh	240	170	410
(vi)	Maharashtra	150	80	230
(vii)	Rajasthan	320	100	420
(viii)	Sikkim	100	0	100
(ix)	Telangana	100	30	130
(x)	Uttar Pradesh	820	380	1,200
(xi)	West Bengal	2570	100	2,670
	TOTAL	**4,700**	**1,090**	**5,790**

2.1.14 Findings of the report are given below

- **Credit based Schemes**

Sl. No	Particulars	Details
(i)	Number of beneficiaries inspected during the study	4,700 in 10 States
(ii)	Number and percentage of beneficiaries who utilized the assistance for the intended purpose	4468 (95.1%)
(iii)	Number and percentage of beneficiaries who possessed the assets created	4248 (92.9%)
(iv)	Number and percentage of beneficiaries who crossed Below Poverty Line (BPL)	777 (58.8%)
(v)	Number and percentage of beneficiaries who crossed Double Poverty Line (DPL)	1842 (40.3%)

- **Non-Credit/ Skill Training Programme**

Sl. No	Particulars	Details		
(i)	Number of trainees surveyed during the study	1090 in 10 States		
(ii)	Number and percentage of trainees who opted for job after getting the skill development training of NSFDC	688 (63%)		
(iii)	Present employment status of the trainees	Job employed	Self-employed	Un-employed
		299 (27%)	183 (17%)	608 (56%)
(iv)	Monthly salary of the job employed trainees	Average monthly salary is Rs.11,268/-		
(v)	Monthly earning of the self-employed trainees	Average monthly earning is Rs.9,841/-		

2.1.15 Skill Development Training Programs-Achievements:-

As per the PM-DAKSH Yojana Guidelines, 2024-25, the NSFDC was not the implementing agency for the financial year 2024-25, thus, NSFDC has not implemented SDTPs during the financial year 2024-25. However, NSFDC has released an amount of Rs.17.03 crore (including Rs.4.44 crore Stipend amount released to the eligible trainees) to the Training Institutes towards implementation of SDTPs sanctioned during the financial year 2023-24.

Ot of 30,660 persons for which SDTPs were commenced during the financial year 2023-24, training programmes for 7,807 persons were completed upto 31.03.2024 and the rest training programmes for 22,853 persons were completed during the financial year 2024-25.

The State/UT-wise abstract under Skill Development Training Programmes completed and funds released during 2024-25, are at **Annexure-IV.**

2.1.16 National Fellowship for Scheduled Caste Students (NFSC) :-

- National Fellowship for Scheduled Caste Students (NFSC) Scheme is a Central Sector Scheme of the MoSJ&E, introduced from the financial year 2005-06 to provide fellowships in the form of financial assistance to the students belonging to Scheduled Caste category to pursue higher studies leading to M.Phil/Ph.D in Science, Humanities, Social Science, in Indian Universities/Institutions/Colleges recognized by University Grants Commission (UGC).
- The Scheme provides 2,000 new Junior Research Fellowships per year to such Scheduled Caste students who have qualified in UGC NET (1,500) and Joint CSIR UGC NET (500) examination. These slots are over and above the number of Scheduled Castes students selected under the normal reservation policy of the Government for UGC and CSIR Fellowships.
- The Scheme provides financial assistance to scholars in form of fellowship, contingencies, escort/reader assistance & HRA to pursue their higher studies.
- The fellowship and other financial components are released in DBT mode to the eligible scholars through a dedicated Scholarship & Fellowship Management Portal (SFMP) of the Canara Bank.
- The MoSJ&E, Government of India, has nominated National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) as Central Nodal Agency (CNA) w.e.f. 01.10.2022.
- During the Financial Year 2024-25, your Corporation has released Rs.216.75 crore under NFSC Scheme to 4,143 Scholars.

2.1.17 Scheme for Economic Empowerment of De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities (SEED)



NSFDC conducted SEED Livelihood Project at Andhra Pradesh through NiMSME during 2024-2025.

- Scheme for Economic Empowerment of DNT's (SEED) is a Central Sector Scheme of Development and Welfare Board for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities (DWBDNC), DNT Board, MoSJ&E, Govt. of India.
- NSFDC is an implementing agency for the livelihood component of SEED.
- The livelihood component enables the target group to earn sustainable livelihood. Interventions include **Self Help Group (SHG) formation,** capacity building, skill training and employment/ self-employment. The target group is also

facilitated for entitlements under Ayushman Card, Aadhaar Card, Jhan Dhan Yojana, Pension Scheme and Caste certificate.

- The SEED project was sanctioned for formation of 1450 SHGs [i.e. Andhra Pradesh (150 SHGs), Maharashtra (300 SHGs), Tamil Nadu (500 SHGs) and Uttar Pradesh (500 SHGs)] and an amount of Rs.1385.00 lakhs was released to NSFDC, as an advance by the DNT Board.



NSFDC conducted SEED Livelihood Project at Ahmednagar, Maharashtra through Navchetna Sarvangin Vikas Kendra during 2024-2025.

- During the Financial Year (2024-25), your Corporation implemented the scheme in 28 districts of 04 States [i.e. Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Uttar Pradesh] through 08 Partner Agencies [i.e. M/s National Institute for Micro Small and Medium Enterprises (Ni-MSME), M/s Nirman Bahu Uddeshiya Sansthan, M/s Navchetana Sarvangin Vikas Kendra, M/s Dhan (Development of Humane Action) Foundation, M/s Mysore Resettlement Development Agency (MYRADA), M/s Aga Khan Foundation, M/s Arpan Seva Sansthan and M/s The Goat Trust] and formed 1058 SHGs.

- During the Financial Year (2024-25), your Corporation has released Rs.635.88 lakhs under SEED Project to the 08 Partner Agencies and SHGs towards Revolving Funds & Entry Point Activities.

2.1.18 Vanchit Ikai Samooh Aur Vargon Ki Arthik Sahayta (VISVAS) Yojana: Interest Subvention Scheme

- VISVAS Yojana is an initiative of the Department of Social Justice and Empowerment (DoSJE), Government of India, to support livelihood activities for marginalized SC, OBC, and Safai Karamcharis (including manual scavengers and waste pickers) with a 5% interest subvention on income-generating loans. Individual and SHG loanees (with at least 70% target group members) with standard accounts in Public Sector Banks (PSBs), Regional Rural Bank (RRBs), Private Banks, Small Finance Banks, and similar institutions are eligible for this benefit.
- The Scheme is being implemented by the three Corporations under the administrative control of DoSJE, namely the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC), the National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) and the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC).

- All subvention claims from lending institutions are processed via the PM SURAJ portal, a digital initiative to provide end-to-end solutions for an umbrella of financial inclusion schemes implemented by DoSJE. This includes, apart from VISVAS, the lending schemes of Corporations and the Venture Capital Fund.
- The numbers of SC beneficiaries to be covered under the Scheme are 3.13 lakh, against which the Corporation has received claims of 1.62 lakh beneficiaries in VISVAS. Corporation has disbursed Rs.9.64 crore to 1,62,294 beneficiaries under FY 2024-25.

2.1.19 The best five performing SCAs for the year 2024-25

(a) Disbursement availed

Rank	Name of SCA	Amount (Crore)
1.	KSWDC, Kerala	37.16
2.	KSDC, Kerala	31.97
3.	LASDC, Maharashtra	25.64
4.	UPSGVB, Uttar Pradesh	14.47
5.	TAHDCO, Tamil Nadu	5.38

(b) Fund Utilization (Cumulative)

Rank	Name of SCA	%age
1.	UPSGVB, Uttar Pradesh	100%
2.	PSCLDFC, Punjab	100%
3.	HSCDC, Haryana	99.82%
4.	TSCDC, Tripura	98.54%
5.	CGSCFDC, Chattisgarh	98.34%
6.	KSWDC, Kerala	97.74%

(c) Repayments made

Rank	Name of SCA	Amount (Crore)
1.	WBSCSTOBCDFC, West Bengal	43.91
2.	KSDC, Kerala	31.82
3.	APSCFC, Andhra Pradesh	24.00
4.	KSWDC, Kerala	20.56
5.	GSCDC, Gujarat	19.65

(d) Beneficiaries covered

Rank	Name of SCA	Numbers
1.	KSWDC, Kerala	4763
2.	KSDC, Kerala	2300
3.	LASDC, Maharashtra	810
4.	UPSGVB, Uttar Pradesh	400
5.	HPSCSTDC, Himachal Pradesh	182

(e) Women Beneficiaries by SCA or OCA

Rank	Name of SCA	Numbers
1.	KSWDC, Kerala	4763
2.	KSDC, Kerala	1803
3.	LASDC, Maharashtra	446
4.	UPSGVB, Uttar Pradesh	153
5.	HPSCSTDC, Himachal Pradesh	103
Rank	**Name of OCA**	**Numbers**
1.	StreeNidhi- Andhra Pradesh	5556
2.	Tamil Nadu Gramin Bank, Tamil Nadu	3345
3.	Punjab Gramin Bank, Punjab	2475
4.	PBGB-Puducherry	1188

2.1.20 The best performing Other Channelizing Agency (PSB, RRB, NBFC-MFI) for the year 2024-25

(a) Best performing Public Sector Bank (PSB)

Rank	Name of PSB	Amount (Crore)
1.	Punjab National Bank	100.05
2.	Punjab & Sind Bank	58.94
3.	Union Bank of India	27.81
4.	Bank of Baroda	18.20
5.	Canara Bank	10.00

(b) Beneficiaries Covered by PSB

Rank	Name of PSB	Numbers
1.	Union Bank of India	2657
2.	Punjab & Sind Bank	2609
3.	Bank of Baroda	1571
4.	Punjab National Bank	1441
5.	Canara Bank	1138

2.1.21 The best five performing RRBs for the year 2024-25

(a) Best performing Regional Rural Bank (RRB)

Disbursement availed		
Rank	**Name of RRB**	**Amount (Crore)**
1.	Punjab Gramin Bank, Punjab	63.12
2.	Tamil Nadu Gramin Bank, Tamil Nadu	43.65
3.	Karnataka Vikas Grameena Bank, Karnataka	22.43
4.	PBGB, Puducherry	19.13
5.	Himachal Pradesh Gramin Bank	18.48

(c) Beneficiaries Covered by RRB

Rank	Name of RRB	Numbers
1.	Punjab Gramin Bank, Punjab	4445
2.	Tamil Nadu Gramin Bank, Tamil Nadu	4361
3.	PBGB, Puducherry	1862
4.	Karnataka Gramin Bank, Karnataka	1201
5.	Karnataka Vikas Grameena Bank, Karnataka	1175

2.1.22 The best performing NBFC-MFI & others for the year 2024-25

(a) Best performing NBFC-MFI & others

Disbursement availed		
Rank	**Name of OCA**	**Amount (Crore)**
1.	STREE NIDHI, Andhra Pradesh	50.00

(b) Women Beneficiaries Covered by NBFC-MFI & others

Rank	Name of OCA	Numbers
1.	StreeNidhi- Andhra Pradesh	5556

2.1.23 Initiatives taken to incentivize CAs

2.1.23(A) Incentive scheme for other Channelizing Agencies (ISOCA)

Your Corporation had been implementing a Scheme "**Incentive scheme for other Channelizing Agencies (ISOCA)**" which provide incentive to all agencies other than the State Channelizing Agencies of NSFDC. The objective of the scheme is to strengthen the infrastructure of Other Channelizing agencies.

The new Scheme is implemented with effect from 2020-2021. The OCAs would be provided performance incentives as per the following criteria given as under:

(a) Other Channelizing Agencies who have availed fund from NSFDC during the last three years continuously for implementation of NSFDC Schemes.

(b) Cumulative fund Utilization should be at least 90% as on 31st March of the relevant financial year for which the Incentive Scheme is considered.

(c) Cumulative recovery of OCA (including interest on Refund) up to the relevant financial year for which the Incentive Scheme is considered should be 100%.

(d) No pending Utilization Certificate of earlier Incentive amount received, if any from NSFDC.

Under the "**Incentive scheme for other Channelizing Agencies (ISOCA)**", the OCAs would be provided performance incentive as 0.5% of the total amount repaid to NSFDC (excluding interest on refund, if any) by the Other Channelizing Agencies (OCA) during the relevant financial year for which the Incentive Scheme is considered or Rs.10.00 lakh, whichever is less.

3. FINANCIAL PERFORMANCE w.r.t. OERATIONAL PERFORMANCE

3.1 Income & Expenditure Account

During the year, the Revenue from Operation (Net) of your Corporation is Rs.74.48 crore. During the year, the Operating Profit or Surplus / Revenue from Operation (Net) of your Corporation is 62.15%.

(i) During the year, 2024-25, the income of the Corporation has increased form Rs.76.88 crore to Rs.91.89 crore.

(ii) The total Expenses including employees cost has decreased from Rs.29.86 crore to Rs.28.19 crore in 2024-25.

(iii) Excess of Income over Expenditure (EOIOE) during the year 2024-25 is Rs.63.70 crore as against Rs.47.06 crore during 2023-24.

3.2 Appropriation of Profit

The Corporation transfers 10% of EOIOE to the Special Reserve Fund and balance to General Reserve. Accordingly, Rs.637.03 lakh is appropriated to Special Reserve fund and Rs.5726.38 lakh is transferred to General Reserve to be ploughed back for further disbursement.

3.3 Earning per Share

Earning per Equity Share during 2024-25 is Rs.42.05 & Rs.42.05 (Basic & Diluted) as against Rs.31.37 & Rs.31.35 (Basic & Diluted) for 2023-24.

4. IMPROVEMENT IN FUNCTIONING OF THE CORPORATION

4.1 MoU Rating (2023-24)

Your Corporation had submitted Self Evaluation Performance Report of the MoU for the Financial Year 2023-24 based on the Audited Data, to the Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Government of India through Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Government of India has given MoU Composite Score of 71.50 and rated the performance of your Corporation as "Very Good".

4.2 Quality Management System Certification License (ISO 9001: 2015)

Your Corporation is an ISO Certified Organization and conforms to all the requirements of Quality Management System (QMS) Certification, as per ISO 9001:2015.

The NSFDC has been awarded the Quality Management Certification in accordance with ISO 9001:2015 by Royal Impact Certification Limited (RICL) on 24.1.2023. The said Certification is valid until 23.1.2026 subject to yearly Surveillance Audit. The first & second surveillance Audit, have been successfully completed on 25.06.2024 & 14.02.2025 respectively.

4.3 Strengthening of MIS

Your Corporation continues to advance its digital infrastructure to enhance operational efficiency. The Corporation has fully adopted e-Office for seamless digital processing of files across departments including Projects, Finance, and Skill Training. All officials at the Head Office and Liaison Centres actively utilize e-Office, with the ability to access the platform remotely via the NIC web VPN, ensuring uninterrupted workflow from remote locations.

NSFDC maintains a dynamic, bilingual, and disability-friendly website, compliant with the Guidelines for Indian Government Websites (GIGW). The website is hosted at NIC cloud server which is secured by Secure Sockets Layer (SSL) certificate and regular security audit.

The Corporation also manages an in-house database module for projects related data, enabling generation of comprehensive reports. To safeguard the data, hardware, and networks from viruses, spyware, adware, and other threats, NSFDC has deployed periodically updated antivirus software. Additionally, during the reporting year, the Corporation strengthened its IT infrastructure by procuring new PCs, accessories, and peripherals, ensuring a reliable technological foundation.

5. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

5.1 Human Capital & Training of NSFDC Staff

The manpower of the Corporation as on 31st March, 2025 is 75 personnel deployed in Head Office and four Liaison Centers of the Corporation. The Corporation regards training and development as a function concerned with organizational activity aimed at improving the job performance of individuals and groups in organizational settings. In order to enhance the knowledge, skills and attitude in the capacity building journey, the officers and staff of the Corporation participated in the training programmes/courses conducted by various institutions. The details of the trainings and Institutions in this regard are given in the table:

Sl. No.	Name of Training Programme/Course	Conducted by
(i)	Interactive Session on RTI with Public Authorities/FAAs/CPIOs (22nd November, 2024)	CIC, New Delhi.
(ii)	Workshop on GST (5th December, 2024)	SCOPE in collaboration with ICMAI.
(iii)	Training for Stakeholders of SEED Livelihood Scheme (11th to 13th December,2024)	DWBDNC in association with National Institution of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR) Delhi Centre & NRLM-RC Hyderabad.

Further, as part of initiative to enhance skills and capabilities and provide online training to officials/employees across various sectors, an Integrated Government Online Training (iGOT) Platform under Mission Karmayogi has been launched by the DoPT, Government of India with wide range of courses. In compliance of directions received, the officers and staff of your Corporation attended the following six online mandatory programmes/courses on the above-said Platform:

Sl. No.	Name of Training Programme / Course	Conducted by
(i)	Code of Conduct for Government Employees	Institute of Secretariat Training & Management (ISTM), New Delhi
(ii)	Yoga Break at Workplace	Morarji Desai National Institute of Yoga (MDNIY), New Delhi.
(iii)	Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace	ISTM, New Delhi
(iv)	Introduction to Emerging Technologies	Capacity Building Commission, New Delhi.
(v)	Orientation Module on Mission LiFE	Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi.
(vi)	Stay Safe in Cyber Space	Indian Cybercrime Coordination Centre-14C, New Delhi.

5.2 Representation of SCs, STs, OBCs and PwBD category of employees in the Corporation

Your Corporation has been following the Government's policy as per the instructions issued by Department of Personnel and Training (DoPT), Ministry of Personnel, PG and Pensions on reservations and concessions for SCs, STs, OBCs and PwBD Categories. The required data in the prescribed format pertaining to representation of SCs, STs, OBCs and PwBD Categories, are placed at **Annexures-V**, **VI and VII** respectively.

5.3 Measures to give special consideration to Minorities in recruitment:

Your Corporation has been following the Government's policy as per the instructions issued by Department of Personnel and Training (DoPT), Ministry of Personnel, PG and Pensions for welfare of Minorities which inter-alia envisage special consideration in recruitment of Minorities.



One day Mega event organized on October 18, 2024, at ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab under the National SC/ST Hub Scheme to raise awareness among SC/ST entrepreneurs.

5.4 ICC for Sexual Harassment of Women at Work Place:

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at workplace and in compliance of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, your Corporation has reconstituted 'Internal Complaints Committee' at Head Office and Liaison Centres level as on 09th July, 2019 to look into the incidents/complaints of Sexual Harassment in organization's premises, if any. Competent Authority constituted the committee of:-

NSFDC, Head Office

(i) Smt. Suman Yadav, Chief Manager - Presiding Officer
(ii) Shri Dhanpat Singh, Assistant General Manager - Member
(iii) Smt. Arti Luker, Manager - Member
(iv) Shri Gunjan Singh, A representative from NGO [M/s Human Rights Law Network (HRLN), New Delhi] - Outside Expert

NSFDC, Liaison Centres- Bengaluru, Kolkata, Mumbai & Lucknow

(i) Smt. Suman Yadav, Chief Manager - Presiding Officer
(ii) Shri K.G. Nath, Deputy Manager - Member
(iii) Smt. Promila Awasthi, Deputy Manager - Member
(iv) Shri Gunjan Singh, A representative from NGO [M/s Human Rights Law Network (HRLN), New Delhi] - Outside Expert

The names and contact details of all ICC members were prominently displayed on board of Head Office and all Liaison Centres. All the information relating to Internal Complaints Committee, SHWW Act, Handbook, SHe-Box link (http://www.shebox.nic.in/user/faq) are available at the website of NSFDC. The aggrieved women employees have to submit her complaints to the committee. During the financial

year 2024-25, the Corporation has not received any complaints on sexual harassment from its employees.

Meetings of the ICC

During the year, four meetings of NSFDC Internal Complaint Committee (ICC) for Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace were held on 20.06.2024, 25.09.2024, 5.12.2024 & 26.03.2025.

Annual Report of the ICC for SHWW

Further, in compliance of Section 22 of the Act, the Annual Report on incidents of Sexual Harassment is as under:

1.	Number of complaints of Sexual Harassment received in the year	NIL
2.	Number of complaints disposed off during the year	Not applicable
3.	Number of cases pending for more than 90 days	Not applicable
4.	Number of workshops on awareness programme against sexual harassment carried out	NIL
5.	Nature of action taken by the employer	Not Required

6. OTHRE ACHIEVEMENTS

6.1 Official Language (OL)

During the year, three meeting of NSFDC Official Language Implementation Committee were held on dated 06.06.2024, 24.12.2024 and 28.03.2025 under the chairmanship of Chairman-cum- Managing Director of NSFDC.

In pursuance of the Official Language Policy of the Government of India, all documents covered under section 3(3) of the Official Language Act, 1963 were issued both in Hindi and English. Check Points identified and prepared to ensure compliance of Official Language Policy.

During the year, four In-house workshops were conducted on 27.06.2024, 26.09.2024, 29.12.2024 and 28.03.2025 for the staff members of NSFDC for improving the skill in using Official Language.

During the year, Hindi Diwas was celebrated on 14th September,2024 at Bharat Mandapam, Delhi. Asdirected by MHA, NSFDC Rajbhasha Hindi Pakhwara was celebrated from 14 to 28 September, 2024 at the Head Office and Liaison Centers of the Corporation.

During the NSFDC Rajbhasha Hindi Pakhwara various competitions like Hindi Noting/Drafting, Hindi Gyan, Poetry recitation, Interdepartmental Prashna Manch, Picture expression and Antakshari competitions were organized at Head office, Delhi and for LCs. All the winners of various competitions were awarded with cash prize & Certificates.



Participation in the 'Prize Distribution Ceremony and Joint Regional Official Language Conference' held at Jaipur, Rajasthan on 17.02.2025.

For implementation of Official Language Policy and motivate employees for maximum use of Hindi in their official work, NSFDC running different incentive schemes like (1) Mool Hindi Tippan/Alekhan protsahan yojana, (2) Incentive scheme for awards to officers for giving maximum dictation in Hindi, (3) Hindi Stenography and Typing Incentive Allowance Scheme for doing official work in Hindi, (4) Rajbhasha Chal Shield, (5) Shri Shankar Dayal Singh Rajbhasha Samman Yojana and (6) Samvartee mulyankan puraskar yojana.

6.2 Observance of Vigilance Awareness Week 2024

As per the instructions of the Central Vigilance Commission (CVC), your Corporation observed the Vigilance Awareness Week, 2024 from 28.10.2024 to 3.11.2024.

Further, as per the instructions of the Central Vigilance Commission (CVC) and as a prelude to Vigilance Awareness Week 2024, your Corporation also carried out a three-month campaign (from 16.8.2024 to 15.11.2024) highlighting certain measures to be undertaken on focus areas. These focus areas were: (a) Capacity Building Programmes, (b) Identification and implementation of Systemic Improvement Measures, (c) Updation of Circulars / Guidelines / Manuals, (d) Disposal of complaints received before 30.6.2024, (e) Dynamic Digital Presence.

6.3 Implementation of Right to Information Act, 2005

Your Corporation is a Public Authority owned by MOSJ&E. CPIO is appointed by the Management. Present CPIO is Ratikanta Jena, General Manager implementing the Right to Information Act, 2005 since October, 2005.

(i) Details of Corporation's functions along with its functionaries etc. have been placed on Corporation's Website (www.nsfdc.nic.in).

(ii) Manuals as required under the Act have been updated and put on the Website.

(iii) The Corporation also designated Central Public Information Officers, Transparency Officer and Appellate Authority as required under the Act.

(iv) The Corporation is implementing RTI Act online through alignment with RTI Online Portal managed by DoP&T since its inception in the year 2016-17.

(v) During the year 2024-25, 211 (previous year 143) applications were received. 14 (previous year 11) appeals were received during the year. All applications received during the year were disposed-off within the specified time limit.

(vi) With respect to DOPT's OM No.1/6/2011-IR dated 15.04.2013 as amended vide OM dated 7.11.2019 the Corporation has implemented suo-motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005 within the time limit.

(vii) The status of RTI applications as reported to Central Information Commission on-line, in each quarter, during the financial year 2024-25 is as given below:-

	Opening Balance at beginning of the Quarter	**No. of applications received as transferred from other PAs u/s 6(3)**	**Received during the Quarter (including cases transferred to other PAs)**	**No. of cases transferred to other PAs u/s 6(3)**	**Decisions where requests/ appeals rejected**	**Decisions where requests/ appeals accepted**
Progress during 1st Quarter (April to June, 2024)						
Requests	11	14	34	13	0	38
First Appeals	02	N.A.	03	N.A.	0	05
Progress during 2nd Quarter (July to September, 2024)						
Requests	08	08	39	11	0	39
First Appeals	0	N.A.	0	N.A.	0	0
Progress during 3rd Quarter (October to December, 2024)						
Requests	5	22	29	18	0	33
First Appeals	0	N.A.	02	N.A.	0	01
Progress during 4th Quarter (January to March, 2025)						
Requests	05	20	45	9	0	51
First Appeals	01	N.A.	09	N.A.	0	07
	Total No. of CPIOs designated				Total No. of TOs designated	Total No. of AAs designated
	1				1	1

Block II (Details about fees collected, penalty imposed and disciplinary action taken)

	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter
Registration Fee Collected (in Rs.) u/s 7(1)	20	100	250	70
Additional Fee Collected (in Rs.) u/s 7(3)	0	258	10	0

(viii) As per the fourth Quarterly Report on RTI uploaded on the CIC Website, there were 10 RTI applications and 3 Appeals pending as on 31.03.2025. These applications / Appeals were subsequently replied/disposed off within the stipulated time.

6.4 Reporting of target in Annual Report

Your Corporation made 68.11% procurements from Micro and Small Enterprises during F.Y. 2024-25 as compared to target set for 25%.

6.5 ANNUAL RETURN

In accordance with the Companies Act, 2013 the annual return in the prescribed format available at https://nsfdc.nic.in/UploadedFiles/other/2025-06-23/annual return 2024-25.pdf

7. PARTICULARS OF EMPLOYEES AND RELATED DISCLOSURES

In terms of the provisions of Section 197(12) of the Act Read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, a statement showing the names and particulars of the employees employed throughout the financial year who received remuneration in excess of the limits set out in the said Rules are annexed herewith as **Annexure-VIII**

Disclosures pertaining to remuneration and other details as required under Section 197(2) of the Act read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 are provided in the Annual Accounts.

8. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



Installation of Plastic Bottle Crushing Machine under NSFDC, CSR initiative at Red Fort, Delhi.

The Corporate Social Responsibility & Sustainability Development (CSR & SD) Policy has been formulated and recommended to the Board. The CSR & SD Policy indicating the activities to be undertaken by the Company has been approved by the Board. The CSR & SD Policy may be accessed on the Company's website at: http://www.nsfdc.nic.in/en/csr.

The Annual Report on CSR activities is annexed at **Annexure-IX.**

9. THE REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company is committed to maintain the highest standards of corporate governance and adhere to the corporate governance set out by the Companies Act, 2013 and Department of Public Enterprises (DPE). The Report on Corporate Governance forms an integral part of this Report at **Annexure-X**. The requisite certificate from the Auditors of the Company confirming compliance with the conditions of Corporate Governance is attached at **Annexure-XI** to the Report on the Corporate Governance.

10. BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is headed by the Chairman-cum-Managing Director; the Board consisted of 07 members as on 31.03.2025. For further details please refer Report on Corporate Governance annexed to this Annual Report.

11. MEETINGS OF THE BOARD

During the financial year under review, three meetings of the Board of Directors were held. For further details please refer Report on Corporate Governance annexed to this Annual Report.

11.1 Remuneration Committee:

During the financial year 2024-25, the Remuneration Committee meeting was not held.

11.2 Audit Committee

The Audit Committee has been constituted in accordance with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. During the year the Audit Committee of the Company comprises of CMD, NSFDC, Financial Adviser of Ministry, Independent Directors and representative of IDBI. Company Secretary is the Secretary of the Audit Committee. During the year all the recommendations made by the Audit Committee were accepted by the Board.

In exercise of powers conferred under Section 462; MCA vide notification GSR 466(E) dated 05.06.2015 exempted Companies u/s 8, from requirement of minimum number of Independent Directors in Audit Committee u/s 177(2).

12. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:-

In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and

prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(a) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(b) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

(c) The directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

13. RISK MANAGEMENT

As a part of the implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy was approved by the Board for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate objectives.

Accordingly, the potential risk areas are assessed by the Risk Management Committee comprising of Heads of all Departments of the Corporation and suggested sensitive areas are placed before the Board of Directors and included in the Quarterly Directors Review Report.

14. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the year, such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed.

15. ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

During the year, 35th AGM was held on 30.09.2024 for adoption of Accounts for the year 2023-24. The entire share capital is held by Hon'ble President of India represented by the Secretary to the Government of India, MOSJ&E, except one share held in the name of Joint Secretary, MOSJ&E. After the approval in AGM, the Annual Accounts for the year 2023-24 were adopted along with Directors' Report.

16. AUDITORS AND AUDITORS REPORT

16.1 Statutory Auditors

M/s. Davinder Pal Singh & Co., Chartered Accountants, New Delhi, appointed as Statutory Auditors under Section 129(4) of the Companies Act, 2013 by Director General of Audit (Central Expenditure) for the financial year 2024-25. The Statutory Auditor's Report on the Financial Statement of NSFDC for the year ended 31st March, 2025 has been given in the **Addendum-A** to this Report.

16.2 C&AG Audit

The Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 143(6) & (7) of the Companies Act, 2013. The comment of the C&AG on the Financial Statement of NSFDC for the year ended 31st March, 2025 is attached as **Addendum-B** to this Report.

17. ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors would like to place on record their appreciation for the dedicated services rendered by the employees of your Corporation during the year.

Your Directors wish to place on record their sincere thanks for the continuing support of the Ministry of Social Justice and Empowerment in guiding your Corporation from time to time to achieve better results. Your Directors also wish to place on record their appreciation for the support extended by Department of Company Affairs, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Comptroller and Auditor General of India, and for the cooperation of the State-level Scheduled Castes Finance and Development Corporations and other channelizing agencies.

Your Directors are also grateful to various other Government Departments, Agencies and Statutory Auditors to the Corporation for their continued guidance and support.

For and on behalf of the Board of Directors

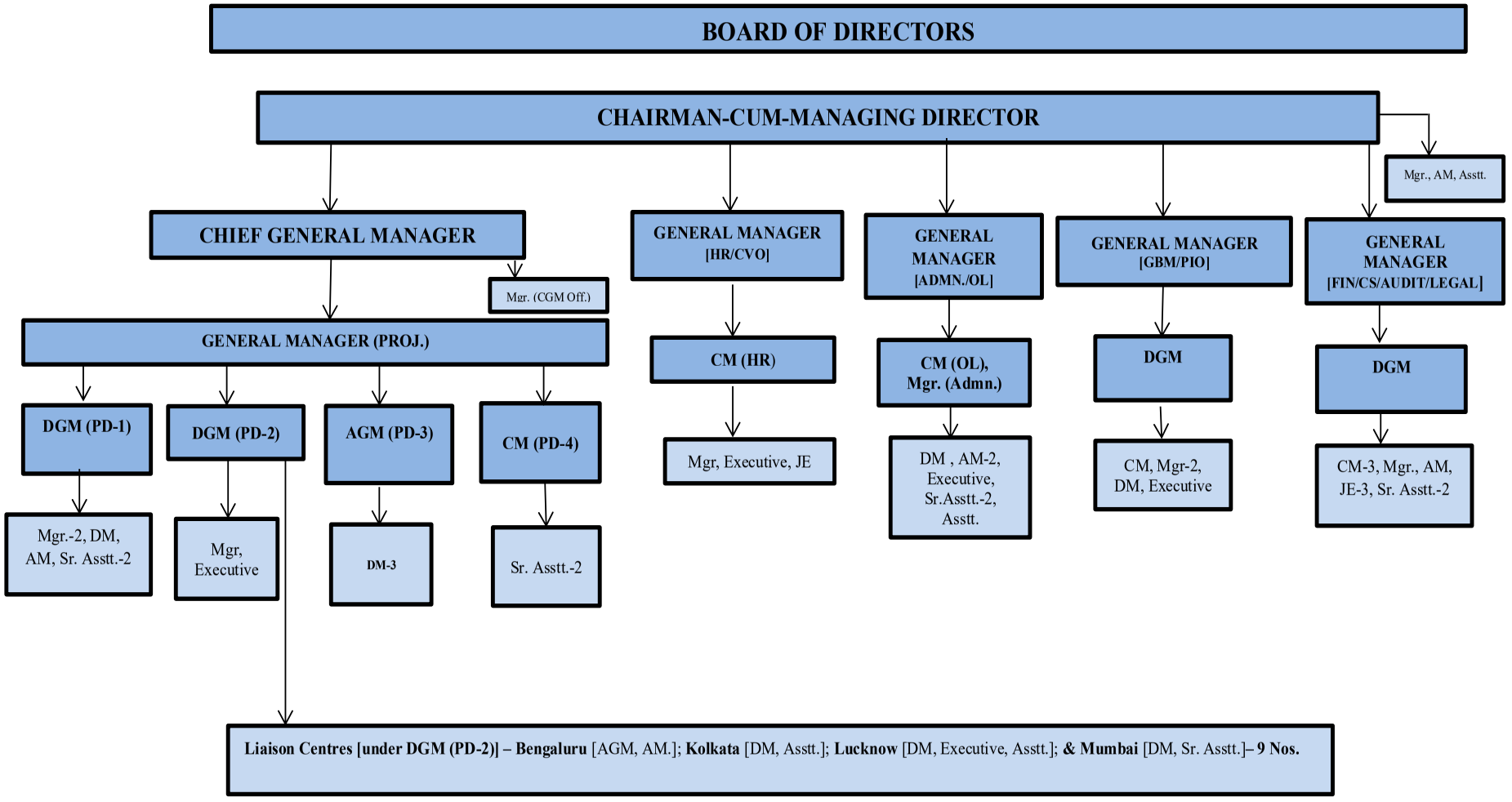
(Prabhat Tyagi)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 11091166

Date : 18.09.2025
Place : Delhi

Annexure-I
(See Para 1.5)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION, DELHI

ORGANIZATIONAL CHART (As on 31.3.2025)



Supporting Staff/Employee at HO – Driver-SG (1), Assistant (2) & Junior Assistant – SG (1)
Staff/Employee posted at MOSJE – AGM (1), Driver-SG (1)
On deputation to NCSC: CM (1)

ANNEXURE-II (A)
(See Para 1.7)
(1 of 2)

STATE/UT-WISE LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES

Sl. No	State/UT	Name of Channelizing Agency
1.	Andhra Pradesh	1. Andhra Pradesh Scheduled Castes Co-operative Finance Corporation Ltd. - Amravati 2. Andhra Pradesh State Financial Corporation - Auto Nagar, Vijayawada
2.	Assam	3. Assam State Development Corporation for Scheduled Castes Ltd. – Dishpur *Guwahati*
3.	Bihar	4. Bihar State SCs Co-operative Development Corporation Ltd. – Baily Road Patna.
4.	Chhattisgarh	5. Chhattisgarh State Antavasayee Sahkari Finance & Development Corporation. - Naya Raipur
5.	Goa	6. Goa State SCs & OBCs Development Corporation Ltd. - Panaji
6.	Gujarat	7. Gujarat Scheduled Castes Development Corporation. - Gandhinagar 8. Dr. Ambedkar Antyodaya and Development Corporation. - Gandhinagar
7.	Haryana	9. Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation Ltd. – Chandigarh
8.	Himachal Pradesh	10. Himachal Pradesh SCs & STs Development Corporation. - Solan
9.	Jharkhand	11. Jharkhand State Scheduled Castes Co-operative Development Corporation.- Ranchi
10.	Jammu & Kashmir	12. Jammu & Kashmir SCs, STs & OBCs Development Corporation Ltd. – Srinagar (May to October) & Jammu (November to April)
11.	Karnataka	13. Dr. B.R. Ambedkar Development Corporation Limited.- Bangalore
12.	Kerala	14. Kerala State Development Corporation for SCs & STs Ltd. - Thrisur 15. Kerala State Women's Development Corporation. - Thiruvananthapuram
13.	Madhya Pradesh	16. Madhya Pradesh State Co-operative SCs Fin. & Development Corporation. - Bhopal
14.	Maharashtra	17. Mahatma Phule BCs Development Corporation Ltd. - Mumbai 18. Sahityaratna Lokshahir Annabhau Sathe Development Corporation. - Mumbai 19. Sant Rohidas Leather Industries & Charmakar Development Corporation. - Mumbai
15.	Manipur	20. Manipur Tribal Development Corporation Ltd. - Imphal 21. Manipur State STs & SCs Development Co-operative Bank Ltd. - Imphal
16.	Meghalaya	22. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd. – Shillong
17.	Mizoram	23. Mizoram Urban Co-operative Development Bank Ltd. - Aizawl 24. Mizoram Khadi & Village Industries Board. – Aizawl

ANNEXURE-II (A)
(See Para 1.7)
(2 of 2)

18.	Odisha	25. Odisha SCs & STs Development Finance Co-operative Corporation Ltd. - Bhubaneswar
19.	Punjab	26. Punjab Scheduled Castes Land Development & Finance Corporation. – Chandigarh
20.	Rajasthan	27. Rajasthan SCs & STs Finance & Development Co-operative Corporation. Jaipur
21.	Sikkim	28. Sikkim SCs, Tribes & Backward Classes Development Corporation. - Gangtok
22.	Tamil Nadu	29. Tamil Nadu Adi Dravidar Housing & Development Corporation. - Chennai
23.	Tripura	30. Tripura Scheduled Castes Co-operative Development Corporation Ltd. - Agartala
24.	Uttar Pradesh	31. Uttar Pradesh Scheduled Castes Finance & Development Corporation Ltd.- Lucknow
		32. Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. - Lucknow
25.	Uttarakhand	33. Uttarakhand Bahu-udeshiya Vitta Evam Vikas Nigam - Dehradun
26.	West Bengal	34. West Bengal SCs, STs & OBCs Development & Finance Corporation. - Kolkata
27.	Chandigarh	35. Chandigarh SCs, BCs & Minorities Financial & Development Corporation Ltd. - Chandigarh
28.	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	36. DNH, D & Diu SCs/STs/Other BCs & Minorities Financial & Development Corporation. - Silvassa
29.	Delhi	37. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation Ltd. – Rohini, New Delhi
30.	Puducherry	38. Puducherry Adi Dravidar Development Corporation Ltd.- Puducherry

Note:
The State/UTs namely Arunachal Pradesh, Nagaland, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands do not have Scheduled Castes population as per Census, 2011 data, and therefore, have not been included in the statement.

ANNEXURE-II (B)
(See Para 1.7)
(1 of 2)

LIST OF CHANNELISING AGENCIES – ALTERNATE CHANNEL

Sl. No.	State/UT	Name of Channelizing Agency	
1.	Andhra Pradesh	1.	Chaitanya Godavari Grameena Bank - Guntur
		2.	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank - Warangal
		3.	Sapthagiri Grameena Bank - Chittoor
		4.	Andhra Pragati Grameena Bank - Kadapa
		5.	StreeNidhi – Vijayawada
2.	Assam	6.	Grameen Development & Finance Private Limited - Dubjeni Chhaygaon Kamrup
		7.	Assam GraminVikas Bank - Guwahati
		8.	North Eastern Development Finance Corporation – Dispur, Guwahati
		9.	Konoklata Mahila Urban Cooperative Bank - Gar-Ali, Jorhat
3.	Bihar	10.	Dakshin Bihar Gramin Bank - Patna
		11.	Uttar Bihar Gramin Bank - Muzaffarpur
4.	Chhattisgarh	12.	Chhattisgarh Rajya Gramin Bank - Raipur
5.	Delhi	13.	Punjab National Bank (PAN India) - Dwarka New Delhi
		14.	Punjab & Sind Bank (PAN India) - East Kidwai Nagar , New Delhi
6.	Gujarat	15.	Baroda Gujarat Gramin Bank - Vadodara
		16.	Shri Mahila SEWA Sahkari Bank Limited - Ellisbridge, Ahmedabad
		17.	Saurashtra Gramin Bank - Rajkot
		18.	Bank of Baroda (PAN India) – Alkapuri, Baroda
		19.	Pahal Financial Services Pvt. Ltd., - Ahmedabad
7.	Haryana	20.	Sarva Haryana Gramin Bank - Rohtak
		21.	Satin Creditcare Network Ltdl.,- Gurgaon
8.	Himachal Pradesh	22.	Himachal Pradesh Gramin Bank - Mandi
9.	Jammu & Kashmir	23.	J & K Grameen Vikas - Jammu
		24.	Ellaquai Dehati Bank - Srinagar
10.	Jharkhand	25.	Jharkhand Rajya Gramin Bank - Dumka
		26.	Jharkhand Silk, Textiles & Handicrafts Development Corporation – Ranchi
11.	Karnataka	27.	Karnataka Vikas Grameena Bank - Dharwad,
		28.	Karnataka Gramin Bank – Musure
		29.	Canara Bank (PAN India) - Bengaluru

ANNEXURE-II (B)
(See Para 1.7)
(2 of 2)

12.	Kerala	30.	Kerala Gramin Bank - Malappuram
13.	Maharashtra	31.	Maharashtra Gramin Bank - Aurangabad
		32.	Vidharba Konkan Gramin Bank - Nagpur
		33.	Anik Financial Services Private Limited - Latur
		34.	Union Bank of India (PAN India) - Mumbai
		35.	Bank Of India (PAN India) - Mumbai
		36.	Bank of Maharashtra (PAN India) - Pune
		37.	Central bank of India (PAN India) - Mumbai
14.	Madhya Pradesh	38.	Madhyanchal Gramin Bank - Sagar
		39.	Madhya Pradesh Gramin Bank - Indore
15.	Manipur	40.	Manipur Rural Bank - Imphal
16.	Mizoram	41.	Mizoram Rural Bank - Aizawl
17.	Meghalay	42.	Meghalaya Regional Rural Bank - Shillong
18.	Odisha	43.	Sambandh Finserve Pvt. Ltd. - Rourkela, Sundargarh
		44.	Utkal Grameen Bank - Bhubaneswar
		45.	Odisha Grameen Bank - Bhubaneswar
		46.	Vector Finance ltd.
19.	Puducherry	47.	Puduvai Bharathiar Grama Bank - Puducherry
20.	Punjab	48.	Punjab Gramin Bank - Kapurthala
		49.	Midland Microfin Ltd. - Ludhiana
21.	Rajasthan	50.	Rajasthan Marudhara Gramin Bank - Jodhpur
		51.	Baroda Rajasthan Kshetrya Gramin Bank - Ajmer
22.	Tamil Nadu	52.	Indian Overseas Bank (PAN India) - Chennai
		53.	Indian Bank (PAN India) - Chennai
		54.	Tamil Nadu Grama Bank - Salem
23.	Telangana	55.	Telangana Grameena Bank - Hyderabad
		56.	Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Limited - Hyderabad
24.	Tripura	57.	Tripura Gramin Bank - Agartala
25	Uttar Pradesh	58.	Aryavart Bank - Lucknow
		59.	Baroda UP Gramin Bank - Raebareli
		60.	Prathama UP Gramin Bank - Moradabad
		61.	Small Industries Development Bank of India (SIDBI) - Lucknow
26	Uttarakhand	62.	Uttarakhand Gramin Bank - Dehradun
27	West Bengal	63.	Paschim Banga Gramin Bank - Howrah
		64.	ASA International Microfinance Ltd – Salt lake Kolkata
		65.	Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank - Cooch Behar
		66.	UCO Bank (Pan India)- Kolkata

Annexure-III
[See Para 2.1.2(C)]

ACHIEVEMENTS OF MOU PARAMETERS (2024-25) (Provisional)

Sl. No.	Performance Criteria	Unit	Weightage	"Excellent" Target	Achievements
(i)	Revenue from Operations	Rs. in Crore	8	102.11	74.48
(ii)	Total Number of New Beneficiaries	Nos.	5	120943	41750
(iii)	Number of persons trained under PM-DAKSH (Ministry Scheme)	Nos.	5	37473	0
(iv)	EBTDA as a percentage of Revenue	%age	10	69.96	69.88
(v)	Return on Net Worth	%age	15	2.78	2.69
(vi)	Asset turnover ratio	%age	5	3.83	3.77
(vii)	Loans disbursed to Total Funds available	%age	10	100	83.40
(viii)	Loan disbursed to Micro Finance Beneficiaries	%age	10	55	35.85
(ix)	Overdue loans to Total Loans	%age	5	11.49	19.04
(x)	NPA to Total Loans	%age	5	0.65	0
(xi)	Geographical coverage	%age	5	100	97
(xii)	Last Mile disbursement to ultimate beneficiary	%age	10	100	89.05
(xiii)	Acceptance / Rejection of Goods & Services through TReDS Portal within specified time (**parameter revised as per OM dated 22.07.2024**)	%age	5	(i) On boarding on TReDS portal -1 Mark. (ii) Integration with ERP -2 Marks. (iii) Timely payment to MSE vendor within 45 days	On boarding on TReDS portal and Timely payment to MSE vendor within 45 days
(xiv)	GeM Procurement as per approved procurement plan.	%age	2	100	86.27
			100		

Note: The above achievements are compiled as per the data/information provided by the concerned Department viz. MIS, Finance, HR, Admn and Skill training.

Annexure-IV

[See Para 2.1.15]

State/UT-wise abstract under Skill Development Training Programmes completed and funds released during 2024-25.

Sl. No.	State/UT	Nos. of Trainees completed SDTPs	Funds Released to the Training Institutes (Rs. in crore)
1.	ANDHRA PRADESH	30	0.08
2.	ASSAM	658	0.46
3.	BIHAR	512	0.24
4.	CHHATTISGARH	153	0.00
5.	DELHI	113	0.03
6.	GUJARAT	180	0.08
7.	HARYANA	383	0.41
8.	HIMACHAL PRADESH	60	0.13
9.	JAMMU & KASHMIR	60	0.02
10.	JHARKHAND	373	0.18
11.	KARNATAKA	715	0.23
12.	KERALA	25	0.06
13.	LADAKH	30	0.00
14.	MADHYA PRADESH	4643	2.49
15.	MAHARASHTRA	3140	2.05
16.	ODISHA	355	0.32
17.	PUDUCHERRY	30	0.01
18.	PUNJAB	738	0.66
19.	RAJASTHAN	2430	0.32
20.	TAMIL NADU	1095	0.70
21.	TELANGANA	450	0.11
22.	TRIPURA	182	0.05
23.	UTTAR PRADESH	6058	3.61
24.	UTTARAKHAND	380	0.32
25.	WEST BENGAL	60	0.02
	Total	**22853**	***12.59**

*Excluding stipend amount of Rs.4.44 crore released to the eligible Trainees.

ANNEXURE – V
(See Para 5.2)

REPRESENTATION OF THE PERSON WITH BENCHMARK DISABILITIES (AS ON 1st January, 2025)

Group	Number of Employees				Direct Recruitment							Promotion						
					No. of vacancies reserved			No. of Appointments Made				No. of vacancies reserved				No. of Appointments Made		
	Total	VI	HI	LD	VI	HI	LD	Total	VI	HI	LD	VI	HI	LD	Total	VI	HI	LD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Group 'A'	47	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Group 'B'	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Group 'C'	23	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**75**	**1**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**

Note: The overall Representation of Person with Benchmark Disabilities (PwBDs) is 4%.

ANNEXURE-VI
(See Para 5.2)
SC/ST/OBC REPORT -II

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs and OBCs IN VARIOUS GROUPS 'A' SERVICES AS ON FIRST JANUARY OF THE YEAR AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE IN THE VARIOUS GRADES IN THE PRECEDING CALENDAR YEAR

Name of the Public Sector Enterprise: **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi**

Pay Scale (In Rupees)	Representation of SCs/STs/OBCs (As on 01.01.2025)				Number of appointments made during the calendar year 2024									
					By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation		
	Total no. of employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CMD (additional charge w.e.f.1.9.2024)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-7: 100000-260000	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-6: 90000-240000	5	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
E-5: 80000-220000	4	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-
E-4: 70000-200000	3	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
E-3: 60000-180000	8	2	-	1	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-
E-2: 50000-160000	10	3	-	2	-	-	-	-	9	3	-	-	-	-
E-1: 40000-140000	09	3	2	2	-	-	-	-	8	3	1	-	-	-
E-0: 30000-120000	06	4	-	1	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-
Total	**47**	**15**	**3**	**8**	-	-	-	-	**36**	**13**	**1**	-	-	-

ANNEXURE-VII
(See Para 5.2)
SC/ST/OBC REPORT -I

ANNUAL STATEMENT SHOWING THE REPRESENTATION OF SCs, STs and OBCs AS ON FIRST JANUARY OF THE YEAR AND NUMBER OF APPOINTMENTS MADE DURING THE PRECEDING CALENDAR YEAR

Name of the Public Sector Enterprise: **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi**

Groups	Representation of SCs/STs/OBCs (As on 01.01.2025)				Number of appointments made during the calendar year 2024									
					By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation/ Absorption		
	Total no. of employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Group 'A' Managerial/ Executive Level*	47	15	03	08	-	-	-	-	36	13	01	-	-	-
Group 'B' Non-Supervisory Staff	05	01	01	01	-	-	-	-	03	01	-	-	-	-
Group 'C' Non-Executive Staff (Excluding Sweepers)	23	10	01	09	04	-	-	04	-	-	-	-	-	-
Total	**75**	**26**	**5**	**18**	**04**	**-**	**-**	**04**	**39**	**14**	**01**	**-**	**-**	**-**

*including CMD.

ANNEXURE-VIII
(See Para 7)

Particulars of employees as required under Rule 5(2) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 for the year ended 31st March, 2025

a) Employed throughout the financial year under review and were in receipt of remuneration for the financial year in aggregate of not less than Rs. 1,02,00,000/-

S. No.	Name and Age	Designation & Nature of Duties	Remuneration received	Qualification	Experience (Yrs)	Date of joining	Previous employment held	Percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of sub – clause (iii) of clause (a) of sub-section (2A) of Section 217 of the Act
NIL								

b) Employed for part of the year and were in receipt of remuneration at the rate of not less that Rs. 8,50,000/- per month

S. No.	Name and Age	Designation & Nature of Duties	Remuneration received	Qualification	Experience (Yrs)	Date of joining	Previous employment held	Percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of sub – clause (iii) sub-rule (2) above	whether any such employee is a relative of any director or manager of the company and if so, name of such director or manager
NIL									

Notes:

1. The terms and conditions of all above appointments are as per Company's Rules.
2. Remuneration received includes salary, other allowances and bonus in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Rules made therefore.
3. if employed throughout the financial year or part thereof, as in receipt of remuneration in that year which, in the aggregate, or as the case may be, at a rate which, in the aggregate, is in excess of that drawn by the managing director or whole-time director or manager and holds by himself or along with his spouse and dependent children, not less than two percent of the equity shares of the company.

Annexure-IX
(See Para 8)
(Page 1 of 5)

Annual CSR Compliance Report Financial Year 2024-25
(Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 & Rules made thereunder)

1. Brief outline on CSR Policy of the Company

The aim of the CSR policy is to ensure that the Corporation becomes a socially responsible corporate entity by contributing towards promoting sustainable livelihoods and improving the quality of life of the socio-economically backward communities and society at large.

Promote inclusive growth and equitable development in society while assigning importance to regional and gender disparity through development programmes and other innovative initiatives for socio-economically backward communities and society at large.

The CSR & SD plans shall be identified and formulated in collaboration with the partner organisations of the NSFDC that include State Channelising Agencies, Channelising Agencies, Training Partners and other development partners.

The CSR&SD activities proposed in the Annual plan shall also be prepared in line with the relevant notification/circulars issued by the concerned Ministries. Any project / program which benefit the employees or their families shall not be considered as CSR&SD activities.

All proposals for CSR&SD activities shall be first examined by the Internal Committee for CSR&SD constituted by the CMD, NSFDC. After they are found suitable, proposals shall be put up to CSR&SD committee of Directors for their consideration following the due approval process in NSFDC.

Activities carried out under the NSFDC's Corporate Social Responsibility shall be related to activities included in the Schedule VII of the Companies Act.

2 Composition of CSR Committee

Sl. No.	DIN of Director	Name of Director	Designation/Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year.	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
(i)	09056584	Rajnish Kumar Jenaw (01.04.2024 – 31.08.2024)	Chairman-cum-Managing Director	3	2
(ii)	03633935	Rajan Sehgal (01.09.2024 – 31.03.2025)	Chairman-cum-Managing Director	3	1
(iii)	06804536	S.M. Awale	Director	3	2
(iv)	09453376	Durga Prasad Rai	Independent Director	3	1
(v)	06644859	Anjula Singh Mahur	Independent Director	3	1
(vi)	09350971	Mashar Veluparath	Director	3	1

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company. www.nsfdc.nic.in

Annexure-IX
(See Para 8)
(Page 2 of 5)

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable. Not Applicable

(Amount in Rs. lakh)

5.	(a) Average net profit of the company as per section 135(5).	4781.68
	(b) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	95.63
	(c) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.	102.40
	(d) Interest earned on Unspent fund	6.05
	(e) Total CSR obligation for the financial year [(b) + (c) + (d)].	204.08

6. Amount spent on CSR Projects (both On-going Project)

A: <u>Details of CSR amount spent in FY 2024-25 pertaining to Previous Year:</u>

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
Sr. No.	Project ID / File No.	Financial year to which the new project pertains	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Name of the Project	Local area (Yes/ No)	Location of the Project		Project Duration (in months)	Amount spent in the current financial year (in Rs.)	Mode of implementation Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation – through Implementing Agency	
						District.	State				CSR Registration number	Name
1.	NSFDC/CSR/MHC/NEF/TONK/23-24/E-71213	2023-24	Clause i (iv)	Medical Health Camp	Yes	Tonk	Rajasthan	36 months	16470	No	CSR00000560	Netram Eye Foundation
2.	NSFDC/CSR/R.O&S.P/U.P/23-24/E-79449	2023-24	Clause i (v)	Installation of R.O Plant & Solar Panel	Yes	Hathras	Uttar Pradesh	36 months	436632	No	CSR00010248	HLFPPT
3.	NSFDC/CSR/23-24/E-65134/ Rajsamand Raj./	2023-24	Clause i (iii)	Construction of Toilet for SC Hostel	Yes	Rajasamand	Rajasthan	36 months	250000	No	CSR00041278	Shree Jagriti Seva Sansthan
4.	NSFDC/CSR/EWPMHP/DH/83163	2023-24	Clause i (i)	Installation of 10 Sanitary Napkin Vending and disposal Machines	Yes	Delhi	Delhi	36 months	85400	No	CSR00054442	Mahatma Gandhi Shodh Sansthan

Annexure-IX
(See Para 8)
(Page 3 of 5)

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
Sr. No.	Project ID / File No.	Financial year to which the new project pertains	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Name of the Project	Local area (Yes/ No)	Location of the Project		Project Duration (in months)	Amount spent in the current financial year (in Rs.)	Mode of implementation Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation – through Implementing Agency	
						District.	State				CSR Registration number	Name
5.	NSFDC/CSR/Giridih (JH)/I.M/82652	2023-24	Clause i (i)	Equipment/toilet repair	Yes	Giridih	Jharkhand	36 months	420000	No	CSR00042656	District Administration, Giridih
6.	65NSFDC/CSR/Board Agenda deposit to PM CARES Fund/84579	2020-21	Clause I (v)	CSR Contribution to PM CARES Fund	Yes	Pan India	Pan India	36 months	1112388	Yes	Not Applicable	NSFDC
7.	NSFDC/CSR/Unspent CSR amount paid to PM Care Fund/84175	2023-24	Clause I (v)	CSR Contribution to PM CARES Fund	Yes	Pan India	Pan India	36 months	56250	Yes	Not Applicable	NSFDC
8.	NSFDC/CSR/ CSR Expenditure during 2021-22 against fresh sanctions/49564	2021-22	Clause I (v)	CSR Contribution to PM CARES Fund	Yes	Pan India	Pan India	36 months	5058675	Yes	Not Applicable	NSFDC
	Sub Total Amount spent during 2024-25 w.r.t. Previous Year On-going projects								**7435815**			

B: Details of CSR amount spent in FY 2024-25 against on-going projects for the year 2024-25:

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
Sr. No.	Project ID / File No.	Financial year to which the new project pertains	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Name of the Project	Local area (Yes/ No)	Location of the Project		Project Duration (in months)	Amount spent in the current financial year (in Rs.)	Mode of implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation – through Implementing Agency	
						District.	State				CSR Registration number	Name
1.	NSFDC/CSR/AIF/BHR/E-91993/2024-25/	2024-25	Clause i (ii)	Self-employed Tailor Training for rural women in Bhagwanpur Block	Yes	Begusarai	Bihar	36 months	453240	No	CSR00001977	American India Foundation Trust (AIF)
2.	NSFDC/CSR/Swawlamban/PBCM/DL/E-92705/	2024-25	Clause i (iv)	Installation of Plastic Bottle Crushing Machine	Yes	Lal Quila and Qutub Minar	Delhi	36 months	589000	No	CSR00001968	Swawlamban
3.	NSFDC/CSR/PANTISS/UP/2024-25/ (E-Office File No.93932)	2024-25	Clause i (i)	Creating awareness on Government Health and Nutrition Schemes through Traditional Performing Arts	Yes	Mahakumbh mela, Prayagraj	Uttar Pradesh	36 months	1710000	No	CSR00022598	PANTISS Foundation

Annexure-IX
(See Para 8)
(Page 4 of 5)

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
Sr. No.	Project ID / File No.	Financial year to which the new project pertains	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Name of the Project	Local area (Yes/ No)	Location of the Project		Project Duration (in months)	Amount spent in the current financial year (in Rs.)	Mode of implementation Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation – through Implementing Agency	
						District.	State				CSR Registration number	Name
4	NSFDC/CSR/DSGMC/K.D./DL/24-25/ (E-Office File No. 94624)	2024-25	Clause i (i)	Kidney Dialysis of patients	Yes	Gurudwara Bala Sahib	Delhi	36 months	1365000	No	CSR00004559	DSGMC (Guru Harkishan Kidney Dialysis Hospital)
	Sub Total Amount spent during 2024-25 pertaining to 2024-25 sanction								**4117240**			
	Total Amount (A + B)								**11553055**			

C: Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year: Nil

(Amount in □)

1.	**Amount spent in Administrative Overheads**	Nil
2.	**Amount spent on Impact Assessment, if applicable**	Not Applicable
3.	**Total amount spent for the Financial Year [A+B+C]**	1,15,53,055.00

7. **CSR amount spent or unspent for the Financial Year:**

Total Amount Spent for the Financial Year. (in □)	Amount Unspent (in □)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second provison to section 135(5).		
	Amount	Date of Transfer	Name of the Fund	Amount	Date of Transfer
1,15,53,055.00	39,99,791.27	28.04.2025	PM CARES Fund	11,12,388.00	24.04.2024
			PM CARES Fund	56,250.00	26.06.2024
			PM CARES Fund	50,58,675.00	28.03.2025

Annexure-IX
(See Para 8)
(Page 5 of 5)

8. Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particulars	(Amount in Rs. lakh)
(i)	Two per cent of average net profit of the company as per section 135(5)	95.63
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	115.53
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	19.9
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	NA

9. **Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:**

1	2	3	5	6		7
S. No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135 (6) (in Rs. lakh)	Amount Spent in the current Financial Year (in Rs. lakh)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second provision to Section 135(5), if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in Rs. lakh)
				Amount (in Rs. lakh)	Date of transfer	
1.	2021-22	60.12	Nil	50.59	28.03.2025	Nil
2.	2022-23	56.58	Nil	Nil	Nil	Nil
3.	2023-24	43.20	12.08	0.56	26.06.2024	40.70

10 Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No

If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

Furnish the details relating to such asset so created or acquired through CSR spent in the financial year:

(a)	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	-
(b)	Pincode of the property or asset(s)	-
(c)	Date of creation or acquisition of the capital asset(s).	-
(d)	Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.	-
(e)	Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.	-

11	Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5).	During the year 2024-25, the unspent amount is due to release of amount in instalment or in phases on the basis of requirements of the projects and completion of the project. Efforts have been made to sanction to the extent of allocable surplus. Proposals in context to CSR theme & asset creation were processed.

ANNEXURE-X
(See Para 9)
(Page 1 of 7)

THE REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Statement Of Company's Philosophy on Code of Corporate Governance

Corporate Governance encompasses a set of systems and practices to ensure that the Company's affairs are being managed in a manner which ensures accountability, transparency and fairness in all transactions in the widest sense. Adequate opportunity is given to the shareholders to participate in the governance of the company.

Although, the developmental parameters of the Scheduled Castes have improved since 2001, the gap between mainstream and Scheduled Castes population still persists in the society. Despite rapid development, financial exclusion, unacceptable poverty levels, unemployment, declining income levels from traditional agricultural activities and lack of skills have remained the major challenges in the economic development of Scheduled Castes. NSFDC also aspire to further integrate elements of good governance in its own operations.

2 Board of Directors

2.1 Board Composition and Category of Directors

The Directors are appointed by the President of India through Administrative Ministry in the Company. There are 15 sanctioned posts in the Board of Directors. The Board consisted of 7 members as on 31.03.2025 out of which three are woman director.

The composition of the Board and category of Directors are as follows:-

Category		Name of Directors	In the capacity of
Whole time, Executive, Managing Director		Shri Rajnish Kumar Jenaw (w.e.f. 01.01.2021 to 30.08.2024) Shri Rajan Sehgal (w.e.f. 01.09.2024 to 02.05.2025)	Chairman-cum-Managing Director
Government Directors:-			
(a)	Representing MOSJ&E	Ms. Debolina Thakur Shri Biswaranjan Sasmal	JS & FA, MOSJ&E JS, MOSJ&E
(b)	Representing other agencies	Shri S.M. Awale	Representative of IDBI
(c)	Representing MSME	Smt. Sudha Keshari	Director
(d)	Representing AFC India Ltd.	Shri Mashar Velapurath	Director
(e)	Representing SCAs	Smt. Geeta Bharti	Director

ANNEXURE-X
(See Para 9)

2.2 Remuneration to Directors

2.2.1 Whole Time Executive, Managing Director

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of Chairman-cum-Managing Director is decided by the Government of India. The Government letters appointing Chairman-cum-Managing Director indicate the detailed terms & condition of their appointment, including the period of appointment, scale of pay etc. and it also indicates that in respect of other terms and conditions not cover in the letter, the relevant rules of the Corporation shall apply.

2.2.2 Ex-Officio Part Time Government Directors

Ex-officio Part Time Government Directors are not paid any remuneration and also not paid sitting fees for attending Board/Committee Meetings. None of the Government Directors have any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year.

2.2.3 Non-Official Directors

Independent Directors are not paid any remuneration except reimbursement of expenses on official visits to beneficiaries & training institutes. The Board in its 150th Board Meeting held on 20.03.2019 approved and fixed the rate of sitting fees at Rs.4000/- per day for attending the Board Meetings / Committee Meetings to the Independent Directors.

The sitting fees paid to Independent Directors during the year is given in the table below:-

Date of Board / Committee Meeting	No. of Board Meeting / Committee Meeting	Sitting Fees Paid (in Rs.)	
		Smt. Anjula Singh Mahur	Shri Durga Prasad Rai
06.05.2024	168th Board Meeting / 23rd Audit / 17th CSR Committee Meeting	4000/-	-
22.07.2024	169th Board Meeting / 24th Audit / 18th CSR Committee Meeting	-	4000/-
30.09.2024	35th AGM	-	4000/-
31.01.2025	170th Board Meeting / 25th Audit/ 19th CSR Committee Meeting	N.A.	N.A.
Total		**4000/-**	**8000/-**

ANNEXURE-X
(See Para 9)
(Page 3 of 7)

2.2.4 Training to Independent Directors

During the year there were two Independent Directors on the Board of your Company till December, 2024. Since they have already attended the trainings held by Department of Public Enterprises, due to official exigencies during the year no training programme could be attended by them.

2.2.5 Code of Conduct

NSFDC follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. Code of Conduct as applicable to Board level and below Board level i.e. one grade below Board level up to General Manager Cadre is in existence and has been acknowledge by all (except one member representing Ministry) the members of the Board / Chief General Manager / General Manager(s) for the reporting year.

3 Board / Committee Meetings and Procedures

Board of Directors is the apex body constituted for overseeing the Company's overall functioning. The Board provides and evaluates the Company's strategic direction, management policies and their effectiveness, and ensures that shareholders' (Government of India) long-term interests are being served.

While constituting the Committee of Directors, the requirements that a Director shall not be a member of more than 10 committees and Chairman of not more than 5 committees have been ensured and complied with. None of the Non-Official Directors serves as a Non-Official Directors in any listed company.

3.1 No. of Board Meetings held with dates:

During the year, three board meetings were held as against the minimum statutory requirement of two meetings (in case of Section 8 Companies). The details of Board meetings are given below:-

Board Meeting	Date	Board Strength	No. of Directors Present
168th	06.05.2024	10	08
169th	22.07.2024	10	07
170th	31.01.2025	07	05

ANNEXURE-X
(See Para 9)
(Page 4 of 7)

3.2 Attendance of Directors at Board Meetings

Name of Directors	From	To	No. of Meetings held during tenure (2024-25)	No. of meetings attended during tenure (2024-25)
Shri Rajnish Kumar Jenaw	01.01.2021	30.08.2024	2	2
Shri Rajan Sehgal	01.09.2024	Till date	1	1
Smt. Debolina Thakur	19.09.2024	Till Date	2	1
Shri Biswaranjan Sasmal	09.02.2024	Till date	3	2
Shri Shalil M. Awale	04.06.2015	Till date	3	2
Smt. Geeta Bharti	18.12.2023	Till date	3	3
Shri Mashar Velapurath	18.12.2023	Till date	3	3
Smt. Sudha Keshari	18.12.2023	Till date	3	1
Smt. Anjula Singh Mahur	06.12.2021	05.12.2024	2	1
Shri Gurdeep Singh Manaktahla	22.01.2024	30.06.2024	1	1
Shri Durga Prasad Rai	29.12.2021	29.12.2024	2	1
Shri Dhammajyoti Ramdas Gajbhiye	18.12.2023	09.09.2024	2	1

3.3 Appointment & Cessation of Directors

During the year the following changes took place in the Board of Directors:-

Sl No.	Name of Director	From	To
1.	Smt. Debolina Thakur	19.09.2024	Till date
2.	Shri Gurdeep Singh Manaktahla	22.01.2024	30.06.2024
3.	Shri Rajnish Kumar Jenaw	01.01.2021	30.08.2024
4.	Shri Dhammajyoti Ramdas Gajbhiye	18.12.2023	09.09.2024
5.	Shri Rajesh Bihari, CFO	09.08.2018	30.09.2024
6.	Smt. Anjula Singh Mahur	06.12.2021	05.12.2024
7.	Shri Durga Prasad Rai	29.12.2021	29.12.2024
8.	Shri Rajan Sehgal	01.09.2024	02.05.2025
9.	Shri Biswaranjan Sasmal	09.02.2024	15.07.2025

3.4 Recording Minutes of Proceedings at Board and Committee Meetings

The Company Secretary records minutes of proceedings of each Board and Committee Meeting. Draft minutes are circulated to Board members for their comments. Subsequently decisions taken at Board/Committee Meetings are communicated to the concerned departments promptly for actions and an Action Taken Report on the status of the decision taken at the Board / Committee Meetings is placed, for the information, to the Board / Committee Members in the next meeting.

ANNEXURE-X
(See Para 9)
(Page 5 of 7)

4 Audit Committee

The Audit Committee has been constituted in accordance with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. During the year the Audit Committee of the Company comprises of CMD, NSFDC, representative of Ministry, Independent Directors and representative of IDBI. Company Secretary is the Secretary of the Audit Committee. During the year all the recommendations made by the Audit Committee were accepted by the Board.

The Audit Committee met three times on 06.05.2024, 22.07.2024 and 31.01.2025 during the financial year 2024-25.

Corporation is registered under Section-8 of the Companies Act, 2013 (earlier Section-25 of the Companies Act, 1956) as a Company not for profit. In exercise of powers conferred under Section 462; MCA vide notification GSR 466(E) dated 05.06.2015 exempted Companies u/s 8, from requirement of minimum number of Independent Directors in Audit Committee u/s 177(2).

Since the Company does not fall under the definition of listed Public Company, the provision of the constitution of the Audit Committee was not applicable to the Corporation. However, keeping in view the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was constituted on 14.01.2016 as per terms of reference, prescribed by DPE.

5. CSR Committee

The Corporate Social Responsibility Committee has been constituted in line with Section-135 and Schedule-VII of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014. The constitution of CSR Committee as on 31.03.2025 is Shri S.M. Awale, Shri Rajan Sehgal and Shri Mashar Velapurath. The role of CSR Committee should interalia include the following:

(i) Formulation & recommendation of CSR Policy to the Board.
(ii) Recommendation of CSR Expenditure.
(iii) Monitoring & implementation of CSR Projects

The Committee met three times during the year under review on 06.05.2024, 22.07.2024 and 31.01.2025.

ANNEXURE-X
(See Para 9)

6. Annual General Meeting

During the preceding three years, 33rd, 34th and 35th Annual General Meeting were held at Chamber of Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, 6th Floor, ('A'-Wing) Shastri Bhawan, New Delhi.

The date and time of Annual General Meetings held during last three years and the special resolution(s) passed there at are as follows:-

AGM	Year	Date	Time	Special Resolution Passed
33rd	2021-22	06.12.2022	5.00 p.m.	NIL
34th	2022-23	10.11.2023	12.30 p.m.	NIL
35th	2023-24	30.09.2024	3.00 p.m.	NIL

7. Disclosures

7.1 Disclosures on Materially Significant Related Party Transactions that may have potential conflict with the Interests of Company at Large

During the period under review, the Company had not entered into any material transaction with any of its related parties other than pay, allowances and housing loan.

7.2 Details of Non-Compliance by the Company, Penalties, Strictures Imposed On The Company By Any Statutory Authority, on any Matter Related to any Guidelines issued by Government during the last three years

During the period under review, the Company had not been imposed penalty / strictures by any Statutory Authority during the last three years.

7.3 Compliance

The Company Secretary, while preparing the agenda, notes on agenda and minutes of the meeting(s), ensure adherence to the Companies Act, 2013 read with Rules issued thereunder, as applicable and the Secretarial Standards recommended by the Institute of Company Secretaries of India. The concerned departmental heads are responsible for all applicable laws and regulations, as per their respective functions.

ANNEXURE-X
(See Para 9)
(Page 7 of 7)

8. Whistle Blower Policy

The Company promotes ethical behavior in all its business activities and has put in place a mechanism for reporting illegal or unethical behavior. The Company has a Vigil mechanism and Whistle Blower Policy under which the employees are free to report violations of applicable laws and regulations and the Code of Conduct.

9. Means of Communication

The Company displays Annual Report on its website together with other important information pertaining to the Company. Annual Reports and other papers related to shareholders are laid before Lok Sabha and Rajya Sabha regularly. The Company displays official news releases in its website www.nsfdc.nic.in and social media like Facebook, Instagram, Twitter and Whatsapp.

During the financial year 2024-25, Maha Kumbh Mela, Shilp Samagam Mela, exhibitions at Dilli Haat & Bharat Mandapam were widely covered in Social Media. The other activities of NSFDC under term loan & Skill Training were highlighted in social media.

10. Compliance Certificate

This report duly complies with the requirements of DPE's Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in Annexure-VII of the Guidelines. The quarterly report on compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by DPE is also sent to Administrative Ministry regularly. The certificate obtained from practicing Company Secretary regarding compliance of conditions of Guidelines of Corporate Governance of CPSEs has been annexed to the Board Report at **Annexure-XI**.





NSFDC CSR initiative for women tailoring training at Begusarai, Bihar during the year 2024-2025

ANNEXURE-XI
(See Para 9)

MNK AND ASSOCIATES LLP
COMPANY SECRETARIES, LLPIN: AAM-9113
Regd office: 9A/9-10, Basement, East Patel Nagar, New Delhi – 110008
Tel: +91-11-45095230; Mobile: +91-9818156340; Email: nazim@mnkassociates.com

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(As per Clause 8.2.1 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by DPE)

To,
The Members
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
New Delhi

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by National Scheduled Castes Finance and Development Corporation ("the Company") for the year ended March 31,2025 as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India ("DPE") and annexure mentioned thereunder.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to the procedure and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned Guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in DPE Guidelines, except the following:

1. As per DPE Guidelines, the Board shall meet at least once in every three months and the time gap between any two meetings shall not be more than three months. On perusal of the records of the Company we observed that the Board has met 3 times during the financial year 2024-25 i.e. 06.05.2024, 22.07.2024, 31.01.2025 and the time gap between second and third Board Meetings exceeds 3(three) months.

2. As per DPE Guidelines, the Audit Committee shall meet at least four times during the last 12 months and also not more than four months shall elapse between two meetings. On perusal of the records of the Company we observed that the Audit Committee has met 3 times during the last 12 months i.e. 06.05.2024, 22.07.2024 and 31.01.2025 and the time gap between second and third Audit Committee meeting exceeds 4(four) months.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For MNK and Associates LLP
Company Secretaries
FRN: L2018DE004900

Kumar Arun
Partner
Practicing Company Secretary
ACS: A67168; CP:27657
UDIN: A067168G000449055
Peer Review Cert. No:671/2020
Place: New Delhi
Date: 26.05.2025

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2025

(₹ In Lakhs)

	Particulars	Note No.	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
I.	ASSETS			
1	Non-current assets			
	(a) Property, plant and equipment	3	416.23	404.89
	(b) Investment Property	4	11.63	11.63
	(c) Other intangible assets	5	1.98	0.55
	(d) Financial assets			
	(i) Loans	6	1,18,191.40	1,22,458.78
	(ii) Others	7	12.95	29.98
	(e) Other Non Current Assets	8	38.68	47.34
			1,18,672.87	1,22,953.17
2	Current assets			
	(a) Financial assets			
	(i) Cash and cash equivalents	9	11,555.57	7,325.24
	(ii) Bank balances other than (i) above	10	8,997.49	6,617.62
	(iii) Loans	6	1,01,134.04	97,125.19
	(iv) Others	11	3,476.45	3,989.27
	(b) Current Tax Asset(net)	12	15.75	15.75
	(c) Other Current Assets	13	56.77	77.50
			1,25,236.07	1,15,150.56
	Total Assets		2,43,908.94	2,38,103.73
II.	EQUITY AND LIABILITIES			
1	Equity			
	(a) Equity share capital	14	1,51,500.00	1,51,500.00
	(b) Other equity	15	84,958.08	77,971.07
			2,36,458.08	2,29,471.07
2	Liabilities			
(i)	Non-current liabilities			
	(a) Provisions	16	546.98	512.41
			546.98	512.41
(ii)	Current liabilities			
	(a) Financial liabilities			
	(i) Borrowing	17.1	-	2,500.00
	(ii) Others	17.2	6,063.52	4,762.63
	(b) Other current liabilities	18	76.12	91.07
	(c) Provisions	16	764.24	766.55
			6,903.88	8,120.25
	Total Equity and Liabilities		2,43,908.94	2,38,103.73
III.	See accompanying notes to the financial statements	1-45		

As per our Report of even date attached
For M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN: 007601N

CA Davinder Pal Singh
Partner
M. No. 086596

Place : New Delhi
Date : 08-07-2025

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

For and on behalf of the Board of Directors

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager (Finance)

(Annu Bhogal)
General Manager (Finance) & Company Secretary

Director
DIN- 09350971
(MASHAR VELAPURATH)

(Prabhat Tyagi)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 11091165

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Income & Expenditure for year ended 31st March 2025

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
I	Revenue from operations	19	7,447.90	6,865.38
II	Other Income	20	1,002.67	823.05
III	Reversal of allowance for doubtful loans and interest	30.4	738.57	-
	Total Revenue (I+II+III)		9,189.14	7,688.43
IV	**Expenses**			
	Employee Benefits Expenses	21	2,087.87	2,004.12
	Finance Cost	21.1	6.22	62.06
	Depreciation & Amortization Expenses	22	50.06	35.12
	Allowance for Doubtful loans and Interest	30.4	-	59.53
	Incentives to SCA	23	50.00	105.00
	CSR Expenses	36	104.41	85.56
	Other Expenses	24	520.17	534.49
	Total Expenses (IV)		2,818.73	2,985.87
V	**Excess of Income over expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)**		6,370.41	4,702.56
VI	Exceptional Items	25	-0.07	3.27
VII	**Excess of Income over expenditure before Tax (V - VI)**		6,370.34	4,705.83
VIII	Tax expense:			
	(1) Current tax			
	(2) Deferred tax			
IX	**Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations (VII-VIII)**		6,370.34	4,705.83
X	Excess of Income over expenditure from discontinued operations			
XI	Tax expense of discontinued operations			
XII	Excess of Income over expenditure discontinued operations (X - XI)			
XIII	**Excess of Income over expenditure for the period (IX + XII)**		6,370.34	4,705.83
XIV	**Other Comprehensive Income**			
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account	26	(6.93)	26.05
	(ii) Income Tax relating to items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account			
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account			
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account			
XV	**Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over expenditure and Other Comprehensive Income for the period**		6,363.41	4,731.88
XVI	**Earning per equity share:**			
	(For continuing Operation)			
	(1) Basic (in `Rs.)	27	42.05	31.37
	(2) Diluted (in `Rs.)	27	42.05	31.35
XVII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (in `Rs.)			
	(2) Diluted (in `Rs.)			
XVIII	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (in `Rs.)	27	42.05	31.37
	(2) Diluted (in `Rs.)	27	42.05	31.35
X	See accompanying notes to the financial statements			

per our Report of even date attached
M/s. Davinder Pal Singh & Co.
ırtered Accountants
N: 007601N

. Davinder Pal Singh
tner
No. 086596

ce : New Delhi
e : 08-07-2025

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

For and on behalf of the Board of Directors

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager (Finance)

(Annu Bhogal)
General Manager (Finance) & Company Secretary

irector
IN- 09350971
(MADHAR VELAPURATH)

(Prabhat Tyagi)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 11091166

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2025

(₹ in Lakhs)

Particulars		For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
A. Cash Flow from Operating Activities			
Excess of income over expenditures before exceptional items and tax		6,370.34	4,700.67
Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:			
Depreciation		50.06	35.12
Interest on lease liability		-	-
Loss /(Profit) on sale/impairment/exchange of assets		0.07	(3.27)
Modification Gain on Leases		-	
Operating profit before changes in operating Assets & liabilities	(1)	6,420.47	4,732.52
Adjustments for:			
Decrease / (Increase) in non-current loans		4,267.38	(3,856.42)
Decrease / (Increase) in other non-current financial assets		17.03	82.31
Decrease / (Increase) in other non-current assets		8.66	(3.35)
Decrease / (Increase) in current loans		(4,008.85)	(10,908.42)
Decrease / (Increase) in other current financial assets		512.82	(996.30)
Decrease / (Increase) in other current assets		20.73	(12.14)
(Decrease) / Increase in other current financial liability		(1,199.09)	(18,523.31)
(Decrease) / Increase in other current liability		(14.95)	(52.92)
(Decrease)/ Increase in non current provisions		27.64	44.54
(Decrease)/ Increase in current provisions		(2.31)	(29.05)
	(2)	(370.94)	(34,255.06)
Cash generated from operation	(1+2)	6,049.53	29,522.54
Income Tax Paid		-	9.12
Net Cash Outflow from Operating Activities		6,049.53	(29,513.42)
B. Cash Flow From Investing Activities			
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipments		0.82	3.79
Purchase of Property, Plant and Equipments		(61.73)	(44.34)
Purchase of Intangible Assets		(2.00)	-
Decrease/ (Increase) in Other Bank Balance		(2,379.87)	606.26
Interest on Special Reserve Fund investment		623.59	552.08
Net Cash Inflow from Investing Activities		(1,819.19)	1,117.79
C. Cash Flow From Financing Activities			
Issue of Share Capital		-	1,500.00
Share application money pending allotment		-	-
Proceeds from Borrowings		-	2,500.00
Interest on lease liability		-	-
Principal Lease Payment		-	-
Net Cash Inflow from Financing Activities		-	4,000.00
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		4,230.34	(24,395.63)
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note :-9)		7,325.24	31,720.86
Closing Cash & Cash Equivalents		11,555.58	7,325.23
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents			
Cash & Cash Equivalents at the end of the year (Refer note :-9)		11,555.57	7,325.24

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2025

Notes:-

i. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by Ministry of Corporate Affairs.

ii. The company adopted the amendment to Ind-AS 7 effective from April 1, 2017, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement.

iii. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

As per our Report of even date attached
For M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN: 007601N

C.A. Davinder Pal Singh
Partner
M. No. 086596

Place : New Delh
Date : 08-07-2025

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

For and on behalf of the Board of Directors

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager (Finance)

(Annu Bhogal)
General Manager (Finance) & Company Secretary

Director
DIN- 09350971
(MADHAR VELAPURATH)

(Prabhat Tyagi)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 11091166

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2025

A. Equity share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares (in lakhs)	Amount
Balance at April 1, 2024	151.50	1,51,500.00
Changes in equity share capital during the current year	-	-
Issue of equity shares Capital during the year		
Balance at March 31, 2025	151.50	1,51,500.00

B. Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	Share application money pending allotment	Reserves & Surplus			Total
		Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	
Balance at the beginning of the year	-	8,996.84	68,974.23	-	77,971.07
Prior period Adjustments (Refer Note 32)			-		-
Restated balance at the beginning of the year	-	8,996.84	68,974.23	-	77,971.07
Profit for the year	-	-	-	6,370.34	6,370.34
Other Comprehensive Income for the year	-			(6.93)	(6.93)
Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	6,363.41	6,363.41
Transfer to Special reserve		637.03		(637.03)	-
Transfer of Interest on Special Reserve Fund Investment		623.59		-	623.59
Transfer to General Reserve		-	5,726.38	(5,726.38)	-
Share application money received during the year		-			-
Issue of share capital					-
Balance at the end of the year	-	10,257.47	74,700.61	-	84,958.08

As per our Report of even date attached
For M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006747 N

C.A. Davinder Pal Singh
Partner
M. No. 086596

Place : New D
Date : 08-

DAVINDER PAL SINGH & CO. INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

For and on behalf of the Board of Directors

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager (Finance)

(Annu Bhogal)
General Manager (Finance) & Company Secre

Director
DIN-09350971
(MADHAR VELAPURATH)

(Prabhat Tyagi)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 11091166

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2024

A. Equity share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares (in lakhs)	Amount
Balance at April 1, 2023	150.00	1,50,000.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	-	-
Restated balance as at April 1, 2023	150.00	1,50,000.00
Changes in equity share capital during the current year	-	-
Issue of equity shares Capital during the year	1.50	1,500.00
Balance at March 31, 2024	151.50	1,51,500.00

B. Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	Share application money pending allotment	Reserves & Surplus			Total
		Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	
Balance at the beginning of the year	-	7,974.18	64,718.09	-	72,692.27
Prior period Adjustments (Refer Note :- 32)			(5.16)		(5.16)
Restated balance at the beginning of the year	**-**	**7,974.18**	**64,712.93**	**-**	**72,687.11**
Profit for the year	-	-		4,705.83	4,705.83
Other Comprehensive income for the year	-			26.05	26.05
Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	4,731.88	4,731.88
Transfer to Special reserve		470.58		(470.58)	-
Transfer of interest on Special Reserve Fund Investment		552.08		-	552.08
Transfer to General Reserve		-	4,261.29	(4,261.29)	-
Share application money received during the year		-			-
Issue of share capital					-
Balance at the end of the year	-	8,996.84	68,974.23	-	77,971.07

As per our Report of even date attached
For M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006747 N

C.A. Davinder Pal Singh
Partner
M. No. 086596

Place : New Delhi
Date : 08-07-2024

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

For and on behalf of the Board of Directors

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager (Finance)

(Annu Bhogal)
General Manager (Finance) & Company Secretary

Director
DIN- 09350971
(MASHAR VELAPURATH)

(Prabha Tyagi)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 11091166

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

1 Corporate Information

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation is a not for profit company domiciled in India and was incorporated on 08.02.1989 under the name and style of "National Scheduled Castes & Scheduled Tribes Finance and Development Corporation" under Section 25 of companies Act 1956 (now under Section 8 of the Companies Act, 2013). It catered to the needs of both Scheduled Castes & Scheduled Tribes target groups till 09.04.2001. On 10.04.2001, the Corporation was bifurcated after creation of National Scheduled Tribes Finance & Development Corporation for Scheduled Tribes target group under Ministry of Tribal Affairs. Consequent upon its bifurcation, Corporation now exclusively caters to the needs of Scheduled Castes target group. The registered office of the company is located at 14th Floor, Core 1 & 2, Scope Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092.

2 Accounting Policies

2.1 Statement of Compliance

The financial statements as at and for year ended March 31, 2025 have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria as set out in the Division II of Schedule-III to the Companies Act, 2013.The Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current or non-current classification of assets and liabilities.

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. During the year ended March 31, 2025, MCA has notified Ind AS 117 - Insurance Contracts and amendments to Ind As 116 – Leases, relating to sale and lease back transactions, applicable from April 1, 2024. The Company has assessed that there is no significant impact on its financial statements.

On May 7, 2025, MCA notifies the amendments to Ind AS 21 - Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. These amendments aim to provide clearer guidance on assessing currency exchangeability and estimating exchange rates when currencies are not readily exchangeable. The amendments are effective for annual periods beginning on or after April 1, 2025. The Company has assessed that there is no significant impact on its financial statements.

2 Basis of preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

(i) Defined benefit Plan and other long term employee benefits

(ii) Certain financial assets and liabilities measured at fair value

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

2.3 **Use of Estimates and Judgement**

The preparation of financial statements in conformity with IND AS requires management to make judgements, estimates and assumtions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include useful life of property, plant and equipment, intangible assets, provision for doubtful debts, future obligations under employee retirement benefit plans & contingent liabilities. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognised in the period in which the results are known/materialize.

2.4 All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakh rupees with two decimal points except where otherwise stated.

2.5 **Statement of Cash flow**

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purposes of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

Ind-AS 7:

The company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

2.6 **Foreign Currency**

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e. Functional Currency).The financial statements are presented in Indian rupees, which is the company's functional and presentation currency.

Income and expenses in foreign currencies are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transaction. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the exchange rate prevailing on the balance sheet date and exchange gains and losses arising on settlement and restatement are recognised in the statement of Income & Expenditure.

2.7 **Property, plant and equipment**

Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

Cost of asset includes the following

(i) Cost directly attributable to the acquisition of the assets

(ii) Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.

Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts and borrowing costs for long-term construction projects are capitalised if the recognition criteria are met.

Property, Plant & Equipment whose cost does not exceed Rs.5000/- have been directly charged to statement of income & expenditure.

Upon sale of assets cost and accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and the resultant gains or losses are recognized in the statement of income & expenditure.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

Depreciation is provided for property, plant and equipment on written down value method over their estimated useful life of assets as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimates accounted for on a prospective basis.

The estimated useful lives are as mentioned below:

Category of Assets

Particulars	Estimated Useful Life (years)
Freehold Building	60
Air Conditioners	5
Computer & Peripherals	3
Fixture & fittings	10
Furniture	10
Office Equipment	5
Vehicles	8

Leasehold building is being amortised over the primary lease period.

Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset.

The residual value of the assets is taken as 5% of the cost of assets.

Depreciation is not recorded on capital work-in-progress until construction and installation are complete and the asset is ready for its intended use.

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date.

2.8 **Intangible assets**

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at historical cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

In respect of 'Intangible Assets' software not forming integral part of hardware equipment; software development and related expenditure resulting into successful deployment of the developed software, is recognized at cost and being amortized over a period of 3 years thereof.

Depreciation methods, useful life and residual values are reviewed at each balance sheet date.

2.9 **Investment properties**

(i) Investment property comprises completed property, property under construction and property held under finance lease that is held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for sale in the ordinary course of business or for use in production or administrative functions.

(ii) Investment Properties are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

(iii) The company depreciates building component of investment property over the estimated useful life of the assets as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013.**(Refer note:2.7)**

(iv) Investment properties are derecognized either when they have been disposed off or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. Difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in Statement of Income & Expenditure in the period of de-recognition.

DAVINDER PAL SINGH & CO CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

2.10 Provisions

Provision is recognised when:
(i) The Company has a present obligation as a result of a past event,
(ii) A probable outflow of resources is expected to settle the obligation and
(iii) A reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
Provision recognized above which are expected to be settled beyond 12 months are measured at the pr value by using pre-tax discount rate that reflects the risks specific to the liability and the increase i provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.
Provision are reviewed at each Balance Sheet Date.

2.11 Revenue recognition

I Revenue from Operation:

The Company Recognizes revenue from contracts with customers based on a five step as set out in Ind A 115:
(i) Identify contracts with a customer: A contract is defined as an agreement between two or more partie that creates enforceable rights and obligations and sets out the criteria for every contract that must be m
(ii) Identify performance obligations in the contract: A performance obligation is a promise in a contract v a customer to transfer a good or service to the customer.
(iii) Determine the transaction price: The transaction price is the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties.
(iv) Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract: For a contract that has r than one performance obligation, the Corporation allocates the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the Corporation expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.
(v) Recognise revenue when or as the Corporation satisfies a performance obligation by transferring a promised goods or services to a customer. An asset is transferred when the customer obtains control of t asset.

Revenue is recognized to the extent that, it is probable that the economic benefits will flow to the Comp and the revenue can be reliably measured. However when an uncertainty arises about the collectability c amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which reco has ceased to be probable, is recognise as an expense rather as an adjustment of the amount of reve already recognised.

a) Interest income on loans given is recognized on a time proportion basis taking into account the amc outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.
b) Penal interest on defaults in the repayments is recognized on realization due to uncertainty of collectability.
c) Penal interest is charged on unutilzed amount of loans refunded, subject to management policy **(refer r 19.1)** and is accounted for on accrual basis.

II Other Revenue Recognition :

a) Interest income on bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the interest rate applicable.
b) Interest income on Staff loans given is recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

2.12 Revenue Grants from Government/Other Organisations as permitted under IndAS 20

i) Grants are recognised in Income and expenditure Account on a systematic basis over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

ii)A Government grant may become receivable by an entity as compensation for expenses or losses incurred in a previous period. Such a grant is recognised in Income and expenditure Account of the period in which it becomes receivable.

iii)Grants related to income are deducted in reporting the related expenses.

2.13 LEASES

As A Lessee

(i) The Company Recognizes a right-of- use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date , plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

(ii) The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-to-use-asset or the end of the lease term. The estimated useful life of the right-to-use asset is determined on the same basis as those of property, plant and equipment. In addition, the right-to-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

(iii) The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate.

(iv) The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method, it is remeasured when there is a change in future lease payments from a change in an index or rate. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right -of-use asset, or is recorded in the profit and loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

(v) The Company presents right-of-use asset that do not meet the definition of Investment property in the "Property plant and equipment" and lease liabilities in "other financial liabilities" in the Balance Sheet.

(vi) Short term Lease and Leases of low value assets. The Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liabilities for short term leases that have lease term of 12 months or less and leases of low value assets. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

As A Lessor

(i) When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether each lease is a finance lease or an operating lease. To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is a finance lease, if not then it is an operating lease. As part of the assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the economic life of the asset.

(ii) If an arrangement contains lease and non-lease components, the Company applies Ind AS-115 "Revenue from contract with customers" to allocate the consideration in the contract.

(iii) The Company recognizes lease payments received under operating lease as income on a straight-line basis over the lease term as part of "Other Income".

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

2.14 Impairment of Non Financial Assets

(i) The carrying amounts of the assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset's recoverable amount is estimated. For assets that are not yet available for use, the recoverable amount is estimated at each balance sheet date.

(ii) An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the Statement of Income & Expenditure.

(iii) An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

2.15 Employee Benefits

(i) Short Term Employee Benefits

Short Term Employee Benefits such as short-term compensated absences are recognized as an expense on an undiscounted basis in the statement of Income & Expenditure of the year in which the related service is rendered.

(ii) Post-Employment Benefits & other Long Term Employee Benefits

a) Defined Contribution Plan

Defined Contribution Plans such as Provident Fund, Pension Employees Deposit Linked Insurance, Group Savings Linked Insurance Schemes are recognized as an expense and charged to the statement of Income & Expenditure. The company makes defined contribution to the Regional Provident Fund Commissioner in respect of provident fund. The Company does not have further obligation in this respect beyond its contribution which is expensed off when they become due.

The Post Retiral plans such as " Defined contributory Pension Scheme for Employees of NSFDC" and " Defined contributory Medical Scheme for Retired Employees" are subject to the contribution made by the company as per DPE OM dated 21.05.2014.

(i) Pension Scheme

The Corporation has a "Defined Contributory Pension Scheme for Employees of NSFDC" as per DPE Guidelines. The employer contribute 10% of the Basic Pay plus DA every month to the Trust. The Corporation has formed a trust in the name of "Defined Contributory Pension Scheme Trust for Employees of NSFDC" for managing the scheme. LIC of India is the fund Manager for the NSFDC.

(ii) Retired Employees Medical Scheme

The Corporation has "Defined Contribution Medical Scheme for Retired Employees". The Corporation has formed a trust in the name of "Defined Contributory Medical Scheme Trust for Retired Employees of NSFDC". The employer contribute 3% of the Basic Pay plus DA every month to the Trust. The fund was managed by the Trust since inception till 01.08.2018. LIC of India is managing the funds of the Trust under Group Superannuation Cash Accumulation benefit Scheme w.e.f. 02.08.2018.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

b) Defined Benefits Plan

(i) Gratuity

The employees Gratuity Fund Scheme is funded by the Corporation managed by LIC through a separate trust. LIC, a Government Undertaking has charged the premium during the year based on the actuarial calculation as certified by LIC. The amount recognized in the balance sheet is the present value of the defined benefit obligations less fair value of plan assets less any past service cost not yet recognized, at the balance sheet date.

(ii) Leave Benefit

The Corporation operates a defined benefit plan (the Leave Benefit Plan) covering eligible employees based on the respective employees salary and the tenure of employment as per the leave rules of the Corporation. Leave Benefits such as Leave Encashment, Sick Leave, etc. are recognized on the basis of actuarial valuation made as at the end of the year.

2.16 Special reserve Fund

The Corporation transfers 10% of Excess of Income over Expenditure to the Special Reserve fund, before considering income on special Reserve fund, for meeting investments in buildings and for contingencies/eventualities.

2.17 Income taxes

The Income of the Company is exempted from tax under section 10(26B) of the Income Tax Act, 1961. Thus no provision for income tax is required. Consequently the provisions of Ind AS-12 of the "Accounting for Income Taxes" is not applicable.

2.18 Earnings per Share

In determining basic earnings per share, the company considers the net profit attributable to equity shareholders. The number of shares used in computing basic earnings per share is the weighted average number of shares outstanding during the period. In determining diluted earnings per share, the net profit attributable to equity shareholders and weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effect of all dilutive potential equity shares.

2.19 Contingent Liabilities and Contingent Assets

Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

(i) A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or

(ii) A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

(iii) A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

Contingent assets is disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

Contingent Liability and Provisions needed against Contingent Liability and Contingent Assets are reviewed at each Reporting date.

Contingent Liability is net of estimated provisions considering possible outflow on settlement.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

2.20 Fair Value Measurement

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

2.21 **Financial instruments:-**

(i) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

(ii) Subsequent measurement

Financial Assets

financial assets are classified in following categories:

a. At Amortised Cost

A financial asset shall be measured at amortised cost if both of the following conditions are met:

(a) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and

(b) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortised cost using effective interest rate method less impairment, if any. The EIR amortisation is included in finance income in the statement of Income & Expenditure.

b) At fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the Fair value through Other comprehensive income if both of the following criteria are met:

• The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

DAVINDER PAL SINGH & CO CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)

Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

• The asset's contractual cash flows represent solely payment of principal and interest (SPPI).

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting dat at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, th company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in th Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previousl recognised in OCI is reclassified from the equity to P&L. Interest earned is recognised using the EIR method.

c) At Fair value through Profit & Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria fc categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost c FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency The company has not designated any financial asset as at FVTPL.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized i the Statement of Income & Expenditure.

a) Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities at amortised cost represented by trade and other payables, security deposits and retentio money are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effectiv interest rate method.

b) Financial liabilities at FVTPL

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

(iii) De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets is derecognized only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers th financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled o expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantiali different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange o modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and th difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of Income & Expenditure.

(iv) Impairment of financial assets:

i) The company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-10 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

ii) For all Financial Assets other than contract assets/ Trade receivables, expected credit losses are to b measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life tim ECL's if credit risk on the financial asset has increase significantly since its initial recognition.

iii) ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as income/expens in the statement of Income & Expenditure.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

2.22 Non-current Assets (or disposal groups) held for Sale

Non-current assets (or disposal groups) are classified as assets held for sale when their carrying amount is to be recovered principally through a sale transaction and a sale is considered highly probable. The sale is considered highly probable only when the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition, it is unlikely that the sale will be withdrawn and sale is expected within one year from the date of the classification. Disposal groups classified as held for sale are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell. Property, plant and equipment and intangible assets are not depreciated or amortised once classified as held for sale. Assets and liabilities classified as held for sale are presented separately in the Balance sheet.

If the criteria stated by IND AS 105 "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations" are no longer met, the disposal group ceases to be classified as held for sale. Non-current asset that ceases to be classified as held for sale are measured at the lower of (i) its carrying amount before the asset was classified as held for sale, adjusted for depreciation that would have been recognised had that asset not been classified as held for sale, and (ii) its recoverable amount at the date when the disposal group ceases to be classified as held for sale.

2.23 Disclosure as per Ind AS 8 'Accounting policies, change in accounting estimates & errors'

a) Material accounting policy information

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. During the year ended March 31, 2025, MCA has notified Ind AS 117 - Insurance Contracts and amendments to Ind As 116 – Leases, relating to sale and lease back transactions, applicable from April 1, 2024. The Company has assessed that there is no significant impact on its financial statements.

b) Standard/Amendments issued but not yet effective:

On May 7, 2025, MCA notifies the amendments to Ind AS 21 - Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. These amendments aim to provide clearer guidance on assessing currency exchangeability and estimating exchange rates when currencies are not readily exchangeable. The amendments are effective for annual periods beginning on or after April 1, 2025. The Company has assessed that there is no significant impact on its financial statements.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

3 Property, Plant & Equipment

(₹ in Lakhs)

Particulars	Buildings Freehold	Buildings Leasehold	Furniture & Fixtures	Vehicles	Office Equipment	Computers	Total
Cost or Deemed Cost							
At 1st April 2023	22.48	646.89	115.46	16.25	50.39	84.10	935.58
Additions	-	-	6.78	-	2.89	34.67	44.34
Disposals/Adjustments	-	-	(0.26)	(7.95)	0.69	1.31	10.21)
At 31 March 2024	22.48	646.89	121.98	8.30	52.59	117.46	969.71
Additions	28.95	-	1.71	9.85	8.21	13.01	61.73
Disposals/Adjustments	-	-	(0.17)	-	(2.83)	(2.10)	(5.10)
At 31 March 2025	51.43	646.89	123.52	18.15	57.97	128.37	1,026.34
Depreciation and Impairment							
At 1st April 2023	18.35	294.25	103.83	11.56	36.51	75.48	539.99
Depreciation charge for the year	-	15.16	2.54	1.25	6.46	9.11	34.52
Impairment							
Disposals/Adjustments	-	-	(0.25)	(7.51)	(0.64)	(1.29	(9.69)
At 31 March 2024	18.35	309.41	106.12	5.30	42.33	83.30	564.82
Depreciation charge for the year		14.68	1.59	0.99	5.49	26.75	49.50
Impairment							
Disposals/Adjustments	-	-	(0.10)	-	(2.36)	(1.75)	(4.21
At 31 March 2025	18.35	324.09	107.61	6.29	45.46	108.30	610.11
Net book value							
At 31 March 2025	33.07	322.80	15.92	11.86	12.51	20.07	416.23
At 31 March 2024	4.12	337.48	15.87	3.00	10.26	34.16	404.89

Note :- 3.1 The company has applied the estimated useful lives as specified in Schedule II, of the Companies Act 2013, except in respect of certain assets as disclosed in Accounting Policy on Depreciation / Amortization on fixed assets. Accordingly, the unamortized carrying value is being depreciated /amortized over the revised / remaining useful lives.

Note :- 3.2 Buildings includes both leasehold and freehold buildings. Leasehold buildings premises at SCOPE Minar under right of use for 89 years from DDA/Scope is purchased on sub-lease pending transfer of title/sub-lease. Two flats purchased in Mumbai are under right of use for 90 years is yet to be executed between MHADA & Housing Society.

Note:- 3.3 Details of the Property, not held in the name of the Company are as follows:-

	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Property, Plant & Equipment (PPE)	Land & Building Situated at Core 1 & 2, 14th Floor, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi 110092	64	Executive Conference of Public Enterprises	N/A	17-05-2005	Refer 3.2 above
Property, Plant & Equipment (PPE)	NSFDC, Oshiwada MHADA Complex building no.5, Flats no. 02 & 04, Azad Nagar, Andheri (west), Mumbai 400053	2	MHADA	N/A	25.06.1997	Refer 3.2 above

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

3 Property, Plant & Equipment

(₹ in Lakhs)

Particulars	Buildings Freehold	Buildings Leasehold	Furniture & Fixtures	Vehicles	Office Equipment	Computers	Total
Cost or Deemed Cost							
At 1st April 2023	**22.48**	**646.89**	**115.46**	**16.25**	**50.39**	**84.10**	**935.58**
Additions	-	-	6.78	-	2.89	34.67	44.34
Disposals/Adjustments	-	-	(0.26)	(7.95)	(0.69)	(1.31)	(10.21)
At 31 March 2024	**22.48**	**646.89**	**121.98**	**8.30**	**52.59**	**117.46**	**969.71**
Additions	28.95	-	1.71	9.85	8.21	13.01	61.73
Disposals/Adjustments	-	-	(0.17)	-	(2.83)	(2.10)	(5.10)
At 31 March 2025	**51.43**	**646.89**	**123.52**	**18.15**	**57.97**	**128.37**	**1,026.34**
Depreciation and Impairment							
At 1st April 2023	**18.35**	**294.25**	**103.83**	**11.56**	**36.51**	**75.48**	**539.99**
Depreciation charge for the year	-	15.16	2.54	1.25	6.46	9.11	34.52
Impairment							
Disposals/Adjustments	-	-	(0.25)	(7.51)	(0.64)	(1.29)	(9.69)
At 31 March 2024	**18.35**	**309.41**	**106.12**	**5.30**	**42.33**	**83.30**	**564.82**
Depreciation charge for the year	-	14.68	1.59	0.99	5.49	26.75	49.50
Impairment							
Disposals/Adjustments	-	-	(0.10)	-	(2.36)	(1.75)	(4.21)
At 31 March 2025	**18.35**	**324.09**	**107.61**	**6.29**	**45.46**	**108.30**	**610.11**
Net book value							
At 31 March 2025	**33.07**	**322.80**	**15.92**	**11.86**	**12.51**	**20.07**	**416.23**
At 31 March 2024	**4.12**	**337.48**	**15.87**	**3.00**	**10.26**	**34.16**	**404.89**

Note :- 3.1 The company has applied the estimated useful lives as specified in Schedule II, of the Companies Act 2013, except in respect of certain assets as disclosed in Accounting Policy on Depreciation / Amortization on fixed assets. Accordingly, the unamortized carrying value is being depreciated /amortized over the revised / remaining useful lives.

Note :- 3.2 Buildings includes both leasehold and freehold buildings. Leasehold buildings premises at SCOPE Minar under right of use for 89 years from DDA/Scope is purchased on sub-lease pending transfer of title/sub-lease. Two flats purchased in Mumbai are under right of use for 90 years is yet to be executed between MHADA & Housing Society.

Note:- 3.3 Details of the Property, not held in the name of the Company are as follows:-

	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Property, Plant & Equipment (PPE)	**Land & Building Situated at Core 1 & 2, 14th Floor, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi 110092**	541.49	Standing Conference of Public Enterprises	N/A	6/17/2005	**Refer 3.2 above**
Property, Plant & Equipment (PPE)	**NSFDC, Oshiwada MHADA Complex building no.5, Flats no. 02 & 04, Azad Nagar, Andheri (west), Mumbai 400053**	47.09	MHADA	N/A	25.06.1997	**Refer 3.2 above**

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

4 Investment Property

(₹ in Lakhs)

Particulars	Buildings	Total
Cost or Deemed Cost		
At 1st April 2023	46.50	46.50
Additions	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2024	46.50	46.50
Additions	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2025	46.50	46.50
Depreciation and Impairment		
At 1st April 2023	34.87	34.87
Depreciation charge for the year	-	-
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2024	34.87	34.87
Depreciation charge for the year	-	-
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31 March 2025	34.87	34.87
Net book value		
At 31 March 2025	11.63	11.63
At 31 March 2024	11.63	11.63

Note :- 4.1 The company has applied the estimated useful lives as specified in Schedule II, of the Companies Act 2013, except in respect of certain assets as disclosed in Accounting Policy on Depreciation / Amortization on fixed assets. Accordingly, the unamortized carrying value is being depreciated /amortized over the revised / remaining useful lives.

Note:- 4.2 Valuation of Investment Property

VALUATION OF PORTION "A"

Carpet Area	328.39 Sq.Mt.
Circle Rate for office space W.e.f. 15-12-2015	Rs. 77000/Sq.Mt.
Value of office space portion A @Rs.77000/Sq.Mt.	2,52,86,030.00
Market Rate	Rs. 1,50,000.00
Market Value of portion A	4,92,58,500.00
It is on 4th floor and on main road it is facing	
Flyover hence deduction @ 20%	98,51,700.00
	Rs.3,94,06,800.00
Fair Market Value of Portion A	Rs.394.06 Lakhs

VALUATION OF PORTION "B"

Carpet Area	57.704 Sq.Mt.
Circle Rate for office space W.e.f. 15-12-2015	Rs. 77000/Sq.Mt.
Value of office space portion B @Rs.77000/Sq.Mt.	44,43,208.00
Market Rate	Rs. 1,50,000.00
Market Value of portion B	86,55,600.00
It is on 4th floor and on main road it is facing	
Flyover hence deduction @ 20%	17,31,120.00
	69,24,480.00
Add for Wooden Partition Wall and other	1,00,000.00
Wood work after adjusting depreciation	
	Rs.70,24,480.00
Fair Market Value of Portion B	Rs.70.24 Lakhs
Fair Market Value of Property (A+B)	Rs.464.30 Lakhs

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

Fair value determined based on an annual evaluation performed by a registered valuer as defined under rule 2 of Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 applying valuation model acceptable internationally.

Note:- 4.3 As per para 75(f) of IND AS 40 (Investment property), amounts recognised in profit or loss for:-

(i) rental income from investment property is Rs.19.17 lakhs (PY Rs.19.17 lakhs);

(ii) direct operating expenses (including repairs and maintenance) arising from investment property that generated rental income during the period is Rs.1.84 lakhs (PY Rs.1.83 lakhs); and

(iii) direct operating expenses (including repairs and maintenance) arising from investment property that did not generate rental income during the period is Rs.0.71 lakhs (PY Rs. 0.70 lakhs)

5 Intangible Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Computer Software	Total
Cost or Deemed Cost		
At 1st April 2023	33.59	33.59
Addition during the year	-	-
Adjustment	-	-
At 31st March 2024	33.59	33.59
Addition during the year	2.00	2.00
Adjustment	-	-
At 31st March 2025	35.59	35.59
Amortization and Impairment		
At 1st April 2023	32.44	32.44
Amortization during the year	0.60	0.60
Impairment during the year	-	-
At 31st March 2024	33.04	33.04
Amortization during the year	0.57	0.57
Impairment during the year	-	-
At 31st March 2025	33.61	33.61
Net Carrying Value		
At 31st March 2025	1.98	1.98
At 31st March 2024	0.55	0.55

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

6 Financial assets - Loans

Non-current portion of the Loans has been classified under 'non-current financial assets - loans' and current portion of the Loans has been classified under 'current financial assets - loans'

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025		Total	As at 31st March 2024		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
I A. Loans (Considered good-Secured)						
i) Term Loan Disbursement (Refer note:6.1)	6,75,577.26		6,75,577.26	6,30,553.76		6,30,553.76
Less: Refund / Recall	(83,810.33)		(83,810.33)	(82,535.05)		(82,535.05)
Less: Re-payments	(4,07,937.64)		(4,07,937.64)	(3,64,066.13)		(3,64,066.13)
Less Current part	(82,229.60)	82,229.60	-	(78,463.51)	78,463.51	-
	1,01,599.69	82,229.60	1,83,829.29	1,05,489.07	78,463.51	1,83,952.58
ii) M.C.F. Disbursement	77,667.87		77,667.87	73,386.60		73,386.60
Less: Refund / Recall	(13,945.83)		(13,945.83)	(13,695.83)		(13,695.83)
Less: Re-payments	(56,747.08)		(56,747.08)	(54,928.85)		(54,928.85)
Less Current part	(4,395.91)	4,395.91	-	(3,236.20)	3,236.20	-
	2,579.05	4,395.91	6,974.96	1,525.72	3,236.20	4,761.92
iii) M.S.Y. Disbursement	99,559.77		99,559.77	93,140.37		93,140.37
Less: Refund / Recall	(13,327.13)		(13,327.13)	(13,172.63)		(13,172.63)
Less: Re payments	(75,736.32)		(75,736.32)	(69,807.29)		(69,807.29)
Less Current part	(6,032.27)	6,032.27	-	(5,852.79)	5,852.79	-
	4,464.05	6,032.27	10,496.32	4,307.66	5,852.79	10,160.45
iv) M.K.Y. Disbursement	1,358.70		1,358.70	1,358.70		1,358.70
Less: Refund / Recall	(564.27)		(564.27)	(564.27)		(564.27)
Less: Re-payments	(756.24)		(756.24)	(714.92)		(714.92)
Less Current part	(17.45)	17.45	-	(59.71)	59.71	-
	20.74	17.45	38.19	19.80	59.71	79.51
v) S.S.Y. Disbursement	480.65		480.65	480.65		480.65
Less: Refund / Recall	(260.24)		(260.24)	(260.24)		(260.24)
Less: Re-payments	(209.30)		(209.30)	(195.36)		(195.36)
Less Current part	(11.11)	11.11	-	(16.78)	16.78	-
	-0.00	11.11	11.11	8.27	16.78	25.05
vi) E.L.S. Disbursement	9,573.78		9,573.78	8,402.97		8,402.97
Less: Refund / Recall	(671.88)		(671.88)	(630.46)		(630.46)
Less: Re-payments	(4,717.87)		(4,717.87)	(4,136.99)		(4,136.99)
Less Current part	(1,648.62)	1,648.62	-	(1,506.21)	1,506.21	-
	2,535.41	1,648.62	4,184.03	2,129.31	1,506.21	3,635.52
vii) VTLES	568.27		568.27	568.27		568.27
Less: Refund / Recall						-
Less: Re-payments	(500.77)		(500.77)	(397.27)		(397.27)
Less Current part	(67.50)	67.50	-	(103.50)	103.50	-
	-	67.50	67.50	67.50	103.50	171.00
viii) AMY	6,625.96	-	6,625.96	6,625.96	-	6,625.96
Less: Refund / Recall	(330.00)	-	(330.00)	-	-	-
Less: Re-payments	(5,590.89)	-	(5,590.89)	(2,277.54)	-	(2,277.54)
Less Current part	(705.07)	705.07	(0.00)	(3,532.02)	3,532.02	(0.00)
	-	705.07	705.07	816.40	3,532.02	4,348.42
ix) M.A.Y. Disbursement*	2,380.65		2,380.65	2,380.65		2,380.65
Less: Refund / Recall	-	-	-	-	-	-
Less: Re-payments	(514.08)	-	(514.08)	(85.59)	-	(85.59)
Less Current part	(490.21)	490.21	-	(255.45)	255.45	-
	1,376.36	490.21	1,866.57	2,039.61	255.45	2,295.06
x) UNY. Disbursement*	17,589.04		17,589.04	12,589.04		12,589.04
Less: Refund / Recall	-		-	-		-
Less: Re-payments	(6,755.04)		(6,755.04)	(2,755.04)		(2,755.04)
Less Current part	(5,428.57)	5,428.57		(4,000.00)	4,000.00	
	5,405.43	5,428.57	10,834.00	5,834.00	4,000.00	9,834.00
	1,17,980.73	1,01,026.31	2,19,007.04	1,22,237.34	97,026.17	2,19,263.51

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

I B.	Loans (Considered good-secured)						
xi)	Staff Advances	210.67	107.73	318.40	221.44	99.02	320.46
	TOTAL : I B	210.67	107.73	318.40	221.44	99.02	320.46
	* Against Lien of FDR'S ,PDC's			-			-
I C.	Loans Receivables which have Significant increase in credit risk			-			-
(i)	Term Loan Disbursement	-		-	605.65		605.65
	Less: Refund / Recall			-			-
	Less: Re-payments			-			-
	Less Current part			-			-
		-	-	-	605.65	-	605.65
(ii)	M.C.F. Disbursement	-		-	16.00		16.00
	Less: Refund / Recall			-			-
	Less: Re-payments			-			-
	Less Current part			-			-
		-	-	-	16.00	-	16.00
(iii)	M.S.Y. Disbursement	-		-	95.00		95.00
	Less: Refund / Recall			-			-
	Less: Re-payments			-			-
	Less Current part			-			-
		-	-	-	95.00	-	95.00
	TOTAL : I C	-	-	-	716.65	-	716.65
	Less: Allowance for Bad & Doubtful Loans (refer	-		-	(716.65)		(716.65)
	Total (1A+1B+1C)	1,18,191.40	1,01,134.04	2,19,325.44	1,22,458.78	97,125.19	2,19,583.97

6.1 Details for the Year

Particulars	Op Balance 01.04.2024	Disbursements 2024-25	Repayments 2024-25	Refund / Recall 2024-25	Cl. Balance 31.03.2025
Term Loan (TL)	1,84,558.23	44,417.85	43,871.51	1,275.27	1,83,829.30
Micro Credit Finance (MCF)	4,777.92	4,265.26	1,818.23	250.00	6,974.95
Mahila Samridhi Yojna (MSY)	10,255.45	6,324.40	5,929.03	154.50	10,496.32
Mahila Kisan Yojna (MKY)	79.52	-	41.32	-	38.20
Shiloi Samridhi Yojna (SSY)	25.05	-	13.94	-	11.11
Education Loan Scheme (ELS)	3,635.52	1,170.80	580.88	41.42	4,184.03
Vocational Education Training Loan Scheme (VETLS)	171.00	-	103.50	-	67.50
Ajeevika Microfinance Yojna (AMY)	4,348.41	-	3,313.35	330.00	705.06
Mahila Adhikarita Yojna (MAY)	2,295.06	-	428.49	-	1,866.57
Udyam Nidhi Yojna (UNY)	9,834.00	5,000.00	4,000.00	-	10,834.00
Total	2,19,980.16	61,178.31	60,100.25	2,051.20	2,19,007.03
Previous Year Figures.	2,05,215.97	71,445.37	53,712.44	2,968.73	2,19,980.16

6.1(A): Current Loans are loan amounts which are receivable during the next 12 months after end of the financial year.

6.1(B): The status of AMRCD/Arbitration proceedings is given hereunder:

(a):Manipur State SCs & STs Development Co-operative Bank Ltd. (MSTCB) :- The Arbitrator passed Award in favour of NSFDC and has directed "MSTCB to pay the amount of Rs.1.53 crore (including principal and interest) together with 9% interest thereon from the date of claim till the date of realisation by the Respondent". NSFDC filed Execution Case in the Court of District Judge, Imphal, Manipur. As per directions of DOPT order, the execution petition filed as per Arbitrator order was dismissed. In view of AMRCD, the normal interest has not been recognised during the accounting period, in accordance with Ind AS 109.

(b): Bihar State SCs Co-operative Development Corporation (BSCDC):- As per AMRCD direction dated 27.08.2024, as principal dues of Rs.716.65 lakh has been recieved, the provision has been written back and reflected as Rs.7,38,57,188/- in the Income & Expenditure Account (Rs.7,16,65,056/- Principal and Rs.21,92,137/- Interest).

(c): Jharkhand State Scheduled Castes Cooperative Development Corporation Ltd.: As per AMRCD direction dated 10.02.2025, the due amount of Rs.542.00 lakh has been paid on 02.04.2025 in full and one time settlement of account till 19.11.2024. The Board vide minutes dated 06.06.2025 has approved accordingly.

(d): Under AMRCD, the overdues of Andhra Pradessh Scheduled Castes Coperative Finance Corporation Ltd., Gujarat Scheduled Castes Development Corporation and Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam are under consideration.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

7 Other financial assets - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Considered good-Secured		
Interest Receivables but not due	7.11	8.83
Considered good-Unsecured		
Security Deposit	5.84	21.15
Receivables which have Significant increase in credit risk		
Deposit recoverable (Doubtful)	1,539.99	1,539.99
Less: Allowance for Bad & Doubtful Loans (refer note:30.3)	(1,539.99)	(1,539.99)
Total	12.95	29.98

8 Other Non Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Prepaid Expenses-Staff Cost (refer note:8.1)	38.68	47.34
	38.68	47.34

8.1 Prepaic expenses includes Rs 38.68 lakhs (for 2023-24 Rs 47.34 lakhs) towarcs unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

9 Cash and cash equivalent

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Balances with banks:		
-Operational Bank Account	5,671.33	2,702.20
Grant Fund Account	5,843.25	4,564.37
-Un spent CSR Fund Account	40.99	58.66
Total	11,555.57	7,325.24

10 Bank Balance Other than Cash & Cash Equivalent

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Other bank balance		
Special Reserve Fund FDR's	8,997.49	6,617.62
Total	8,997.49	6,617.62

11 Other Financial Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
i) Interest Receivables		
Less : Allowance for Bad & Doubtful Interest (Refer note:11.1 & 30)	3,023.05	4,344.53
	-	(918.10)
	3,023.05	3,426.43
ii) Others		
Interest receivable on savings bank	-	0.04
Interest Receivable but not due on Special Reserve Fund	334.94	232.40
Rent Receivable	-0.00	2.70
Amount recoverable	118.46	327.71
Total	3,476.45	3,989.27

11.1 During the year, the dues from BSCDC has been settled as per AMRCD decision dated 27.08.2025. Accordingly, no provision for allowance for Bad and Doubtful Interest (Previous year Rs.59.53 Lakhs) has been made for current financial year. Further, out of Rs.738.57 Lakh recieved, Rs.21.92 lakh has been adjusted towards Interest.

DAVINDER PAL SINGH & CO. INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

12 Current Tax Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
TDS receivable	15.75	15.75
Total	15.75	15.75

13 Other Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Advances other than Capital Advances		
Advance to Staff	2.76	6.28
Advances to parties	38.33	57.90
Others		
Prepaid expenses	15.68	13.32
Total	56.77	77.50

13.1 Prepaid expenses includes Rs 9.44 lakhs (2023-24: Rs 10.04 lakhs) towards unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

14 Share Capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Authorized share capital		
1,80,00,000 Equity Share of Rs 1,000 each (as at 31-03-2024:1,80,00,000) Equity Share of Rs 1,000 each	1,80,000	1,80,000
Issued/Subscribed and Paid up Capital		
1,51,50,000 Equity Share of Rs 1,000 each (as at 31-03-2024:1,51,50,000) Equity Share of Rs 1,000 each	1,51,500	1,51,500
	1,51,500	1,51,500

Ministery of Corporate Affairs approved enhancement of Authorized Share Capital Rs. 300 crores on 02.02.2024.

14.1 Reconciliation of the number of equity shares and share capital

Particulars	As at 31st March 2025 (No's of Shares in Lakhs)	As at 31st March 2025 (Amount in Lakhs)	As at 31st March 2024 (No's of Shares in Lakhs)	As at 31st March 2024 (Amount in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	151.50	151500.00	150.00	150000.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	-	-	-	-
Restated Balance as at the beginning of the year	151.50	151500.00	150.00	150000.00
Add: Shares Issued during the year	-	-	1.50	1,500.00
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	151.50	1,51,500.00	151.50	1,51,500.00

Terms & Rights attached to Equity Shares

The Corporation has only one class of equity shares having par value of Rs.1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The company has obtained Licence u/s 8 of the Companies Act, 2013 therefore dividend is not payable by the Company.

14.2 Details of Shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the company

Particulars	As at 31st March 2025 (No's of Shares in Lakhs)	As at 31st March 2025 % of holding	As at 31st March 2024 (No's of Shares in Lakhs)	As at 31st March 2024 % of holding
Equity shares				
President of India	151.50	100%	151.50	100%
	151.50	100.00%	151.50	100.00%

14.3 Details of Promoter's Shareholding-

Name of Promoter	As at 31st March 2025 No. of Shares in Lakhs	As at 31st March 2025 % of total share	As at 31st March 2025 %change during year	As at 31st March 2024 No. of Shares in Lakhs	As at 31st March 2024 % of total share	As at 31st March 2024 %change during year
President of India	151.50	100.00%	NIL	151.50	100.00%	NIL

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS INDIA FRN:007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

15 Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Other Reserves		
Special Reserve	10,257.47	8,996.85
General Reserve	74,700.61	68,974.23
	84,958.08	77,971.07

15.1 Special Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Balance as at the beginning of the year	8,996.85	7,974.18
Add: Interest on Special Reserve Fund Investment	623.59	552.08
Add : Transferred from Retained Earnings	637.03	470.58
Closing Balance	10,257.47	8,996.85

15.2 General Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Balance as at the beginning of the year	68,974.23	64,718.09
Less: Prior period errors	-	5.16
Restated Balance as at the beginning of the year	68,974.23	64,712.93
Add : Transferred from Retained Earnings	5,726.38	4,261.29
Closing Balance	74,700.61	68,974.23

15.3 Retained Earnings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Opening Balance	-	-
Add : Transfer from Income & Expenditure a/c	6,370.34	4,705.83
Less:-Interest on Special Reserve Fund Investment Trf to Special Reserve	-	-
Add: Prior period Adjustments (Net)	-	-
Income & Expenditure before considering the interest income from Special Reserve Fund Investment	6,370.34	4,705.83
Less : 10% Transferred to Special Reserve Fund	637.03	470.58
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation	(6.93)	26.05
Balance Transferred to General Reserve	5,726.38	4,261.29
Closing Balance	-	-

DAVINDER PAL SINGH & CO. INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

16 Current & Non current provisions

₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025		Total	As at 31st March 2024		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
I) Provision for Employee Benefits						
- Leave Benefits	546.98	78.05	625.03	512.41	81.67	594.08
-Provision for Performance Related Pay	-	448.66	448.66	-	396.23	396.23
-Gratuity (Net)	-	115.11	115.11	-	65.76	65.76
ii) Other Provisions						
-Provision for Incentive to SCA	-	110.00	110.00	-	195.09	195.09
-Provision for CSR	-	12.42	12.42	-	27.80	27.80
Total	546.98	764.24	1,311.22	512.41	766.55	1,278.96

16.1 Amount pertaining to person(s) superannuating in next 12 months from close of the financial year has been taken as current provision.

16.2 Details of provisions :

Particulars	As at 1st April 2024	Additions during the year 2024-25	Utilized/payments during the year 2024-25	Written back during 2024-25	Provision Set off during the year	As at 31st March 2025
Leave Benefits	594.08	111.56	80.61	-	-	625.03
Provision for PRP	396.23	243.64	150.67	40.54	-	448.66
Provision for Incentive to SCA	195.09	50.00	0.09	135.00	-	110.00
Provision for CSR	27.80	-	15.38	-	-	12.42
Total	1,213.20	405.20	246.76	175.54	-	1,196.11
Previous Year Fig.	1,207.74	424.23	418.77	-	-	1,213.20

16.3 Disclosures as per Ind AS - 19 Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)

The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the statement of income and Expenditure and Balance Sheet along with the funded status is as under:

Particulars	As at 31st March 2025		As at 31st March 2024	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Unfunded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Unfunded)
(I) Key Assumption of actuarial				
Mortality Rate	IALM(2012-14)		IALM (2012-14)	
Attrition rate				
Upto 30 yrs	5%	5%	5%	5%
31 to 44 years	5%	5%	5%	5%
above 44 years	5%	5%	5%	5%
Discount Rate	6.78	6.78	7.23	7.23
Salary rise (p.a)	6.00	6.00	6.00	6.00
Rate of return on plan assets (p.a)				
Remaining Working Life			11.15 Years	
(II) Changes in the present value of obligations				
Present value of obligations at the beginning of the period	961.59	594.08	901.41	544.34
Interest cost	69.52	42.95	65.98	39.84
Current service cost	37.66	26.83	36.29	24.81
Past service cost	-	-		
Benefit paid (if any)	(78.52)	(80.61)	(21.28)	(47.81)
Actuarial (gain)/loss	7.31	41.79	(20.81)	32.90
Present value of the obligation at the end of the period	997.57	625.03	961.59	594.08
(III) The amount to be recognized in the Balance Sheet:				
Fair value of plan assets at the end of the year			895.83	-
Present value of obligation as at the end of the year	997.57	625.03	961.59	594.08
Net Asset/(Liability) recognized in the Balance sheet	997.57	625.03	65.76	594.08

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

(IV) Expenses recognized in the income and expenditure statement				
Current service cost	37.66	26.83	36.29	24.81
Past service cost				
Net interest cost	69.52	42.95	5.99	39.84
Actuarial (gain)/ loss	7.31	41.79		32.90
Net cost recognized in the Income & Expenditure Statement	114.50	111.56	42.28	97.55
(V) Changes in the Fair Value of Planned Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	895.83		819.63	-
Expected Return on Plan Assets	65.15		65.23	
Contributions			32.24	
Benefits paid	(78.52)	-	(21.27)	
Actuarial gain/(loss) on plan assets	-		-	
Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	882.47		895.83	-
(VI) Actuarial Gain/(Loss) to be recognised in Other Comprehensive Income:	(6.95)	-	26.05	-
	6.93		26.05	-

Sensitivity analysis:

For the year ended 31st March 2025

		As at 31st March 2025	
Change in	Change in assumptions	Effect on Gratuity obligation	Effect on Leave Encashment
Discount Rate	Present value of obligation as at the end of the year	997.57	625.08
	Impact due to increase of 0.50%	(19.29)	(13.20)
	Impact due to decrease of 0.50%	20.03	13.72
Salary Growth Rate	Present value of obligation as at the end of the year	997.57	625.08
	Impact due to increase of 0.50%	20.09	13.77
	Impact due to decrease of 0.50%	(19.51)	(13.31)

For the year ended 31st March 2024

		As at 31st March 2024	
Change in	Change in assumptions	Effect on Gratuity obligation	Effect on Leave Encashment
Discount Rate	Present value of obligation as at the end of the year	961.59	594.08
	Impact due to increase of 0.50%	(19.48)	(13.14)
	Impact due to decrease of 0.50%	20.23	13.61
Salary Growth Rate	Present value of obligation as at the end of the year	961.59	594.08
	Impact due to increase of 0.50%	20.38	13.73
	Impact due to decrease of 0.50%	(19.80)	(13.29)

Sensitivities due to mortality & withdrawals are not material & hence impact of change not calculated.
Sensitivities as to rate of inflation, rate of increase of pensions in payment, rate of increase of pensions before retirement & life expectancy are not applicable being a lumpsum benefit on retirement.

Maturity Profile of Defined Benefit Obligation

		As at 31st March 2025		As at 31st March 2024	
		Gratuity (Funded)	Leave encashment (Unfunded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Unfunded)
	Year	Amount	Amount	Amount	Amount
i	0 to 1 year	113.92	78.05	128.25	81.66
ii	1 to 2 year	121.55	74.15	96.95	64.59
iii	2 to 3 year	173.50	127.66	102.92	60.89
iv	3 to 4 year	141.62	76.60	154.10	108.81
v	4 to 5 year	154.69	90.38	122.14	62.61
vi	5 to 6 year	94.46	48.17	132.44	73.43
vii	6 year onwards	197.62	130.02	224.78	142.09

DAVINDER PAL SINGH & CO
CA INDIA
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:007601N
NEW DELHI

17 Financial liabilities

17.1 Loan Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Loan from BOB	-	2,500.00
Total	-	2,500.00

17.2 Others

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Grant in Aid towards :		
(ia) Seed Grant	749.12	600.00
PM Daksh CNA A/c	4,025.89	2,145.13
UGC Grant Scheme	411.11	1,319.40
DAPSC	-	-
VISVAS Scheme (3886) MOSJ&E	548.84	-
Grant for Skill Training (MOSJ&E)(9496) (refer note:17.3)	0.13	205.99
Grant from Ministry of Textiles	9.68	9.68
(ib) Interest on grant payable to GOI	17.29	58.09
(ii) Grant from Other Organisations	30.65	29.64
BPCL CSR	0.54	0.47
(iii) Security Deposit Received	4.05	4.70
(iv) EMD payable	8.32	13.63
(v) Sundry Creditors	194.93	129.03
(vi) Outstanding Expenses	34.53	139.15
(vii) Other Payable	28.44	87.72
Total	6,063.52	4,762.63

17.3 As advised by CAG, the Grants available are recognized as revenue grants and unspent balance is shown as Current Liabilities. The company has followed the Income Approach for the recognition of grant. The expenditure and receipts against the grants are recognized through Income and Expenditure account. The details of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.25 are as under :

(₹ in Lakhs)

S.No.	Particulars	Opening Balance as at 01.04.2024	Receipts/Receivable during the year 24-25	Interest income during the year 24-25	Refund for the year 24-25	Recognized during the year 24-25 (Releases)	Interest refunded Refundable/ to GOI*	Closing Balance as on 31st March 2025
1	PM Daksh CNA A/c*	2,145.13	3,682.00	35.11	-	1,751.23	35.11	4,025.90
2	NFSC Grant(MOSJE-CNA)*	1,319.40	20,982.45	39.58	-	21,890.74	39.58	411.11
3	DAPSC CNA (AJS & YES Scheme)	-	-	6.10	168.60	-168.60	6.10	-
4	VISVAS Scheme (3886) MOSJ&E	0.00	1,149.00	0.10	-	600.16	0.10	548.84
5	Seed Grant Scheme	600.00	785.00	41.55	-	635.87	41.55	749.13
6	Skill Training Grant-(9496) MOSJ&E	205.99	-	6.06	205.86	-	6.06	0.13
7	Textile Grant	9.67	-	5.18	-	-	5.18	9.67
8	Resource Linkage Program II	-						-
	(i) RLP-BPCL	0.47	-	0.07	-	-	-	0.54
	(ii) RLP-Others PSUs	29.64	-	1.00	-	-	-	30.64
	Balance as per 31st March 2025	4,310.30	26,548.45	134.75	374.46	24,709.40	133.68	5,775.96
	Balance as per 31st March 2024	13,605.84	24,721.99	765.59	15,336.93	18,681.52	764.67	4,310.30

* Included refunded amount to GOI during the FY 2024-25

18 Other current liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Statutory Dues	76.12	91.07
Total	76.12	91.07

DAVINDER PAL SINGH & CO CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

17 Financial liabilities

17.1 Loan Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Loan from BOB	-	2,500.00
Total	**-**	**2,500.00**

17.2 Others

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
	Grant in Aid towards :		
(ia)	Seed Grant	749.12	600.00
	PM Daksh CNA A/c	4,025.89	2,145.13
	UGC Grant Scheme	411.11	1,319.40
	DAPSC	-	-
	VISVAS Scheme (3886) MOSJ&E	548.84	-
	Grant for Skill Training (MOSJ&E)(9496) **(refer note:17.3)**	0.13	205.99
	Grant from Ministry of Textiles	9.68	9.68
(ib)	Interest on grant payable to GOI	17.29	58.09
(ii)	Grant from Other Organisations	30.65	29.64
	BPCL CSR	0.54	0.47
(iii)	Security Deposit Received	4.05	4.70
(iv)	EMD payable	8.32	13.63
(v)	Sundry Creditors	194.93	129.03
(vi)	Outstanding Expenses	34.53	159.15
(vii)	Other Payable	28.44	87.72
	Total	**6,063.52**	**4,762.63**

17.3 As advised by CAG, the Grants available are recognized as revenue grants and unspent balance is shown as Current Liabilities. The company has followed the Income Approach for the recognition of grant. The expenditure and receipts against the grants are recognized through Income and Expenditure account. The details of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.25 are as under :

(₹ in Lakhs)

S.No.	Particulars	Opening Balance as at 01.04.2024	Receipts/Receivable during the year 24-25	Interest Income during the year 24-25	Refund for the year 24-25	Recognized during the year 24-25 (Releases)	Interest refunded Refundable/ to GOI*	Closing Balance as on 31st March 2025
1	PM Daksh CNA A/c*	2,145.13	3,632.00	29.13	-	1,751.23	29.13	4,025.90
2	NFSC Grant(MOSJE-CNA)*	1,319.40	20,982.45	39.58	-	21,890.74	39.58	411.11
3	DAPSC CNA (AJS & YES Scheme)	-	-	6.10	168.60	-168.60	6.10	-
4	VISVAS Scheme (3886) MOSJ&E	0.00	1,149.00	0.10	-	600.16	0.10	548.84
5	Seed Grant Scheme	600.00	785.00	41.55	-	635.87	41.55	749.13
6	Skill Training Grant-(9496) MOSJ&I	205.99	-	7.51	205.86	-	7.51	0.13
7	Textile Grant	9.67	-	0.07	-	-	0.07	9.67
8	Resource Linkage Program II	-						-
	(i) RLP-BPCL	0.47	-	0.07	-	-	-	0.54
	(ii) RLP-Others PSUs	29.64	-	1.00	-	-	-	30.64
	Balance as per 31st March 2025	**4,310.30**	**26,548.45**	**125.11**	**374.46**	**24,709.40**	**124.04**	**5,775.96**
	Balance as per 31st March 2024	**13,605.84**	**24,721.99**	**765.59**	**15,336.93**	**18,681.52**	**764.67**	**4,310.30**

*** Included refunded amount to GOI during the FY 2024-25**

18 Other current liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Statutory Dues	76.12	91.07
Total	**76.12**	**91.07**

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

19 Revenue From Operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
(I) Interest on Loan to SCAs/others		
(a) Interest on Term Loan (TL)	6,165.34	5,798.38
(b) Interest on Micro Credit Finance (MCF)	101.54	105.73
(c) Interest on Mahila Kisan Yojana (MKY)	0.99	1.65
(d) Interest on Mahila Samriddhi Yojana (MSY)	130.85	113.55
(e) Interest on Shilpi Samridhi Yojna (SSY)	0.33	0.67
(f) Interest on Education Loan Scheme (ELS)	67.98	49.07
(g) Interest on Vocational Education Training Loan Scheme (VETLS)	1.79	3.24
(h) Interest on Udyam Nidhi Yojna (UNY)	343.11	310.93
(i) Intt. Received on Ajeevika Microfinance Yojna (AMY)	141.15	146.50
(j) Intt. Received on Mahila Adhikarita Yojna (MAY)	53.69	41.63
(k) Interest on Refund (refer note:19.1)	36.49	1.11
(II) Other Operating Revenue		
(a) Administrative & Monitoring Charges under VISVAS Interest Subvention Scheme (refer note: 19.2)	97.11	-
(b) Monitoring Charges under PM DAKSH Scheme (refer note: 19.3)	17.31	16.13
(c) Implementation Charges under National Fellowship for Scheduled Castes (NFSC) Scheme (refer note 19.4)	217.72	200.03
(d) Implementation Charges under SEED Scheme (refer note no. 19.5)	72.50	-
(e) Monitoring Charges under Amrit Jaldhara Scheme (AJS) & Young Entrepreneur Scheme (YES)	-	76.76
Total	7,447.90	6,865.38

19.1 During the year 2024-25, an Interest on Refund of Rs.36.49 lakh (Rs.1.11 lakh during the F.Y 2023-24) from SCAs, was levied on refunded amount of Rs.2955.39 lakh (Rs.31.23 lakhs during the F.Y 2023-24).

Interest on Refund is levied as per existing Lending Policy as follows:-
(i) In case of SCAs, when disbursement amount is refunded in total.

(ii) In case of Channelizing Agencies:-

(a) Interest on funds not utilized within stipulated time period and refunded shall be applicable @4% p.a. (3% in case of PSBs & RRBs) over and above the normal rate of interest charged by NSFDC from CA(s) and it shall be applicable from the date of disbursement to date of refund.

(b) NSFDC funds refunded unutilized by the CA(s) even within stipulated time period shall attract the same interest as indicated above.
(c) In case of PSBs/RRBs, the CA(s) shall be exempted from levy of nigher rate of interest on unutilized funds if the cumulative funds utilization level is 80% or above as the end of preceding financial year.

(iii) In case of NBFC-MFI, the CAs shall be exempted from levy of Interest on Refund, if the cumulative fund utilization level is 80% or above under the particular scheme.

19.2 During the year, the Corporation is entitled for 1% of the total loan subvented under Vanchit Ikai Samooh aur Vargon Ki Aarthik Sahayta (VISVAS) Scheme.
19.3 During the year, towards implementation of PM-DAKSH Yojana, the Corporation is entitled for Monitoring charges @ 1% of the Training Cost.
19.4 During the year, under National Fellowship for providing Fellowship to Scheduled Caste Students the Corporation is entitled to implementation charges @
19.5 During the year, under SEED scheme, the Corporation is entitled to Rs.10,000/- per SHG as per institutional expenses.

DAVINDER PAL SINGH & CO CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

20 Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
a) Interest Income		
Interest on deposits with Banks	54.97	-
Interest on Saving Bank Accounts	711.18	666.70
Interest on advance to employees & others (Refer note-20.1)	39.79	35.59
b) Other Non-Operating Income		
Miscellaneous Receipts	2.02	1.14
Rent Received	19.17	19.17
Provision written back (Refer note-20.2)	175.54	100.45
Total	1,002.67	823.05

20.1 Rs 19.40 lakhs during the F.Y. 2024-25 (Rs 12.68 lakhs during the F.Y. 2023-24) for amortisation of deferred expense recognised due to fair valuation of staff loan.

20.2 Provision written back Rs. 175.54 lakhs constitute Provision for Incentive to SCA Rs.135.00 lakhs (Rs.45 lakhs each for F.Y. 2021-22, 2022-23 & 2023-24) & PRP of Rs.40.54 lakh (for F.Y. 2022-23).

21 Employee Benefits Cost

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
a) Salary, Wages & Benefits : CMD		
Salary & Allowances	22.41	52.37
Medical Reimbursement	-	0.11
LTC Exp	0.61	-
Foreign Service Contributions	4.26	10.07
	27.28	62.55
b) Salary, Wages & Benefits : Employees		
Salary & Allowances	1,309.06	1,298.13
Leave Benefit	110.73	97.55
LTC Encashment	0.62	0.05
LTC Exp	6.47	1.94
Medical Reimbursement	79.84	44.71
Overtime	1.39	1.07
Professional Membership Fees	0.06	0.10
PRP	243.64	205.02
Internship Expenses	3.12	2.95
	1,754.93	1,651.52
c) Contribution to Provident Fund & Other Funds		
Corpn Cont. to PF/GSLIS	101.68	98.15
Corpn Cont to Pension	7.84	9.66
PF Admin Exp	4.61	4.53
Gratuity	42.42	40.98
Medical (Retiral)	27.32	26.96
Pension (Retiral)	91.69	89.86
	275.56	270.14
d) Staff welfare expenses	10.69	7.23
	10.69	7.23
e) Employee benefit expense on loans and advances	19.40	12.68
Total	2,087.87	2,004.12

21.1 Finance Cost

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
Interest on Loan	6.22	62.06
Total	6.22	62.06

DAVINDER PAL SINGH & CO CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

22 Depreciation & Amortization Costs

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
Depreciation on Tangible Assets (refer note:3 & 4)	49.49	34.06
Amortization of Intangible assets (refer note:5)	0.57	0.61
Total	50.06	34.67

23 Incentive to SCA

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
Incentive to SCA- NAPE	-	45.00
Incentive to SCA-ISOCA	50.00	60.00
	50.00	105.00

24 Other Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
Bank Charges	0.02	0.01
Business Promotion Expenses	10.22	3.62
Computer and Website Exp	13.61	5.44
Corporation Membership fees	1.53	1.89
Directors/Board Meeting Expenses	6.40	2.06
Electricity Charges	22.64	20.44
Insurance Charges	3.95	4.80
Legal & Professional Expenses/Consultancy	15.75	11.20
Media Audio Visual Publ.Eva/Conf/Seminar	44.31	186.99
Office Building Exp	61.65	53.08
Office Expenses (refer note: 24.2)	82.53	77.33
Office Rent	5.01	3.53
Payments to Auditor (refer note: 24.1)	2.30	2.10
Postage, Telegram	0.61	0.60
Printing and Stationery	6.84	9.37
Telephone & Telex	5.67	6.76
Training Exp - Staff	0.19	2.07
Training Exp - Directors	-	0.12
Conveyance Expenses	3.26	4.40
Travelling Exp - Directors	3.23	3.62
Travelling Exp - Staff	26.69	32.11
Travelling Exp - Consultant	0.83	0.63
Vehicle Expenses	20.39	11.17
Rates & Taxes	2.88	7.56
Parliamentary Committee Exp	3.62	13.24
Newspapers, Books & Periodicals	0.36	0.38
Staff Recruitment Exp/Income	2.20	6.38
Administrative Expenses against Grants	173.48	163.59
Grant Expenses	24,709.40	18,681.52
Less Grant Income	-24,709.40	-18,681.52
Total	520.17	634.49

24.1 Auditors Remuneration

For Audit	2.30	2.10
For Audit Previous year	-	-
For taxation matters	-	-
For Company Law matters	-	-
For Management services	-	-
For other services	-	-
For reimbursement of expenses	-	-
Total	2.30	2.10

24.2 During the year, for official discharge of duties, an amount of Rs. 1,66,500 has been reimbursed and booked under office expenses due to cyber crime.

DAVINDER PAL SINGH & CO. INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

30

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

25 Exceptional Items

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
Profit/ (Loss) on sale of assets (Net)	(0.07)	3.27
Total	(0.07)	3.27

26 Components of Other Comprehensive Income (OCI)

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	FVTOCI For the Year Ended 31st March 2025	FVTOCI For the Year Ended 31st March 2024
Remeasurement of Defined benefit plans		
- Gratuity	(6.93)	26.05
Total	(6.93)	26.05

27 Earnings per share (EPS)

(INR i

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
Basic EPS		
From continuing operation	42.05	31.37
Diluted EPS		
From continuing operation	42.05	31.35

27.1 Basic Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	6,370.34	4,705.83
Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	6,370.34	4,705.83
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	151.50	150.02

27.2 Diluted Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	6,370.34	4,705.83
Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing operations	6,370.34	4,705.83

The weighted number of equity shares for the purpose of diluted earning per share reconciles to the weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2025	For the Year Ended 31st March 2024
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	151.50	150.02
Effect of Dilution :		0.10
Shares pending allotment	-	-
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	151.50	150.12

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

28 Capital management

The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants.

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended 31 March 2025.

29 Fair Value measurements

(i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025			As at 31st March 2024		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	11,555.57	-	-	7,325.24
(ii) Other Bank balances	-	-	8,997.49	-	-	6,617.62
(iii) Other Financial Assets	-	-	3,489.40	-	-	4,019.25
(iv) Loan to SCA's & CA's	-	-	2,19,007.04	-	-	2,19,263.51
(v) Loan to employees	-	-	318.40	-	-	320.46
Total Financial Assets	-	-	2,43,367.90	-	-	2,37,546.08
Financial Liabilities						
(i) Security Deposits and EMD payable	-	-	12.37	-	-	18.33
(ii) Other financial liabilities	-	-	6,051.15	-	-	4,744.30
Total Financial Liabilities			6,063.52			4,762.63

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025		As at 31st March 2024	
	Carrying Value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value
Financial Assets				
(i) Loan to SCA's and CA's	2,19,007.04	2,19,007.04	2,19,263.51	2,19,263.51
(ii) Staff loans and Advances	318.40	311.57	320.46	315.62
Total Financial Assets	2,19,325.44	2,19,318.61	2,19,583.97	2,19,579.13
Financial Liabilities				
(i) Security Deposits and EMD payable	12.37	12.37	18.33	18.33
Total Financial Liabilities	12.37	12.37	18.33	18.33

i) The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances , EMD, other financial liabilities and loan to SCA's are considered to the same as their fair values, due to short term nature.

ii) The fair value of "Loans to employees" were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

Fair Value Hirarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

Level 3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost:-

Fair Value hierarchy as on 31-03-2025

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
(i) Loan to employees	31st March 2025	-	-	311.57	311.57
Total Financial Assets		-	-	311.57	311.57

INDER PAL SINGH & CO
CA INDIA
CHARTERED ACCOUNTANTS
007501N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

Fair Value hierarchy as on 31-03-2024 (₹ in lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
(i) Loan to employees	31st March 2024	-	-	315.62	315.62
Total Financial Assets		-	-	315.62	315.62

(iii) Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise grants and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/CA's that derive directly from its equity.

The Company is expose to market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and those financial risks are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The board of directors review and agree on policies for managing each of these risk, which are summarised below:-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances, deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's loans receivables from SCA's & CA's. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to SCA's & CA's.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis through out each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.
- Significant changes in the expected performance and behaviours of the borrower (SCA's & CA's), including changes in the payments status of the borrowers (SCA's & CA's) in the group and changes in the operating results of the borrower (SCA's).

In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 3 years.

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the board of directors the company manages maintaining adequate banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturities of financial liabilities.

30 **Provisions**

30.1 Provision for Expected Credit Losses of Loans and advances for the year ended 31st March, 2025 (₹ in lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount (Net of Impairment Provision)
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition*	Loans	2,19,114.77	0%	-	2,19,114.77
		Interest on Loans	3,023.05	0%	-	3,023.05
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	Loans	-	100%	-	-
		Interest on Loans	-	100%	-	-
		Advance	1,539.99	100%	1,539.99	-
			2,23,677.81		1,539.99	2,22,137.82



NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

Provision for Expected Credit Losses of Loans and advances for the year ended 31st March, 2024 (₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount at Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount (Net of Impairment Provision)
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition*	Loans	2,19,362.53	0%		2,19,362.53
		Interest on Loans	3,426.43	0%		3,426.43
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not credito	Loans	716.65	100%	716.65	-
		Interest on Loans	918.10	100%	918.10	-
		Advance	1,539.99	100%	1,539.99	-
			7,25,963.70		3,174.74	2,22,788.96

30.2 For SCA's where State Government Guarantee/Order/Assurances are available the Allowance for Doubtful loans is made @ 100% in the Books of Account if overdue for more than 3 years old on the date of Balance Sheet and shortfall in State Government Guarantee/Order/Assurances

Other than SCAs (Where State Government Guarantee is not available)

(a) 100% provision on the amount due for payment but outstanding for the period of 3 years and above.

(b) 40% provision on the amount due for payment but outstanding for the period of 2 years and above but less the 3 years.

(c) 25% provision on the amount due for payment but outstanding for the period of 1 year and above but less the 2 years.

(d) No provision on the amount due for payment but outstanding for the period less than 1 year.

30.3 Provision for Bad and Doubtful Deposits

Provision for bad and doubtful deposits for Rs.1,539.99/- Lakhs (2023-24 Rs.1,539.99/- Lakhs) [being the principal amount Rs.1,485.00/- Lakhs (2023-24 Rs.1,485.00/- Lakhs) and interest receivable & due Rs.54.99/- Lakhs (2023-24 Rs.54.99/- Lakhs)] made in the books of accounts in respect of deposit made with PUNWIRE during the year 2000-01. As the principal amount itself is doubtful for recovery, provision for interest has not been made.

Two court cases by NSFDC against PUNWIRE under Negotiable Instruments Acts, 1881 are pending with the concerned court. The Company (PUNWIRE) was wound-up by an order dated 01.02.2001 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana. Thereafter, an Official Liquidator was appointed by the Court in the matter. As per information gathered from the Official Liquidator, assets of the PUNWIRE are not adequate enough even to settle the Company's liabilities towards its secured creditors. NSFDC, being an unsecured creditor, has no chance of recovery of its money and the money invested by NSFDC with the said Company is doubtful of recovery.

30.4 Reversal of allowance for doubtful loans and interest/ (Allowance for Doubtful Loans and Interest)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
Reversal of allowance for doubtful loans and interest	738.57	-
Allowance for Doubtful Loans and Interest	-	-59.53
Total	738.57	-59.53

Read with Para 6.1 b and 20.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

31 Key sources of estimation uncertainty

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) Useful lives of property, plant & equipment

As described in note 2.7 company has estimated the useful life of property, plant & equipment .

The financial impact of the above assessment may impact the depreciation expenses in subsequent financial years.

b) Useful lives of Intangibles Assets

As described in Note 2.8, company has estimated the useful life of intangible assets.

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

c) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in arriving fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. Sen Note 29 for further disclosures.

d) Defined benefit Obligations

Employee benefit obligations are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases and mortality rates. Due to the complexities involved in the valuation and its long term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

32 Prior Period Errors

Particulars	Total Amount
Opening General Reserve as on 01.04.2023	64,718.09
Prior Period Adjustments	-5.16
Restated Opening General Reserve as on 01.04.2023	64,712.94
Restated Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations for year ended 2023-24	4,705.83
Transfer to Special Reserve during 2023-24	-470.58
Other Comprehensive Income during 2023-24	26.05
Restated Opening General Reserve as on 31.3.2024	68,974.22

Impact of Prior period errors on equity, statement of Income and Expenditure and EPS

Particulars	For Year ended 31st March 2024
Impact on equity (increase/(decrease) in equity)	
Advances to parties	8.78
Outstanding Expenses	(3.70)
Interest Receivable	(0.01)
Sundry Creditors	(0.21)
Banks	
Other Financial Liabilities	
Other Payables	(0.23)
Other Recoverable	0.56
Other Financial Assets	
Net Impact on Equity	5.16

Particulars	For Year ended 31st March 2024
Impact on statement in Income & Expenditure (increase/(decrease) in profit)	
Other Expenses	-
CSR Expenses	-
Other Income	-
Total Impact	-
Attributable to Equity Holders	-

Impact on basic and diluted earnings per share (EPS) (increase/(decrease) in EPS)*	Total
Particulars	For Year ended 31st March 2024
Earnings per share for continuing operation	
Basic, profit from continuing operations attributable to equity holders	-
Diluted, profit from continuing operations attributably to equity holders	-

*Note: As per assurance given to CAG, interest income on special reserved fund investment is not routed through profit and loss account. Accordingly previous year figure is also regrouped in current year, impact of the same is not included above, as it is a regrouping not a prior period adjustment.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

33 Related Party Disclosures

33.1 Key Managerial personnel of the company

Name	Position
Sh Rajnish Kumar Jenaw (upto 31.08.2024)	CMD
Sh Rajan Sehgal (w.e.f. 01.09.2024 to 02.05.2025)	CMD, in additional charge
Sh Prabhat Tyagi (w.e.f 02.05.2025)	CMD
Smt Annu Bhogal	Company Secretary
Sh Rajesh Bihari (upto 30.09.2024)	Chief General Manager (finance)
Sh Durga Prasad Roy (upto 29.12.2024)	Independent Director
Smt Anjula Singh Mahur (upto 05.12.2024)	Independent Director

33.2 Transaction with key management personnel:
Nature & volume of transactions with key management personnel during the year:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March 2025	Year ended 31st March 2024
Short Term Benefits*	99.09	153.27
Sitting Fees to Independent Director	0.12	0.24
Post Employment Benefits	33.76	74.88
	132.97	228.39

*Short term benefits includes remuneration paid to KMP's.

Particulars	Year ended 31st March 2025	Year ended 31st March 2024
Loan To related party		
(i) Sh Rajesh Bihari (Chief General Manager-Finance)		
Amount owed by related parties at beginning of the year	-	3.86
Loan Given during the year	-	-
Interest	-	0.04
Repayment during the year	-	(3.90)
Closing Balance	-	-
(ii) Mrs. Annu Bhogal(Company Secretary)		
Amount owed by related parties at beginning of the year	3.30	4.58
Interest	0.99	
Loan given during the year	16.74	
Repayment during the year	(8.49)	(1.28
Closing Balance	12.55	3.30
Total amount owed by related parties at end of the year	12.55	3.30

33.3 Transactions with the Government Related entities

Apart from transactions reported above, the company has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following:-

Name of Government: Government of India, through Ministry of Social Justice and Empowerment (100% Capital Contribution)

DAVINDER PAL SINGH & CO. INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

Certain significant Transactions:-

(₹ in Lakhs)

Party	Nature of Transactions	Year ended 31st March 2025	Year ended 31st March 2024
Ministry of Social Justice and Empowerment	(i) Capital Contributions	-	1,500.00
	(ii) Grant for PM-Daksh(3965)-Skill Training Scheme	3,632.00	3,266.00
	(iii) (a) Grant for National Fellowship for providing Fellowship to Scheduled Caste Students Grant(MOSJE)	20,982.45	20,960.40
	(b) Seed Grant	785.00	600.00
	(c) VISVAS Scheme	1,149.00	
	(iv) Grant for DAPSC	-168.60	-15,286.64
	(v) Interest on Grant refunded to MOSJ&E for		
	(a) Skill Training Schemes	6.06	8.87
	(b) VISVAS Scheme	0.10	0.00
	(c) Textile Grant	5.18	4.51
	(d) Fellowship Scheme	39.58	38.93
	(e) DAPSC	6.10	5.37
	(f) DAKSH CAN	35.11	-
	(g) SEED Scheme	41.55	-
	(vi) Grant received/refunded (alongwith interest) from/to:		
	(a) VISVAS Interest Subvention Scheme	-	-50.29
	(b) Training(MOSJ&E)-9496	-205.86	
	(vii) MOSJ&E Contribution in MAVP related programmes	49.65	424.30
NBCFDC	MAVP related Programmes	20.83	67.99
National Safai Karamcharis Finance and Development	MAVP related Programmes	40.36	66.48
		26,418.51	11,605.92

34 Disclosure required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March 2025	Year ended 31st March 2024
(i) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	6.41	7.17
(ii) Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	-	-
(iii) The amount of interest paid along with the amounts of the payment made beyond the appointed date	-	-
(iv) The amount of interest due and payable for the year	-	-
(v) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the accounting year	-	-
(vi) The amount of further interest due and Payable even in the succeeding year, until such date when interest dues as above are actually paid	-	-

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. This has been relied upon by the auditors.

35 On account of transaction entered into with national level corporation and MOSJ&E the total amount recoverable after setting off receivable/payable comes to Rs. 93.74 Lakhs (31.03.2024 Rs.291.73 Lakhs) towards events held commonly/on their behalf.

PAL S/ INDIA CHARTERED COUNTANTS RN-007601N

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NSFDC)
Notes to the Financial Statements for the year ended 31st March, 2025

36 Corporate Social Responsibility

Activity Wise detail of CSR expenditure is as given below :

(₹ in Lakhs)

CSR Expenditure	Financial Year	
	2024-25	2023-24
(i) Construction / acquisition of any asset	11.92	16.07
(ii) On purposes other than (i) above		
Thematic Activities under Health Care/Nurtrition	99.08	65.90
Other Activities (Education, Ration Kit Distribution, Utensil Distribution)	4.53	4.15
TOTAL	115.53	86.12

36.1 Disclosures in respect of CSR Expenditure as per Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Schedule VII thereof:

(a) Detail of amount required to be spent

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2025	For the year ended 31st March, 2024
(i) EOIOE		
2020-21	-	4,782.13
2021-22	4,877.62	4,877.62
2022-23	4,761.44	4,761.39
2023-24	4,709.24	
(ii) Total (EOIOE)	14,348.30	14,421.14
(iii) Less adjustment for sale of assets	3.27	0.06
(iv) Net Profit	14,345.03	14,421.08
(v) Average (iv/3)	4,781.68	4,807.03
(vi) 2% of (v)	95.63	96.14
(vii) Un-Spent amount as at beginning of the year	102.40	88.88
(vii) Interest earned on Unspent Fund	6.05	3.50
(viii) Amount Spent during the year	115.53	86.12
(ix) Un-Spent amount as at Year End (vi+vii-viii)	88.55	102.40

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

36.2 Unspent amount is pertaining to the Ongoing Projects. The detail of ongoing csr projects is as follows:

(₹ in Lakhs

S.No.	Implementing Agency	Name of the Project	Starting Year	State	Sanctioned Amount	Disbursed Amount
1	M/s Netram Eye Foundation *	Health camp, Tonk	2023-24	Rajasthan	0.55	0
2	M/s HLFPPT	R.O. Plant & Solar Plant, Hathras	2023-24	Uttar Pradesh	8.23	4
3	M/s Shree Jagarati Seva Sansthan *	Construction of Toilet for SC Hostel, Rajasmanth	2023-24	Rajasthan	5.00	2
4	M/s District Administration, Giridih *	Equipment/toilet repair etc. to Jharkhand Government, Giridih	2023-24	Jharkhand	6.00	4
5	M/s Mahatma Gandhi Shodh Sansthan (MGSS)	Installation of 10 Sanitary Napkin Vending and disposal Machines	2024-25	Delhi	1.22	0
6	PMCARES Fund	CSR Contribution to PMCARES Fund.	2020-21	Pan India	11.12	11
7	PMCARES Fund	CSR Contribution to PMCARES Fund.	2023-24	Pan India	0.56	0
8	Rogi Kalyan Samiti **	Construction of Community Hall	2023-24	Tikamgarh (M.P.)	41.40	
9	PMCARES Fund	CSR Contribution to PMCARES Fund.	2021 22	Pan India	50.59	50
	Sub Total amount spent during 2024-25 w.r.t. Previous Years (A)					74

*Amount totalling Rs.6.87 lakhs released from NSFDC Operational Account. Therefore, during the F.Y. 2025-26, the same shall be adjuste from unspent CSR 2023-24 Account.

**Out of Sanctioned Amount of Rs. 41.40 lakhs, Rs.12.42 lakhs has been disbursed during the F.Y. 2023-24

	B: Disbursement during the year 2024-25 against Fresh sanctions					
S.No.	Implementing Agency	Name of the Project	Starting Year	State	Sanctioned Amount	Disbursed Amount
1	M/s American India Foundation Trust (AIF)	Self-employed Tailor Training for rural women in Bhagwanpur Block, Begusarai district	2024-25	Bihar	15.11	4
2	M/s Swawlamban	Installation of Plastic Bottle Crushing Machine in Delhi at Lal Quila and Qutub Minar	2024-25	Delhi	5.89	5
3	M/s PANTISS Foundation	Creating awareness on Government Health and Nutrition Schemes through Traditional Performing Arts during Maha Kumbh Mela 2025 at Prayagraj	2024-25	Uttar Pradesh	17.10	17

DAVINDER PAL SINGH & CO. INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

4	M/s Delhi Sikh Gurudwara Managemnt Committee (DSGMC)	Kidney Dialysis of patients from poor socio-economic background in Gurudwara Bala Sahib	2024-25	Delhi	13.65	13.65
5	M/s Provincial Co-operative Construction and Development Limited (PCCD)	Construction of Badminton Court with arena, in playground of Mahatma Gandhi Palika Inter College, Ujhani, Budaun	2024-25	Uttar Pradesh	48.21	0.00
	Sub total amount spent during 2024-25 pertaining to 2024-25 Sanction (B)					41.17
	Gross Total (A+B)					115.53

Details of the Unspent amount on the (Ongoing Project) as on 31.03.2024 (₹ in Lakhs)

Opening Balance		Amount required to be spent during the year	Amount spent during the year			Closing Balance
With Company	In separate CSR Account		From Company's Bank Account	From Separate CSR Unspent Account	With Company	In separate CSR Account
33.15	55.73	99.64	85.56	0.56	43.73	58.67

Details of the Unspent amount on the (Ongoing Project) as on 31.03.2025 (₹ in Lakhs)

Opening Balance		Amount required to be spent during the year	Amount spent during the year		Closing Balance	
With Company	In separate CSR Account		From Company's Bank Account	From Separate CSR Unspent Account	With Company	In separate CSR Account
43.73	58.67	101.68	41.17	74.36	54.46	40.99

36.3 (i) Rs.40 99 'akhs (previous year 58.67 lakhs) remains deposited with IDFC First Bank on account of unspent amount on ongoing previous Years Project as on 31.03.2025.

(ii) Provision has been made/remains for CSR expenditure amounting to Rs 12.42 lakhs (previous year Rs 16.67 lakhs) at the year ending 31st March, 2025.

(iii) During the year 2024-25, the unspent amount is due to release of amount in instalment or in phase wise manner on the basis of

(iv) Unspent CSR - 2024-25 amount on 31.03.25 with company is amounting to Rs. 54,46,091/27, out of which fund Rs. 14,46,300/- spent on 03.04.25 before opening of Unspent CSR Fund account. Therefore, the remaining Unspent CSR funds 2024-25 amounting to Rs.39,99,791/27 has been transferred to Unspend CSR Fund 2024-25 within the time limit (i.e. 30th April 2025).

(v) Under Section 135(6) of the Companies Act, 2013, the unspent amount of Rs. 50.59 lakh on 28.03.2025 pertaining to more than 3 years i.e. F.Y. 2021-22 (previous year Rs.11.13 lakh on 24.04.2024 pertaining to F.Y. - 2020-21) has been transferred to PM Care Fund (Specified Fund under schedule VII).

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

37 "Madhya Pradesh State Co-op. Scheduled Castes Finance & Development Corporation has bifurcated their NSFDC's loan portfolio as per Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 which governs transfer of assets and liabilities between corporation/state government on account of bifurcation of the erstwhile State of Madhya Pradesh (MP) into Chattisgarh and Madhya Pradesh (M.P.). The matter of apportionment of loan liability between MPSCFDC & CSASFDC on account of bifurcation of erstwhile MPSCFDC is still sub-judice.
Pending decision by the Court, the loan liability of Rs.210.09 Lakhs along with due interest has been accepted and repaid by CSASFDC. For loan liability of Rs.835.93 Lakhs (previous year Rs. 835.93 Lakhs) towards principal and Rs.1,438.15 Lakhs (previous year Rs.1,369.12 Lakhs) towards interest as on 31.03.2024 was being shown against MPSCFDC and demand for its repayment was being raised on them. However, during the AMRCD review meeting for repayment of overdues of CSASVEVN and MPSCFDC to NSFDC held on 10.02.2025, it was noted that there is currently no stay on repayment of pre-bifurcation liabilities payable to NSFDC. Accordingly, CSASFDC was advised to comply with the decision of the Hon'ble tribunal as the apportionment of liabilities was carried our following due process of Law. Therefore, the quarterly demand for pre-bifurcation liabilities is now being raised on CSASFDC instead of MPSCFDC from March, 2025 onwards."

38 The total dues of loans as on 31.03.2025 is Rs.42,269.41 Lakhs (31.03.2024 is Rs 40,508.32 Lakhs) including interest of Rs 3,016.38 Lakhs (as at 31.03.2024 Rs.3,783.63 Lakh).

38.1 **"SCAs/CAs" having dues (including more than 3 years) are as detailed below:**

(₹ in lakhs)

S.No.	Agency	State	Total dues (As on 31.03.2025)	Amount due more than 3 years
A	SCAs/CAs whose overdues repayment is outstanding			
1	APSCDC	Andhra Pradesh	14,073.27	1,186.90
2	MPBCDC	Maharashtra	6,988.77	850.50
3	RSCDC	Rajasthan	4,965.36	-
4	GSCDC	Gujarat	4,556.81	589.88
5	CTGSDC	Chhatisgarh	3,993.29	3,260.39
6	TSCDC	Tripura	3,282.11	700.05
7	LIDCOM	Maharashtra	1,230.21	-
8	DSCFDC	Delhi	620.21	-
9	J&KSCDC	Jammu & Kashmir	500.26	-
10	DBRADC	Karnataka	372.44	372.44
11	SSCBCDC	Sikkim	251.39	45.34
12	PADCO	Puducherry	161.19	-
13	MSTCB	Manipur	153.44	153.45
14	LASDC	Maharashtra	44.73	-
15	HPSCDC	Himachal Pradesh	25.14	-
16	LDRB	Assam	6.61	6.61
17	UBI	Maharashtra	0.31	-
	Total (A)		41,225.55	7,205.56
B.	SCAs/CAs whose overdues repayment received on or before 23.06.25			
18	JSCDC	Jharkhand	542.00	521.70
19	BOB	Gujarat	208.45	-
20	IOB	TamilNadu	161.10	-
21	PSLDFC	Punjab	56.76	-
22	TAHDCO	TamilNadu	71.61	45.17
23	PNB	Delhi	2.08	-
24	HPGB (HP Gramin Bank)	Himachal Pradesh	1.10	-
25	KSWDC	Kerala	0.41	-
26	Punjab Gramin Bank	Punjab	0.33	-
27	MAHGB	Maharashtra	0.02	-
	Total (B)		1,043.86	566.87
	Grand Total (A+B)		42,269.41	7,772.42

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

S.No.	Agency	State	Pending UC's (₹ in lakhs) 2024-25	2023-24
1	West Bengal	WBSCSTDFC	2,130.25	7,998.38
2	Andhra Pradesh	APSCCFC	5,618.89	5,979.37
3	Maharashtra	MPBCDC	2,345.56	5,611.31
4	Gujarat	GSCDC	3,259.68	3,639.29
5	Rajasthan	RSCDC	4,636.38	8,068.46
6	Tripura	TSCDC	212.46	2,131.71
7	Kerala	KSDC	1,104.90	3,321.06
8	Tamil Nadu	TAHDCO	402.06	161.11
9	Kerala	KSWDC	336.86	2,255.91
10	Jammu & Kashmir	JKSCSTBCDC	625.11	1,588.74
11	Uttar Pradesh	BUPGB	-	1,128.83
12	Delhi	DSFDC	116.28	1,247.79
13	Himachal Pradesh	HPSCSTDC	230.01	973.57
14	Haryana	HSCDC	15.40	1,533.54
15	Maharashtra	LIDCOM	1,578.43	2,734.45
16	Chhattisgarh	CGSCFDC	134.14	676.52
17	Jharkhand	JSCDC	94.84	301.28
18	Puducherry	PADCO	50.83	102.97
19	Chandigarh	CSCFDC	4.66	128.68
20	Gujarat	GSCMBCDC	50.56	50.56
21	Remaining Channel Partners		4,921.60	29,138.19
	Total		27,568.90	78,721.72

39 **Exemption from Tax under the Income Tax Act, 1961**

No Provision for Income Tax/Deferred Tax is required as the income of Corporation is exempt from tax under section 10 (26) (B) of the Income Tax Act, 1961. Further CBDT had issued Circular No.18/2017 dated 29.05.2017 which laid down that in case of Corporation, body, institution or association established for promoting interests of members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or backward classes referred to in Section 10 Clause (26B); whose income is unconditionally exempt and who are also statutorily not required to file return of income as per section 139 of the Income-tax Act, 1961 there would be no requirement for tax deduction at source, since their income is anyway exempt under the Income-tax under Section 10(26B) of the Income Tax of India Act, 1961.

40.1 **Exemption under Reserve Bank of India Act, 1934**

The Reserve Bank of India vide letter No.DNBS.ND.NO.4175MI/10.01.001 /2010-11 dated 29.04.2011 has certified that NSFDC has been exempted by the Bank from the applicability of provisions of Section 45-1A of the Reserve Bank of India Act, 1934 and other regulatory and prudential norms on the basis of Company (NSCFDC) being classified by Government of India as a 'No profit no loss' company engaged in 'community services'. RBI advised to submit a copy of Board Resolution stating that the company (NSCFDC) will not accept deposits from the public. Accordingly, the Resolution has been passed in the 118th Board Meeting held on 30.05.2011 and the Resolution submitted to RBI vide letter No.NSFDC/SECT/193/2010/2704 dated 13.06.2011.

40.2 As per Reserve Bank of India, the Corporation is not a Non Banking Finance Company and exempted for following RBI's prudential norms prescribed for making provisions and for income recognition on non-performing assets. As RBI's prudential norms are not applicable to the Corporation, it has made its own norms for making provision duly approved by Board for provisioning on certain overdue loans/interest thereon.

41 **Application of IndAS on material items**

The Prior Period Items and changes in accounting polices are applied retrospectively on account of materiality only in line with the provisions of Indian Accounting Standards.

42 **Segment Reporting**

(a) Operating Segments

The Company is engaged in a single segment i.e. the business of indirect financing of income generating project for target groups from where it is earning its income and incurring expenditure. The operating results of the single segment are regularly reviewed and performance is assessed by Chairman cum Managing Director who can be treated as a Chief Operating Decision Maker (CODM). All the company's resources are dedicated to this single segment and all the discrete financial information is available for this segment.

(b) Geographical Information

Since the company's activities/operations are within the country and considering the nature of services it deals in, the risks and returns are the same and as such, there is only one geographical segment.

43 Previous year figures have been regrouped to conform to the current year's presentation and to enhance comparability with the current year's financial statements.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

44 Disclosures pursuant to amendment in Schedule III of the Companies Act 2013:
The MCA vide notification dated 23rd March 2021 has amended Schedule III to the Companies Act, 2013 in respect of certain disclosures which are applicable from 1st April 2021. The Company has incorporated the changes as per the said amendment in the financial statements and below disclosures are made in compliance of the said amendment :

(i) The Company has no transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 during the period.
(ii) The Company has not traded or invested in Crypto Currency or Virtual Currency during the period.
(iii) The Company do not have any Benami property, where any proceeding has been initiated or pending against the company for holding any Benami property.
(iv) The Company do not have any charges or satisfaction which is yet to be registered with ROC beyond the statutory period,

(v) The Company have not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall:

(a) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
(b) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries

(vi) The Company have not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall:

(a) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
(b) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries,

(vii) The Company does not have any transaction which is not recorded in the books of accounts that has been subsequently surrendered or disclosed as income during the year as part of the on going tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961).

(viii) The Company has not been declared as wilful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
(ix) The Company has complied with the number of layers prescribed under the Companies Act, 2013.

(x) Company is not required to submit statement of current assets with the bank and therefore reconciliation of the statement filed by the company with bank and the books of accounts is not applicable.

(xi) The Company does not have any transactions where the company has not used the borrowings from banks and financial institutions for the specific purpose for which it was taken at the balance sheet date

(xii) The Company have not entered into any scheme(s) of arrangements during the financial year.
(xiii) The following accounting ratios are disclosed:

Particulars	Numerator	Denominator	March 31, 2025	March 31, 2024	% change	Reason for change more than 25%
Current ratio	Current Assets	Current Liabilities	18.14	14.18	27.92%	NA
Debt-equity ratio	Total Debt	Shareholder's Equity	-1.00	0.01	-100.00%	Due to Repayment of loan in the Current Financial Year
Debt service coverage ratio	Earnings for debt service = Net profit after taxes + Non-cash operating expenses	Debt service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments	NA			NA
Return on equity ratio	Net Profits after taxes – Preference Dividend	Average Shareholder's Equity	0.03	0.02	31.37%	Due to Increase in Profit during the Current Financial Year.
Inventory turnover ratio	Cost of goods sold	Average Inventory	NA			NA
Trade receivables turnover ratio	Net credit sales = Gross credit sales - sales return	Average Trade Receivable	NA			NA
Trade payable turnover ratio	Net credit purchases = Gross credit purchases - purchase return	Average Trade Payables	NA			NA
Net capital turnover ratio	Net sales = Total sales - sales return	Working capital = Current assets – Current liabilities	0.06	0.06	-1.88%	NA
Net profit ratio	Net Profit	Net sales = Total sales - sales return	0.86	0.69	24.78%	Due to Increase in Profit during the Current Financial Year.
Return on capital employed	Earnings before interest and taxes	Capital Employed = Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	0.03	0.02	29.78%	Due to Increase in Profit during the Current Financial Year.
Return on investment*	Interest (Finance Income)	Investment	0.04	0.05	-22.04%	NA

* ROI is not annualized

45 Approval of financial statement
The financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 08-07-2025

As per our Report of even date attached
For M/s. Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN: 007601N

CA. Davinder Pal Singh
Partner
M. No. 086595

Place : New Delhi
Date : 08-07-2025

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

For and on behalf of the Board of Directors

(Manjeet Singh Chhatwal)
Deputy General Manager (Finance)

(Annu B[illegible])
General Manager (Finance) & Company Secretary

Director
DIN- 09350971
(MASHAR VELAPURATH)

(Prabhat Yagi)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN- 11091166

ADDENDUM - A

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghco@yahoo.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Audit of the Ind AS Financial Statements Qualified Opinion

We have audited the Financial Statements of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2025, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matter described in the **Basis for Qualified Opinion paragraph and Emphasis of Matter paragraph,** the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, ofthe state of affairs of the Company as at 31st March, 2025, its income and total comprehensive income and its changes in equity for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for opinion

Key Audit Matters

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

Emphasis of Matter

1. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. The lending policy entails that utilization certificates have to be provided by SCAs and CAs within 120 days in case of fresh disbursement from the date of disbursement. Further, in case of overall disbursements, utilization certificates have to be obtained from all SCAs and CAs on quarterly basis. However, in some cases utilization certificates were not received post the expiry of specified period. As at 31st March 2025, utilization certificates for outstanding loans amounting to Rs.275.69 Crore, have not been received by the company **(Refer Note 38.2).**

2. It was observed that many SCAs have defaulted in repayments, which have resulted in overdue for more than three years amounting to Rs.7,772.42 Lakhs including the interest component. However out of above Rs.566.87 lakh has been received before 30.06.2025 **(Refer note no. 38.1)**

3. Attention is drawn to the **Note 6.1(B)(ii)(a)** regarding Manipur State SCs & STs Development Co-operative Bank Ltd. (MSTCB). The Arbitrator passed Award Order in favor of NSFDC and has directed MSTCB to pay, the amount of Rs.1.53 crore together with 9% interest thereon from the date of the filing of statement of claim till the date of actual payment by the Respondent to the claimant (NSFDC). However, the SCA has failed to honor the Award within stipulated time. The Corporation has filed an Arbitration Execution Case in the Court of District Judge, Imphal, Manipur. The Corporation has deferred recognition of interest income during the accounting period in accordance with Ind AS 109.

4. The responsibility of the Company to arrange balance confirmations in respect of Loans and advances, creditor etc. Balance confirmation has not been received in case of some of the SCAs, PSBs/RRBs, NBFC-MFIs and creditors. The impact of which on the Ind AS Financial Statements is uncertain but material if quantified.

5. Attention is drawn to Note 17.2. The grant remaining unutilized as on 31.03.2025 is Rs.5744.77 Lakhs for Government Grants and Rs. 31.19 lakhs for grants from other PSUs toward unspent Grant Liability which is shown as 'Other financial liabilities' in the financials.

6. The Lending Policy of NSFDC provides for Liquidity Damages on Defaulted Payments (LDDP) of dues (Principal as well as Interest) beyond the stipulated / agreed dates of repayment @ 2% per annum over and above the normal rate of interest applicable on the dues. LDDP is recognized on realization due to uncertainty of its collectability. It is however, noticed that demand has been issued to SCAs for LDDP regularly.

Our Opinion is not qualified/modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises Board's Report including Annexure to Board's Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact and we have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act with rule 7 of the Companies(Accounts) Rules, 2014 and the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Ind AS financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the Ind AS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, CARO 2020 ("the Order") is not applicable to the company. Hence, the Annexure on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, are not given.

2. As required by the Comptroller and Auditor General(C&AG) of India through direction issued u/s 143(5) of the Companies Act, 2013 on the basis of written representations received from the management, we give our report on the matters specified in the **"Annexure A"** attached.

3. As required by section 143(3) of the Companies Act 2013, we report that:

a) Except for the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs, we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

Branch Offices:

- *Tarsan Vihar, Jalandhar, M. No. +91 99881-17156*
- *105, Gopal Nagar, Amritsar, M.No +91 99152-59909*
- *1229, Sector 1, Karnal, M. No. +91 94631-82642*
- *S-55, Okhla Industrial Estate, Phase-2, New Delhi, M. No. +91 98140-25756*
- *73 A-I Partap Complex, Sunder Nagar, Mandi, M. No +91 98331-25756*

www.davinderpalsingh.co

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar.
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

CA INDIA

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

c) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, the Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.;

d) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of matter paragraphs above, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with rule 7of the Companies (Accounts) Rules,2014 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

e) In term of notification No. G.S.R 463(E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of corporate affairs, Government of India; sub section (2) of section 164 of Companies Act 2013 is not applicable to Government Companies.

f) The matter described in the Emphasis of matter paragraph above, in our opinion, does not have any adverse effect on the functioning of the Company.

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report **in "Annexure-B".**

h) With the respect to the matter to be included in the Auditor's report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, the reporting requirements are not applicable in terms of notification number G.S.R463 (E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs.

i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2016, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us: -

- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial positions in the Ind AS financial statements.
- The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:00760 N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

(b) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like from or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (iv)(a) and (iv)(b) contain any material misstatement;

i. The Company has neither declared nor paid dividend during the year;

ii. The Company, in respect of financial year 2024-25, has used Tally ERP accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail (edit log) facility; providing standard functionality and logging in all changed data in the system. This functionality and audit trail feature in Tally ERP has been operational throughout the year for all relevant transactions recorded through the application at the Corporation.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Place : Delhi
Date : 08.07.2025

Davinder Pal Singh (FCA)
Partner
M.N.-086596
UDIN :

UDIN: 25086596BMGYKI7773

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

"ANNEXURE-A"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Below are the replies to the directions issued by the Comptroller and Auditors General of India u/s 143(5) of the companies Act, 2013 with respect to the Ind AS financial statements of M/s NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION for the financial year ended on 31st March, 2024

(1) Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post-retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	During the year, the Company obtained Actuarial Valuation Certificate towards Earned Leave liability and Gratuity liability and provision has been created on the basis of Actuary Report. The Company has formed Trusts in the name of "Defined Contributory Pension Scheme Trust for Employees of NSFDC" and "Defined Contributory Medical Scheme for Retired Employees" as per DPE Guidelines. LIC of India is the fund manager of both the Trusts.
(2). Whether the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, maybe stated.	The financial accounting of the Company is done on tally ERP Software. However, the loan accounting of the Company is done on Manual Ledgers. As explained by management, the manual ledgers are reconciled with tally ERP software. As explained to us, the processing of loan transactions outside IT system does not have any adverse effect on the integrity of accounts and the same therefore does not have any financial implications.

Branch Offices:

- *Tarun Villa, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: +91 99581-17156*
- *105, Golden Avenue Amritsar-143001 M.No +91 99152-59909*
- *1279, Sector 15-B, Chandigarh, M. No: +91 94631-82642*
- *S-53, Okhla Industrial Estate, Phase-2, New Delhi, M. No. +91 98140-25756*
- *73 A/4 Partap Complex, Sardar Nagar, Mandi, M. No +91 98551-25756*

www.davinderpalsingh.co

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN-007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Berwa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

(3) Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central / State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilized as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.	During the year funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from central/state agencies have been properly accounted for/utilized. Attention is drawn to Note 17.2. The grant remaining unutilized as on 31.03.2025 is Rs. 5744.77 lakh for Government Grants and Rs. 31.19 lakhs for grants from other PSUs toward unspent Grant Liability which is shown as 'Other financial liabilities' in the financials. The interest earned on grants received has been refunded to Government of India and there has been no deviation as per its terms and conditions during the accounting year.
(4) Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	The Company has identified the key Risk areas and formulated Risk Management Policy to mitigate these risks. (a) the Risk Management Policy has been formulated considering best practices. (b) the Company has identified its data assets and it has been valued appropriately.

Branch Offices:

- *Parvar Villa, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: +91 99061-17150*
- *105, Golden Avenue Amritsar-143001 M.No +91 99152-59909*
- *1229, Sector 15-B, Chandigarh, M. No: +91 94631-82642*
- *S-55, Okhla Industrial Estate, Phase-2, New Delhi, M. No. +91 981 40-25756*
- *73 A/4 Partap Complex, Sunder Nagar, Mandi, M. No +91 98851-25756*

www.davinderpalsingh.co

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

CA INDIA

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

(5) Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.	The regulations of SEBI are not applicable as it is an unlisted entity. The applicable rules and regulations of Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India has been complied with. The NSFDC website is hosted on NIC (Meity GOI) Server and the applicable rules & regulations of CERT-IN, Meity are being complied. The company has obtained certification on Corporate Governance as stipulated in the Department of Public Enterprises guidelines from a firm of Practicing Company Secretary. During the year Nil cases of deviation has been observed.,

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Davinder Pal Singh (FCA)
Partner
M.N.- 086596
UDIN:

UDIN: 25086596BMGYKI7773

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

Place: Delhi
Date: 08.07.2025

Branch Offices:

- *Tarun Villa, Shimla Pahari, Hushiarpur, M. No: +91 99881-17156*
- *105, Golden Avenue Amritsar-143001 M.No +91 99152-59909*
- *1229, Sector 15-B, Chandigarh. M. No: +91 94631-82642*
- *S-53, Okhla Industrial Estate, Phase-2, New Delhi, M. No. +91 98140-25756*
- *73 A/4 Partap Complex, Sundar Nagar, Mandi, M. No +91 98553-25756*

www.davinderpalsingh.co

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

"ANNEXURE-B"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company") as at March 31, 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicableto an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Opinion.

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: House No.933, HIG Independent Sector 70, Mohali District SAS Nagar, Mobile No.98140-25756 Phone: 0161-4610756, E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. : 524-L Model Town, Opp. Bawa Bakery, Ludhiana, Mobile No. 83600-54645 Phone No. 161-2310756 E-mail:dpsinghca@yahoo.com

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

(3) Provide reasonable assurance regarding prevention and timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion Company has , in all material respects, except matter stated in clause 1 to 3 below, an adequate Internal financial controls system over financial reporting and such internal financial control over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of Internal control stated in the guidance note on Audit of Internal Financial Controls over financial reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

1. The Internal controls and systems designed by the management to verify the end use of the funds sanctioned and disbursed to SCA's & CA's are not reasonable enough considering the size of the company and the nature of its operations. The management has been asked to update the procedures commensurate with the size of the company and the nature of its operations. Further, we have been informed by the management that the release of funds to eligible beneficiaries is the sole responsibilities of SCAs. Company must devise some audit system through which it can be ensured that the funds are properly disbursed to the eligible beneficiaries.

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-I, Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

2. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. However, utilization Certificates for Rs.275.69 crore (previous year Rs.787.22 crore) are pending as at 31st March 2025. Internal Control system should be strengthened to obtain utilization Certificates at the earliest.

3. Matters referred to in Clause 1 to Clause 6 under Emphasis of matter paragraph point to lapses in Internal Control over financial reporting system. The company should monitor and strengthen internal control System in respect of such issues.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Place: Delhi
Date: 08.07.2025

Davinder Pal Singh(FCA)
Partner
M.N.- 086596
UDIN:

UDIN: 25086596BMGVK17773

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

ADDENDUM - A 1

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: House No.933, HIG Independent Sector 70, Mohali District SAS Nagar, Mobile No.98140-25756 Phone: 0161-4610756, E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. : 524-L Model Town, Opp. Bawa Bakery, Ludhiana, Mobile No. 83600-54645 Phone No. 161-2310756 E-mail:dpsinghca@yahoo.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Audit of the Ind AS Financial Statements Opinion

We have audited the Financial Statements of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2025, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, ofthe state of affairs of the Company as at 31st March, 2025, its income and total comprehensive income and its changes in equity for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for opinion

Key Audit Matters

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701. Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

CA INDIA

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

Emphasis of Matter

1. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. The lending policy entails that utilization certificates have to be provided by SCAs and CAs within 120 days in case of fresh disbursement from the date of disbursement. Further, in case of overall disbursements, utilization certificates have to be obtained from all SCAs and CAs on quarterly basis. However, in some cases utilization certificates were not received post the expiry of specified period. As at 31st March 2025, utilization certificates for outstanding loans amounting to Rs.275.69 Crore, have not been received by the company **(Refer Note 38.2).**

2. It was observed that many SCAs have defaulted in repayments, which have resulted in overdue for more than three years amounting to Rs.7,772.42 Lakhs including the interest component. However out of above Rs.566.87 lakh has been received before 30.06.2025 **(Refer note no. 38.1)**

3. Attention is drawn to the **Note 6.1(B)(ii)(a)** regarding Manipur State SCs & STs Development Co-operative Bank Ltd. (MSTCB). The Arbitrator passed Award Order in favor of NSFDC and has directed MSTCB to pay, the amount of Rs.1.53 crore together with 9% interest thereon from the date of the filing of statement of claim till the date of actual payment by the Respondent to the claimant (NSFDC). However, the SCA has failed to honor the Award within stipulated time. The Corporation has filed an Arbitration Execution Case in the Court of District Judge, Imphal, Manipur. The Corporation has deferred recognition of interest income during the accounting period in accordance with Ind AS 109.

4. The responsibility of the Company to arrange balance confirmations in respect of Loans and advances, creditor etc. Balance confirmation has not been received in case of some of the SCAs, PSBs/RRBs, NBFC-MFIs and creditors. The impact of which on the Ind AS Financial Statements is uncertain but material if quantified.

5. Attention is drawn to Note 17.2. The grant remaining unutilized as on 31.03.2025 is Rs.5744.77 Lakhs for Government Grants and Rs. 31.19 lakhs for grants from other PSUs toward unspent Grant Liability which is shown as 'Other financial liabilities' in the financials.

6. The Lending Policy of NSFDC provides for Liquidity Damages on Defaulted Payments (LDDP) of dues (Principal as well as Interest) beyond the stipulated / agreed dates of repayment @ 2% per annum over and above the normal rate of interest applicable on the dues. LDDP is recognized on realization due to uncertainty of its collectability. It is however, noticed that demand has been issued to SCAs for LDDP regularly.

7. Our Opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises Board's Report including Annexure to Board's Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. : 524-L Model Town,
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact and we have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act with rule 7 of the Companies(Accounts) Rules, 2014 and the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Ind AS financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-I, Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the Ind AS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, CARO 2020 ("the Order") is not applicable to the company. Hence, the Annexure on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, are not given.
2. As required by the Comptroller and Auditor General(C&AG) of India through direction issued u/s 143(5) of the Companies Act, 2013 on the basis of written representations received from the management, we give our report on the matters specified in the **"Annexure A"** attached.
3. As required by section 143(3) of the Companies Act 2013, we report that:

a) Except for the matter described in the Basis for Emphasis of matter paragraphs, we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Emphasis of matter paragraphs above, in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: House No.933, HIG Independent Sector 70, Mohali District SAS Nagar, Mobile No.98140-25756 Phone: 0161-4610756, E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. : 524-L Model Town, Opp. Bawa Bakery, Ludhiana, Mobile No. 83600-54645 Phone No. 161-2310756 E-mail:dpsinghca@yahoo.com

c) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Emphasis of matter paragraphs above, the Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.;

d) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Emphasis of matter paragraphs above, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with rule 7of the Companies (Accounts) Rules,2014 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

e) In term of notification No. G.S.R 463(E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of corporate affairs, Government of India; sub section (2) of section 164 of Companies Act 2013 is not applicable to Government Companies.

f) The matter described in the Emphasis of matter paragraph above, in our opinion, does not have any adverse effect on the functioning of the Company.

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report **in "Annexure-B".**

h) With the respect to the matter to be included in the Auditor's report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, the reporting requirements are not applicable in terms of notification number G.S.R463 (E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs.

i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2016, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us: -

- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial positions in the Ind AS financial statements.
- The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. : 524-L Model Town,
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

(b) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like from or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (iv)(a) and (iv)(b) contain any material misstatement;

i. The Company has neither declared nor paid dividend during the year;

ii. The Company, in respect of financial year 2024-25, has used Tally ERP accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail (edit log) facility; providing standard functionality and logging in all changed data in the system. This functionality and audit trail feature in Tally ERP has been operational throughout the year for all relevant transactions recorded through the application at the Corporation.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Place : Delhi
Date : 01.08.2025

Davinder Pal Singh (FCA)
Partner
M.N.-086596
UDIN : 25086596BMGYKR6554

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

"ANNEXURE-A"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Below are the replies to the directions issued by the Comptroller and Auditors General of India u/s 143(5) of the companies Act, 2013 with respect to the Ind AS financial statements of M/s NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION for the financial year ended on 31st March, 2024

(1) Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post-retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	During the year, the Company obtained Actuarial Valuation Certificate towards Earned Leave liability and Gratuity liability and provision has been created on the basis of Actuary Report. The Company has formed Trusts in the name of "Defined Contributory Pension Scheme Trust for Employees of NSFDC" and "Defined Contributory Medical Scheme for Retired Employees" as per DPE Guidelines. LIC of India is the fund manager of both the Trusts.
(2). Whether the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, maybe stated.	The financial accounting of the Company is done on tally ERP Software. However, the loan accounting of the Company is done on Manual Ledgers. As explained by management, the manual ledgers are reconciled with tally ERP software. As explained to us, the processing of loan transactions outside IT system does not have any adverse effect on the integrity of accounts and the same therefore does not have any financial implications.

Branch Offices:

- *Tarun Villa, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: +91 98881-17156*
- *105, Golden Avenue Amritsar-143001 M.No +91 99152-59909*
- *1229, Sector 15-B, Chandigarh, M. No: +91 94631-82642*
- *S-53, Okhla Industrial Estate, Phase-2, New Delhi, M. No. +91 98140-25756*
- *73 A/4 Partap Complex, Sundar Nagar, Mandi, M. No +91 98553-25756*

www.davinderpalsingh.co

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

(3) Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central / State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilized as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.	During the year funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from central/state agencies have been properly accounted for/utilized. Attention is drawn to Note 17.2. The grant remaining unutilized as on 31.03.2025 is Rs. 5744.77 lakh for Government Grants and Rs. 31.19 lakhs for grants from other PSUs toward unspent Grant Liability which is shown as "Other financial liabilities" in the financials. The interest earned on grants received has been refunded to Government of India and there has been no deviation as per its terms and conditions during the accounting year.
(4) Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	The Company has identified the key Risk areas and formulated Risk Management Policy to mitigate these risks. (a) the Risk Management Policy has been formulated considering best practices. (b) the Company has identified its data assets and it has been valued appropriately.

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana.
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

(5) Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.	The regulations of SEBI are not applicable as it is an unlisted entity. The applicable rules and regulations of Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India has been complied with. The NSFDC website is hosted on NIC (Meity GOI) Server and the applicable rules & regulations of CERT-IN, Meity are being complied. The company has obtained certification on Corporate Governance as stipulated in the Department of Public Enterprises guidelines from a firm of Practicing Company Secretary. During the year Nil cases of deviation has been observed.,

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Davinder Pal Singh FCA
Partner
M.N.- 086596
UDIN:

Place: Delhi
Date: 01.08.2025

UDIN: 25086596BMGYKR6553

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. : 524-L Model Town,
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsingheo@yahoo.com

"ANNEXURE-B"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company") as at March 31, 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicableto an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Opinion.

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. : 524-L Model Town,
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

(3) Provide reasonable assurance regarding prevention and timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion Company has , in all material respects, except matter stated in clause 1 to 3 below, an adequate Internal financial controls system over financial reporting and such internal financial control over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of Internal control stated in the guidance note on Audit of Internal Financial Controls over financial reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

1. The Internal controls and systems designed by the management to verify the end use of the funds sanctioned and disbursed to SCA's & CA's are not reasonable enough considering the size of the company and the nature of its operations. The management has been asked to update the procedures commensurate with the size of the company and the nature of its operations. Further, we have been informed by the management that the release of funds to eligible beneficiaries is the sole responsibilities ofSCAs. Company must devise some audit system through which it can be ensured that the funds are properly disbursed to the eligible beneficiaries.

DAVINDER PAL SINGH CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DEL

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-I, Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

2. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. However, utilization Certificates for Rs.275.69 crore (previous year Rs.787.22 crore) are pending as at 31st March 2025. Internal Control system should be strengthened to obtain utilization Certificates at the earliest.

3. Matters referred to in Clause 1 to Clause 6 under Emphasis of matter paragraph point to lapses in Internal Control over financial reporting system. The company should monitor and strengthen internal control System in respect of such issues.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN-007601N NEW DELHI

Place: Delhi
Date: 01.08.2025

Davinder Pal Singh(FCA)
Partner
M.N.- 086596
UDIN: 25086596BMGYKR6557

ADDENDUM - A 2

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Audit of the Ind AS Financial Statements Opinion

We have audited the Financial Statements of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2025, the Statement of Income and Expenditure the Statement of Changes in Equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and otherexplanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, ofthe state of affairs of the Company as at 31st March, 2025, its income total comprehensive income its changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for opinion

Key Audit Matters

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701. Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

Emphasis of Matter

1. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. The lending policy entails that utilization certificates have to be provided by SCAs and CAs within 120 days in case of fresh disbursement from the date of disbursement. Further, in case of overall disbursements, utilization certificates have to be obtained from all SCAs and CAs on quarterly basis. However, in some cases utilization certificates were not received post the expiry of specified period. As at 31st March 2025, utilization certificates for outstanding loans amounting to Rs.275.69 Crore, have not been received by the company **(Refer Note 38.2).**

2. It was observed that many SCAs have defaulted in repayments, which have resulted in overdue for more thanthree years amounting to Rs.7,772.42 Lakhs including the interest component. However out of above Rs.566.87 lakh has been received before 30.06.2025 **(Refer note no. 38.1)**

3. Attention is drawn to the **Note 6.1(B)(ii)(a)** regarding Manipur State SCs & STs Development Co-operative Bank Ltd. (MSTCB). The Arbitrator passed Award Order in favor of NSFDC and has directed MSTCB to pay, the amount of Rs.1.53 crore together with 9% interest thereon from the date of the filing of statement of claim till the date of actual payment by the Respondent to the claimant (NSFDC). However, the SCA has failed to honor the Award within stipulated time. The Corporation has filed an Arbitration Execution Case in the Court of District Judge, Imphal, Manipur. The Corporation has deferred recognition of interest income during the accounting period in accordance with Ind AS 109.

4. The responsibility of the Company to arrange balance confirmations in respect of Loans and advances, creditor etc. Balance confirmation has not been received in case of some of the SCAs, PSBs/RRBs, NBFC-MFIs and creditors. The impact of which on the Ind AS Financial Statements is uncertain but material if quantified.

5. Attention is drawn to Note 17.2. The grant remaining unutilized as on 31.03.2025 is Rs.5744.77 Lakhs for Government Grants and Rs. 31.19 lakhs for grants from other PSUs toward unspent Grant Liability which is shown as 'Other financial liabilities' in the financials.

6. The Lending Policy of NSFDC provides for Liquidity Damages on Defaulted Payments (LDDP) of dues (Principal as well as Interest) beyond the stipulated / agreed dates of repayment @ 2% per annum over and above the normal rate of interest applicable on the dues. LDDP is recognized on realization due to uncertainty of its collectability. It is however, noticed that demand has been issued to SCAs for LDDP regularly.

Our Opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises Board's Report including Annexure to Board's Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact and we have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act with rule 7 of the Companies(Accounts) Rules, 2014 and the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Ind AS financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the Ind AS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, CARO 2020 ("the Order") is not applicable to the company. Hence, the Annexure on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, are not given.

2. As required by the Comptroller and Auditor General(C&AG) of India through direction issued u/s 143(5) of the Companies Act, 2013 on the basis of written representations received from the management, we give our report on the matters specified in the **"Annexure A"** attached.

3. As required by section 143(3) of the Companies Act 2013, we report that:

a) Except for the matter described in the Basis for Emphasis of matter paragraphs, we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Emphasis of matter paragraph above, in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

c) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Emphasis of matter paragraphs above, the Balance Sheet, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.;

d) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Emphasis of matter paragraphs above, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with rule 7of the Companies (Accounts) Rules,2014 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

e) In term of notification No. G.S.R 463(E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of corporate affairs, Government of India; sub section (2) of section 164 of Companies Act 2013 is not applicable to Government Companies.

f) The matter described in the Emphasis of matter paragraph above, in our opinion, does not have any adverse effect on the functioning of the Company.

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report **in "Annexure-B".**

h) With the respect to the matter to be included in the Auditor's report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, the reporting requirements are not applicable in terms of notification number G.S.R463 (E) dated June 5th 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs.

i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2016, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us: -

- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial positions in the Ind AS financial statements.
- The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

DAVINDER PAL SINGH & CO. CA INDIA CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

(b) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like from or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (iv)(a) and (iv)(b) contain any material misstatement;

i. The Company has neither declared nor paid dividend during the year;

ii. The Company, in respect of financial year 2024-25, has used Tally ERP accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail (edit log) facility; providing standard functionality and logging in all changed data in the system. This functionality and audit trail feature in Tally ERP has been operational throughout the year for all relevant transactions recorded through the application at the Corporation.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Place: Delhi
Date: 22.08.2025

Davinder Pal Singh (FCA)
Partner
M.N:- 086596
Udin: 25086596BMGYLB8042

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

"ANNEXURE-A"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Below are the replies to the directions issued by the Comptroller and Auditors General of India u/s 143(5) of the companies Act, 2013 with respect to the Ind AS financial statements of M/s NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION for the financial year ended on 31st March, 2024

(1) Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post-retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	During the year, the Company obtained Actuarial Valuation Certificate towards Earned Leave liability and Gratuity liability and provision has been created on the basis of Actuary Report. The Company has formed Trusts in the name of "Defined Contributory Pension Scheme Trust for Employees of NSFDC" and "Defined Contributory Medical Scheme for Retired Employees" as per DPE Guidelines. LIC of India is the fund manager of both the Trusts.
(2). Whether the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, maybe stated.	The financial accounting of the Company is done on tally ERP Software. However, the loan accounting of the Company is done on Manual Ledgers. As explained by management, the manual ledgers are reconciled with tally ERP software. As explained to us, the processing of loan transactions outside IT system does not have any adverse effect on the integrity of accounts and the same therefore does not have any financial implications.

Branch Offices:

- *Tarun Villa, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: +91 99881-17156*
- *105, Golden Avenue Amritsar-143001 M.No +91 99152-59909*
- *1229, Sector 15-B, Chandigarh, M. No: +91 94631-82642*
- *S-53, Okhla Industrial Estate, Phase-2, New Delhi, M. No. +91 98140-25756*
- *73 A/4 Partap Complex, Sundar Nagar, Mandi, M. No +91 98551-25756*

www.davinderpalsingh.co

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007601N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756.
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

(3) Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central / State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilized as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.	During the year funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from central/state agencies have been properly accounted for/utilized. Attention is drawn to Note 17.2. The grant remaining unutilized as on 31.03.2025 is Rs. 5744.77 lakh for Government Grants and Rs. 31.19 lakhs for grants from other PSUs toward unspent Grant Liability which is shown as 'Other financial liabilities' in the financials. The interest earned on grants received has been refunded to Government of India and there has been no deviation as per its terms and conditions during the accounting year.
(4) Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	The Company has identified the key Risk areas and formulated Risk Management Policy to mitigate these risks. (a) the Risk Management Policy has been formulated considering best practices. (b) the Company has identified its data assets and it has been valued appropriately.

Branch Offices:

- *Tarun Villa, Shimla Pahari, Hoshiarpur, M. No: +91 99881-17156*
- *105, Golden Avenue Amritsar-143001 M.No +91 99152-59909*
- *1229, Sector 15-B, Chandigarh, M. No: +91 94631-82642*
- *S-53, Okhla Industrial Estate, Phase-2, New Delhi, M. No. +91 98140-25756*
- *73 A/4 Partap Complex, Sundar Nagar, Mandi, M. No +91 98351-25756*

www.davinderpalsingh.co

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:007[illegible]N NEW DELHI

DAVINDER PAL SINGH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: *House No.933,*
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. *: 524-L Model Town,*
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

(5) Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.	The regulations of SEBI are not applicable as it is an unlisted entity. The applicable rules and regulations of Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India has been complied with. The NSFDC website is hosted on NIC (Meity GOI) Server and the applicable rules & regulations of CERT-IN, Meity are being complied. The company has obtained certification on Corporate Governance as stipulated in the Department of Public Enterprises guidelines from a firm of Practicing Company Secretary. During the year Nil cases of deviation has been observed.,

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Place: Delhi
Date: 22.08.2025

Davinder Pal Singh (CA)
Partner
M.N.- 086596
UDIN: 25086596BMIC[illegible]

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. : 524-L Model Town,
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

"ANNEXURE-B"

TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION ("the Company") as at March 31, 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicableto an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require thatwe comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance aboutwhether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Opinion.

DAVINDER PAL SINGH & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN:002601N NEW DELHI

CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O: House No.933,
HIG Independent Sector 70,
Mohali District SAS Nagar,
Mobile No.98140-25756
Phone: 0161-4610756,
E-mail:cadavinderpal@gmail.com

B.O. : 524-I, Model Town,
Opp. Bawa Bakery, Ludhiana,
Mobile No. 83600-54645
Phone No. 161-2310756
E-mail:dpsinghca@yahoo.com

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management anddirectors of the company; and

(3) Provide reasonable assurance regarding prevention and timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financialstatements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls overfinancial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financialreporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion Company has , in all material respects, an adequate Internal financial controls system over financial reporting and such internal financial control over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of Internal control stated in the guidance note on Audit of Internal Financial Controls over financial reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

1. The Internal controls and systems designed by the management to verify the end use of the funds sanctioned and disbursed to SCA's & CA's are not reasonable enough considering the size of the company and the nature of its operations. The management has been asked to update the procedures commensurate with the size of the company and the nature of its operations. Further, we have been informed by the management that the release of funds to eligible beneficiaries is the sole responsibilities of SCAs. Company must devise some audit system through which it can be ensured that the funds are properly disbursed to the eligible beneficiaries.
2. Company is providing financial and other assistance to beneficiaries belonging to scheduled castes through SCAs and CAs. However, utilization Certificates for Rs.275.69 crore (previous year Rs.787.22 crore) are pending as at 31st March 2025. Internal Control system should be strengthened to obtain utilization Certificates at the earliest.

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 007601N

Place: Delhi
Date: 22.08.2025

Davinder Pal Singh (F.C.A.)
Partner
M.N.- 086596
UDIN: 25086596BMGA1B8012

ADDENDUM - B

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय),
ऑडिट भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली–110002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE),
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE,
NEW DELHI-110002

No- CW/2-11/NSCFDC/2025-26/ 871 **Date:16.09.2025**

To,
The Chairman & Managing Director,
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
14th Floor, SCOPE Minar, Core 1 & 2, Laxmi Nagar,
District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110 092.

Subject: Nil Comment Certificate on the Financial Statements of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation for the year ended 31st March 2025.

Sir,

Please find attached along with this letter Nil comment certificate of the Comptroller & Auditor General of India on the Financial Statements of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation for the year ended 31st March 2025. Management Letter on the financial statements will follow the issue of this communication.

Yours faithfully,

Taanya Ambastha 16.09.25

(Taanya Ambastha)
Dy. Director (CAW)

Encl.: As above.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION, NEW DELHI FOR THE YEAR ENDING 31 MARCH 2025.

The preparation of financial statements National Scheduled Castes Finance & Development Corporation, New Delhi for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (the Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 22nd August 2025 which supersedes their earlier reports dated 1st August 2025 and 8th July 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Scheduled Castes Finance & Development Corporation, New Delhi for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 16.09.2025

(Saurav Kumar Jaipuriyar)
Director General of Audit
(Central Expenditure)

ADDRESS OF OFFICES

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation

(A Government of India Undertaking)

(An ISO 9001 : 2015 Certified Company)

HEAD OFFICE

14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar,
Laxmi Nagar District Centre,
Delhi-110 092
Ph:011-22054394, 22054396
Toll Free Number : 1800110396
e-mail: support-nsfdc@nic.in
Website: www.nsfdc.nic.in

LIAISON CENTRES

1	**Shri V.R. Salkute, Assistant General Manager,** National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, 2nd Floor, Podium Block, V.V. Tower, Dr. Ambedkar Veedhi, Near GPO, Bengaluru – 560 001 Phone No. : 080-23465175
2	**Shri H.L. Thanga, Deputy Manager,** National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, New Market Phase-I, 5th Floor, HUDCO Building, 15-N, Nellie Sen Gupta Sarani, Kolkata-700 087 Phone No. : 033-22521395
3	**Shri K.G. Nath, Deputy Manager,** National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Oshiwara MHADA Complex Building No.5, Flat No.004, Azad Nagar Post Office, Andheri (West), Mumbai-400 053 Phone No. : 022-47493581
4	**Shri R.N. Gond, Deputy Manager,** National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, B-2, 4th Floor, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow- 226010 Phone No.0522-4346535



नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(An ISO 9001:2015 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092

14th Floor, Core - 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi-110092

फोन/Phone: 011-22054392, 22054394, 22054396 टोल फ्री न. / Toll Free No. 1800110396

ई-मेल/E-mail: support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website : www.nsfdc.nic.in

Concept & Designed by Kaka Advertising Agency